शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री



जेंडर और महिला सशक्तीकरण खंड 3

© Tata Institute of Social Sciences not to be republished



मिल-जुल कर स्कूल में जाएँ, साथ पढ़ें और
साथ में खाएँ। रंग-बिरंगी प्यारी दुनिया,
साथ मिलकर इसे सजाएँ।

© NCERT not to be republished

शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री

जेंडर और महिला सशक्तीकरण

खंड 3

© NCERT not to be republished

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

13226 – शिक्षक प्रशिक्षकों लिए जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री
जेंडर और महिला सशक्तीकरण, खंड 3

ISBN 978-93-91444-40-2

प्रथम संस्करण
सितंबर 2021 भाद्रपद 1943

PD 1T RPS
© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2021

₹ 205.00

80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा गोयल स्टेशनर्स, बी–36/9, जी.टी. करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली – 110 033 द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फ़ोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमित के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पिनहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781021 फ़ोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : *अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक : *श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी : *अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक : *विपिन दीवान*
संपादन सहायक : *ऋषिपाल सिंह*
सहायक उत्पादन अधिकारी : *दीपक जैसवाल*

आवरण

सुरेन्द्र कुमार

© NCERT not to be republished

आमुख

सर्वविदित है कि बच्चे शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होते हैं और शिक्षक इसमें प्रमुख संसाधन होते हैं। एक पेशेवर के रूप में शिक्षक बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने तथा उनके शिक्षण परिवेश में गुणात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान करते हैं। शिक्षक-प्रशिक्षक समावेशी शिक्षण प्रक्रिया को अपनाने में शिक्षकों को प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इससे पाठ्यचर्या गतिविधियों की संयोजना में शिक्षार्थियों के सरोकारों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एक ऐसे कारक के रूप में स्वीकार किया गया है, जो पाठ्यचर्या संबंधी भेदभाव को दूर करेगी और शिक्षकों, निर्णयकर्ताओं, प्रशासकों एवं योजनाकारों जैसे पेशेवरों को जेंडर समानता के लिए अंत:क्षेपक की भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाएगी। क्रियान्वयन कार्यक्रम (पी.ओ.ए.), 1992 में सभी शिक्षकों और अनुदेशकों को महिला सशक्तीकरण के प्रतिनिधियों या निष्पादकों के तौर पर प्रशिक्षित करने, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं प्रशासकों के लिए जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमों के विकास तथा जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या के विकास एवं पाठ्यपुस्तकों से लिंगभेद आदि को समाप्त करने पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, में भी अध्यापकों की भूमिका को ज्ञान के स्रोत से शिक्षण के सुगमकर्ता के रूप में बदलने की आवश्यकता व्यक्त की गई है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण में अभिवृत्यात्मक बदलाव लाने पर बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के बदलाव को लाने का सर्वोत्तम उपाय स्वयं अपने दृष्टिकोण में भेदभाव को पहचानने और अपने काम में एक 'जेंडर मुक्त' दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील होना है। इससे शिक्षकों को उनकी सामान्यतया प्रचलित एवं स्वीकार्य व्यवहारगत दिक्कतों के प्रति जागरूक करने और साथ ही साथ उन विभेदमूलक व्यवहार नीतियों, जिनसे बढ़ती उम्र के लड़के-लड़कियाँ प्रभावित होते है, से बचने व उन्हें कम करने के लिए सायास प्रयास किए जाने हेतु तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

फोकस ग्रुप ऑन *जेंडर इशूज़ इन एजूकेशन* (2006) ने भी अधिकाधिक आत्मचिंतक, सहभागी और शोध उन्मुखी शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया है। इसमें शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए लैंगिक मुद्दों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने के उपायों से संबंधित संसाधन सामग्री विकसित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

जेंडर अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) ने शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण को सदैव प्राथमिकता दी है। ये कार्यक्रम शिक्षा में लैंगिक सरोकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं। लैंगिक मुद्दों पर सक्रिय राज्य सरकारें और गैर-सरकारी संगठन तथा अन्य संगठन शिक्षा से संबद्ध अपने कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री अथवा स्रोत सामग्री के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस सामग्री की रूपरेखा *जेंडर इशूज़ इन एजूकेशन* नामक आधार पत्र में व्यक्त विचारों पर आधारित है जिसमें इस तथ्य पर बल दिया गया है कि जेंडर को एक सह-दृष्टिकोण के बजाय सभी अनुशासनों में मुख्य

© NCERT not to be republished

दृष्टिकोण के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत सामग्री जेंडर समावेशी है और यह शिक्षकों के लिए जेंडर संबद्ध मुद्दों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में उनके व्यवहार की मुख्य संकल्पनाओं को समझने में सहायक होगी। यह सामग्री उन्हें अपनी सामाजीकरण की प्रक्रियाओं के आत्म-अवलोकन और आत्म-मीमांसा का अवसर देगी तथा वर्तमान समाज के सत्ता-संबंधों एवं परंपरागत व्यवहारों को परखने एवं उन पर सवाल खड़े करने के लिए प्रेरित करेगी। यह शिक्षकों को लड़कों एवं लड़कियों के मुद्दों को सामग्री में जोड़ने हेतु अपने अनुभवों को अन्य अनुशासनों की विषय-वस्तु के साथ समेकित करने में भी सक्षम बनाएगी।

सामग्री लेखकों ने प्रत्येक मॉड्यूल को सहभागी स्वरूप दिया है और विद्यालयी परिवेश में कल्पना शक्ति एवं सर्जनात्मकता उत्पन्न करने पर बल दिया है, साथ ही सभी मॉड्यूल प्रतिभा उन्मेष और विकास के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं। पाठक/पाठिकाएँ इन्हें अपनी आवश्यकता एवं संदर्भ के अनुसार अपना सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं। विविधतापूर्ण अभ्यास गतिविधियाँ भी पर्याप्त मात्रा में दी गई हैं। इस खंड में सुधार एवं संवर्धन के लिए सभी का स्वागत है। इन खंडों का पाठ्यचर्या में प्रयोग करते समय शिक्षक अपने संदर्भगत विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभवों को भी उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न विषयों की प्रमुखता के अनुसार इस प्रशिक्षण सामग्री को तीन खंडों में विभक्त किया गया है। ये खंड इस प्रकार हैं—

खंड 1 : जेंडर और समाज संबंधी परिप्रेक्ष्य

खंड 2 : जेंडर और विद्यालयी प्रक्रिया

खंड 3 : जेंडर और महिला सशक्तीकरण

इन तीनों खंडों के लेखन और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सभी लेखकों, संपादकों तथा समन्वयकों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं।

अपने प्रकाशनों की गुणवत्ता के सतत विकास एवं इसमें क्रमिक सुधार के लिए एक वचनबद्ध संगठन के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली प्रस्तुत सामग्री तथा इसके उपयोग के संबंध में विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है।

हृषिकेश सेनापति
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
जुलाई 2018

© NCERT not to be republished

प्रस्तावना

यह खंड जेंडर और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अकादमिक विमर्श एवं ज्ञान प्रसार में विशेष रूप से योगदान देता है। इसमें विविध विषयों पर आधारित सात मॉड्यूल हैं जिनमें महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तीकरण को केंद्र में रखते हुए विभिन्न राजनीतियों, कार्यक्रमों, बिलों, प्रोत्साहनों और सांविधानिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से बात की गई है। महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया की दिशा में किस प्रकार काम किया गया तथा उसे सुगम बनाया गया, यह मॉड्यूल इस पर भी विस्तार से प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त यह खंड ऐसे वैध प्रावधानों तथा विभिन्न स्वयंसेवी समूहों तथा संस्थाओं के बारे में जागरूकता निर्मित करता है जो लड़कियों तथा महिलाओं में वित्तीय आत्मनिर्भरता, स्वरोज़गार तथा व्यवसाय कौशल विकसित करने में सहायक होते हैं। ये मॉड्यूल इस बात पर बल देता है कि राष्ट्र की संवृद्धि और मॉड्यूल विकास में महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस प्रकार स्वाभाविक क्षमता से युक्त एक प्रभावशाली एवं सशक्त स्त्री की छवि का निर्माण होता है। इस संदर्भ में राज्य की भूमिका पर भी विस्तार से बात की गई है।

मॉड्यूल 1: भारत में महिला आंदोलन — एक अवलोकन – यह मॉड्यूल स्वतंत्रता-पूर्व और पश्चात महिलाओं के नेतृत्व में हुए सुधार आंदोलनों की मुख्य घटनाओं तथा उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है तथा उसका पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। यह अतीत से लेकर वर्तमान तक महिला आंदोलनों और उनकी सहभागिता के मूल की खोज करता है और इस तरह समसामयिक महिला केंद्रित मुद्दों और विवादों को प्रकाश में लाता है। अकादमिक विमर्श में योगदान करने के साथ-साथ यह मॉड्यूल महिलाओं की समस्या निवारण क्षमता और उनकी सक्रिय भागीदारी की छवि को भी रेखांकित करता है।

मॉड्यूल 2: शिक्षा में समानता से निष्पक्षता की ओर — दक्षिण एशिया के कुछ उदाहरण – यह मॉड्यूल बालिका शिक्षा में बराबरी से निष्पक्षता की ओर कदम बढ़ाने की ज़रूरत पर केंद्रित है। यह मॉड्यूल इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि बच्चियों को बेहतर समझने का आधार मूलतः उनकी ज़रूरतों को समझना है। शिक्षा का अधिकार विधेयक की फिर से चर्चा करते हुए यह मॉड्यूल इस बात की वकालत करता है कि लड़का और लड़की दोनों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ। इसकी शुरुआत दोनों के लिए विद्यालय तक पहुँच से लेकर अन्य प्रक्रिया आधारित सामंजस्यों तक फैली है। यह मॉड्यूल इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि लड़कियाँ स्कूल न छोड़ें। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक विद्यालय में शिक्षा के लिए जेंडर संवेदी वातावरण बनाएँ। स्कूली प्रक्रिया से लड़कियों के बाहर हो जाने के कारणों का पता लगाने के अतिरिक्त यह मॉड्यूल इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न केवल जेंडर और सामजिक समानता का विकास करने में भूमिका निभाती है, अपितु शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाने के विभिन्न कारणों से उबरने में भी मदद करती है। मुख्य सरोकारों तथा उससे जुड़े तर्कों को पुष्ट करने के लिए दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों से उदाहरण लिए गए हैं।

मॉड्यूल 3: अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा — मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में – इस मॉड्यूल के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा संस्थानों से मुस्लिम लड़कियों के बाहर रहने के कारणों पर बात की गई है। इसके साथ ही, इस मॉड्यूल में ऐसी लड़कियों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली विविध शैक्षिक संस्थाओं

© NCERT not to be republished

की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। इस संदर्भ में ऐतिहासिक विवरण भी प्रदान किया गया है। मॉड्यूल में उन सभी नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है जिनका लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा मुहैया करवाना है। यह मॉड्यूल केवल ज्ञान प्रसार के संदर्भ में ही समृद्ध नहीं है, अपितु यह अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के अधिकतम नामांकन तथा शिक्षा में बने रहने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी वैकल्पिक रणनीतियाँ तथा अंतःक्षेपक भी सुझाता है।

मॉड्यूल 4: महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण — क्षमताएँ एवं संभावनाएँ – यह मॉड्यूल लड़कियों तथा महिलाओं को स्वावलंबी एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के महत्व पर बल देता है। इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य प्राय: यह है कि यदि लड़कियाँ पढ़ाई अधूरी भी छोड़ देती हैं तो भी उनमें कुछ ऐसे कौशल विकसित किए जाने चाहिए जिनकी सहायता से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। यह मॉड्यूल ज्ञान के आधार के निर्माण में योगदान देता है तथा स्वयंसेवी समूह की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ये समूह महिलाओं को कुछ खास कौशलों के लिए प्रशिक्षण देते हैं ताकि इन कौशलों की सहायता से वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें। इस मॉड्यूल का उद्देश्य विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की उपलब्धता तथा इसके साथ-साथ स्वयंसेवी समूहों की उपस्थिति तथा उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता प्रदान करना है जिससे महिलाओं में उद्यमिता संबंधी कौशल तथा आर्थिक सशक्तीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। मूल बिंदुओं तथा तर्कों को पुष्ट करने के लिए विभिन्न केस अध्ययनों तथा आँकड़ों की सहायता ली गई है।

मॉड्यूल 5: स्वयंसेवी समूहों द्वारा महिलाओं को रोज़गार तथा सशक्तीकरण – यह मॉड्यूल गरीब और हाशिए पर पड़ी महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने में स्वयंसेवी समूहों की भूमिका को सामने लाता है। ये समूह महिलाओं में उद्यमिता क्षमताएँ तथा सामाजिक कौशल का निर्माण करते हैं, ताकि वे अपनी आर्थिक समस्याओं तथा गरीबी का आत्मसम्मान के साथ सामना कर सकें। यह मॉड्यूल इन स्वयंसेवी समूहों की खूबियों पर ही केंद्रित नहीं है, अपितु यह इन्हें उपलब्ध राशि के दुरुपयोग के प्रति भी सचेत करता है। यह मॉड्यूल स्वयंसेवी समूहों की भूमिका, प्रकार्य तथा कार्यप्रणाली संबंधी जानकारी का प्रसार करता है। विभिन्न केस अध्ययनों से लिए गए उद्धरण इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान तो जागृत करता ही है, साथ ही स्वयं तथा अपनी अस्मिता के प्रति एक सकारात्मक बोध उत्पन्न करने में प्रमुख रूप से मदद करता है।

मॉड्यूल 6: लड़कियों एवं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा — न्यायिक संरचना – यह मॉड्यूल महिलाओं द्वारा झेले जा रहे अपराध तथा अन्याय के विभिन्न रूपों के साथ-साथ ऐसे अपराधों तथा जेंडर अन्याय के समाधान हेतु उपलब्ध *विधिक प्रावधानों* की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता है। यह मॉड्यूल महिलाओं के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रवैया रखने वाली विधिक रूपरेखा के विरोधाभास की ओर भी संकेत करता है। महिलाओं के पक्ष में कई कानून होने के बावजूद विधिक व्यवस्था जेंडर भेदभाव को प्रश्रय देने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक कुरीतियों को मिटा नहीं पा रही है। विधिक व्यवस्था में व्याप्त कमियों को इंगित करने के साथ-साथ मॉड्यूल में उन क्षेत्रों की ओर संकेत करने की भी कोशिश की गई है जहाँ विधिक जागरूकता की आवश्यकता है। यह मॉड्यूल लड़कियों व महिलाओं में विधिक साक्षरता को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों एवं संस्थाओं के विषय में जानकारी प्रदान करता है।

मॉड्यूल 7: स्वावलंबी होना — लड़कियों के सशक्तीकरण हेतु व्यावसायिक शिक्षा – यह मॉड्यूल व्यावसायिक शिक्षा के ज़रिए क्षमता विकास पर केंद्रित है। यहाँ क्षमता से तात्पर्य है – किसी काम को करने के लिए ज़रूरी ज्ञान, कौशल और सही नज़रिए के समुचित मेल का होना। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति को

© NCERT not to be republished

वास्तविक कार्य-स्थितियों में काम करने के लिए तैयार करती है। वे लड़कियाँ, जो कम उम्र में ही अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बनना चाहती हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा एक बेहतर विकल्प है। यह उन्हें बाज़ार की ज़रुरतों के हिसाब से खुद को अधिक रोज़गार-योग्य बनाने का अवसर देती है। साथ ही यहाँ अपने कौशलों मे लगातार सुधार करते रहने या नए कौशलों के ज़रिए अपने आप को समृद्ध करते रहने या फिर अकादमिक जगत में शामिल होने के अवसर उपलब्ध होते हैं।

इस प्रकार खंड-3 जेंडर एवं महिला अध्ययन के क्षेत्र में काम करने वाले नीति निर्धारकों, शोधार्थियों, अकादमिकों तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सिद्धांत और व्यवहार में दिखायी देने वाले अंतर पर उँगली उठाने के अतिरिक्त यह खंड उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर भी संकेत करता है, जहाँ हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

गहन सैद्धांतिक विमर्श के माध्यम से ये मॉड्यूल न केवल महिलाओं की शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य को उजागर करते हैं, अपितु उनके सामर्थ्य को और बढ़ाने की ज़रूरत की तीव्रता पर भी बल देते हैं, ताकि वे और अधिक सशक्त हो सकें तथा अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें।

मोना यादव
प्रोफ़ेसर
जेंडर अध्ययन विभाग

© NCERT not to be republished



पढ़ूँगी, बढ़ूँगी, सपनों के आसमान में
ऊँची उड़ूँगी, बस मौका चाहिए मुझे,
अपनी राह खुद चुनूँगी

© NCERT not to be republished

पुस्तक निर्माण समिति

लेखक

अनुपम अहुजा, *प्रोफ़ेसर*, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

अपर्णा बसु, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत), अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

एस.लक्ष्मी देवी, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत), शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ़ एप्लाइड साइंसेज फॉर वूमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय

गौरी श्रीवास्तव, *प्रोफ़ेसर*, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

नीरजा रश्मि, *प्रोफ़ेसर*, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

पुनीता गुप्ता, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

पूनम अग्रवाल, *प्रोफ़ेसर*, जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

वर्तिका चौधरी, *फ्रीलांसर*

हिन्दी अनुवादक

ज्योति चावला, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* स्कूल ऑफ़ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, इग्नू, नयी दिल्ली

समन्वयक

मोना यादव, *प्रोफ़ेसर*, जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), प्रशिक्षण सामग्री के विकास और टीम के सदस्यों के प्रति उनके योगदान के लिए आभारी है। प्रशिक्षण सामग्री के प्रत्येक खंड में उनके नाम दिए गए हैं। प्रशिक्षण सामग्री पहले अंग्रेजी में विकसित की गई, इसके संपादकों अनीता वैद्यनाथन, *स्वतंत्र शिक्षा सलाहकार*; नमिता रंगनाथन, *प्रोफ़ेसर,* केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय; नंदिता सिंह, *स्वतंत्र शिक्षा सलाहकार* और उषा नायर, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन; के योगदान के लिए परिषद् आभार व्यक्त करती है।

परिषद् समीक्षा समिति के सदस्यों चंद्रा सदायत, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत्त), रा.शै.अ.प्र.प.; सुषमा जयरथ, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत्त), रा.शै.अ.प्र.प. और अशोक एन. सेलवत्कसर, *असिस्टेंट डायरेक्टर*, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय; का भी आभार व्यक्त करती है जिन्होंने प्रशिक्षण सामग्री के हिंदी संस्करण को अंतिम रूप देने में सहयोग किया।

परिषद् अनिल कुमार ठाकुर, *ए.पी.सी.*; रमेश चंदर, *सहायक* और पवन कुमार, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* द्वारा पुस्तक निर्माण में प्रदान किए गए सहयोग के लिए भी आभारी है। पुस्तक के संपादन और इसे अंतिम रूप देने में सहयोग के लिए परिषद् प्रकाशन प्रभाग के अतुल मिश्र, *सहायक संपादक* (संविदा) और सुरेंद्र कुमार, इंचार्ज *डी.टी.पी. सेल*, सचिन तँवर एवं गन्धर्व, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* (संविदा), के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

© NCERT not to be republished

विषय सूची

आमुख		*iii*
प्रस्तावना		*v*
1.	भारत में महिला आंदोलन — एक अवलोकन	1
2.	शिक्षा में समानता से निष्पक्षता की ओर — दक्षिण एशिया के कुछ उदाहरण	13
3.	अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा — मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में	35
4.	महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण — क्षमताएँ एवं संभावनाएँ	48
5.	स्वयंसेवी समूहों द्वारा महिलाओं को रोज़गार तथा सशक्तीकरण	62
6.	लड़कियों एवं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा — न्यायिक संरचना	73
7.	स्वावलंबी होना — लड़कियों के सशक्तीकरण हेतु व्यावसायिक शिक्षा	94
	शब्द संक्षेप	102

© NCERT not to be republished

शिक्षित बालिका
समाज की रचयिता



© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 1

भारत में महिला आंदोलन एक अवलोकन

मॉड्यूल की रूपरेखा

1.1 परिदृश्य
1.2 भूमिका
1.3 उद्देश्य
1.4 महिला आंदोलन — स्वतंत्रता-पूर्व स्थिति
1.5 महिला आंदोलन — स्वातंत्र्योत्तर स्थिति
1.6 यथार्थ का उद्भव
1.7 भविष्य की योजना
1.8 संदर्भ

1.1 परिदृश्य

भारतीय महिला आंदोलन का प्रारंभ पुरुष समाज सुधारकों द्वारा 19वीं शताब्दी में शुरू हुए सामाजिक सुधारों से माना जाता है। उस समय के समाज सुधारों में प्रमुख मुद्दे महिलाओं से ही जुड़े हुए थे। केवल पुरुष समाज सुधारकों ने ही नहीं, अपितु महिला समाज सुधारकों ने भी अपनी महिला संस्थाएँ खोलने की पहल की। ये संस्थाएँ पहले स्थानीय स्तर पर और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर खोली गईं। स्वतंत्रता से पूर्व के वर्षों में इनके सामने दो प्रमुख मुद्दे थे — राजनीतिक अधिकार एवं निजी कानूनों में सुधार। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी ने महिला आंदोलन के आधार को और विस्तार दे दिया।

भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कुछ वर्षों में महिलाओं के स्वतंत्र दलों में जो मुद्दे प्रमुख रहे, वे थे— महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा और राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी। वर्तमान समय में महिला आंदोलनों का केंद्र इससे बदलकर व्यावहारिक तथा अकादमिक दोनों स्तरों पर पितृसत्ता को चुनौती हो गया है।

यह मॉड्यूल भारत में महिला आंदोलन के इतिहास पर संक्षेप में बात करते हुए इस आंदोलन की प्रमुख घटनाओं तथा उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। इसमें भारतीय महिला आंदोलन के वर्तमान मुद्दों तथा बहसों पर विशेष रूप से बल दिया गया है।

1.2 भूमिका

महिला आंदोलन को मूलतः दो चरणों में विभाजित किया जाता है — स्वतंत्रता-पूर्व का चरण और स्वातंत्र्योत्तर चरण। कुछ विद्वान भारत में महिला आंदोलन के इतिहास को तीन चरणों या भागों में विभाजित करते हैं। यह विभाजन भारत और पश्चिम में महिलाओं के मुद्दों के बीच में देखी जाने वाली समानता पर आधारित है। पटेल (2012) महिला आंदोलन के तीन चरणों पर इस प्रकार विचार करती हैं — 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन, 20वीं सदी के स्वतंत्रता आंदोलन तथा महिला अधिकार आंदोलन और 1975 के बाद के समय के नये महिला आंदोलन ने महिला प्रश्नों के व्यापक संसार को सामने लाने का काम किया। (पटेल, 2012, पृ.-1)

© NCERT not to be republished

सेन (2000) वर्णन करती हैं कि किस प्रकार 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन के आधार पर 1920 में भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका विकास उच्च राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ जिन्होंने मिलकर इसे रूपाकार देने का काम किया। (सेन, 2000, पृ.-1)। वे आगे लिखती हैं कि इस आंदोलन की अनेक उपलब्धियों में से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, मतदान का अधिकार और स्वतंत्र भारत में समान अधिकारों का संवैधानिक वायदा। हालाँकि ये वायदे भी अधिकांश भारतीय महिलाओं के सामाजिक एवं व्यावहारिक जीवन में सुधार लाने में कोई विशेष भूमिका अदा नहीं कर सके। जनता एवं लोकप्रिय राजनीति के समक्ष आने वाले नए महिला आंदोलन का उदय 1970 के दशक में हुआ। (वही)

स्वतंत्र भारत में महिला केंद्रित मुद्दों को राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के आंदोलनों के एक हिस्से के रूप में सहयोग मिला। ये मुद्दे पर्यावरण, राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा, शराब के विरुद्ध आंदोलन, बलात्कार एवं दहेज के खिलाफ़ अभियान आदि पर केंद्रित थे। ये आंदोलन कुछ सच्चे कारणों से प्रेरित थे तथा उनकी अपनी एक सैद्धांतिकी थी। इस प्रकार, इनमें स्वाभाविकता का एक तत्व तथा आधार था, जो इन घटनाओं को एक दिशा दे रहा था। इन आंदोलनों में महिलाएँ जाति और वर्ग के बंधनों को तोड़कर भाग ले रही थीं।

1.3 उद्देश्य

- भारतीय महिला आंदोलनों के इतिहास को जानना;
- भारतीय महिला आंदोलनों के संदर्भ में मुख्य उपलब्धियों तथा उभरती बहसों पर प्रकाश डालना; और
- भारतीय महिला आंदोलनों के समसामयिक मुद्दों की चर्चा करना;

1.4 महिला आंदोलन — स्वतंत्रता-पूर्व स्थिति

19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में राजा राममोहन राय (1772–1833) जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। राममोहन राय ने सती प्रथा, कुलीन प्रथा, बहु-विवाह प्रथाओं की निंदा की तथा महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने भारतीय समाज की निम्नीकृत स्थिति के कारणों में से एक कारण भारत में महिलाओं की स्थिति को ठहराया। यदि राममोहन राय अपने सती प्रथा विरोधी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को सामान्यत: उनके द्वारा शुरू किए गए विधवा पुनर्विवाह अभियान के लिए अधिक जाना जाता है। इन्हीं के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार का मुद्दा भारतीय समाज सुधार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना। महिलाओं की हीन स्थिति, मजबूरन एकांतवास, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा और शिक्षा की कमी— ये ऐसे मुद्दे थे जो पूरे देश में समाज सुधारकों द्वारा दर्ज किए गए और इन पर सवाल उठाए गए।

(क) पुरुषों द्वारा स्थापित किए गए महिला संगठन

सामाजिक-धार्मिक समाज सुधारक महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संगठनों की स्थापना करने वाले प्रणेता थे। महिलाओं के हित में खोले जाने वाले पहले संगठन के संस्थापक वे पुरुष थे, जो सामाजिक-धार्मिक समाज सुधार संघों से जुड़े हुए थे। बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता केशब चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए पत्रिका आरंभ की, उनके लिए प्रार्थना सभाएँ की तथा शैक्षिक कार्यक्रम निर्मित किए। ब्रह्म समाज के सदस्यों ने अपने परिवार तथा समान आस्था की महिलाओं के लिए संगठन बनाए। महाराष्ट्र और गुजरात में बाल-विवाह का निषेध तथा महिलाओं के लिए शिक्षा की दिशा में इसी तरह का काम पुणे में नारायण गणेश चंद्रवरकर, माधव गोविंद रानाडे तथा आर.जी. भंडारकर के नेतृत्व में प्रार्थना समाज द्वारा किया गया।

पुरुषों द्वारा प्रेरित तथा निर्देशित महिला संस्थाओं ने स्त्रियों को शिक्षित करने तथा उन्हें सार्वजनिक कार्य का पहला अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। हालाँकि वे महिलाओं को घरेलू दायरों से पूर्णतः मुक्त करने में असमर्थ रहे। उनके अनुसार, महिलाओं के जीवन में घर सदैव प्राथमिक स्थान रखता आया है। शिक्षा को महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि शिक्षा महिलाओं को बेहतर गृहिणी तथा संगिनी बनाने में सहायक होगी। किंतु स्त्रियों की स्थिति को बेहतर करने के क्रम में शिक्षित पुरुष की बौद्धिक समझ कभी भी स्त्री-पुरुष की भूमिका को अदल-बदल कर नहीं देख सकी।

(ख) महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए महिला संगठन

19वीं सदी के अंत तक पुरुष समाज सुधारकों के परिवारों में से ही कुछ ऐसी महिलाएँ सामने आईं जिन्होंने स्वयं अपने लिए संस्थाओं की स्थापना की। पारसी, मुसलमान तथा सिक्खों ने स्वयं अपने महिला संगठनों की स्थापना की।

© NCERT not to be republished

सामाजिक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच उपलब्ध करवाने हेतु 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र में राष्ट्रीय सम्मेलन की परिकल्पना की गई। भारत महिला परिषद् इसकी एक महिला शाखा थी जिसका शुभारंभ 1905 में हुआ। यह बाल विवाह, विधवाओं की स्थिति, दहेज तथा अन्य कुरीतियों पर केंद्रित थी।

संस्था स्थापित करने वाली प्रथम महिलाओं में से एक थीं — स्वर्णकुमारी देवी, जो ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर की सुपुत्री तथा कवि रवींद्रनाथ टैगोर की बहन थीं। स्वर्णकुमारी ने कोलकाता में 1882 में महिला थियोसॉफ़िकल सोसायटी की स्थापना की जो 1886 में सदस्यों के अभाव में निष्क्रिय हो गई। 1886 में उन्होंने सखी समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य विधवाओं तथा अन्य गरीब महिलाओं को शिक्षित करना तथा किसी विशेष कौशल में प्रशिक्षित करना था, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। उन्होंने महिलाओं की एक पत्रिका 'भारती' का संपादन भी किया और इस प्रकार उन्होंने प्रथम भारतीय संपादिका के रूप में अपनी पहचान बनाई।
1882 में रमाबाई सरस्वती ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की और कुछ वर्षों के पश्चात् 1889 में मुंबई में शारदा सदन की नींव रखी।

कोलकाता, मुंबई, मद्रास तथा अन्य छोटे शहरों की महिलाओं ने संगठनों की स्थापना की और इसकी सदस्यता शहरी शिक्षित परिवारों के सीमित समूहों की महिलाओं को दी। इन संगठनों ने महिलाओं को उनके घर के दायरों से बाहर निकाला और उन्हें अन्य महिलाओं से मिलने, लोकोपकारी कार्य करने के अवसर मुहैया करवाने, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने तथा इस प्रकार उनके दायरों को विस्तार देने का काम किया। इसने उन्हें संगठनों को चलाने के अनुभव भी प्रदान किए।

क्रियाकलाप

19वीं सदी में महिला आंदोलनों में घटित प्रमुख घटनाओं का एक घटनाक्रम तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में दिखाइए।

(ग) महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार

1917 से 1945 के बीच के आंतरिक संघर्ष के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा उठाए गए दो प्रमुख मुद्दे थे — महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार तथा निजी कानूनों में सुधार। कोलकाता में 1917 के एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार की माँग का समर्थन किया गया। मुस्लिम लीग में भी यह माँग दोहरायी गई।

1917 में महिलाओं के भारतीय संगठन (Women's Indian Association,WIA) की नींव तीन आयरिश महिला थियोसॉफ़िस्टों, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिंस और डोरोथी जिनराजदासा ने रखी, जो स्वयं अपने देश में मतदान के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थीं। डबल्यू.आई.ए. एक तरह से पहला ऐसा संगठन था जिसका स्पष्ट लक्ष्य महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार प्राप्त करना था।
इनके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण महिलाओं में मालती पटवर्धन, अम्मू स्वामीनाथन, श्रीमती दादाभोय एवं श्रीमती अम्बू जम्माल थीं।

एक सियासती राज्य त्रावणकोर-कोचीन ने सर्वप्रथम 1920 में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। तत्पश्चात् 1921 में मद्रास और मुंबई में महिलाओं को यह अधिकार मिला। इसके बाद अन्य राज्यों ने भी इनका अनुसरण किया। निश्चित रूप से मताधिकार बेहद सीमित था। वे ही महिलाएँ मतदान की योग्यता रखती थीं, जो विवाहित हों, जिनके पास संपत्ति हो तथा जो शिक्षित हों।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफ़ा किया तथा पूर्व-निर्धारित योग्यताओं में से कुछ को समाप्त कर दिया। अब 21 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाएँ मतदान कर सकती थीं, बशर्ते वे संपत्ति की मालिक हों तथा शिक्षित हों। महिलाओं को एक समान वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति तक इंतज़ार करना पड़ा।

(घ) निजी कानूनों में सुधार

मार्गरेट कजिंस की पहल पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, (ए.आई.डबल्यू.सी.) की स्थापना 1927 में हुई जिसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा की समस्या का निराकरण था। इसने लड़कियों के लिए विवाह की मानक उम्र बढ़ाने के एक बेहद जटिल अभियान की शुरुआत की जिसकी प्रेरणा से 1929 में शारदा अधिनियम पास हुआ। ए.आई.डबल्यू.सी. ने निजी कानूनों में सुधार का बीड़ा उठाया। चूँकि समान सिविल कानून का विरोध था, इसलिए इसने दो पत्नी रखने का निषेध, तलाक का अधिकार तथा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मुहैया

© NCERT not to be republished

करवाने के लिए हिंदू कानून में सुधार की माँग की। महिला आंदोलन ने इन सुधारों के लिए लगातार अभियान चलाया और इसके परिणामस्वरूप अंततः 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल पास हुआ।

(ङ) राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएँ

राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर महात्मा गाँधी के उदय से महिला संघर्ष ने एक नए चरण में प्रवेश किया। गाँधी ने 1921 में प्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और महिलाओं को विशेष भूमिका दी। बोरसाद और बारदोली के ग्रामीण सत्याग्रह में किसान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा गाँधी के सभी सत्याग्रहों में महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने सभाएँ आयोजित कीं; जुलूस निकाले; विदेशी कपड़े तथा शराब बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए और जेल गईं।

महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम में हिम्मत दिखाने तथा बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए सम्मान अर्जित किया। 1930 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में मौलिक अधिकारों पर हुए संकल्प में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए।

(च) मज़दूर आंदोलन में महिलाएँ

1917 में अनुसूया साराभाई ने अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स की हड़ताल का नेतृत्व किया तथा 1920 में उनके नेतृत्व में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर्स यूनियन की पहल, 'मजूर महाजन' की नींव रखी गई। 1920 के दशक के उत्तरार्द्ध में मज़दूर आंदोलन में महिलाओं की उपस्थिति रेखांकित किए जाने योग्य थी। उस समय कई प्रमुख महिला यूनियनें थीं। महिला कार्यकर्ताओं को बहुत जागरूकता के साथ संगठित किया गया तथा मज़दूर आंदोलन में उन्हें विशेष भूमिका दी गई।

इस प्रकार, महिला आंदोलन के प्रथम चरण में महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम में, सार्वजनिक क्षेत्रों में तथा राजनीति में भाग लिया। राष्ट्रवादी आंदोलन ने अपने दायरे में न केवल कुलीन महिलाओं को लिया, अपितु गरीब, अशिक्षित, ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं को भी समेटा। महिलाओं ने स्वतंत्र भारत के संचालन में अपने लिए एक उचित स्थान की माँग को न्यायोचित साबित करने में सफलता हासिल की। हालाँकि स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी एक स्वतंत्र महिला आंदोलन में परिणत नहीं हो सकी, क्योंकि यह आंदोलन गैर-औपनिवेशिक आंदोलन का एक हिस्सा था।

19वीं सदी के समाज सुधारक मूलतः ऐसे मुद्दों से जुड़े थे जो शहरी, उच्च वर्ग तथा मध्यवर्ग की महिलाओं को प्रभावित कर रहे थे, जैसे – पर्दा प्रथा, सती प्रथा, शिक्षा, विवाह की आयु और विधवा पुनर्विवाह। राष्ट्र की भावी पीढ़ी की जननी के रूप में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए उन्होंने महिलाओं की उन्नति के लिए जिरह की। यद्यपि महिलाओं के सामने आने और राष्ट्रहित में काम करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, किन्तु माँ एवं पत्नी के रूप में उनकी परंपरागत भूमिका को लेकर कहीं नकार का भाव नहीं था।

1.5 महिला आंदोलन — स्वातंत्र्योत्तर स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 का दशक अत्यंत आशावाद का समय था। ऐसा माना गया कि संविधान में बराबरी के अधिकार का वायदा किसी न किसी रूप में महिलाओं की स्थिति में बहुत बदलाव लाएगा। महिला कार्यकर्ता भी नीचे दी गई विभिन्न ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं के कारण काफी आशान्वित थीं।

(क) संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान ने समानता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और दो लिंगों के बीच समानता के सिद्धांत तथा लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की अनुपस्थिति को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। इसने सार्वजनिक रोज़गार में कानून की समान सुरक्षा तथा समान अवसर की गारंटी दी। एक समान वयस्क मताधिकार ने सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया।

क्रियाकलाप

भारतीय संविधान में दिए गए उन सारे प्रावधानों की एक सूची बनाइए जिनमें महिलाओं के लिए समानता तथा उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा और उनके प्रोत्साहन को सुनिश्चित किया गया हो।

(ख) हिंदू कोड बिल

1930 में हिंदू कानून में सुधार के मुद्दे पर शुरू हुई बहस स्वातंत्र्योत्तर काल में भी जारी रही। इस कानून पर व्यापक बहस और विरोध के बाद महिला संस्थाओं की एकजुटता

© NCERT not to be republished

और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा कानून मंत्री बी.आर. अंबेडकर के प्रबल समर्थन के परिणामस्वरूप संसद ने 1955–56 में अधिनियमों की एक शृंखला पास की, जिसे हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता है। ये अधिनियम थे — (क) हिंदू विवाह अधिनियम, जिसके तहत बहु-विवाह के अधिकार को खत्म किया गया; लड़के और लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु तय की गई तथा महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया गया। (ख) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सेदारी तथा संपत्ति रखने का अधिकार ठीक उन्हीं नियमों के अनुसार दिया गया जिनके आधार पर ये अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं। इसके तहत बेटे और बेटी में संपत्ति के समान बँटवारे का प्रावधान किया गया (ग) हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम में पति के समान पत्नी को भी अपनी संतान के अभिभावक होने का अधिकार तथा वसीयत में भी संतान की अभिभाविका होने का कानूनी अधिकार दिया गया; और (घ) हिंदू अभिग्रहण तथा संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत पुत्र व पुत्री को गोद लेने का अधिकार दिया गया।

1954 में पारित स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सामाजिक अनुष्ठान में संपन्न विवाहित दंपत्ति को आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये ही वे मानक थे जिनके लिए महिला आंदोलन स्वतंत्रता से पूर्व संघर्षरत रहे।

इस प्रकार, 1950 के दशक के मध्य तक भारत में महिलाओं से संबंधित काफी उदार कानून थे। महिला आंदोलन की अधिकांश माँगों को मान लिया गया और महिला आंदोलन के पास संघर्ष करने के लिए संभवतः कुछ ही मुद्दे शेष रह गए। महिला संगठनों की मुख्य चुनौती अब इन कानूनों को लागू करवाना था और परिणामस्वरूप महिला आंदोलन में ठहराव आ गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में महिलाएँ ग्रामीण गरीबों और कारखानों में काम करने वाले वर्गों, जैसे — बंगाल के तेभागा आंदोलन, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना आंदोलन अथवा नक्सली आंदोलन तथा महाराष्ट्र के शाहादा में जमींदारों के विरुद्ध आदिवासी भूमिहीन मज़दूरों के आंदोलन के संघर्ष में योगदान के लिए महिला आंदोलनों से जुड़ीं। महिलाओं ने इन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी; प्रदर्शन किए; आक्रामक नारे गढ़े और लगाए; एवं लोगों को इन आंदोलनों से जोड़ा। ज्यों ही महिला सेनाएँ उभरीं, जेंडर संबंधी मुद्दों ने ज़ोर पकड़ा। उस समय शराबखोरी के विरोध में एक प्रदर्शन हुआ, क्योंकि पुरुष शराब पीकर महिलाओं को पीटते थे। महिलाओं ने गाँवों में घूम-घूमकर शराब की दुकानों पर धावा बोला। (कुमार, 1993)

नीचे उर्वशी बुटालिया के लेख 'भारत में महिला आंदोलन – क्रिया एवं प्रतिक्रिया' का सार पढ़िए

कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग की एक गरीब महिला रोजम्मा ने साक्षरता कक्षा ली। यहाँ उसने एक कहानी पढ़ी जिसमें ठीक उसके जैसे जीवन को दिखाया गया था। यह एक ऐसी गरीब औरत की कहानी थी, जो जीवन-यापन के लिए संघर्ष कर रही थी और जिसे उसका पति रोज़ पीटता था। वह जो भी कमाता, उसे शराब में उड़ा देता और नशे में धुत और हिंसक होकर अपनी पत्नी को पीटता, क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए भोजन नहीं होता था। लगातार इस मारपीट को बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह महिला एक घर से दूसरे घर गई और उसने पाया कि हर औरत की यही स्थिति है। वे सब एकजुट हो गईं और यह निर्णय लिया कि वे बदला लेने के लिए इन पुरुषों को वहाँ चोट पहुँचाएँगी, जहाँ उन्हें सबसे अधिक तकलीफ़ हो। उन्होंने शराब के ठेकों पर धरना दिया और शराब बेचने पर रोक लगा दी। तब उनके पतियों के पास पीने को शराब बची ही नहीं और इस तरह उनका कमाया पैसा बचने लगा।

इस कहानी से प्रेरित होकर रोजम्मा ने अपनी सहेलियों को जुटाया और शराब के ठेकों पर धरना दिया। यह अभियान जंगल की आग की तरह फैलने लगा। एक के बाद एक गाँव में महिलाएँ एकजुट हुईं; उन्होंने आपस में बात की; हड़ताल पर गईं; उन्होंने ठेकों के मालिकों को पीटा; अपने पतियों को शराब पर पैसा उड़ाने से रोका और इस तरह उन्हें सफलता हासिल हुई। सरकार ने आंध्र प्रदेश में शराब पर रोक लगा दी, लेकिन बेमन से, क्योंकि शराब की बिक्री से बड़ी मात्रा में धनोपार्जन होता है। परिणामस्वरूप, बचत बढ़ने लगी; हिंसा का स्तर नीचे आया और गरीब महिलाओं के जीवन में सुधार आने लगा।

1.1 भारत के पश्चिम भाग में हुए शराब विरोधी आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं?

.....

.....

© NCERT not to be republished

1.2 भारत में शराब विरोधी आंदोलन के विषय मे जानकारी एकत्रित कीजिए और अपने निष्कर्षों के आधार पर एक कोलॉज बनाइए। आप यह करने के लिए निम्न बिंदुओं की सहायता ले सकते हैं–

- यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? किन्होंने इनका नेतृत्व किया तथा किन-किन लोगों ने इनमें भाग लिया?
- आंदोलन का विवरण
- वे कौन-कौन से राज्य थे, जहाँ इस तरह के आंदोलन हुए?
- इस तरह के आंदोलनों का शराब की दुकानों, पुरुषों तथा महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा?

सन् 1972 में इलाहाबाद में इला भट्ट ने स्वनियोजित महिला संगठन (Self Employed Women's Association, SEWA) की स्थापना हेतु पहल की। इसका उद्देश्य अनियोजित क्षेत्र में काम करने वाली गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता तथा सामूहिक सौदाकारी (Collective bargaining) देकर उनकी स्थिति में सुधार लाना था। यह संभवतः महिला व्यापार संगठन स्थापित करने का प्रथम प्रयास था। गाँधी के आदर्शों पर आधारित सेवा एक महत्वपूर्ण सफलता साबित हुई।

मूल्य वृद्धि विरोधी आंदोलन की शुरुआत सोशलिस्ट पार्टी की मृणाल गोरे और सीपीआई-एम की अहल्या रांगनेकर द्वारा संयुक्त रूप से 1973 में मुंबई में हुई। उनके साथ शहर की अन्य महिलाएँ महँगाई के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुईं। यह आंदोलन बड़ी तेज़ी से उपभोक्ता संरक्षण के एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में गृहिणियों के भाग लेने के कारण इसमें महिलाओं द्वारा एक नए तरह के विरोध का तरीका ईज़ाद हुआ जिसमें वे थाली को बेलन से पीटती हुई सड़कों पर निकल आईं।

नवनिर्माण आंदोलन जो मूलतः बढ़ते दामों, कालाबाज़ारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ 1974 में गुजरात के विद्यार्थियों द्वारा प्रारंभ किया गया था, जल्दी ही हज़ारों की संख्या में मध्यवर्गीय महिलाएँ भी इससे जुड़ गईं। विरोध के उनके तरीकों में बड़ी संख्या में भूख हड़ताल, पुतला दहन से लेकर प्रभात फेरी निकालना तक शामिल थे।

'चिपको आंदोलन' का नामकरण हिंदी के एक शब्द 'चिपको' के आधार पर हुआ जिसका अर्थ होता है चिपकना। लोगों द्वारा पेड़ों से चिपकने का यह खास प्रयोग उनके जीवन के लिए बेहद उपयोगी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में चमोली ज़िले में गोपेश्वर के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे से तब हुई, जब खेल-सामान बनाने से संबंधित कारखाने के प्रतिनिधि वहाँ पेड़ काटने के लिए आए। 1974 तक कई महिलाएँ इस आंदोलन से जुड़ गईं और उनकी मज़बूत एकता को देखकर ठेकेदार ने पेड़ काटने का इरादा बदल दिया। ये चिपको आंदोलन से जुड़ी महिलाएँ ही थीं जिन्होंने पेड़ों की महत्ता और पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत की ओर सबका ध्यान खींचा। चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन पारितंत्रीय स्त्रीवाद (इको फेमिनिज़्म) की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो पर्यावरण और स्त्री के बीच संबंध निर्मित करने की कोशिश करते हैं। बिर्केलेंद (1993) पारितंत्रीय स्त्रीवाद को एक मूल्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तथा एक व्यवहार के रूप में देखती हैं जो एक राजनीतिक विश्लेषण भी सुझाती है और जिसके तहत पुरुष वर्चस्व और पर्यावरण विध्वंस के बीच संबंधों की तलाश की जाती है। यह एक तरह की जागरूकता है जिससे पता चलता है कि प्रकृति के शोषण का गहरा संबंध महिलाओं और आदिवासी संस्कृतियों के प्रति पश्चिमी पुरुष के स्वभाव से है।

राव (2012) लिखती हैं कि भारत में पारितंत्रीय स्त्रीवाद की सबसे बड़ी पैरोकार वंदना शिवा हैं। वंदना शिवा (1988) आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना उसे पश्चिमी, पितृसत्तात्मक और औपनिवेशिक योजना कहकर करती हैं जो अपने मूल स्वभाव में हिंसक है और महिलाओं तथा प्रकृति के विरुद्ध हिंसा को प्रश्रय देता है। विकास की होड़ में प्रकृति का नृशंस रूप से शोषण किया गया है। जीवन की गतिविधि, सृजनशीलता एवं पवित्रता से स्त्री सुलभ सिद्धांत का अब कोई जुड़ाव नहीं रह गया है। बल्कि अब संसाधन के रूप में इसे निष्क्रिय मान लिया गया है। इसने महिलाओं को हाशिये पर डालने, उनके अवमूल्यन, विस्थापन और अंततः उन्हें नगण्य मान लेने की सोच को बढ़ावा दिया है। महिलाओं की प्रकृति संबधी समझ तथा जीवित रहने के लिए उस पर निर्भर रहने की समझ को आधुनिक विज्ञान की आँधी ने बड़े व्यवस्थित तरीके से हाशिये पर डाल दिया है। यद्यपि शिवा के मुताबिक तीसरी दुनिया की औरतें विकास प्रक्रिया की केवल पीड़ित ही नहीं हैं, अपितु वे परिवर्तन की ताकत भी रखती हैं। उनका इशारा हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में 1970 में महिलाओं द्वारा

© NCERT not to be republished

प्रारंभ किए गए चिपको आंदोलन के अनुभव की ओर है जहाँ महिलाओं ने जंगलों की सुरक्षा और पुनर्निमाण के लिए संघर्ष किया। (राव, 2012,129)

क्रियाकलाप

1. पारितंत्रीय स्त्रीवाद क्या है? यह महिलाओं से किस प्रकार संबंधित है?
2. कौन-कौन से भिन्न प्रकार के आंदोलन/अभियान भारत में पारितंत्रीय स्त्रीवाद का अंग बन गए?
3. निम्नलिखित महिला कार्यकर्ताओं के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए—
   - मेधा पाटकर
   - सुनीता नारायण

1.6 यथार्थ का उद्भव

स्वतंत्रता अपने साथ-साथ एक पक्षपातहीन, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज का स्वप्न भी लायी, जहाँ स्त्री-पुरुषों के पास अपनी आवाज़ होनी थी और उन्हें सामाजिक परिवर्तन लाने वाले घटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। लेकिन जो यथार्थ धीरे-धीरे उभर कर सामने आया, वह इससे अलग था। यद्यपि महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार था, किंतु वे समाज की पितृसत्तात्मक जकड़ से बहुत मुक्त नहीं हो पायीं। पितृसत्ता की नयी संरचनाएँ भी साथ-साथ उभर रही थीं और नए रूप एवं गहनता अख्तियार कर रही थीं।

1960 के दशक के बीच का समय अत्यधिक सामाजिक उथल-पुथल और राज्य-नियंत्रण का समय था। जैसा कि बुटालिया (1997) भी लिखती हैं कि 1960 के दशक तक यह स्पष्ट हो गया था कि स्वतंत्रता के समय किए गए अनेक वायदे अधूरे ही रह गए हैं। इसी कारण 1960 और 1970 के दशक में आंदोलनों की बाढ़ आ गई जिनमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। ये आंदोलन थे — मूल्यवृद्धि के विरुद्ध अभियान, ज़मीन के अधिकार के लिए आंदोलन और किसान आंदोलन। इन आंदोलनों में देश के विभिन्न भागों से महिलाएँ आकर एकजुट हुईं और समूह बनाए। ये समूह या तो स्वतंत्र थे या फिर किसी राजनीतिक दल का हिस्सा थे। देश-भर में फैल जाने वाले इन विभिन्न आंदोलनों में हर जगह महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हर आंदोलन में उनकी भागीदारी ने आंदोलन को भीतर से पूरी तरह से बदल दिया। (बुटालिया, 1997)

1974 में महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति (Committee on the Status of Women; CSW) की रिपोर्ट 'समानता की ओर' (*टुवर्ड्स इक्वलिटी*) के प्रकाशन और 1975 में मैक्सिको में महिलाओं पर होने वाले प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत के साथ 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बहसों में नयी रुचि पैदा की। सी.एस.डब्ल्यू. की रिपोर्ट के व्यापक राष्ट्रव्यापी अन्वेषण के बाद एकत्रित आँकड़ों से यह तथ्य सामने आया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता यथार्थ मे परिवर्तित नहीं हो पाई है और अधिकतर महिलाएँ 25 वर्ष पहले मिले अधिकारों से अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाई हैं। इसने एक नए महिला आंदोलन के लिए बौद्धिक आधार प्रदान किया जो सक्रिय प्रतिभागिता (एक्टिविज़्म) और अकादमिक दोनों स्तरों पर उभरा।

1970 और 1980 का दशक

1970 और 1980 का दशक असंख्य महिला समूहों के जन्म और विकास का गवाह बना। ये समूह दहेज हत्या, बहू को जलाना, बलात्कार, सती, प्रजनन के अधिकार और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दे उठाते थे। ये महिलाओं के दैहिक शोषण के मुद्दों पर इस प्रकार विचार करते थे जैसा इससे पहले के आंदोलनों और महिला समूहों ने नहीं किया था। इन आंदोलनों ने पितृसत्ता पर आक्रमण किया और परिवार के भीतर महिलाओं द्वारा झेले गए अपमान, यंत्रणा और हिंसा पर ज़ोर दिया। उन्होंने माना कि महिलाओं की स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम पितृसत्तात्मक व्यवस्था की इस धारणा को समझना है कि स्त्री-पुरुष के बीच का जैविक भेद कैसे लिंग के आधार पर उनकी सामाजिक भूमिकाओं एवं गतिवधियों के ज़रिए एक प्राकृतिक विभेद बन जाता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व होता है और महिलाएँ घरेलू दायरे के निजी क्षेत्र से जुड़ी होती हैं और इस तरह महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व को बढ़ावा मिलता है। (लर्नर, 1981, 169)

पहले के कुछ स्वायत्त समूह 'प्रगतिशील महिला संगठन' (पी.ओ.डब्ल्यू., हैदराबाद), बलात्कार के विरुद्ध मंच (अब महिलाओं के शोषण के विरुद्ध मंच के रूप में पुनःपरिभाषित), 'सहेली', 'स्त्री संघर्ष' और 'समता' (दिल्ली) थे।

© NCERT not to be republished

(क) बलात्कार के विरुद्ध अभियान

यह 1980 में महिलाओं के द्वारा उठाए गए आरंभिक अभियानों में शामिल था। इस मुद्दे को बल तब मिला जब 1980 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में दो पुलिसवालों को मथुरा में एक अवयस्क लड़की के बलात्कार के आरोप में निर्दोष साबित कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उन्हें दोषी करार दिया था। चार बड़े वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस अन्यायपूर्ण निर्णय का विरोध करते हुए एक खुला पत्र लिखा। इसके बाद देश-भर में इस निर्णय के खिलाफ़ प्रदर्शन शुरू हुए।

बलात्कार के अन्य अनेक मामले भी इस अभियान का अंग बन गए जो विरोध के कई वर्षों बाद सरकार द्वारा तत्कालीन बलात्कार संबंधी कानून में बदलाव किए जाने के रूप में प्रतिफलित हुए। महिला संगठनों से विचार-विमर्श करने के बाद संशोधित कानून 1983 में लागू हुआ। तब से लेकर आज तक विभिन्न महिला संगठन समय-समय पर इन कानूनों में और परिवर्तन के लिए एकजुट होते रहे हैं, ताकि इन्हें और कठोर बनाया जा सके। वे इस बात के लिए भी लड़ते रहे हैं कि इन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाए जिसके अभाव में इनका प्रभाव अपेक्षानुसार नहीं हो पाता। समाचारों और समाचार-पत्रों में दिनोंदिन बढ़ती बलात्कार की खबरें इस बात का प्रमाण हैं।

क्रियाकलाप

1. 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार से संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए। आप एक या एकाधिक समूहों में यह कार्य कर सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जानकारी एकत्र कीजिए—
   - (क) पीड़िता और उसके परिवार पर बलात्कार का प्रभाव
   - (ख) इस घटना का सामाजिक प्रभाव
   - (ग) वर्मा समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियाँ
   - (घ) किस तरह यह आंदोलन जाति, वर्ग, जेंडर और आयु की सीमाओं को लाँघकर आगे बढ़ा?
   - (च) आपके सुझाव एवं टिप्पणियाँ

(ख) दहेज

दहेज के खिलाफ़ नए और ताज़े विरोध-प्रदर्शन हैदराबाद में पी.ओ.डब्ल्यू. ने आयोजित किए। 1970 के दशक में दिल्ली दहेज और महिलाओं पर ससुराल में हो रही हिंसा के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बना। वे समूह जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उनमें 'स्त्री संघर्ष' और 'महिला दक्षिता समिति' और 'दहेज विरोधी चेतना मंडल' नामक संयुक्त मंच, जिसकी छत्र-छाया के नीचे कई संगठन काम कर रहे थे, शामिल थे।

दहेज विरोधी अभियान दहेज माँगने वालों पर सामाजिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उन्हें उनके ही समाज में दरकिनार कर दिया जाए। इस अभियान के अनुभव से महिलाओं के लिए परामर्श, उनकी न्यायिक मदद और सलाह की ज़रूरत महसूस हुई। परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में न्यायिक सहायता तथा परामर्श केंद्र खोले गए। महिला संगठन दहेज संबंधी कानूनों में बदलाव लाने में भी सफल हुए।

(ग) सती

सती को 1829 में एक दंडनीय कृत्य घोषित कर दिया गया था। उसके बावजूद 1987 में राजस्थान के एक गाँव में एक जवान विधवा, रूप कंवर को अपने पति की मृत्यु के पश्चात जबरन चिता पर बैठाया गया और जलाकर मार दिया गया। महिला संगठनों ने इसे निर्दयतापूर्वक हत्या करार दिया और आग-बबूला होकर विरोध छेड़ दिया। उन्होंने सती मुक्ति के लिए नए अधिनियम की माँग की।

(घ) प्रजनन संबंधी अधिकार

सन् 1970 में राज्य के जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य ने स्त्री की देह को निशाना बनाया। नारायण लिखते हैं कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–1979) के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम और स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ जच्चा एवं बच्चा स्वास्थ्य की परिकल्पना लेकर 1977 में परिवार कल्याण कार्यक्रम अस्तित्व में आया। अब, जन्म नियंत्रण की आधिकारिक नीति का केंद्र पुरुष से बदलकर स्त्री हो गया और 1960–1970 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्भनिरोधक पद्धति के रूप में 'पिल' और 'आई.यू.डी.' के विकास जिसे विडंबनात्मक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की मुक्ति के उपकरण के रूप में देखा गया था, अब राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण और प्रजनन-स्वास्थ्य नीतियों का केंद्र बन गया। (नारायणन, 2011, पृ.-8)। परिणामस्वरूप स्त्री देह जन्म-नियंत्रण के लिए असुरक्षित एवं हानिकारक दवाओं और तकनीकों की कब्रगाह बन गई। स्वायत्त महिला संगठनों ने जन्म-नियंत्रण को राज्य द्वारा अपनी अति महत्वाकांक्षी योजना

© NCERT not to be republished

के लिए स्त्री देह को प्रयोगशाला बनाए जाने के विरुद्ध आवाज़ उठाई। महिला संगठनों ने प्रसव-पूर्व लिंग जाँच की तकनीकों, कन्या भ्रूण-हत्या और क्युनाक्राइन बंध्याकरण, हार्मोन थिगली लगाने जैसी हानिकारक जन्म-नियंत्रण तकनीकों के खिलाफ़ मोर्चा खोला।

क्रियाकलाप

आयरलैंड के एक अस्पताल में भारतीय मूल की एक महिला सविता हलप्पनावर ने गर्भपात संबंधी दकियानूसी कानून के कारण अपने प्राण गँवाए। गर्भपात संबंधी अधिकारों पर भारत का क्या नज़रिया है?

क्या भारतीय राज्य में गर्भवती स्त्री या सद्य: माता के लिए कोई कानून है? यदि हाँ तो वे कौन से हैं?

अजन्मे बच्चे की रक्षा के लिए राज्य द्वारा अपनाए जा रहे कानून की पड़ताल कीजिए।

(ङ) शाह बानो केस

आठवें दशक में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई कानून थे। उन्हीं में से एक था, 1985 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पक्ष में किया गया आंदोलन, जो एक मुस्लिम महिला शाह बानो के तलाक का मामला था। शाह बानो ने न्यायालय में आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम (Criminal procedure Act) की धारा 125 के अनुसार अपने पति के खिलाफ़ भरण-पोषण की अर्जी डाली थी जिसे न्यायालय ने समर्थन दिया था, किंतु पुरातनपंथी मुस्लिम समाज ने इसे अपने निजी कानून (पर्सनल लॉ) में हस्तक्षेप कहा और इसके खिलाफ़ विरोध छेड़ दिया। 1986 में, सरकार ने धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम महिला (तलाक में अधिकारों की रक्षा) विधेयक पारित कर दिया जिसमें मुस्लिम महिलाओं की समस्या सुनवाई के प्रति अस्वीकृति थी। महिला संगठनों ने इसके खिलाफ़ संसद के बाहर प्रदर्शन किया।

इन वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि कानून में परिवर्तन का तब तक कोई महत्व नहीं, जब तक कि उन्हें क्रियान्वित करवाने की इच्छाशक्ति न हो। केवल शिक्षा एवं साक्षरता ही महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत और उन्हें प्रभावी रूप से इस्तेमाल के लिए योग्य बना सकती है। इस तथ्य के अहसास ने महिला आंदोलनों को अधिक व्यवस्थित तरीके से काम करने, विधिक साक्षरता और शिक्षा तथा पाठ्यपुस्तकों एवं मीडिया के जेंडर संवेदीकरण के लिए प्रेरित किया।

(च) विषयानुशासन के रूप में स्त्री अध्ययन की स्थापना

शिक्षण एवं शोध के लिए प्रतिष्ठित क्षेत्र के रूप में स्त्री अध्ययन की शुरुआत 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। यद्यपि बौद्धिक पूर्वज इसे पीछे ले जाकर विशेष तौर पर सीमोन द बउवार और वर्जीनिया वुल्फ़ से जोड़ते हैं। समकालीन महिला आंदोलन ज्ञान के सभी अनुशासनों में इसकी स्थापना और विकास के लिए प्रेरित करता है। भारत में स्त्री अध्ययन प्रारंभ में धीरे-धीरे और बाद में 1980 के दशक के मध्य में कोपेनहेगेन में हुए सम्मेलन के कारण तेज़ी से फैला। 1981 में स्थापित भारतीय स्त्री अध्ययन संघ महिला अकादमिकों और सक्रिय प्रतिभागियों के शोध एवं शिक्षण की एक संस्था है।

पिछले तीन दशकों में महिलाओं द्वारा और उन पर केंद्रित बहुसंख्य पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ प्रकाश में आयी हैं। स्त्री, ज़ुबान, काली फ़ॉर विमेन और कथा जैसे कई प्रकाशन हैं जो विशेष रूप से स्त्रीवाद पर केंद्रित पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। पठन एवं पाठन के लिए स्त्रीवादी दृष्टिकोण से सामग्री तैयार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययना/स्त्री अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं।

(छ) पंचायतों एवं स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

पिछले कुछ दशकों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक स्थानीय ग्रामीण स्तरीय चयनित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है जिसकी वजह से लाखों स्त्रियाँ राजनीतिक क्षेत्र में आ रही हैं। इसकी सभी कमियों और सीमाओं के बावजूद, जब स्त्रियों के पास ताकत आयी है, तो उन्होंने उसका प्रयोग सामान्य रूप से समाज और विशेष तौर पर महिलाओं के हितों के लिए किया है।

(ज) कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न बिल

2012 में कार्यस्थल पर दैहिक उत्पीड़न के विरुद्ध एक युगांतरकारी विधेयक पारित हुआ। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध 'विशाखा गाइड लाइन' के नाम से जाने जाने वाले इस विधेयक के अनुसार यौन उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित निंदनीय यौन इंगित व्यवहार (चाहे सीधे हो या सांकेतिक) शामिल हैं —

- शारीरिक संपर्क और पहल
- यौन आनंद के लिए माँग या प्रार्थना

© NCERT not to be republished

- यौन संकेत वाली टिप्पणियाँ
- अश्लील साहित्य का प्रदर्शन
- यौनिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, मौखिक अथवा सांकेतिक व्यवहार

महिला आंदोलन के सतत अभियान के परिणामस्वरूप आकार में आए इस कानून के आधार पर सरकारी दफ़्तरों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में यौन उत्पीड़न के अपराधी के खिलाफ़ पूछताछ की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अधिकांश संगठनों एवं संस्थाओं ने महिलाओं की इस तरह की समस्याओं की सुनवाई के लिए विशेष सेल की व्यवस्था की है।

(झ) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं की घरेलू हिंसा से हिफ़ाज़त करता है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य पत्नी को अपने पति तथा महिला सहसाथी को उसके पुरुष सहसाथी द्वारा की जा रही हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। यह कानून परिवार में रहने वाली अन्य महिलाओं, जैसे — बहन, विधवा, माँ आदि महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के दुरुपयोग की शिकायतों के बावजूद इसे भारत में महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में प्रमुख कानूनी कदम के रूप में देखा जाता है।

कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (एम) समेत सभी प्रमुख पार्टियों की अपनी-अपनी महिला शाखा है। नए महिला समूहों ने स्वयं को स्त्रीवादी घोषित कर दिया है। ये सब आपस में किसी केंद्रीय संगठन से नहीं जुड़े हैं किंतु ये आपस में अनौपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं।

भारतीय महिला आंदोलन पर शहरी और मध्यवर्ग केंद्रित होने का आरोप लगता रहा है। हालाँकि शहरी महिलाएँ अधिक दृश्य और मुखर दिखती हैं, किंतु ग्रामीण महिलाएँ भी अब एकजुट हो गई हैं।

सड़कों पर आकर किए जाने वाले विरोध और प्रदर्शनों से महिला आंदोलन अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवाते हैं किंतु यह स्पष्टत: पर्याप्त नहीं है। ज़रूरी है कि महिलाओं की आधारभूत ज़रूरतों जैसे — भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और घर पर ध्यान दिया जाए। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, कौशल निर्माण तथा रोज़गार के साथ-साथ घर और काम करने के स्थान पर सुरक्षा की ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में इन मुद्दों को व्यापक स्तर पर शामिल करते हुए आंदोलन का विस्तार देखा गया है।

महिला संगठन सड़कों पर केवल अभियानों और जुलूसों का नेतृत्व ही नहीं करते, अपितु पतियों द्वारा सतायी गई औरतों तथा हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण के साथ-साथ उनकी काउंसलिंग भी करते हैं तथा उन्हें कानूनी सहायता भी प्रदान करते हैं। ये संगठन विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यशालाएँ भी आयोजित करते हैं। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयंसेवी समूह बनाने में भी मदद करते हैं।

क्रियाकलाप

नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए

संयुक्त राष्ट्र की 1995 की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा संबंधी विशेष रिपोर्ट में राधिका कुमारास्वामी महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा के विभिन्न प्रकारों की शिनाख्त करती हैं—

(क) परिवार में होने वाली शारीरिक, यौनिक तथा मनोवैज्ञानिक हिंसा जिसके अंतर्गत पीटना, घर में बच्चियों का यौन शोषण, दहेज संबंधी हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, कन्या जननिक अंग-भंग तथा महिलाओं को नुकसान पहुँचाने वाली अन्य परंपरागत प्रथाएँ, गैर-वैवाहिक हिंसा तथा शोषण से संबंधित हिंसा।

(ख) अपने ही समाज में होने वाली शारीरिक, यौन तथा मनोवैज्ञानिक हिंसा जिसके अंतर्गत बलात्कार, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण तथा कार्यस्थल, शैक्षिक संस्थाओं व अन्य स्थानों पर भयपूर्ण माहौल बनाना, महिलाओं का अपहरण तथा जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेलना आदि।

(ग) महिलाओं के खिलाफ़ हुई शारीरिक, यौनिक तथा मनोवैज्ञानिक हिंसा में राज्य की भूमिका अथवा ऐसे कृत्यों को माफ़ कर देना।

1993 की संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई परिभाषा में राज्य द्वारा समर्थित अथवा माफ़ कर दी गई हिंसा को जोड़ दिया गया है। (श्रवणन, 2000 में उद्धृत)

1. क्या आप भारत में महिलाओं के खिलाफ़ हो रही किसी अन्य प्रकार की हिंसा की पहचान कर सकते हैं?

© NCERT not to be republished

2. भारत में महिलाओं के खिलाफ़ हो रही हिंसा के विभिन्न प्रकारों पर विभिन्न समाचार-पत्रों से समाचार एकत्रित कीजिए। आप निम्न प्रकार के मुद्दों को खोज सकते हैं—
   क. तेजाब फेंकना
   ख. कन्या परिच्छेदन/सुन्नत
   ग. सती
   घ. डायन घोषित करके मारना
   च. चरित्रहीन प्रमाणित करना
   छ. साइबर हिंसा
   ज. मोबाइल के माध्यम से उत्पीड़न
   झ. सोशल नेटवर्किंग साइट पर परेशान करना
3. आप शारीरिक, यौनिक, भावनात्मक आदि हिंसा के विभिन्न प्रकारों को कैसे विभाजित करेंगे?
4. महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा के किसी एक प्रकार का चयन कीजिए और स्त्री की देह तथा मस्तिष्क पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से लिखिए। इसे अपने दोस्तों के संग साझा कीजिए।

1.7 भविष्य की योजना

महिला आंदोलन की सफलता कारपोरेट, सार्वजनिक अथवा असंगठित क्षेत्रों में होने वाली महिलाओं की नियुक्ति से नहीं आँकी जा सकती और न ही इस तथ्य से कि उनके हक में कितने कानून पारित हुए, अपितु भारतीय समाज में महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों को लेकर आयी जागरूकता से ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में कोई महिला आंदोलन न हुआ होता, यदि 19वीं सदी में भारतीय पुरुष समाज सुधारक महिलाओं की आधुनिक भूमिका को लेकर चिंतित न हुए होते। उन्होंने सती, बाल-विवाह, विधवाओं की स्थिति, शिक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वे दुनिया को अपने वर्ग और जाति की जड़ताओं में रखकर देख रहे थे। उनके प्रयासों से उनके अपने परिवारों की महिलाएँ औपनिवेशिक शासन द्वारा निर्मित नयी दुनिया को देख पायीं।

महिलाएँ अपने दायरों से बाहर निकलकर सामने आयीं और अपने लिए जगह बनायीं। उन्होंने स्वयं अपने लिए संगठन बनाए। ये संगठन पहले स्थानीय स्तर पर आए और फिर राष्ट्रीय स्तर पर। वे उदार स्त्रीवादी विचारों से प्रभावित हुईं और उन्होंने माना कि शिक्षा, राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति तथा वैधानिक सुधार ही उनकी स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। उनका मानना था कि विदेशी ताकतों से मुक्ति ही आगे बढ़ रही महिलाओं के रास्ते में आने वाली उलझनों को दूर करेगी। दूसरे चरण में, ये महिला आंदोलन और अधिक आक्रामक हो गए और उन्होंने पितृसत्ता को चुनौती दी।

यद्यपि जहाँ तक संख्या का सवाल है, आज भी कुछ ही महिलाएँ महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और इसके प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं आँका जाना चाहिए। भारतीय महिलाओं में से अधिकांश आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं और बदतर व कष्टप्रद जीवन जीने को बाध्य हैं। हालाँकि बलात्कार, दहेज हत्या अथवा सती के खिलाफ़ महिलाओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के कई असंगठित तथा छिटपुट उदाहरण हमारे सामने हैं, किंतु ये महिलाएँ एकजुट होकर राजनीतिक दबाव बनाने और उन समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने में असफल रही हैं जो समाज में उनकी भूमिका और स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। आज भारतीय महिलाएँ साक्षरता, आयु तथा मातृ-मृत्युदर की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई हैं। कन्या हत्या, कन्या भ्रूण-हत्या, कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तथा लिंग अनुपात में आज भी उनकी स्थिति दयनीय है। सामाजिक व्यवहार में बदलाव तथा महिलाओं की स्वयं को लेकर हीन भावना जो हमारी मानसिक तथा सामाजिक बुनावट में गहरे पैठी है, उससे निपटना आसान नहीं है। महिला आंदोलन द्वारा उठाए गए एक भी कदम पर प्रतिघात और प्रतिगमन के लिए दबाव बनाया जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि यद्यपि महिलाओं का अपने अधिकारों के लिए किया गया संघर्ष काफी लंबा तथा कठिन रहा है, किंतु यह ऐसा संघर्ष है जिसे चलते और जीतते रहना होगा। इसका उत्साह तथा आवेग यूँ ही बरकरार रहना चाहिए। भारत जैसे विशाल और प्राचीन इतिहास वाले देश में स्त्री-पुरुष के संबंधों में बदलाव और महिला आंदोलन द्वारा केंद्रित अन्य मुद्दों के संदर्भ में सफलता हासिल करना इतना सरल नहीं है। इस प्रकार, नए मूल्यों और नयी मूल्य-व्यवस्था की स्थापना और नए समान संबंधों का लक्ष्य हासिल करने के लिए महिला आंदोलन को लंबा संघर्ष करना होगा।

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप

1. कुछ समकालीन महिला आंदोलनों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान कीजिए।

   .....

   .....

2. महिला आंदोलन में उठाए गए कुछेक मुद्दों पर केंद्रित समाचारों और रिपोर्टों की कतरनें एकत्र करके एक कोलॉज अथवा स्क्रैप पुस्तिका बनाइए।

   .....

   .....

3. महिला संबंधी मुद्दों पर निर्मित फ़िल्मों को एकत्र करके एक संसाधन केंद्र बनाइए।

   .....

   .....

1.8 संदर्भ

- कजिंस, मार्गरेट. 1950. *वी टू टुगेदर*. गणेश एंड कं., मद्रास.
- फोर्ब्स, गेराल्डिन. 1998. *वुमेन इन मॉडर्न इंडिया*. कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैंब्रिज.
- कुमार, राधा. 1993. द हिस्ट्री ऑफ़ डूइंग. काली फ़ॉर वुमेन, दिल्ली.
- कौर, मनमोहन. 1968. *रोल ऑफ़ वुमेन इन दि फ्रीडम मूवमेंट, 1857–1947*. स्टर्लिंग, नयी दिल्ली.
- चटोपाध्याय, कमलादेवी. 1993. *इंडियन वुमेन्स बैटल फ़ॉर फ्रीडम*. अभिनव पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली.
- नंदा, रीना. 2002. *कमलादेवी चट्टोपाध्याय*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली.
- पटेल, वी. 2012. "वुमेन्स स्ट्रगल्स एंड वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया". http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article27410
- बगल, जे.सी. 1964. "सरला देवी चौधरानी". *साहित्य साधक चरितमाला*. अंक-99, बंगीय साहित्य परिषद्, कलकत्ता.
- बसु, अपर्णा. 1976. "रोल ऑफ़ वुमेन इन दि फ्रीडम मूवमेंट". बी.आर.नंदा (सं.) *इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी*. विकास, दिल्ली.
- बसु, अपर्णा. 1996. *मृदुला साराभाई— रेबेल विथ अ कॉज*. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली
- बसु, अपर्णा और रे, भारती. 2003. *वुमेन्स स्ट्रगल— अ हिस्ट्री ऑफ़ दि ऑल इंडियन वुमेन कांफ्रेंस, 1927–2002*. दूसरा संस्करण, मनोहर, दिल्ली.
- बसु, अपर्णा. 2008. "वुमेन्स स्ट्रगल्स फ़ॉर दि वोट". *इंडियन हिस्टॉरिकल रिव्यू*. XXXV, नं. 1.
- बसु, अपर्णा. *इंडियन वुमेन्स मूवमेंट*. http://www.du.ac.in/fileadmin/DU/ academics/course_material/urge_15.pdf.
- बुटालिया, यू. 1997. *दि वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया— एक्शन एंड रिफ्लेक्शन*. http://www.twnside.org.sg/title/ india1-cn.htm
- राव, एम. 2012. "इकोफेमिनिज़्म एट दि क्रॉसरोड्स इन इंडिया— अ रिव्यू" http://www.unive.it/media/allegato/ dep/n20-2012/Ricerche/Casi/11_Rao_ Ecofeminism.pdf
- रेड्डी, मुथुलक्ष्मी. 1956. *मिसेज मार्गरेट कजिन्स एंड हर वर्क इन इंडिया*. डब्ल्यू.आई.ए., मद्रास.
- लर्नर, गर्डा. 1981. *द मेजॉर्टी फाइंडस इट्स पास्ट, प्लेसिंग वुमेन इन हिस्ट्री*. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, न्यूयार्क, टोरंटो आदि.
- सेन, एस. 2000. "टूवर्ड अ फेमनिस्ट पॉलिटिक्स? दि इंडियन वुमेन्स मूवमेंट इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव". *पॉलिसी रिपोर्ट ऑन जेंडर एंड डेवलपमेंट, वर्किंग पेपर सीरीज़ नं. 9*. http: //www. worldbank.org/gender/prr.
- श्रवणन, एस. 2000. "वायलेंस अगेन्स्ट वुमेन इन इंडिया— अ लिट्रेचर रिव्यू". http://www.isst-india.org/ PDF/ Violence%20Against%20Women%20 India.pdf

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 2

शिक्षा में समानता से निष्पक्षता की ओर
दक्षिण एशिया के कुछ उदाहरण

मॉड्यूल की रूपरेखा

2.1 परिदृश्य
2.2 भूमिका
2.3 उद्देश्य
2.4 अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं घोषणा पत्र
2.5 अधिकार आधारित शिक्षा की दिशा में तय रणनीतियाँ
2.6 शिक्षक – निर्णायक सेतु
2.7 निष्कर्षात्मक विचार
2.8 संदर्भ

© NCERT not to be republished

2.1 परिदृश्य

यह मॉड्यूल इस दृढ़ आस्था के साथ लिखा गया है कि सभी देशों के शैक्षिक लक्ष्य तथा नीतियाँ निश्चित रूप से शिक्षार्थी के समान अधिकारों तथा अवसरों पर आधारित होने चाहिए। यह पारंपरिक रूप से पहुँच से बाहर अथवा शिक्षा से छूट गए समाज तक पहुँच तथा उन्हें शामिल करने की ज़रूरत पर प्रकाश डालता है। इसी कारण, यह दक्षिण एशिया के अन्य क्षेत्रों से लिए गए उदाहरणों पर केंद्रित है जिससे हमें अपनी शिक्षा, विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी। यह मॉड्यूल शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण संदर्भों तथा आधारभूमियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियों तथा व्यवहारों पर सुझाव देता है। इन्हें अपना कर विद्यालयों को लड़कियों के लिए और अधिक जेंडर अनुकूल बनाया जा सकता है। सकारात्मक शैक्षिक अनुभवों तथा परिणामों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षा के कुछ गुणवत्तापूर्ण पहलुओं पर भी बल दिया गया है। मॉड्यूल में अधिकारों के परिप्रेक्ष्य की निर्मिति हेतु भी एक प्रयास किया गया है ताकि जेंडर अनुकूल विद्यालयों का निर्माण किया जा सके।

2.2 भूमिका

अपने अनुभवों के आधार पर हम आपको जेंडर संबंधी मुद्दों पर ज्वलंत विमर्श में शामिल करना चाहेंगे।

जेंडर समतुल्यता से तात्पर्य प्रत्येक लड़के और लड़की को शिक्षा प्राप्ति तथा विद्यालय जाने के समान अवसर उपलब्ध करवाने से है। इस प्रकार विद्यालयों में लड़के और लड़कियों की समान संख्या को प्रवेश देने की मुहिम का उद्देश्य शिक्षा में जेंडर समानता लाना है, तथापि जेंडर समानता की अवधारणा तब तक अधूरी ही रह जाएगी, जब तक हम बालिका की ज़रूरतों को समझ पाने में सफल नहीं हो जाते। जेंडर समानता का अर्थ है, लड़का-लड़की तथा स्त्री-पुरुष के साथ समान व्यवहार जो मानवाधिकारों की अनिवार्य पूर्व-अर्हता है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक

तथा राजनीतिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी हो। समाज को निश्चित रूप से जेंडर भिन्नता तथा विकास में उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए। जेंडर समतुल्यता लड़का/पुरुष तथा लड़की/महिला के प्रति न्यायपूर्ण होने की प्रक्रिया है। निष्पक्षता एक माध्यम है, वहीं समानता तथा समान उपलब्धि उसका परिणाम। इस मॉड्यूल में हम दक्षिण एशिया के संदर्भ में समतुल्यता से निष्पक्षता की ओर परिवर्तन का अन्वेषण करेंगे।

2.3 उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं घोषणा पत्रों के अनुसार शिक्षा के अधिकार को समझना;
- यह समझना कि लड़कियों एवं लड़कों को अवसरों की बराबर हिस्सेदारी किस प्रकार उपलब्ध करवायी जा सकती है, ताकि उन्हें समान अवसर तथा विद्यालयी शिक्षा मिल सके;
- यह जानना कि लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार जेंडर और सामाजिक समानता की लक्ष्य प्राप्ति में योगदान करती है तथा बहिष्करण के विविध कारकों से निजात दिला सकती है;
- जेंडर अनुकूल शैक्षिक वातावरण के निर्माण के महत्व की सराहना करना।

2.4 अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं घोषणा पत्र

लड़कियों की स्कूली शिक्षा कई सामाजिक घटकों, जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ, सुरक्षा संबंधी कारणों, विद्यालयों में शिक्षिकाओं की उपस्थिति तथा लड़कियों की विशेष ज़रूरतों को समझने वाली शिक्षण-अधिगम दृष्टि को अपनाने से प्रभावित होती है। हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि शिक्षा एक अधिकार है और जो लड़कियाँ विद्यालय नहीं आ पाती हैं, यह उनके उस अधिकार का हनन है। शिक्षा के इस अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों एवं घोषणा-पत्रों में बल दिया गया है। इसका उल्लेख विशेष रूप से बाल अधिकार के संधि पत्र, (Convention on the Rights of the Child, CRC) 1989, सबके लिए शिक्षा (Education For All, EFA) पर वैश्विक घोषणा-पत्र 2000, तथा सहस्त्राब्दि विकास के लक्ष्य (MDG) 2000 में है। अगले कुछ अनुच्छेदों की सामग्री हमें सी.आर.सी. के कुछ महत्वपूर्ण तथा एम डी.जी. एवं ई.एफ.ए. के प्रासंगिक अनुच्छेदों को समझने में मदद करेगी।

लड़कियों की शिक्षा एम.डी.जी., ई.एफ.ए. तथा सी.आर.सी. में दी गई विकास की प्राथमिकताओं की इन परिकल्पनाओं में निहित है। जैसा कि स्पष्ट है कि इनके लक्ष्य और अनुच्छेद एक-दूसरे से संपृक्त तथा अनुपूरक हैं। इस प्रकार, गुणवत्ता के मुद्दे केवल ई.एफ.ए. के लक्ष्य 6 तक सीमित नहीं हैं। इसी तरह भेदभाव पर केवल सी.आर.सी. के अनुच्छेद 2 में विचार होना चाहिए। सी.आर.सी., ई.एफ.ए. तथा एम.डी.जी. में प्रारूपित पहुँच, अवसर तथा परिणामों की समानता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण के एक-दूसरे से जुड़े आयामों के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

(क) सहस्त्राब्दि विकास के लक्ष्य (एम.डी.जी.)

एम.डी.जी. (MDG) 2 — सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि — यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लड़का और लड़की संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

एम.डी.जी. 3 — जेंडर समानता तथा महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना — इसका लक्ष्य प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से 2005 तक तथा शिक्षा के सभी स्तरों से 2015 तक जेंडर असमानता का उन्मूलन करना था। 2015 में सहस्त्राब्दि विकास के लक्ष्यों (एम.डी.जी.) को संधारणीय विकास के 17 लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में समाहित कर लिया गया। एस.डी.जी. का लक्ष्य 5 दुनिया भर में सभी महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति होने वाले सभी तरह के भेदभावों के खिलाफ़ जेंडर समानता पर फ़ोकस करता है।

(ख) बाल अधिकार संबंधी संधि पत्र तथा शिक्षा

अनुच्छेद 28 — सभी बच्चों के पास शिक्षा का अधिकार है। राज्य प्रगतिशील तथा समान अवसरों के आधार पर औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है। प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए। विद्यालय की अनुशासन शैली का प्रभाव बच्चे की मानवीय गरिमा में दिखायी देना चाहिए।

अनुच्छेद 29 — शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व तथा प्रतिभा का विकास करना है, ताकि वे सक्रिय वयस्क जीवन और मनुष्य के आधारभूत अधिकारों के प्रति सम्मान, अपनी तथा दूसरों की संस्कृतियों के प्रति आदर तथा स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और सहिष्णु समाज में जीवन-यापन के लिए तैयार हो सकें।

© NCERT not to be republished

अनुच्छेद 2 — सी.आर.सी. में निर्धारित सभी अधिकारों का सभी तरह से सम्मान होगा तथा प्रत्येक बच्चे को ये अधिकार नस्ल, जेंडर, आर्थिक स्थिति, धर्म, नागरिकता, सामाजिक वर्ग, जातीयता, भाषा आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव के बिना दिए जाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही बच्चों को हर प्रकार के भेदभाव से बचाने के लिए कदम भी उठाए जाएँगे।

अनुच्छेद 12 — बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है और उनके विचारों को सुना जाएगा तथा उन सब मुद्दों पर विचार किया जाएगा जो किसी भी तरह से उनके व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

अनुच्छेद 3 — बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में उनके हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अनुच्छेद 6 — जीवन जीने, सुरक्षित रहने तथा सर्वांगीण विकास का अधिकार।

(ग) सबके लिए शिक्षा (ई.एफ.ए.)

ई.एफ.ए. लक्ष्य 2 — इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाना था कि 2015 तक सभी बच्चों, विशेष तौर पर लड़कियों, कठिन परिस्थितियों में फँसे बच्चों तथा जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों को नि:शुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा से पूर्णतः जोड़ा जाएगा। ई.एफ.ए. ने सहस्त्राब्दि विकास के लक्ष्यों (एम.डी.जी.) में योगदान दिया, जो अब संधारणीय विकास के लक्ष्यों में (एस.डी.जी.) रूपांतरित हो गया है। एस.डी.जी. का लक्ष्य 4 और 5 समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जेंडर समानता पर केंद्रित है।

ई.एफ.ए. लक्ष्य 5 — इसका उद्देश्य 2005 तक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को जेंडर असमानता से मुक्त करना तथा 2015 तक शिक्षा में जेंडर समानता हासिल करना था, जिसके तहत 'पूर्ण तथा एक समान' शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच और गुणवत्तापूर्ण आधारभूत शिक्षा की उपलब्धि प्राप्त की जानी थी। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य अभी भी प्राप्त किया जाना है, जो अब एस.डी.जी. के लक्ष्य 5 का हिस्सा है।

ई.एफ.ए. लक्ष्य 6 — यह शिक्षा की गुणवत्ता के सभी आयामों में सुधार की अनुशंसा करता है तथा सबकी उत्कृष्टता को सुनिश्चित करता है, ताकि सभी मान्य एवं मापन योग्य अधिगम उपलब्धियाँ विशेषतः साक्षरता, गणना एवं जीवन संबंधित अनिवार्य कौशल हासिल किए जा सकें।

2.5 अधिकार आधारित शिक्षा की दिशा में तय रणनीतियाँ

दक्षिण एशियाई देश शिक्षा को एक आधारभूत मानव अधिकार मानते हैं। शिक्षा को अधिकार मानने से शैक्षिक विकास तथा सुधार की दिशा में बड़े दूरगामी परिणाम सामने आते हैं। यह गैर-भेदभावपूर्ण, भागीदारी तथा समानता के मूल सिद्धांत की परिधि में रहने वाले मूल्यों, ज्ञान तथा कौशल को अनिवार्य रूप से ज़रूरी बनाता है। इस प्रकार ई.एफ.ए. तथा एम.डी.जी. का समर्थन करने वाली शिक्षा को ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो लड़कियों सहित सभी शिक्षार्थियों को अपने निर्णय स्वयं लेने तथा अपने समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने के योग्य बना सके।

मूल प्रश्न यह है कि किस प्रकार लड़कियों एवं लड़कों को अवसरों व अधिकारों की समानता प्रदान की जाए कि उन्हें स्कूल जाने का पूरा अवसर मिल सके। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुभव निम्नलिखित मापकों की प्रभावशीलता की ओर संकेत करते हैं —

- शिक्षा को पूर्णतः नि:शुल्क बनाकर;
- गरीब तथा हाशिए के परिवारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करके (वजीफ़ा, छात्रवृत्ति, स्कूल में भोजन देकर);
- सभी शिक्षार्थियों की स्कूल तक पहुँच सुनिश्चित करके (दूरी, मूलभूत सुविधाएँ, पाठ्यक्रम);
- बड़ी उम्र, स्कूल से बाहर तथा स्कूल तक पहुँचने में अक्षम बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके;
- अति वंचित बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा विकास (ई.सी.सी.डी.) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर;
- विद्यालय-समाज सहभागिता में माता-पिता तथा समुदाय को शामिल करके;
- यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक शिक्षार्थियों की संस्कृति और भाषा में सहभागिता करते हैं;
- पानी तथा स्वच्छता की समुचित व्यवस्था विकसित करके;
- स्कूल तथा स्कूल आने-जाने के रास्ते में शिक्षार्थी की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके; एवं
- यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों की मदद तथा उनका आदर्श बनने के लिए स्कूल में पर्याप्त संख्या में महिला शिक्षक हैं।

इसके अतिरिक्त इसमें वे बिंदु भी शामिल हैं जिनकी सहायता से शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए

© NCERT not to be republished

प्रभावपूर्ण मानदंडों का प्रयोग हो सके, ताकि लड़के-लड़कियाँ एक समान सम्मानजनक व्यवहार और ध्यान पा सकें तथा समान पाठ्यक्रम एवं रूढ़िवादिता और जेंडर भेदभाव से मुक्त शिक्षण पद्धति से पढ़ सकें, इसमें निम्न बिंदु शामिल हैं —

- समावेशी शिक्षा नीतियों का विकास जिसमें विविधता को समानता तथा सम्मानपूर्वक समझा गया हो;
- शिक्षकों को सामाजिक तथा जेंडर आधारित भेदभाव को समझने तथा तदनुसार काम करने के लिए प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना;
- पर्याप्त तथा ठीक से प्रशिक्षित (पुरुष तथा महिला) शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- ऐसी नीतियों का विकास करना जो बच्चों को शोषण, उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार की हिंसा से बचाएँ। इसमें जेंडर आधारित हिंसा, छेड़छाड़, शारीरिक तथा मानसिक दंड शामिल हैं;
- यह सुनिश्चित करके कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें अकादमिक तथा शैक्षिक रूप से गुणवत्तापूर्ण हों जिनमें लड़कियों एवं लड़कों की सकारात्मक छवि दिखायी गई हो तथा विविधता के विभिन्न आयामों और समाज में प्रचलित चुनौतीपूर्ण रूढ़ियों आदि को सार्थक रूप से दिखाया गया हो;
- पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन के लचीलेपन का संज्ञान लेना और शिक्षण की विभिन्न ज़रूरतों तथा तरीकों को ठीक से समझना;
- विद्यालय व समुदाय के बीच सहभागिता को सतत रूप से परस्पर लाभकारी बनाना; एवं
- शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों, खासकर परस्पर संवाद आधारित तरीकों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित तथा प्रोत्साहित करना।

शिक्षा के माध्यम से उपलब्धियों/अधिकारों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के मानदंड – इसे निम्नलिखित मानदंडों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है —

- यह सुनिश्चित करके कि शिक्षण की उपलब्धियाँ, स्कूली जीवन की अवधि, अकादमिक योग्यता तथा डिप्लोमा आदि जेंडर के आधार पर भेदभावपूर्ण न हों;
- आजीवन अध्ययन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सशक्तीकरण तथा समाज में सार्थक भागीदारी (निर्णय लेने की शक्ति, संसाधनों पर नियंत्रण आदि) के लिए सतत तथा बराबर अवसर उत्पन्न करके;
- लड़कियों तथा अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष रूप से शिक्षा के विकल्प बढ़ाकर;
- सामाजिक रूप से पिछड़े पुरुषों तथा महिलाओं के लिए रोज़गार तथा समान आय के अवसरों को बढ़ाकर; एवं
- भेदभावपूर्ण कानूनों, रीति-रिवाज़ों, व्यवहार तथा संस्थागत प्रक्रियाओं का उन्मूलन करके।

(क) लड़कियों की शिक्षा में गुणवत्ता का प्रश्न

दक्षिण एशिया अति पितृसत्तात्मक तथा वर्गीकृत सामजिक संरचना वाला वैविध्यपूर्ण क्षेत्र है। उन क्षेत्रों में जहाँ जेंडर भेदभाव अधिक तथा परिवार गरीब हैं, वहाँ लड़कियों को स्कूल भेजने की संभावना कम होती है। इस प्रकार, शिक्षा के संदर्भ में, दक्षिण एशिया में महिला होने का अर्थ वंचित होना है। हालाँकि इस स्थिति मे धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय संकल्प के बावजूद, दक्षिण एशिया में लड़कियों और लड़कों के बीच विद्यालयों में प्रवेश की नामांकन दर में अपेक्षाओं और यथार्थ के बीच काफी अंतर दिखता है। संपूर्ण क्षेत्र में नामांकन बढ़ा है, किंतु कम आय तथा हाशिए के समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना अभी भी एक चुनौती है। इनमें बड़ा हिस्सा स्कूल से बाहर रह गए बच्चों का है जिनमें से अधिकांश लड़कियाँ हैं, जिनकी विशेष ज़रूरतें हैं। इनमें संघर्ष के शिकार तथा नदी किनारे के घुमंतू कबीलों के परिवार से संबंध रखने वाले, दलित, धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यक, विस्थापित कामगार, खानाबदोश जनसंख्या और बाल-मज़दूरी से संबंधित लोग शामिल हैं। यद्यपि बहुत सारे देशों ने शिक्षा को नि:शुल्क कर दिया है, फिर भी माता-पिता को किताबों, परीक्षा, वर्दी अथवा विद्यालय के विकास के लिए पैसा देने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह का खर्च शिक्षा को गैर-बराबरीपूर्ण बना देता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो इस खर्च को वहन कर पाते हैं, वे शिक्षित हो जाते हैं, जबकि अन्य अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

शिक्षा तक सबकी पहुँच बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि इसके खर्च को घटाया जाए तथा गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक शिक्षा महँगी या सबकी पहुँच से बाहर होगी, इसकी पहुँच उन लोगों तक सीमित रहेगी जो संपन्न हैं, शहरी हैं

© NCERT not to be republished

और पुरुष हैं; यानी कि जो अगली पंक्ति में आते हैं। (ऐकमन तथा अंटरहाल्टर, 2005)

कुल नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.) तथा जेंडर समानता इंडेक्स (जी.पी.आई.) के आँकड़े नामांकन से परे सफलता के संकेतक के रूप में कम सहायक हैं, क्योंकि वे स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता आधारित आयामों के बारे में सीमित जानकारी प्रदान करते हैं। यह देखे जाने की ज़रूरत है कि कक्षाओं में क्या होता है, इसे जानने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाएँ—

- शिक्षक किस प्रकार शिक्षार्थियों से संवाद करते हैं?
- क्या लड़कियाँ इसमें सही मायनों में भागीदारी करती हैं?
- क्या शिक्षण-अधिगम सामग्री और विषयों का चयन जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देता है?

लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निश्चित रूप से लड़कियों को सशक्त करके तथा उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए उत्तरदायी विविध कारकों से उबारकर जेंडर तथा सामाजिक समानता हासिल करने में योगदान देगी।

भेदभाव के कारण

कई लड़कियाँ भेदभाव तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करती हैं जिसके कारण वे स्कूली शिक्षा अथवा उपयोगी शिक्षा से बाहर रह जाती हैं। कुछ देशों में बेटों को प्राथमिकता देने को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। माता-पिता लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा को महत्व देते हैं। साथ ही, दक्षिण एशियाई देशों में छोटी उम्र में ही लड़कियों के विवाह तथा किशोरावस्था में ही गर्भधारण करने का व्यापक प्रचलन है जिसके चलते कक्षा में उनकी उपस्थिति कम रहती है और उनके ध्यान पर भी प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप शिक्षा में लड़कियों के अवसर और कम हो जाते हैं।

प्रचलित मान्यताओं के विपरीत सभी माता-पिता अपनी बेटियों को शिक्षा देना चाहते है, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके पास सीमित संसाधन हैं; यद्यपि बेटियों को स्कूल भेजने में शिक्षा की गुणवत्ता तथा अर्थपूर्णता भी महत्वपूर्ण होती है। यह कई घटकों पर निर्भर करता है, जैसे लड़की होने के कारण उनसे कम अपेक्षा, वर्ग एवं सामाजिक स्थिति, शिक्षा एवं शिक्षकों की खराब स्थिति, माता-पिता का खराब व्यवहार आदि; जिसके परिणामस्वरूप लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं तथा घर की चारदीवारी तक सिमट जाती हैं।

क्षेत्रीय विविधता

ऐसे विविधतापूर्ण भूभाग में विभिन्न देशों के बीच तुलना करना कठिन हो सकता है। क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्रों के भीतर ही शहरी-ग्रामीण विभाजन तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ पायी जाती हैं। उदाहरण के लिए, अन्य देशों की अपेक्षा बांग्लादेश में कुल प्राथमिक विद्यालयों में से आधे से भी कम स्कूलों की देखभाल सरकार करती है, बाकी के आधे स्कूलों की देख-रेख गैर-सरकारी संस्थाएँ करती हैं।

इस भूभाग के अन्य देशों की तुलना में विविध संस्कृतियों, भौगोलिक विविधता तथा विकास के कई स्तरों वाला देश भारत स्कूल जाने वाली जनसंख्या के काफ़ी बड़े भाग की देख-रेख करता है। आकार में छोटा होने के बावजूद भूटान की जटिल भौगोलिकता तथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र की दूरी कई तरह की चुनौतियाँ खड़ी करती है जिसके लिए विशेष प्रयास करने तथा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है।

दक्षिण एशिया में बाल मज़दूरी सामान्य है और लड़कियों द्वारा किए जाने वाले काम अधिकतर सामने नहीं आ पाते हैं। दक्षिण एशिया के बड़े शहरों में सड़क पर रहने वाले बच्चे बड़ी संख्या में हैं जिनमें से अधिकांश की शिक्षा तक पहुँच नहीं हैं तथा उनका शोषण व उत्पीड़न आसानी से किया जा सकता है। इनमें लड़कियों की संख्या अधिक है। एचआईवी/एड्स के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। अधिकांश औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के लिए भी यह आवश्यक है कि वे युवा लोगों को जोखिम तथा बचाव की रणनीतियों के बारे में समझाएँ। भारत और नेपाल में, स्कूल न जाने तथा बीच में ही पढ़ाई अधूरी छूट जाने के पीछे के कारणों पर बात करते हुए भी जाति, जेंडर, जातीयता, व्यवसाय तथा घर के मुद्दे अन्य सभी कारणों पर भारी पड़ते प्रतीत होते हैं (लुइस तथा लॉकहीड, 2006)।

केवल विविधता का होना ही लड़कियों को शिक्षित करने में निश्चित असफलता का कारण नहीं है। दूसरी ओर, यह विविधता ही है जो दुर्व्यवहार तथा भेदभाव के साथ जुड़कर स्कूल से बहिष्करण को बढ़ावा देती है। (लुईस तथा लॉकहीड, 2006)। बच्चों के साथ भेदभाव की संभावना भी उनके निवास स्थान (ग्रामीण/दूरदराज के क्षेत्र, शहरी झुग्गी बस्ती, शरणार्थी बस्तियों), उनके रहन-सहन (गरीबी में, गंभीर रूप से बीमार, कुपोषित) और उनकी पहचान (शारीरिक अक्षमता, जेंडर, जातीय, भाषायी, धार्मिक अल्पसंख्यक) आदि पर निर्भर करती

© NCERT not to be republished

है। ये बच्चे स्थानीय समुदायों, राष्ट्रीय सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सकारात्मक पहल के बिना भेदभाव तथा बहिष्करण के चक्र को तोड़ने में असमर्थ होते हैं। अधिकांश वर्तमान शिक्षा रणनीतियाँ और कार्यक्रम सामाजिक बहिष्करण के शिकार बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से अपर्याप्त हैं और जब कार्यक्रम उपलब्ध भी होते हैं तो उनकी योजना तथा कार्यान्वयन 'भिन्न' या 'जटिल', के रूप में चिह्नित बच्चों हेतु विशेष कार्यक्रम के रूप में किया जाता है। परिणामस्वरूप ये कार्यक्रम देशों के भीतर एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे – गरीबों के लिए, कामगार बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अथवा उन बच्चों के लिए जिनकी शिक्षा तक पहुँच नहीं है, अलग तरह की शिक्षा और सुविधा सम्पन्न वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों की शिक्षा (हेजनेन, 2003)। ऐसे में सवाल फिर वही है कि ये समानांतर कार्यक्रम व्यापक स्तर पर किस प्रकार समाज में चल रहे बहिष्करण को चुनौती दे पाएँगे तथा क्या शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम और अधिक बराबर अवसर दिला पाएँगे।

हमारे देश में, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) सभी बच्चों को, विशेष तौर पर जाति, जनजाति अथवा शारीरिक अक्षमता का दंश झेल रही लड़कियों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करता है तथा इस पर बल देता है कि महिलाओं तथा वंचित समाज के सदस्यों को नौकरियों से जोड़ने पर पूरा ध्यान दिया जाए। यह प्रयास जेंडर अनुकूल मानकों पर खराब उतरने वाले अधिगम स्थलों के प्रत्येक आयाम का मूल्यांकन करता है। इन मानकों में साफ़ पानी तथा स्वच्छता का प्रावधान भी शामिल है। बालिकाएँ स्कूल में बनी रहें, इसे सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय मध्याह्न भोजन तथा वर्दी और स्कूल की अन्य ज़रूरतों के लिए बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं।

(ख) सशस्त्र संघर्षों तथा प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

बच्चों की स्कूल तक पहुँच, उपस्थिति तथा सीखने के प्रतिफल सशस्त्र संघर्षों (नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान) तथा प्राकृतिक आपदाओं (सुनामी, भूकंप) से भी कमज़ोर पड़ते रहे हैं जिसका गंभीर प्रभाव बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर पड़ता है। ऐसा लड़कियों के मामले में अधिक होता है। लड़कियाँ तथा महिलाएँ, लड़कों तथा पुरुषों की तुलना में इस तरह के संघर्षों तथा आपदाओं का प्रभाव अलग तरह से अनुभव करती हैं।

इन परिस्थितियों में लड़कियों की विभिन्न भूमिकाएँ, गतिविधियाँ, कौशल, स्थिति तथा स्तर; उनमें जेंडर के आधार पर अलग तरह के जोखिम, असुरक्षितता/सुभेद्यता (वल्नेरेबिलिटी) तथा क्षमता को उत्पन्न करते हैं। सुभेद्य समूहों जैसे आंतरिक रूप से विस्थापित या शरणार्थी शिविरों में रह रही लड़कियों, शारीरिक रूप से अक्षम लड़कियों तथा जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए अतिरिक्त ध्यान तथा देखभाल की आवश्यकता होती है। संघर्ष तथा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक ज़रूरत बन जाती है। यह शिक्षा जीवित रखने तथा जीवन को बचाने वाली हो जो शारीरिक सुरक्षा, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण और संज्ञानात्मक विकास भी करे। ऐसे कार्यक्रम कौशल विकास करते समय शांति तथा संघर्ष से बचने और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए ज़रूरी समझ के साथ जीवित रहने के कौशल (जहाँ भी रह रहे हों, वहाँ रहने के तरीके), विकासात्मक कौशल (कैसे विकास करें) तथा अकादमिक कौशल (यह सिखाना कि कैसे सीखें) सिखाने पर केंद्रित हों।

सैन्य संघर्ष के परिणामों से जूझते हुए अफगानिस्तान नामांकन तथा गुणवत्ता के साथ-साथ शिक्षण प्रणाली का भी पुनर्निमाण कर रहा है, यद्यपि बांग्लादेश ने जेंडर समानता हासिल करने की दिशा में सराहनीय काम किया है किंतु फिर भी, स्कूल जाने की उम्र के कुल बच्चों में से 15 प्रतिशत आज भी स्कूल व्यवस्था से बाहर हैं। इन 15 प्रतिशत में आदिवासी बच्चे, सड़कों पर रहने वाले बच्चे, बाल कामगार, शारीरिक रूप से अक्षम तथा झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चे शामिल हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट तथा सुविधाहीन समूहों के लिए सुविधाओं को बढ़ाना आदि महत्वपूर्ण चुनौतियाँ सामने हैं।

नेपाल और भारत में, विशेषकर दलितों, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों, भाषायी तथा जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के संदर्भ में, सामाजिक बहिष्करण एक चुनौती है। इन समूहों में लड़कों की तुलना में लड़कियाँ अधिक सुविधाहीन हैं। जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए, अध्ययन का वातावरण तथा उपलब्धियों की दिशा में निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण तथा विद्यालयी विकास, सहायता सेवाओं तथा

© NCERT not to be republished

नियंत्रण इकाइयों का विकेंद्रीकरण शामिल है। ऐसे शिक्षार्थियों को खोजना जो पहुँच से बाहर हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता को बढ़ाना ही पूरे भूभाग की सामान्य प्राथमिकता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

बच्चे केवल स्कूल में रहे हैं या उन्होंने कुछ सीखा भी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्कूल में क्या होता है। इस पूरे भूभाग के स्कूल खराब व्यवस्था तथा कम गुणवत्ता वाले शिक्षकों की चुनौती का सामना कर रहे हैं। शिक्षकों की अनुपस्थिति की आदत विशेष तौर पर पाकिस्तान, नेपाल तथा भारत में अधिक है। शिक्षण अधिकतर प्रेरणादायक नहीं होता तथा पाठ्यक्रम बहुत अधिक सैद्धांतिक होता है।

दक्षिण एशिया में निजी विद्यालय कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। यह एक तरह की प्रवृत्ति है कि लड़कों को निजी विद्यालयों में भेजा जाता है और इससे अधिकतर शिक्षा की द्वि-स्तरीय व्यवस्था का निर्माण होता है, जिससे सामाजिक वर्ग तथा जाति के आधार पर असमानता तो बढ़ती है, जेंडर भेदभाव को भी बढ़ावा मिलता है (बिस्ता, 2004)। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्कूलों के बच्चों को परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के लिए निजी ट्यूशन लेना पड़ता है जिससे परिवार पर खर्च बढ़ जाता है। साथ ही कई विद्यालयों में शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी उँगली उठती है। श्रीलंका तथा बांग्लादेश जैसे देशों में तो जैसे इस प्रकार की परिपाटियाँ संस्थागत हो गई हैं।

एक बड़ी चुनौती प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। श्रीलंका में 97 प्रतिशत नामांकन दर होने के बावजूद, 17 प्रतिशत बच्चे अनिवार्य शिक्षा (6–7) चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। यह बेहद ज़रूरी है कि शिक्षा पूरी न कर पाने की दर पर नियंत्रण पाने के लिए रणनीतियाँ विकसित की जाएँ।

दक्षिण एशिया के इस पूरे भूभाग में छात्रवृत्ति, वजीफ़ा तथा स्कूल में भोजन करवाने जैसी प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप बालिकाओं तथा अन्य सुविधाहीन बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ ही भीड़-भाड़ वाली कक्षाओं की समस्या भी सामने आयी है जिससे संभव है कि शिक्षण तथा अधिगम की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़े। इस तरह की प्रोत्साहन योजनाओं से अब तक स्कूलों की पहुँच से बाहर रहे सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों की समस्या को समझने में सफलता हासिल हुई या नहीं, यह जानने और साथ ही स्कूलों की पहुँच में शामिल हो चुके समूहों तथा इसके प्रभावों को जानने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, बहिष्कृत समूहों की बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु क्षतिपूर्ति सहायता के अन्य प्रकारों की ज़रूरत भी हो सकती है, जिससे वे स्कूलों में सफलता हासिल कर सकें जैसे – 'सेतु पाठ्यक्रम' अथवा 'सुधारात्मक कक्षाएँ' आदि। इसके अतिरिक्त, स्कूल में रहकर किए जाने वाले कार्यक्रम जो घर से पढ़ाई में मदद न मिलने की स्थिति में किए जाते हैं, वे भी सुविधाहीन शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा में बने रहने तथा अध्ययन करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिसके अंतर्गत अकादमिक सहायता से लेकर स्कूल के बाद की पढ़ाई आदि आते हैं। इस तरह की अतिरिक्त सहायता माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने में काफ़ी प्रोत्साहन देती है।

कुछ देशों में, छात्रवृत्तियाँ अपर्याप्त तथा कम संख्या में हैं। परिणामस्वरूप, गरीब परिवारों को शिक्षा के बेहद ज़रूरी खर्चों को पूरा करने में मदद नहीं कर पातीं (बिस्ता, 2004)। इसके अलावा बांग्लादेश तथा नेपाल जैसे देशों से मिलने वाली जानकारी के अनुसार, इस तरह के कार्यक्रमों के इर्द-गिर्द कई चुनौतियाँ हैं, जैसे – छात्रवृत्ति का देर से मिलना या उसका गलत उपयोग, छात्रवृत्तियों के वितरण तथा आवंटन में पारदर्शिता की कमी, इसकी प्रभाविता के खराब समन्वयन तथा पर्यवेक्षण और छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं से माता-पिता की अनभिज्ञता। (अहमद तथा चौधरी, 2005)

स्कूल में भोजन प्रदान करवाने के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन दक्षिण एशिया के कई देशों में हो रहा है, जैसे कि भारत और अफगानिस्तान में। कुछ मामलों में, ये योजनाएँ स्कूल छोड़ने की गिरती दर तथा शिक्षार्थियों की बढ़ती उपलब्धियों से जुड़ी हुई हैं, किंतु इसे साबित करने के लिए पर्याप्त शोधकार्य नहीं किए जा रहे हैं। बच्चों की उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली होगा कि उन्हें दिन में जितनी जल्दी संभव हो सके, सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर भोजन स्कूल में दिया जाए।

कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि जिन स्थानों पर नामांकन दर पहले से ही अच्छी है, वहाँ स्कूल में भोजन देने वाली योजना कम प्रभावकारी है। ऐसी अधिकतर योजनाएँ गरीब परिवारों के बच्चों को लक्ष्य करती हैं। यद्यपि, यह पता लगाना कि कौन गरीब है और कौन-सा समाज अत्यंत दयनीय स्थिति में है, एक मुश्किल कार्य है। ऐसी स्थिति में, सभी के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था एक बेहतर उपाय है। हमारे देश में मध्याह्न भोजन

© NCERT not to be republished

सरकारी सहायता प्राप्त तथा शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों के सभी शिक्षार्थियों को दिया जाता है जिसका उद्देश्य नामांकन, स्कूल में लगातार उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करके यू.पी.ई. को बढ़ाना है।

इसके साथ ही, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बच्चों के नियमित स्कूल आने के एवज में घर ले जाने के लिए भोजन भी प्रदान करता है। हालाँकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्कूल में भोजन प्रदान करना या घर ले जाने के लिए भोजन देना उन्हें अतिरिक्त पोषण भी दे रहा है या फिर घर पर खाना न मिलने की स्थिति में उसका विकल्प मात्र है।

यद्यपि बच्चों का पेट भरा रहे तो वे बेहतर सीखते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारे बिना स्कूलों में भोजन प्रदान करने का सीखने पर प्रभाव न के बराबर ही होगा। इन कार्यक्रमों को तभी सफल बनाया जा सकता है जब अन्य मानकों की सहायता मिले, जिससे शिक्षण एवं अधिगम के संबंध में स्कूलों में होने वाली गतिविधियों को सुधारा जा सके, जैसे कि लड़कियों के अनुकूल स्कूलों का विकास।

लड़कियों के अनुकूल स्कूलों का निर्माण

इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि लड़कियाँ स्कूल से जुड़ी रहें, स्कूलों में अध्ययन के माहौल को लड़कियों के अनुकूल बनाए जाने के लिए इस दिशा में बहुत संभलकर योजना बनानी होगी। दक्षिण एशिया के अधिकांश स्कूल लड़कियों के अनुकूल नहीं हैं और यहाँ लड़कियों को अक्सर शोषण, छेड़छाड़ तथा भय के अन्य तरीकों को झेलना पड़ता है। स्कूलों को लड़कियों के अनुकूल अथवा बच्चों के अनुकूल बनाने से लड़कों को भी लाभ मिलता है, क्योंकि इससे स्कूल की आधारभूत संरचना में सुधार आता है; ऐसे तरीकों से शिक्षा मिलती है जिससे जेंडर संबंधी रूढ़ियाँ कमज़ोर पड़ती हैं; प्रशिक्षित महिला शिक्षक मिलती हैं जो आदर्श शिक्षक के रूप में सामने आती हैं; साथ ही स्कूल की व्यवस्था में समाज की भागीदारी बढ़ती है।

महिला शिक्षक

पूरे दक्षिण एशिया को अधिक से अधिक संख्या में बेहतर शिक्षकों, खासतौर पर महिला शिक्षकों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षकों की ज़रूरत है। केवल मालदीव और श्रीलंका को छोड़कर, शिक्षण के पेशे में महिलाओं की संख्या गंभीर रूप से कम है। हालाँकि कुछ महिला मुख्य अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रशासकों तथा नीति-निर्माताओं के होने के बावजूद ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की संख्या में कमी एक बड़ी समस्या है। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में इसका सीधा संबंध लड़कियों की उपलब्धियों तथा कक्षा में उनके पास होने के स्तर में कमी से है। किशोरावस्था में प्रवेश कर रही बालिकाओं के लिए महिला शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यद्यपि, बांग्लादेश के माध्यमिक स्कूलों में कम संख्या में महिला शिक्षकों के बावजूद लड़कियों का नामांकन तथा उनकी उपस्थिति लड़कों की संख्या को लगभग मात देने को है।

कुछ देशों ने महिला शिक्षकों के लिए भर्ती में एक हिस्सा आरक्षित रखने की व्यवस्था की है, फिर भी कुछ ही जगहों पर प्रारंभिक स्तर पर ये पद भरे जा सके हैं, क्योंकि सरकार ने महिलाओं को शिक्षकों के रूप में कार्य करने हेतु कोई प्रभावकारी प्रोत्साहन नहीं दिया है तथा न ही उन्हें समर्थन देने की कोई व्यवस्था की है, खासतौर पर जब महिलाओं को उनके अपने क्षेत्र से बाहर नियुक्त करने की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, नेपाल के काठमांडू में प्राथमिक विद्यालयों में 62 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं, जबकि पूरे देश का औसत केवल 27 प्रतिशत है तथा दूर पश्चिमी क्षेत्र में यह केवल 19 प्रतिशत है (बिस्ता, 2006)।

कोटा देने का प्रयास तभी कारगर होगा जब इसमें महिलाओं की क्षमताओं का विकास करने के भी मापदंड होंगे, ताकि उनकी उपस्थिति प्रभावशीलता में तब्दील हो सके। इस आयाम के बिना, कोटा केवल सांकेतिक होगा जिसके परिणामस्वरूप महिलाएँ अपेक्षाकृत कमतर भूमिकाओं में होंगी जिसका कारण या तो उनको दी जाने वाली ज़िम्मेदारियों के प्रकार होंगे (केवल छोटी कक्षाएँ अथवा निचले स्तर के कार्य) या फिर उनके आत्मविश्वास में कमी। जैसा कि श्रीलंका और मालदीव में किया गया, शिक्षण के पेशे के स्त्रीकरण से पालन-पोषण तथा देखभाल संबंधी नौकरियों के लिए महिलाओं की उपयुक्तता को ज़्यादा बेहतर करके भी देखा जा सकता है।

बहुत सारी शिक्षा व्यवस्थाओं में अपने पुरुष साथियों की तुलना में महिलाओं की स्थिति निम्न तथा आय कम है। महिला शिक्षकों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने तथा उन्हें इन नौकरियों में प्रोत्साहन देने के लिए इस व्यवसाय में प्रवेश की निर्धारित अर्हता को कम करने तथा कम फ़ीस अथवा नि:शुल्क दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक स्कूलों में विशेष तौर पर

© NCERT not to be republished

महिलाओं की नियुक्ति करके, समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति हीनभावना की सोच को कम किया जा सकता है।

महिला शिक्षक होने के पक्ष में तर्क बदलते रहते हैं। एक ओर समाज की अपेक्षाओं का परिप्रेक्ष्य होता है तो दूसरी ओर बालिकाओं की विशेष ज़रूरतें। हालाँकि महिला शिक्षकों की उपस्थिति मात्र से ही अध्ययन का वातावरण लड़कियों के अनुकूल तथा जेंडर संवेदी नहीं हो जाता। जहाँ एक ओर, शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के अनेक कारण हैं, वहाँ यह ज़्यादा ज़रूरी है कि जेंडर के दायरे से बाहर रखकर शिक्षकों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए तथा यह भी देखा जाए कि किस प्रकार वे लड़कियों एवं लड़कों के पक्ष में जेंडर संवेदी तथा अध्ययन के अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे।

महिला शिक्षकों के पक्ष में एक अन्य तर्क यह है कि वे बालिकाओं के लिए आदर्श होती हैं। ग्रामीण परिवेशों में, जहाँ बालिकाओं को शिक्षित महिलाओं से मिलने का मौका कम ही मिलता है, वहाँ महिला शिक्षकों का होना इस खास उद्देश्य को भी पूरा करता है। साथ ही यह बालिकाओं की सुरक्षा व हिफ़ाज़त तथा जेंडर समानता के मुद्दे से संबद्ध है। बच्चे, लड़कियाँ और लड़के जब ऐसे माहौल में बड़े होते हैं, जहाँ वे महिलाओं को केवल कुछ खास काम करते हुए देखने की तुलना में एक जैसे काम करते हुए देखते हैं, तो उनके अधिक जेंडर संवेदनशील होने की आशा की जाती है।

शिक्षण तथा शिक्षा नेतृत्व में जेंडर संतुलन महत्वपूर्ण है तथा यह व्यावसायिकता एवं जेंडर समानता पर आधारित है।

अध्यापक शिक्षा

ऐसा लग सकता है कि शिक्षक प्रशिक्षण एक तकनीकी विषय है जिसके केंद्र में पाठ्यक्रम की सामग्री तथा शिक्षण की विशेष पद्धतियाँ होती हैं। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता आधारित बदलाव लाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण को तकनीकी ज्ञान तथा कौशल से समुन्नत किया जाए। शिक्षक के रूप में प्रमाणित हो जाने मात्र से यह तय नहीं हो जाता कि कक्षा में वे सफल होंगे ही। शिक्षार्थियों के द्वारा वर्णित प्रभावशाली अध्यापन से तात्पर्य समर्थ, कर्तव्यनिष्ठ, न्यायपूर्ण, ज़िम्मेदार, लचीला, विचारशील, विशेषज्ञ, समावेशी, स्वागतयोग्य तथा सम्माननीय होना है (हेजनेन, 2004)।

अच्छे शिक्षक जानते हैं कि उनका काम पाठ्यक्रम पढ़ा देना तथा सीमित उपलब्धियों का मूल्यांकन करने मात्र से कहीं अधिक है। वे सामाजिक संदर्भ की उन व्यापक चुनौतियों के प्रति जागरूक होते हैं जिनमें वे पढ़ाते हैं तथा शिक्षार्थियों तक पहुँचने के लिए और अधिक प्रभावपूर्ण तरीकों की खोज करते रहते हैं।

संपूर्ण दक्षिण एशिया में, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा अध्यापकों का सतत व्यावसायिक विकास (सेवाकालीन प्रशिक्षण) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के क्रम में प्राथमिक क्षेत्र बन गया है। महिला शिक्षकों को नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण से ज़रूर लाभान्वित किया जाना चाहिए। उन्हें इस योग्य होना चाहिए कि वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं की सहायता से अपने व्यावसायिक ज्ञान तथा कौशल को बढ़ाएँ। व्यावसायिक, संस्थागत तथा पारिवारिक कारणों के चलते महिलाएँ इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पातीं। (बिष्ट, 2006)

बांग्लादेश में, शिक्षा में बारह महीने के प्रमाण-पत्र कार्यक्रम की सहायता से प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिकाओं की व्यावसायिक गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। इस कार्यक्रम का संचालन प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान करता है। कार्यरत अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण में एक इकाई जेंडर मुद्दों पर है जिसमें अध्यापिकाओं को अपने अनुभवों के आधार पर तथा शिक्षण की और अधिक समावेशी पद्धतियों की खोज करनी होती है। भारत के अनेक राज्यों में, सेवारत शिक्षकों के लिए विकेंद्रीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पुनःसमीक्षा तथा सुधार किया जाता है। उस स्थिति में प्रशिक्षण की और अधिक आवश्यकता है जहाँ दो तिहाई अध्यापिकाओं को अलग-अलग उम्र, अलग-अलग भाषा तथा अलग-अलग स्तर की कक्षाओं को देखना होता है (शुक्ल, 2004)। भूटान में यूनेस्को की 'एंब्रेसिंग डाइवर्सिटी — टूलकिट फ़ॉर क्रियेटिंग इनक्लूसिव लर्निंग-फ्रेंडली इन्वायरमेंट' को मौजूदा सेवा-पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों के मॉड्यूलों में समाहित किया गया है।

ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक जो विषय पढ़ाते हैं, उनमें उनकी पकड़ बढ़िया नहीं होती। कक्षा-आधारित शोध शिक्षार्थियों की भागीदारी तथा अध्ययन के लिए उपलब्ध वातावरण तथा अवसरों के बारे में शिक्षार्थियों को अच्छी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, भूटान में सेवा-पूर्व अध्यापक

© NCERT not to be republished

शिक्षा में एक्शन रिसर्च को शामिल करना विचारशील अभ्यास को प्रोत्साहित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है जहाँ शिक्षक शिक्षार्थियों पर अपने शिक्षण के प्रभाव की जाँच कर सकते हैं।

मालदीव में पाठ्यक्रम की समीक्षा का उद्देश्य विषय को और अधिक रुचिकर तथा प्रासंगिक बनाना है। इसकी परिकल्पना शिक्षकों को अपने पढ़ाने के तरीके को बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। निम्नलिखित हेतु उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है—

- मेटा-संज्ञानात्मक कौशल तथा समझ का विकास करने के लिए;
- समस्या सुलझाने की जगह समस्या की पहचान करना सिखाने तथा उसे सुलझाने में उनकी मदद करने के लिए;
- अध्ययन सामग्री को वर्तमान के संदर्भों से जोड़कर प्रस्तुत करने के लिए;
- अध्ययन की प्रक्रिया में माता-पिता तथा वृहद समाज को व्यापक भागीदारी के लिए प्रेरित करने के लिए;
- समूह कार्य को बढ़ाने के लिए; तथा
- प्रक्रिया-आधारित अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए।

विद्यालय से मिलने वाली प्रतिक्रिया काफी सार्थक रही है। उदाहरण के लिए यह दावा किया गया कि सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षार्थियों की रुचि बढ़ी है जिससे कक्षा में विचार-विमर्श का माहौल बना है। इससे शिक्षार्थियों के विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन मिला तथा शिक्षार्थी कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे।

2.6 शिक्षक – निर्णायक सेतु

यद्यपि दक्षिण एशिया के संपूर्ण भूभाग में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु इस वृद्धि की गति बढ़ते नामांकन की गति से मेल नहीं खाती जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक बड़ी-बड़ी कक्षाओं को नियंत्रित करने का संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को अतिरिक्त 1,67,000 शिक्षकों की आवश्यकता है (यूनेस्को, 2006)। शिक्षकों के अनुबंधों एवं सेवा शर्तों में धीरे-धीरे होने वाले क्षरण ने भी उनके उत्साह तथा मनोबल को गिराया है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षा को विशेष तौर पर कम महत्व दिया जाता है जबकि इस स्तर के शिक्षकों को जीवनपर्यंत शिक्षण के लिए नींव डालने का सबसे कठिन काम करना होता है। निम्न प्राथमिक स्तरों में शैक्षिक तथा वित्तीय निवेश की विशेष ज़रूरत है। (अबाज़ी, 2006)

इस भूभाग के सभी देश परंपरागत शिक्षक-केंद्रित कक्षाओं में आस्था बनाए हुए हैं जिसके तहत (कुछ देशों में तो पूर्व-प्राथमिक स्तर पर भी) शिक्षकों को परीक्षा लेने के लिए पढ़ाना है और शिक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इस पढ़ाए गए को रटना है। बाल-केंद्रित शिक्षा को यहाँ कठिन तथा अधिक समय लेने वाली माना जाता है। कुछ देशों ने अब नए तरह के हस्तक्षेपों पर सार्थक तरीके से सोचना शुरू किया है। इसमें से एक यह है कि शिक्षकों को उनके विषय में अधिक तथा बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ-साथ शिक्षण-अधिगम प्रविधि में भी प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला तथा शिक्षा की गुणवत्ता के वाहक हैं।

कक्षाओं में शैक्षणिक प्रक्रियाओं में बदलाव की ज़रूरत है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए ही ज़िम्मेदार नहीं हैं, उन्हें बच्चों को भी पढ़ाना होगा। शिक्षकों की भूमिका को देखना निर्णायक होगा कि उनका नज़रिया, व्यवहार और पद्धति क्या शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता को प्रभावी रूप से बढ़ा रही है या उसमें बाधा डाल रही है। ऐसी भीड़-भाड़ वाली कक्षाओं में जहाँ विद्यार्थियों के एक विशाल समूह में अध्यापन का एक नियम बन गया है, वहाँ शिक्षक सीखने की वैयक्तिक ज़रूरतों अथवा अवहेलना और उत्पीड़न के संकेतों को समझ नहीं पाते। ऐसी स्थितियों में जो बच्चे विकास नहीं कर पाते, उन पर असफल होने का आरोप चस्पा कर दिया जाता है। संभवत: आगे चलकर वे स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें पाठ्यक्रम प्रासंगिक न लग रहा हो या फिर अध्यापन की माध्यम भाषा को समझने में उन्हें कुछ समस्या हो। कक्षा दोहराव की बढ़ती दर तथा खराब अधिगम उपलब्धियों का सीधा संबंध इससे होता है कि शिक्षक बच्चों को क्या तथा कैसे पढ़ा रहे हैं।

लड़कियों अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के प्रति अन्याय, नकारात्मक भाषा का प्रयोग, शारीरिक दंड और उनके प्रति रूढ़िवादी विचार इन बच्चों के अध्ययन में बड़ी बाधाएँ खड़ी करते हैं। नेपाल में, शिक्षक नियमित रूप से बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे वर्ग, जाति और जेंडर के भेदभाव को बल मिलता है। अधिकतर गरीब तथा निम्न जाति के बच्चे ही इस भेदभाव का शिकार होते हैं और

© NCERT not to be republished

उन्हें इस बात से कोई लाभ नहीं मिलता कि उनके शिक्षक उच्च जाति से आते हैं। अगर हाशियाकरण की यह प्रवृत्ति कक्षाओं में भी चलती रहती है, तब अतीत में स्कूल छोड़ गए बच्चों का पुनःनामांकन एक अर्थहीन प्रक्रिया बनकर रह जाती है। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण में महत्व इस बात का हो कि शिक्षक किस प्रकार अधिगम के ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें सराहा जाए; जहाँ सभी लड़के और लड़कियाँ सुरक्षित महसूस कर सकें; जहाँ रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दी जाए; तथा जहाँ बच्चे विविधता का सम्मान करना सीख सकें।

नेपाल में एक अध्ययन के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गई है कि विज्ञान एवं तकनीकी अध्ययन में लड़कियों की पहुँच तथा उनका कितना योगदान है। इसके साथ ही, यहाँ जेंडर की दृष्टि से तथा कक्षा के भीतर की विभिन्न परिस्थितियों का पर्यवेक्षण कर पूरे पाठ्यक्रम की समीक्षा भी की गई है। इस अध्ययन से यह सामने आया है कि भागीदारी के मामले में जेंडर समानता में सतत बाधाएँ आ रही हैं। इनमें से कुछ बाधाएँ इस प्रकार हैं— शिक्षकों का जेंडर असंवेदी व्यवहार और बालिकाओं की योग्यता के विषय में रूढ़िवादी धारणा; लड़कों का अपनी साथी लड़कियों के प्रति जेंडर की दृष्टि से भेदभावपूर्ण व्यवहार; कक्षा में बैठने की जेंडर प्रतिकूल व्यवस्था; विज्ञान एवं तकनीकी अध्ययन की प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों में लड़कियों की अपेक्षाकृत कम पहुँच तथा लड़कियों के लिए करियर के कम विकल्प। (कोइराला तथा आचार्य, 2005)

भूटान में शिक्षकों का कहना है कि वे समावेशी अथवा भागीदारीपूर्ण शिक्षण-अधिगम पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है तथा उन पर पाठ्यक्रम पूरा करने का बहुत दबाव रहता है। सतत रचनात्मक मूल्यांकन तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रति नवीन दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान देने ने इसमें परिवर्तन की कोशिश की है। दोनों ही दृष्टिकोणों ने अधिगम की विभिन्न ज़रूरतों के प्रति और अधिक जवाबदेह होने में शिक्षकों की बहुत मदद की है। वहीं भारी-भरकम पाठ्यक्रम तथा स्मृति-आधारित परीक्षा व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। (हेजनेन, 2005)

एक ही कक्षा में अकसर लड़कियों और लड़कों के अलग तथा असमान अधिगम अनुभव होते हैं। संभवतः इसका कारण शिक्षकों द्वारा लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक अवसर देना अथवा विज्ञान तथा कंप्यूटर अध्ययन जैसे विषय लड़कों को तथा घरेलू विषय लड़कियों को देना है। लड़कियों को अकसर जबरन अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भेजा जाता है। इस तरह का व्यवहार भेदभावपूर्ण तथा रूढ़िवादी है। शिक्षकों को चाहिए कि वे इस बात का ठीक से प्रशिक्षण लें कि सभी शिक्षार्थियों को किस प्रकार एक समान प्रोत्साहित किया जाए।

लड़कों और लड़कियों के चिंतन तथा अधिगम की शैलियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। जो अध्यापक इन विभिन्नताओं को जानकर उनका समाधान कर सकते हैं, वे ही सभी विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से पढ़ा सकते हैं।

कक्षा प्रबंधन प्रभावशाली शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक है। दक्षिण एशिया में आमतौर पर देखा जाता है कि जहाँ बलपूर्वक अनुशासन, जिसमें शारीरिक सज़ा शामिल है, को समाप्त कर दिया गया है, वहाँ भी इसका अनुपालन और पर्यवेक्षण एक चुनौती बना हुआ है। बहुत से देशों में शारीरिक सज़ा का पूर्ण रूप जिसमें इसके शारीरिक तथा मानसिक आयाम भी आते हैं, को और बेहतर तरीके से समझे जाने की ज़रूरत है।

श्रीलंका में प्राथमिक विद्यालय विकास कार्यक्रम (पी.एस.डी.पी.) की शुरुआत स्कूली व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए की गई जिसमें सभी स्कूलों को एक साथ जुड़कर एक स्कूल परिवार बनाना होता है। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, माता-पिता तथा शिक्षार्थी मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते तथा उन्हें लागू करते हैं और इससे वे अधिक कुशल तथा प्रभावकारी बनते हैं। प्रत्येक स्कूल से चुने गए नेता भी संयोजन समिति के मंडल स्तर के सदस्य होते हैं जो कार्यक्रमों के लिए संसाधनों तक पहुँच में उनकी मदद करते हैं। 'स्कूल परिवार' द्वारा किए गए कुछ क्रियाकलाप इस प्रकार हैं—

- शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम
- पाठ्येतर गतिविधियों की व्यवस्था
- स्कूल परिवार आधारित सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम
- शिक्षार्थियों तथा कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा पर्यवेक्षण के साथ-साथ शिक्षकों तथा स्कूल की विकास संबंधी गतिविधियाँ भी आती हैं। स्कूल का दौरा साथी-समूह के सहयोग तथा अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा है कि वे हर वर्ष आस-पास के कम-से-कम दो स्कूलों का दौरा करें।

© NCERT not to be republished

हाल ही में, श्रीलंका में स्कूलों में होने वाली हिंसा के विश्लेषण का काम शुरू हुआ है। इसके लिए बच्चों, शिक्षकों, माता-पिता, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा आम जनता से उनके अनुभव एकत्र किए गए हैं। कई समर्थन अभियानों को सफलतापूर्वक चलाया गया है जिनमें अख़बारों में पोस्टरों के साथ बच्चों पर शारीरिक तथा अपमानजनक सज़ा के नकारात्मक प्रभावों को दिखाया गया है। इसके साथ ही, टेलीविज़न विज्ञापनों में शारीरिक दंड के स्थान पर अन्य विकल्प भी सुझाए गए हैं।

दक्षिण एशिया में स्कूलों में स्वीकृत हिंसा का स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा है। शिक्षकों को ऐसे अधिकृत व्यक्ति के रूप में रखा गया है जिनका कहा मानना अनिवार्य है तथा बच्चों से अपेक्षा है कि वे इस पर कोई प्रश्न न करें, बल्कि उनके अनुसार चलें और कार्य करें। कई बच्चे शिक्षकों द्वारा दिए गए दंड से डरते हैं। शिक्षा ऐसे वातावरण में नहीं फल-फूल सकती जहाँ बच्चे अपने शिक्षकों के डर के साये में जिएँ। शिक्षार्थियों को अकसर ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिए दंडित किया जाता है, जैसे – सुस्त होना, फटी हुई या गंदी वर्दी पहनकर आना अथवा किसी प्रश्न का जवाब न दे पाना। इस तरह का दंड बच्चों के आत्मसम्मान के लिए घातक है। संभव है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को अलग तरीके से दंडित किया जाता हो, किंतु दोनों के ही लिए दंड से कहीं अधिक बुरा असफलता तथा अपमान का एहसास है। बच्चे ऐसे शिक्षकों के व्यवहार से यह सीखते हैं कि किसी समस्या के निदान के लिए हिंसा स्वीकृत है। बच्चों से निपटने के लिए शारीरिक दंड का प्रयोग एक पेशेवर शिक्षक में अपेक्षित प्रभावशाली वैकल्पिक तकनीक की कमी की ओर संकेत करता है। शारीरिक दंड के विषय में बच्चों के अनुभव तथा उनके विचार धीरे-धीरे अब इस भूभाग में भी सुनायी देने लगे हैं।

स्कूली स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बदलाव की प्रक्रिया में शिक्षक केंद्रीय तत्व हैं और इसीलिए शिक्षकों के कौशल विकास तथा प्रोत्साहन में निवेश करने की आवश्यकता है। सभी देशों में, नौकरी से पूर्व दिए जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जा रहा है। कई देशों में प्रशिक्षण के अवसर बढ़ गए हैं, खासतौर पर ज़िला और तहसील स्तर पर, जिनमें हमारा देश भी शामिल है। इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं —

- शिक्षकों के प्रोत्साहन के स्तर को बढ़ाना;
- भूमिका निर्वहन, विचार-विमर्श, खेल तथा गतिविधियाँ, सत्रीय-कार्य एवं केस अध्ययन जैसी पद्धतियों का प्रयोग;
- बाल-केंद्रित कक्षा अभ्यासों के विषय में बेहतर समझ विकसित करना;
- सामग्री तथा विषय क्षेत्र को मज़बूत करना; तथा
- शिक्षण-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) को तैयार करना और उसका प्रयोग करना।

(क) जेंडर संवेदी पाठ्यक्रम का विकास

जेंडर संवेदी पाठ्यक्रम की परिकल्पना में ध्यान देने योग्य विकास हुआ है, किंतु ऐसी पाठ्यपुस्तकें जिनमें महिलाओं तथा पुरुषों को रूढ़िवादी काम करते हुए दिखाने के चित्र शामिल हैं, आज भी कई देशों में सामान्य तौर पर प्रयुक्त हो रही हैं। इन पुस्तकों में महिलाओं को माँ तथा पत्नी की ही भूमिका में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षक संभवतः लड़कियों को चाय बनाने, कप धोने तथा फ़र्श साफ़ करने के काम देते हैं, वहीं लड़कों को झाड़ियाँ साफ़ करने, घास काटने तथा भारी सामान उठाने का काम देकर इस जेंडर रूढ़िवाद को बरकरार रखे हुए हैं।

पूरे दक्षिण एशिया में, सभी देश पाठ्यक्रम की समीक्षा करने में जुटे हैं। अफगानिस्तान में, कम गुणवत्ता वाले तथा पुराने पड़ चुके पाठ्यक्रम, जिनमें जेंडरगत भूमिकाओं को दिखाया गया है, को बदलने की दिशा में काफी काम हो चुका है। भूटान में पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री की समीक्षा की प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को जोड़ लिया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम लेखकों में जेंडर संतुलित प्रतिनिधित्व हो तथा शिक्षक संदर्शिका में जेंडर संबंधी गतिविधियों का समावेश हो। श्रीलंका में, माध्यमिक स्कूल के पाठ्यक्रम की समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ कुछ शिक्षा प्रक्रियाएँ जेंडर रूढ़िवाद पर बल दे रही हैं जिससे असमानता को बढ़ावा मिलता है। माध्यमिक स्कूल के जीवन कौशल के प्रथम दो वर्षों के समान पाठ्यक्रम में लड़कियों को गृह विज्ञान तथा लड़कों को लकड़ी तथा धातु संबंधी काम से जोड़ा जाता है। इन्हें चुनौती देने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। हालाँकि श्रीलंका में अन्य सुधार; स्कूल आधारित परियोजनाओं तथा शांति शिक्षा, लोकतांत्रिक सिद्धांत, मानवाधिकार एवं पर्यावरण सुरक्षा को भी अपने में शामिल करने वाले एक वृहत्तर समाज विज्ञान पर बल देते हैं। नेपाल में, एक ए.डी.बी. ऋण ने जेंडर और सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशील पाठ्यक्रम के विकास में सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा अध्यापन के लिए प्रयोग की

© NCERT not to be republished

जाने वाली पुस्तकों में लड़कियों को सकारात्मक भूमिकाओं में दिखाने का जागरूक प्रयास किया गया है। इसके तहत इतिहास की प्रसिद्ध महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, उदाहरणस्वरूप वे महिलाएँ जिन्होंने अपने राज्य के लिए संघर्ष किया तथा वे महिलाएँ जो अपनी शैक्षिक उपलब्धियों तथा समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थीं। इनमें लड़कियों की शिक्षा तथा अवसरों की समानता को व्यक्त करने का स्पष्ट संदेश दिया गया है।

दुर्भाग्य से, आदर्श तथा असाधारण नायकत्व वाले चरित्रों में महिलाओं को सकारात्मक भूमिका में दिखाने की प्रवृत्ति बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पायी है। इसके अतिरिक्त जेंडर रूढ़िवाद तथा असमानता की भावना वर्णन में अंतर्निहित रहती है। महिलाएँ मुख्यतः मातृ संबंधी भूमिकाओं में रहती हैं, वहीं पुरुष निर्णायक तथा संरक्षक की भूमिका में दिखाए जाते हैं। (स्रोत– ऑक्सफ़ेम, 2005)

पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संबंधित सामग्री में लड़कियों एवं महिलाओं को गैर-परंपरागत भूमिकाओं में प्रस्तुत करना होगा तथा मुख्यधारा से बाहर के समूहों को भी दिखाना होगा। साथ ही ऐसे शहरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले कथनों से बचना चाहिए जो ग्रामीण बच्चों को विदेशी अथवा अजनबी प्रतीत हों। ऐसे परिवर्तन बच्चों के प्रेरणा स्तर में सुधार लाते हैं तथा उनमें यह भावना पैदा करते हैं कि स्कूल उनके लिए प्रासंगिक है। बच्चों के जीवन तथा उनकी अधिगम प्रक्रिया से जोड़ने की दिशा में पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करने से बेहतर गुणवत्ता की स्कूली शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसका लाभ विशेषकर लड़कियों तथा सुविधाहीन शिक्षार्थियों को मिलता है।

यद्यपि, इस बात पर भी बल दिए जाने की आवश्यकता है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार को केवल नया पाठ्यक्रम विकसित करके समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह भी जानना होगा कि विविधता के गहरे पैठे अधिकांशतः नकारात्मक नज़रिये को बदलने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक स्तर पर तथा हर विषय क्षेत्र में, पाठ्यपुस्तकें गैर-भेदभावपूर्ण सिद्धांत तथा रवैये एवं जेंडर समानता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन का काम कर सकती हैं। ये पुस्तकें सतत विकास, जेंडर हिंसा से बचने तथा उसका प्रतिकार करके उसे एच.आई.वी./एड्स से बचने संबंधी शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साधनों की तरह कार्य कर सकती हैं। इन विषयों तथा सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त प्रासंगिक कौशल की शिक्षा देने के लिए पाठ्यपुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री लड़कियों तथा लड़कों दोनों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण घटक का कार्य करती हैं।

भारत में लॉरेटो स्कूलों ने अपने लिए खास पाठ्यक्रम की परिकल्पना की है जो तब तक जारी रहते हैं, जब तक शिक्षार्थी दसवीं तथा बारहवीं की राज्य परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो जाते। यह पाठ्यक्रम इस दृष्टि से एक समर्थ पाठ्यक्रम है कि यह यथा स्थिति को चुनौती देता है। शिक्षार्थी आदर्श चरित्रों तथा अध्ययन सामग्री के माध्यम से महिलाओं की यथासंभव भूमिकाओं के बारे में सकारात्मक संदेश प्राप्त करते हैं। जीवन में महिलाओं की भूमिका के विषय में तीव्र गैर-परंपरागत संदेश तथा छवियाँ दिखाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। (जैसा कि नैतिक शिक्षा की पुस्तकों में देखा जा सकता है)। *वी आर द वर्ल्ड* पुस्तक में महिलाओं को शल्य चिकित्सक, निर्माण स्थल अभियंता, वैज्ञानिक आदि दिखाया गया है। (ऐकमन तथा अंटरहाल्टर, 2005)

(i) शिक्षण की भाषा

बहुत से देशों में, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण की भाषा राष्ट्रीय अथवा कोई क्षेत्रीय भाषा है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों की अलग-अलग मातृभाषाएँ हैं। घर में बोली जाने वाली तथा स्कूल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में तालमेल न होने के कारण कई नकारात्मक परिणाम देखे गए हैं, जैसे कक्षा दोहराना तथा स्कूल छोड़ना आदि। इसका दुष्प्रभाव लड़कों की तुलना में लड़कियों पर ज़्यादा दिखायी देता है, क्योंकि उनकी सीमा अधिकतर घर तथा परिवार तक रहती है जहाँ स्थानीय भाषा बोली जाती है।

अधिगम की ऐसी परिस्थितियों में अवसर की असमानता देखी जाती है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल की भाषा बोल सकते हैं, उनकी सीखने की प्रक्रिया पहले दिन से शुरू हो जाती है, जबकि अन्य बच्चों को पहले स्कूल की अजनबी भाषा सीखनी पड़ती है जो उनके लिए अजनबी होती है।

वे बच्चे जो अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं या जो कक्षा में भाग नहीं ले पा रहे हैं, वे आगे चलकर स्कूल छोड़ देते हैं। वे शिक्षार्थी जो पाठ्यपुस्तकें तथा कॉपी नहीं खरीद सकते हैं तथा वे, जिन्हें अपनी पढ़ाई की कोई प्रासंगिकता समझ नहीं आती है, संभवतः वे भी स्कूल छोड़ देते हैं।

© NCERT not to be republished

गैर-भेदभावपूर्ण रवैया तथा सबकी भागीदारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्वपूर्ण आयाम हैं। अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों में बच्चों का सहभागिता का अधिकार एक तरह से आज भी विवादास्पद बना हुआ है। शिक्षा प्रक्रिया को और अधिक संवादात्मक बनाकर शिक्षा का प्रसार इन स्थितियों में सुधार की अगुआई कर सकता है। सीखने का वातावरण ऐसा हो कि बच्चे खुलकर भाग लेने के लिए तथा अपने अस्तित्व के साथ और अपनी आस्थाओं के प्रति आश्वस्त होकर अपनी राय, सोच तथा विचार साझा कर सकें।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चों — चाहे वे लड़के हों या लड़कियाँ — को प्रभावित करने वाली नीतियों तथा व्यवहार में उनकी भी भूमिका हो। इससे तात्पर्य यह है कि शिक्षार्थी जो कह रहे हैं, वयस्क उसे ध्यानपूर्वक सुनें। अवसर मिलने पर बच्चों ने यह साबित किया है कि उनकी आवाज़ परिवर्तन की दिशा में सही शक्ति हो सकती है। इसके उदाहरण पूरे क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में शरणार्थी बच्चों ने स्कूल के लिए सफल अभियान चलाया, वहीं श्रीलंका में विद्यार्थी समिति बनवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बच्चों को प्रभावित करने वाले मसलों में उन्हें राय देने के अधिकार से मानकों, आचरण तथा समावेश की नीति में सुधार आता है। वहीं यह भी समझने में मदद मिलती है कि सामाजिक तथा भावनात्मक अधिगम उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना अकादमिक अधिगम। यह आवश्यक है कि बच्चे सामाजिक न्याय, मानवाधिकार तथा सतत विकास जैसे मुद्दों के बारे में ज्ञान तथा समझ विकसित करें, इसलिए शिक्षा को लोकतांत्रिक तथा न्यायपूर्ण समाज का आधार तैयार करना चाहिए।

ऐसी शिक्षण रणनीतियाँ जिनमें शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है, उन प्रक्रियाओं से ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं जो शिक्षार्थियों को निष्क्रिय भूमिकाओं तक सीमित रखती हैं। किंतु ये अधिक समय तथा वर्तमान पाठ्यक्रम व परीक्षाओं के विवेचनात्मक पुनर्चिंतन की माँग करती हैं। तथापि, गहन शोध ये बताते हैं कि अधिक संवादात्मक शिक्षण-अधिगम दृष्टिकोण तथा समस्या निरूपण एवं विवेचनात्मक चिंतन कौशल के विकास के परिणाम भी अधिक टिकाऊ तथा उच्च गुणवत्ता के अधिगम के रूप मे सामने आते हैं।

नेपाल की एक गैर-सरकारी संस्था स्टूडेंट पार्टनरशिप वर्ल्डवाइड (Student Partnership Worldwide, SPW) बच्चों की शिक्षा से संबंधित निर्णय प्रक्रिया मे उनकी भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। एस.पी.डब्ल्यू. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा शिक्षा में जेंडर समानता के मुद्दों पर गाँव, ज़िला तथा क्षेत्र के स्तर पर विचार के लिए परामर्श सत्र आयोजित करने में मदद करती है जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर छात्र/छात्राओं के चयनित प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर के मंच पर इन संस्तुतियों को कला, नाटक तथा नृत्य आदि विभिन्न माध्यमों से ले जाते हैं। एस.पी.डब्ल्यू. युवा नेपाली स्नातकों को एकजुट कर उन्हें ग्रामीण स्कूलों में स्वयंसेवी सहायक शिक्षक तथा युवा उन्मेषक निर्माता बनने के लिए प्रेरित करता है। इन स्वयंसेवियों में से आधी संख्या महिलाओं की होती है जो युवा ग्रामीण लड़कियों के लिए आदर्श हो सकती हैं तथा लड़कियों को स्कूल में रुकने के लिए प्रोत्साहित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। (यूनिसेफ़, 2005)

बांग्लादेश में, 'सभी के लिए ज़िला स्तर पर गहन शिक्षा' (Intensive District Education for All, IDEAL) पी.ई.डी.पी. का महत्वपूर्ण घटक रहा है। इसका मुख्य फ़ोकस शिक्षण की गुणवत्ता, स्कूल के वातावरण, बच्चों की अधिगम उपलब्धियों में सुधार तथा स्कूलों का विकेंद्रीकरण कर प्राथमिक शिक्षा की प्रभाविता को बढ़ाने पर है। आई.डी.ई.ए.एल. के मुख्य उद्देश्य में स्थानीय स्तर की योजना तथा प्रबंधन को स्थापित तथा मज़बूत करना, कक्षागत अध्ययन तथा अध्यापन पद्धति में सुधार, जेंडर असमानता को कम करना तथा सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना आदि शामिल थे। यह परियोजना पहले एक ज़िले में शुरू हुई और फिर अन्य ज़िलों में इसका विकास हुआ। नवाचारी सिद्धांत पर आधारित 'शिक्षण-अधिगम के बहुविध तरीके' (Multiple Ways of Teaching-Learning, MWTL) नामक नए शिक्षण दृष्टिकोण को शिक्षण को और अधिक बाल-केंद्रित, सहभागितापूर्ण तथा आनंददायक बनाने हेतु प्रभावशाली रूप से अपनाया तथा लागू किया गया है। सीखे गए पाठों से यह पता चलता है कि आई.डी.ई.ए.एल. ने शिक्षार्थियों की अधिगम उपलब्धियों में निश्चित रूप से वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय प्रबंधन समितियाँ भी विद्यालय को सुधारने तथा सहयोग में और अधिक सक्रिय हुई हैं। (ऐकमन और अंटरहॉल्टर, 2005)

© NCERT not to be republished

(ii) पाठ्यक्रम

दक्षिण एशिया के बहुत से देशों में अच्छे पाठ्यक्रम के एक आधारभूत घटक के रूप में समानता लगभग अनुपस्थित है। शिक्षण-अधिगम सामग्री, मूल्यांकन तथा निर्धारण प्रक्रिया के साथ-साथ भाषा नीति आदि पाठ्यक्रम के घटक हैं और सबके जेंडर संबंधी आयाम हैं जो या तो समानता के लिए चुनौती या उसे मज़बूती देते हैं। ठीक इसी तरह, पाठ्यक्रम जाति, वर्ग, धर्म तथा जातीय पहचान और विभेदीकरण के विषय में विचार निर्मित करते हैं। हमारे देश में अब पाठ्यक्रम नीतियाँ शिक्षार्थियों में विवेचनात्मक आत्म-जागरूकता के महत्व पर बल दे रही हैं तथा इस ओर संकेत कर रही हैं कि अध्ययन सामग्री में समानता के मुद्दों से संबंधित होने की क्षमता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम का विश्लेषण उसकी गुणवत्ता तथा समानता के मुद्दों के विषय में जानने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। यह इस संदर्भ में प्रश्न पूछने के महत्व पर प्रकाश डालता है कि लड़कियों तथा पूर्व में बहिष्कृत शिक्षार्थियों को उनके अपने विषय में क्या पढ़ाया जा रहा है। क्या वे इसमें प्रभावशाली रूप से भाग ले पा रहे हैं और लड़कियों तथा अन्य शिक्षार्थियों को मिलने वाली शिक्षा से उनकी स्थिति सुधर रही है या बिगड़ रही है।

कुछ पाठ्यक्रमों के लक्ष्य स्पष्टतया जेंडरगत भेदभाव करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ देशों में लड़कियों को हस्तचालित कलाओं, तकनीकी विषयों अथवा उच्चतर गणित में प्रवेश नहीं दिया जाता। अगर वे किसी तरह प्रवेश पा भी जाती हैं तो पाठ्यपुस्तकें तथा अध्यापन अधिकांशतः लड़कों की ओर ही उन्मुख होता है। यद्यपि, शोध बताते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियाँ भी इन विषयों में योग्य हैं। इसलिए विद्यालय तथा शिक्षकों को चाहिए कि वे अध्ययन का ऐसा वातावरण निर्मित करें कि बच्चों का सीखने का अधिकार उनके लिंग से प्रभावित न हो। संभव है कि लड़कियों को सब्ज़ी के बगीचों अथवा परंपरागत नृत्यों को सीखने की ज़रूरत हो, किंतु यदि ये केवल लड़कियों को ही पढ़ाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जेंडरगत रूढ़ियाँ तथा बाधाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे विषय लड़कों के लिए भी खुले होने चाहिए, क्योंकि उन्हें भी घरेलू कौशल सीखने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर लड़कियों को तकनीकी, मशीनी तथा गणितीय कौशल सीखने की ज़रूरत हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति (International Rescue Committee, IRC) ने अफगानिस्तान के समुदायों से उनकी सहमति लेने के लिए बातचीत की है कि वे बड़ी उम्र की लड़कियों को नज़दीकी गाँव के माध्यमिक विद्यालय तक परिवहन की सामुदायिक व्यवस्था, एकल स्तरीय समूहों में अलग समय पर अध्यापन तथा गाँव में घर पर ही शिक्षण की व्यवस्था करके उन्हें अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के लिए अनुमति दें। ज़रूरी अकादमिक विषयों में घरेलू अध्ययन तथा स्वास्थ्य देखभाल को शामिल करने की समुदाय की सलाह प्रचलित जेंडर भूमिकाओं की याद तो दिलाती है, किंतु साथ ही अच्छे अनुभव-अभ्यासों से परिचित करवाने का अवसर भी देती है। इस प्रकार यह महिलाओं की व्यावहारिक जेंडर ज़रूरतों की पूर्ति करती है। समुदाय संचालित प्रासंगिकता की अवधारणा लड़कियों की शिक्षा के लिए एक और अवसर को भी सुनिश्चित करती है। आई.आर.सी. के अनुभव के अनुसार, स्थानीय संदर्भों के हिसाब से जीवन और आजीविका संबंधी कौशल शामिल करना ही इसका मुख्य ध्येय है (स्रोत — विश्व बैंक, 2005)।

दक्षिण एशिया में पाठ्यक्रम परिकल्पना पुरुष संचालित प्रक्रिया मानी जाती है। उदाहरण के लिए, नेपाल में अधिकांश पाठ लेखक पुरुष हैं जिनमें शिक्षा संबंधी जेंडर मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता लगभग न के बराबर है। इस काल में निर्मित सामग्री में पुरुषों को कमाऊ, डॉक्टर, प्रधानाध्यापक और वैज्ञानिक तथा महिलाओं को नर्स, अध्यापिका, माँ तथा भोजन परोसने वाली के रूप में दिखाया गया है। पाठ्यक्रम निर्माताओं तथा समीक्षकों के लिए अपेक्षित है कि वे यह समझ विकसित करें कि शिक्षार्थी तथा शिक्षक विभिन्न प्रकार की सामग्री को किस प्रकार देखें। पाठ्यक्रम निर्माताओं तथा शिक्षकों के बीच एक सेतु विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि वे एक-दूसरे से राय-मशविरा कर सकें और पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध करा सकें जिससे वे कक्षा में हो रहे अध्यापन की समीक्षा कर सकें।

कार्यक्रमों को अधिकतर क्षमता आधारित तथा कौशल आधारित बनाकर पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रमों को सुधारा जा रहा है।

बांग्लादेश में, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बोर्ड (एन.सी.टी.बी.) ने 53 सत्रांत क्षमताओं की पहचान की है। इस क्षेत्र के सभी देश ग्रामीण क्षेत्रों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों

© NCERT not to be republished

के लिए पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बहुभाषीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए नेपाल ने नयी भाषा नीति बनायी है जिसमें बच्चों को उनकी मातृभाषा में सीखने के अधिकार पर बल दिया गया है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मूल्यों को शामिल करने की योजना भी बनायी जा रही है। पाकिस्तान का लक्ष्य पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य सामग्री से शहरी-ग्रामीण तथा जेंडर विभेदीकरण को हटाते हुए पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी केंद्रित बनाना है।

हमारे देश ने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के पुनर्नवीकरण में काफ़ी समय तथा धन खर्च किया है। इसका लक्ष्य इसे व्यापक बनाने के साथ पाठ्यपुस्तकों को और अधिक प्रासंगिक, रोचक तथा बच्चों के अनुकूल बनाना है। नीचे दिए गए तीन सोपान सामग्री निर्माण की प्रक्रिया को वर्णित करते हैं —

- ऐसा सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक, क्षेत्र में काम करने वाले (फ़ील्ड स्टाफ़) तथा विशेषज्ञ मिलकर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करें।
- पाठ्यपुस्तक निर्माता दूसरे राज्यों तथा एन.जी.ओ. के कार्यक्रमों में अपनायी जाने वाली अच्छी कार्यप्रणालियों से परिचित हों।
- बड़े पैमाने पर नयी सामग्री को प्रस्तुत करने से पहले बेहतरी के लिए उसका क्षेत्र परीक्षण तथा व्यवस्थित प्रतिक्रियाएँ प्राप्त कर ली जाएँ। परिणामस्वरूप, प्राथमिक स्तर की नयी पुस्तकें पुरानी पुस्तकों से अनिवार्य रूप से अलग होंगी। (स्रोत — झा, 2004)

(iii) आकलन

शिक्षा व्यवस्था में उपलब्धियों को परीक्षण तथा प्राप्तांक से निर्धारित परिणामों से मापा जाता है। इसमें सामान्यतः परीक्षण के मानकीकृत तरीके तथा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएँ आती हैं। यद्यपि, इन परीक्षणों तथा शैक्षिक परिणाम मानदंडों पर बहुत अधिक भरोसा करने की भी अपनी सीमाएँ हैं, क्योंकि ये परिणाम यह नहीं बता पाते कि बच्चों ने जो सीखा, वह उनके काम का है भी या नहीं। शिक्षा की दक्षता तथा प्रभाविता को जानने के लिए कक्षा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उपलब्धि से है। जिस तरह यह जानना ज़रूरी है कि अध्ययन और अध्यापन से बच्चों — लड़के और लड़कियों — ने क्या सीखा, उसी तरह यह भी जानना ज़रूरी है कि मूल्यांकन से उन्होंने क्या सीखा। उदाहरण के लिए, माना जाता है कि लड़कियाँ सहयोगपूर्ण तथा सहभागितापूर्ण अध्यापन कला से ज़्यादा बेहतर सीखती हैं। शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सुधार में मूल्यांकन एक सशक्त उपकरण हो सकता है, यदि इसका प्रयोग खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थियों को छाँटने के बजाय अधिगम को और बेहतर बनाने के लिए किया जाए।

मूल्यांकन के जिस प्रकार ने दक्षिण एशिया के सभी स्कूलों को काबू में कर रखा है, वह है योगात्मक मूल्यांकन। इसे अधिकांशतः विषय अथवा इकाई के अंत में परीक्षा या अंक देने के अन्य श्रेणीकृत माध्यमों से किया जाता है। इसके परिणाम का महत्व होता है तथा इसे परिणाम-पत्र पर दर्शाया जाता है, पर सामान्यतः इसे श्रेणी अथवा अंक से थोड़ा ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन अपने आप में अधिगम को बढ़ाने के लिए एक अपर्याप्त उपकरण है, क्योंकि शिक्षण के अंत तक यह जानने के लिए इंतज़ार करना कि बच्चों ने क्या सीखा, काफ़ी समय ले लेता है।

मूल्यांकन के लिए परिणामों पर ध्यान देने के साथ-साथ उन अनुभवों पर भी ध्यान देना आवश्यक है जिससे ये परिणाम प्राप्त हुए हों। परिणाम महत्वपूर्ण हैं, किंतु परिणामों के साथ यह भी जानना ज़रूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों ने — पाठ्यक्रम, शिक्षण के अपने उन प्रयासों से, जो उन्होंने परिणाम को हासिल करने के लिए किए — क्या अनुभव किया। मूल्यांकन हमें यह जानने में मदद कर सकता है कि किन परिस्थितियों में बच्चे ने क्या बेहतरीन सीखा तथा किस ज्ञान की सहायता से उसका अधिगम और बेहतर हो सकता है।

प्रामाणिक तथा रचनात्मक मूल्यांकन की वैकल्पिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों की आवश्यकता है। ये हमें यह जानने मे समर्थ बनाती हैं कि स्कूल किस प्रकार शिक्षार्थियों की अधिगम प्रक्रिया तथा विकास में सहायता कर रहा है। खासतौर पर बालिकाओं तथा सामाजिक रूप से पिछड़े शिक्षार्थियों के संबंध में इससे यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार स्कूल शिक्षकों को परिणाम मानकों के स्थान पर प्रदर्शन सूचकों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। भूटान में, शिक्षकों को एक रणनीति के तहत सतत रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे पर्यवेक्षण तकनीकों, अधिगम, पोर्टफ़ोलियो समीक्षा तथा प्रतिक्रिया की सहायता से शिक्षार्थियों के अधिगम पर नज़र रख सकें और उन्हें सहयोग दे सकें।

© NCERT not to be republished

रचनात्मक मूल्यांकन दैनिक अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया में रचा-बसा है तथा इसका प्रयोग शिक्षार्थी के अधिगम में सहयोग के लिए निर्देशन हेतु होता है। यह व्यक्तिपरक, अनौपचारिक, आसन्न तथा उन परिस्थितियों में शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर आधारित होता है जिनमें वे निपुणता से प्रदर्शन कर सकें। हालाँकि शिक्षकों द्वारा अपनाए गए रचनात्मक मूल्यांकन में खराब प्रश्नों, लघु उत्तरीय प्रश्नों के हावी होने, बेहतर प्रदर्शन के स्थान पर दोहराव और सार्वजनिक परीक्षा की अत्यधिक माँग से प्रभावित होने के कारण उनके प्रदर्शन में कमी रह जाती है। इसलिए, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा सामग्री में सुधार की आवश्यकता है।

बच्चे ठीक से अध्ययन कर पा रहे हैं या नहीं, इसे शिक्षक अधिगम तथा प्रयोग की जाने वाली पद्धतियों से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार, बेहतर अधिगम में अपेक्षित परिवर्तन हेतु इन प्रक्रियाओं में सुधार करना होगा। गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक विश्वसनीय संकेतक यह होगा कि कक्षाओं में होने वाली गतिविधियों में क्या परिवर्तन हो रहा है। अत: संकुचित रूप से परिभाषित परिणामों की अपेक्षा होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(ख) विद्यालय-समुदाय सहभागिताएँ

बच्चों, विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा में समाज तथा माता-पिता की सहभागिता को उन्हें विद्यालय भेजने तथा वहाँ रहने की दिशा में एक कारगर स्थिति के रूप में देखा गया है। विद्यालय तथा समाज के बीच सकारात्मक संवाद हेतु प्रोत्साहित करना किसी भी विद्यालय के सुधारीकरण की प्रक्रिया की सफलता हेतु अनिवार्य तत्व है (यूनिसेफ़, 2004)। अफगानिस्तान तथा भूटान में नज़दीकी तथा सुरक्षित विद्यालयों का प्रावधान, जैसे सामुदायिक अथवा घरों में स्थित विद्यालय, इन विद्यालयों के संचालन में समुदाय तथा माता-पिता की भूमिका को स्वीकार करता है। ये विद्यालय समय, स्थान तथा पाठ्यक्रम में छूट देकर, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये माता-पिता की घरेलू माँगों, सुरक्षा की चिंता तथा अन्य प्रासंगिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम करते हैं।

यद्यपि, अलग-अलग देशों में अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, किंतु शोध ये दिखाते हैं कि माता-पिता तथा समुदाय की भागीदारी से न केवल विद्यालय प्रभाविता तथा प्रदर्शन के प्रति ज़िम्मेदार हो जाते हैं, अपितु शिक्षार्थियों की सफलता भी लगभग सुनिश्चित हो जाती है। (लुइस तथा लॉकहीड, 2006)

दक्षित एशिया के बहुत से देशों में समुदायों को एकजुट करने का काम ग्राम शिक्षा समिति तथा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से माता-पिता एवं समुदायों को विद्यालय की संचालन व्यवस्था से जोड़ा जाता है तथा माता-पिता को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बच्चों को घर में सहयोगपूर्ण वातावरण दें, ताकि वे पढ़ सकें। ऐसी सामुदायिक सहभागिता माता-पिता को यह भी विश्वास दिलाती है कि उनके बच्चे, खासकर लड़कियाँ विद्यालय में सुरक्षित हैं।

सामुदायिक शिक्षा समिति की भूमिका भिन्न-भिन्न स्थानों पर बदलती रहती है, किंतु इसमें विद्यालय के कैलेंडर की योजना, शिक्षार्थियों तथा शिक्षकों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड बनाना, गुणवत्ता नियंत्रण तथा विद्यालय की मरम्मत आदि को शामिल किया जा सकता है। सामान्यतः सामुदायिक भागीदारी बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि विकसित करने तथा बच्चों की विद्यालयी गतिविधियों में उनका सहयोग करने में मदद करती है।

केयर (CARE) द्वारा गठित समुदाय संयोजित प्राथमिक शिक्षा 'कोप' (Community Organised Primary Education, COPE) दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में अपर्याप्त सुविधा क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण, समुदाय संचालित शिक्षा के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जैसे – नेपाल तथा अफगानिस्तान में कोप (COPE) विद्यालय ग्रामीण शिक्षा समिति द्वारा चलाए जाते हैं जिनकी राजकीय विद्यालयों की तुलना में उत्तरजीविता दर उच्च तथा स्कूल छोड़ने की दर निम्न है। इनमें सरकारी पाठ्यक्रम तथा औपचारिक परीक्षा योजना का प्रयोग किया जाता है, साथ ही कोप (COPE) शिक्षकों को नियमित रूप से नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण तथा स्कूल की ओर से अपेक्षित सहयोग मिलता है। कोप (COPE) का टी.एल.एम. (TLM) पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं तथा लेखन सामग्री में उपयुक्त निवेश एक बेहतर अधिगम वातावरण बनाने में सहयोग करता है, जो सीखने के लिहाज से लाभदायक है। इसके अतिरिक्त, सतत मूल्यांकन, शिक्षार्थी-शिक्षक के संपर्क समय का उच्च स्तर और इन विद्यालयों के सकारात्मक अधिगम वातावरण ने लगातार बेहतर परीक्षा परिणामों को हासिल करने में सहयोग किया है। कोप विद्यालयों का पाँच मानदंडों के आधार पर निर्माण किया गया है —

© NCERT not to be republished

1. लक्षित समुदाय प्राथमिक शिक्षा में निश्चित रूप से अपनी तीव्र रुचि दिखाएँ;
2. तीन किलोमीटर के क्षेत्र में कोई अन्य क्रियाशील प्राथमिक विद्यालय न हो;
3. समुदाय योग्य शिक्षार्थियों की एक सूची प्रस्तुत करे जिसमें 30 प्रतिशत संख्या लड़कियों की हो;
4. समुदाय विद्यालय के लिए स्थान प्रदान करे; और
5. समुदाय ग्रामीण शिक्षा समिति बनाने, शिक्षकों का चयन तथा उसे वेतन देने के लिए तैयार हों। कोप (COPE) कार्यक्रम की सफलता के कई कारणों में से एक धार्मिक विषयों में समुदाय की रुचि का खयाल रखना भी है। समुदाय सदस्य तथा स्थानीय अधिकारी कोप (COPE) के शिक्षार्थियों द्वारा धार्मिक विषयों के ज्ञान के प्रदर्शन से खुश होते हैं। यह चिंतन के विद्यमान तरीकों पर योजनाएँ निर्मित करने के गहन महत्व को उजागर करता है, क्योंकि स्थानीय लोग ही एक साथ इसके महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकते हैं जिनकी सहायता से परिवर्तन को परिभाषित एवं आकार दिया जा सकता है। (स्रोत — USAID, 2006b)

समुदाय आधारित शिक्षा प्रबंधन सूचना व्यवस्था (C-EMIS) का श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा नेपाल में क्रियान्वयन किया गया है। आँकड़े विद्यालय स्तर पर इकट्ठे न किए जाकर समुदाय के स्तर पर इकट्ठे किए गए हैं तथा आँकड़े इकट्ठा करने के समय ही समुदाय-विद्यालय सहभागिता के माध्यम से विद्यालय की बेहतरी के लिए उनका विश्लेषण तथा प्रयोग किया गया है। ये परियोजनाएँ सरकार तथा गैर-सरकारी संस्थाओं की आपसी साझेदारी से विकसित की गई हैं जिसे 'सेव दि चिल्ड्रेन' (Save the Children) का सहयोग प्राप्त है। इसका लक्ष्य स्थानीय स्तर पर शिक्षा के स्वामित्व को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों को सामने लाना तथा एक शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है, जो विभिन्न स्तरों पर बहिष्करण के कारणों का पता लगाए तथा उन कारणों का विश्लेषण करे और एक समावेशी बाल-अनुकूल अधिगम वातावरण में गुणवत्ता के परिणामों से इसे जोड़े।

पूरे दक्षिण एशिया मे C-EMIS का उदय तथा सफलता इस बात की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रतिफलन है कि यदि विद्यालयों में सुधार लाना है तथा स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों के प्रति और जवाबदेह होना है तो उन्हें मूल्यांकन तथा अपनी स्वयं की शैक्षिक समस्याओं से जूझने के लिए वृहत स्वायत्तता देनी होगी। शिक्षक तथा समुदायों के बीच परस्पर मज़बूत सहभागिता बनाने के लिए तथा बच्चों की स्कूल तक पहुँच तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों की बेहतर समझ प्राप्त करने की ज़रूरत इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

C-EMIS आँकड़ों का कार्य राष्ट्रीय स्तर के EMIS आँकड़ों की सहायता करना है। इसका परिणाम है परिष्कृत गुणवत्ता आँकड़ा तथा स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर की योजना तथा निर्णय क्षमता। माता-पिता, शिक्षक, समुदाय के स्वयंसेवी तथा बच्चे स्थानीय स्तर पर सूचना एकत्र करते हैं। C-EMIS की खास विशेषता स्कूल में शिक्षण प्रणाली तथा बच्चों की अधिगम उपलब्धियों के आँकड़ों तथा सूचकों का समावेश करना है। (स्रोत — हेजनेन, 2003)

इस संदर्भ में, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली लड़कियाँ कई स्तरों पर सुविधाहीन होती हैं और जब स्कूल उनसे ऐसे भाषायी संसाधनों की अपेक्षा करता है जो उनके आस-पास के माहौल में नहीं है तो उनका स्कूल जाना बेहद सीमित हो जाता है।

वे बच्चे जिनका एकाधिक भाषा सीखना अनिवार्य है, उनकी संज्ञानात्मक ज़रूरतें महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक की प्रभाविता संभवतः शिक्षार्थियों की भाषा पर पकड़ न होने से गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। स्कूलों में भाषायी क्षमता में वैभिन्य अकसर शिक्षकों द्वारा अनदेखा रह जाता है, खासतौर पर वहाँ, जहाँ बच्चों को बोलने के अवसर कम मिलते हैं तथा लड़कियों से लड़कों के बराबर प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती।

जहाँ बच्चे शिक्षण की माध्यम भाषा नहीं बोलते, वहाँ आवश्यक है कि इस दूरी को पाटने के लिए उनकी विशेष प्रतिक्रिया ली जाए। जहाँ श्रीलंका ने माध्यम भाषा तमिल तथा सिंहली रखी है, वहीं भारत और नेपाल ने प्राथमिक स्तर तक मातृभाषाओं को माध्यम भाषा बनाकर एक नयी राह बनायी है।

प्रभावशाली द्विभाषी शिक्षा की शुरुआत मातृभाषा में पढ़ने, लिखने तथा सोचने के कौशल से होती है। साथ ही, लक्ष्य भाषा को दूसरी भाषा के रूप मे पढ़ाया जा सकता है। द्विभाषी शिक्षा की कमी यह है कि यदि कार्यक्रम ठीक से विकसित तथा क्रियान्वित नहीं हुआ है तो बच्चे आगे बढ़ने के अवसरों की सीमाओं के चलते भाषा पर ठीक से पकड़ नहीं बना पाते।

© NCERT not to be republished

बांग्लादेश में जातीय तथा भाषायी अल्पसंख्यक समाज के बच्चे मुख्यधारा शिक्षा की कमियों के शिकार हैं, जो उनकी भाषा तथा संस्कृति को महत्व नहीं देती। उनकी समस्याओं को चार क्षेत्रों मे बाँटकर देखा जा सकता है —

1. **कम पहुँच** – बांग्ला भाषा ठीक से न आने के चलते शिक्षकों द्वारा किए गए भेदभाव, स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से न तैयार किए गए विद्यालय के गैर-लचीले कैलेंडर तथा आदिवासी समुदायों में विद्यालयों की कमी से यह उत्पन्न होती है।
2. **खराब गुणवत्ता** – यह इसलिए उत्पन्न होती है, क्योंकि आदिवासियों के अध्ययन की ज़रूरतों को नहीं समझा जाता। शिक्षकों को नियुक्त करते समय उनके तथा शिक्षार्थियों की जातीयता को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों को कम सरकारी सहयोग मिलना भी इसका कारण है।
3. **सांस्कृतिक अनुपयुक्तता** – इसमें माध्यम भाषा का विदेशी होना, स्थानीय संस्कृति तथा मूल्यों को पाठ्यक्रम में महत्व न देना तथा शिक्षा व्यवस्था द्वारा विविधता की ताकत को महत्व न देना शामिल है।
4. **स्थानीय नियंत्रण की कमी** – यह स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है, क्योंकि शिक्षक द्वारा समुदाय की भाषा न बोले जाने के कारण माता-पिता विद्यालय की कार्यवाही में सहयोग नहीं कर पाते। माता-पिता द्वारा उनकी संस्कृति तथा भाषा से शिक्षा का जुड़ाव न होने के कारण उसे कम महत्व देना भी इसका एक कारण है। (डर्नियन, 2007)

शोध बताते हैं कि द्विभाषी अथवा बहुभाषी शिक्षा संरचना में मातृभाषा को महत्व देने से शैक्षिक उपार्जन में सुधार के परिणाम आते हैं तथा यह अल्पसंख्यक समाज से आने वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखने में भी सहायता करती है। विशेष तौर पर लड़कियों के विरुद्ध बाधाओं को तोड़ने में मातृभाषाओं पर आधारित शिक्षा के प्रभावकारी परिणाम देखे गए हैं।

शोध ये भी बताते हैं कि वे लड़कियाँ जिन्होंने स्थानीय अथवा देशी भाषा में शिक्षा प्राप्त की है, विद्यालय से ज़्यादा लंबे समय तक जुड़ी रहीं। उनकी अधिकांशतः अच्छी शिक्षार्थी की छवि बनी, उन्होंने परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया और अपने उन साथियों की तुलना में, जिन्हें मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी, कम संख्या में कक्षाएँ दोहराई। अगर शिक्षार्थी अपनी भाषा में अपनी बात कह सकते हैं तथा उनकी पृष्ठभूमि को महत्व दिया जाता है व अधिगम प्रक्रिया में उसका प्रयोग किया जाता है तो उनमें अधिक आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास पैदा होता है और स्कूल तथा जीवन में वे ऊँचे लक्ष्य रखते हैं। (बेंसन, 2005)

देशी भाषा न बोलने वालों को मुख्यधारा की भाषा से जोड़ने के लिए द्विभाषी शिक्षा को एक उत्कृष्ट तरीके के रूप में व्यापक स्तर पर मान्यता मिली है। ऐसा वहाँ भी है, जहाँ अध्यापन स्थानीय भाषा में होता है, हालाँकि अध्ययन सामग्री हमेशा उस भाषा में नहीं मिल पाती। भारत बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिलने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यद्यपि, सामग्री के मुद्रण और आवंटन को कम प्राथमिकता दी जाती है और विद्यालयों तक सामग्री देर से पहुँच पाती है।

(i) आधारभूत सुविधाएँ

जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा परिवहन व्यवस्था बालिका अनुकूल सुविधा संरचना के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें यह तथ्य भी शामिल हैं कि शौचालय प्रयोगानुकूल हों, उनकी नियमित रूप से सफ़ाई होती हो तथा उनकी संरचना एवं निर्माण जेंडर संवेदी दृष्टि से किया गया हो। इसलिए, विद्यालय की जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं में शिक्षार्थियों की सहभागिता महत्वपूर्ण है।

दक्षिण एशिया में आधारभूत सुविधाओं की दिशा में की गई पहलों के कई उदाहरण हैं जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों की उपस्थिति तथा सीखने की शक्ति में सुधार हुआ है। साथ ही अध्ययन ये बताते हैं कि यद्यपि लड़कों तथा लड़कियों के लिए जल तथा स्वच्छता की आधारभूत सुविधाओं के क्रियान्वयन में वृद्धि हुई है, किंतु उनके ठीक से रख-रखाव के अभाव मे लड़कियों के स्कूल छोड़ने के खतरे बढ़े हैं। (ऐकमन तथा अंटरहाल्टर, 2005)

पिछले कुछ वर्षों में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में जल तथा स्वच्छता की सुविधाओं को हज़ारों विद्यालयों में उपलब्ध कराया गया तथा उन्हें सुधारा गया है। अलवर (राजस्थान) में भी विद्यालय सफ़ाई एवं स्वच्छता शिक्षा (एस.एस.एच.ई.) योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लड़कियों की उपस्थिति में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य शिक्षा को जीवन कौशल पाठ्यक्रम का ज़रूरी आयाम मान लिया गया है। बांग्लादेश में एस.एस.एच.ई. योजना

© NCERT not to be republished

के तहत विशेष तौर पर जल की पर्याप्त आपूर्ति तथा लड़कियों की निजी स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

खासतौर पर प्राथमिक विद्यालय के बाद शिक्षा जारी रखने के संदर्भ में दूरी भी लड़कियों के विद्यालयों में नामांकन और वहाँ बने रहने में एक बाधा है। कई बार लड़कियाँ समूहों अथवा बुज़ुर्ग महिलाओं के संरक्षण में गाँव के बाहर स्थित विद्यालयों तक आ सकती हैं अथवा उन्हें छात्रवृत्ति देकर परिवहन व्यय को वहन करने योग्य बनाया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में, शिक्षा गारंटी योजना के तहत पैरा-टीचर्स अथवा सहायिका की सेवाएँ देना शुरू किया गया है जो घर से बालिकाओं को लेंगी और विद्यालय पहुँचाएगी। इसकी सहायता से बालिकाओं की उपस्थिति के साथ-साथ उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

कुछ देशों में शिक्षार्थियों को परिवर्तन दूत की तरह लक्षित किया जा रहा है। इनका सहयोग 'विद्यालयों में स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा जल' पर एक टूलकिट का प्रयोग करते हुए एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक सहयोगात्मक शिक्षण तथा अधिगम के माध्यम से जल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया जा रहा है। (स्रोत — www.schoolsanitation.org)

(ii) सुरक्षा तथा संरक्षण

ई.एफ.ए. ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2003–04 बताती है कि '...विद्यालयों में अकसर असहिष्णुता, भेदभाव तथा हिंसा को प्रश्रय मिलता है। अधिकतर लड़कियाँ इसका शिकार होती हैं... जेंडर के फ़ासलों को कम करना एक तरह से विद्यालयों में यौन हिंसा तथा शोषण को आमंत्रित करना है।'

दक्षिण एशिया में विद्यालयों में जेंडर आधारित हिंसा पर केवल सीमित शोध हुआ है, किंतु यौन शोषण जिसे अकसर 'लड़कियों को छेड़ना' कहा जाता है, उसकी भी बड़ी संख्या में शिकायतें बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका में ही दर्ज की जाती हैं। विद्यालय से दूरी पर रहने वाली लड़कियाँ ही विशेषतः इसकी शिकार होती हैं।

विद्यालयों में जेंडर आधारित शोषण और उत्पीड़न इस ओर संकेत करता प्रतीत होता है कि जेंडर और शक्ति की असमानता के आधार पर लड़कियों के साथ यही होता है (या हो सकता है।) जेंडर हिंसा पर बात करते हुए पूरे दृष्टिकोण को बदले जाने की ज़रूरत है जिसमें प्रबंधन, शिक्षक तथा शिक्षार्थी से लेकर पाठ्यक्रम तक ऐसा हो जो शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों को सुदृढ़ बनाए। इस तरह के परिवर्तन की माँग कई देशों में संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि इसका अर्थ स्त्री यौनिकता के संदर्भ मे गहराई से पैठी पुरुष मानसिकता के पूरे व्यवहार को चुनौती देना है, किंतु साथ ही यह भी तय है कि जब तक ऐसी मानसिकता और व्यवहार बना रहेगा, बालिका अनुकूल विद्यालयों की कल्पना नहीं की जा सकती।

चलिये पुरुषों से बात करते हैं— 'सेव द चिल्ड्रेन' तथा 'यूनिसेफ़' की तरफ से दक्षिण एशिया में शुरू की गयी एक फ़िल्म परियोजना का लक्ष्य पुरुषत्व तथा जेंडर असमानता और जेंडर आधारित हिंसा के साथ इसके संबंध के विषय के इर्द-गिर्द समझ विकसित करना है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के स्थानीय फ़िल्मकारों ने इस पर चार वृत्तचित्र बनाए हैं। ये वृत्तचित्र पुरुष अस्मिता के विभिन्न आयामों पर बात करते हैं तथा उनके सांस्कृतिक परिदृश्य में पितृसत्ता का विखंडन करने के लिए दिशा सुझाते हैं। इन वृत्तचित्रों के प्राथमिक रूप से लक्षित दर्शक किशोर लड़के तथा लड़कियाँ हैं। इन फ़िल्मों (तथा इनके साथ दी गयी कार्यपुस्तिकाओं) को विद्यालयों में इस्तेमाल किया गया तथा जेंडर आधारित शोषण एवं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा से संबद्ध मुद्दे उठाए गए और लड़कों के लिए वैकल्पिक आदर्श पात्र तथा व्यवहार के तरीके सुझाए गए (सेव द चिल्ड्रेन, 2003)। उदाहरण के लिए, लड़कियों तक शिक्षा की पहुँच को सरल तथा सुरक्षित बनाने के लिए उनके घर से 'सुरक्षित' पैदल दूरी पर विद्यालय बनाना अंतर को रोकने के लिए तो उपयोगी है, किंतु यह विद्यालय में लड़कियों द्वारा सामना किए जा रहे प्रतिकूल वातावरण तथा जेंडर आधारित हिंसा के सामाजिक मुद्दों का समाधान नहीं सुझाता (ऑक्सफ़ेम Oxfam, 2005)।

विभिन्न देशों में गैर-सरकारी संगठनों ने विद्यालय आधारित हिंसा के मुद्दे पर बात करना शुरू कर दिया है। उदाहरणस्वरूप, जन-साधारण शिक्षा एवं विज्ञान केंद्र (The Centre for Mass Education and Science, CMES) और BRAC ने पूरे बांग्लादेश में किशोरियों (और किशोरों) की कार्यशालाएँ आयोजित करनी शुरू कर दी हैं। यद्यपि ये कार्यक्रम आशाजनक हैं, किंतु इनकी पहुँच जनसंख्या के छोटे से हिस्से तक सीमित है और इन्हें बढ़ाना भी कठिन है, क्योंकि इनका विकास विद्यालयी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हुआ है।

यद्यपि अधिकांश सरकारों ने शिक्षा में जेंडरगत समानता का लक्ष्य हासिल करने के मुखर वायदे तो किए हैं, किंतु विद्यालयों

© NCERT not to be republished

में जेंडर हिंसा से निपटने के लिए बनी राष्ट्रीय रणनीतियों के इक्का-दुक्का ही प्रमाण मिलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में जेंडर हिंसा से संबंधित विषय नहीं जोड़े हैं (बंडने और अन्य, 2003)। इस प्रकार जेंडर हिंसा को निर्मूल करने हेतु स्कूल के प्रति एक पूर्ण दृष्टिकोण में विद्यमान नीतियों तथा संस्कृति की समीक्षा शामिल होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षार्थियों को ऐसे अवसर दिए जाने की ज़रूरत है जिसमें वे उन सब तथ्यों को जान सकें जिनके माध्यम से वे पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व संबंधी परंपरागत सोच को जानते व उससे बाधित होते हैं तथा ऐसी रणनीतियाँ विकसित हों जो उन्हें परिवर्तन को अपनाने तथा आदरपूर्ण जेंडर संबंध विकसित करने में सक्षम बनाएँ। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का महत्वपूर्ण आयाम है। शिक्षक जेंडर संबंधी रूढ़ियों तथा ऐसे संदेशों का प्रतिकार करना शुरू करें जो लड़कों को पुरुषों की रूढ़िवादी छवि से लादता है। उन्हें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने से रोकता है और लड़कियों को स्त्री की ऐसी छवि में सीमित कर देता है जो केवल उसके दैहिक सौंदर्य से जुड़ी है।

शिक्षक परिवर्तन लाने के महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं तथा शिक्षा को बाल अनुकूल तथा जेंडर संवेदी बना सकते हैं। शिक्षकों की शिक्षा को उन्हें इस भूमिका के लिए निश्चित रूप से तैयार करना चाहिए। विद्यालयों में जेंडर आधारित हिंसा की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय तथा विद्यालय आधारित पहल के विकास की अत्यंत ज़रूरत है जो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था से संबद्ध हो तथा पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हो।

नेपाल में, 'सेव द चिल्ड्रेन' से सहायता प्राप्त सुरक्षित स्थान परियोजना (सेफ़ स्पेसेस प्रोजेक्ट) ने लड़कियों को सहभागी शोध (PRA) में शामिल किया है। यह उनके लिए सशक्तीकरण का स्रोत साबित हुआ है, क्योंकि इसके तहत उनके लिए सुरक्षित वातावरण की विशेषताएँ तथा समाज में व स्कूल आने-जाने के रास्ते पर अपना अधिकार हासिल करने के लिए बनाए जाने वाली योजना में उन्हें शामिल किया गया है। लड़कों को इसकी प्रक्रिया में तभी शामिल किया गया जब लड़कियों को उनकी ज़रूरत महसूस हुई। अपनी 'जगह' हासिल करने के लिए लड़कियों को इन ज़रूरतों का एहसास हुआ —

- माता-पिता लड़कियों की शिक्षा के महत्व को जानें;
- जाति के भीतर, बेटे-बेटियों के बीच जेंडर भेदभाव तथा छोटी उम्र में विवाह जैसी रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागें;
- लड़कियाँ अपने समाज में अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करें;
- लोगों से अपेक्षा है कि वे लड़कियों के प्रति अन्याय तथा उनके दमन का विरोध करें;
- लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाएँ तथा उन्हें समान अवसर पाने के योग्य बनाएँ।

इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप समाज के भीतर परिवर्तन दिखायी देने लगे हैं। उदाहरणस्वरूप समुदाय के सदस्यों ने लड़कियों के उत्पीड़न तथा उनसे दुर्व्यवहार के विभिन्न केसों के संबंध में लड़कियों के समूह से सलाह ली। इसके साथ ही लड़कियों के समूह ने पुलिस, स्थानीय एन.जी.ओ. तथा ज़िला बाल कल्याण केंद्र से संपर्क कर लड़कियों को मुक्त करवाया। स्कूल में शिक्षकों, लड़कों तथा समुदाय ने लड़कियों को अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। वे लड़के, जो उन्हें पहले तंग करते थे, परिवर्तन लाने की दिशा में लड़कियों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में उनका सहयोग करने लगे। लड़के अब ड्रामा तथा नाटक जैसे प्रयासों के माध्यम से लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की अगुआई करने लगे। स्थानीय समुदायों द्वारा उन लड़कियों के लिए सहयोगी समूह स्थापित किए गए जिनका उत्पीड़न हुआ था। (स्रोत — www.id21.org/education/genderviolence/index.html)

2.7 निष्कर्षात्मक विचार

विशेष तौर पर लड़कियों तथा अन्य वंचित समूहों की शिक्षा की गुणवत्ता तथा समानता को लेकर कई मुद्दे हैं। दक्षिण एशिया के प्रत्येक देश ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को एक प्राथमिकता के रूप में चिह्नित किया है। इसीलिए अधिगम के वातावरण पर समानता के लिए विद्यालय की संरचनागत व्यवस्था से लेकर शैक्षणिक रणनीतियों, पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता से लेकर और अधिक सामुदायिक भागीदारी तक हर जगह ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दक्षिण एशिया में बाल अनुकूल विद्यालयों अथवा अधिकारों के परिप्रेक्ष्य वाले विद्यालयों का विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक सार्थक कदम है।

मानव सभ्यता दो पंखों वाला पक्षी है
जिसका एक पंख स्त्री है और एक पुरुष
एक के भी कमतर होने पर
मानव सभ्यता उड़ान नहीं भर पाएगी।
(लेखक – अज्ञात)

© NCERT not to be republished

2.8 संदर्भ

- अब्राजी, एच. 2006. *एफिसिएंट लर्निंग फ़ॉर दि पुअर – इनसाइट्स फ्रॉम दि फ्रंटियर ऑफ़ काग्निटिव न्यूरोसाइंस*. वर्ल्ड बैंक.
- अहमद, एम. और आर. चौधरी. 2005. *बियांड एक्सेस – पार्टनरशिप फ़ॉर क्वालिटी विद इक्विटी*.
- आक्सफ़ेम. 2005. *बियांड एक्सेस फ़ॉर गर्ल्स एंड बॉयेज – हाउ टू अचीव गुड-क्वालिटी जेंडर-इक्विटबल एजूकेशन*. एजूकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी सीरीज.
- ऐकमैन, एस. और ई. अंटरहाल्टर. 2005. *बियांड एक्सेस – ट्रांसफ़ार्मिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फ़ॉर जेंडर इक्वलिटी इन एजूकेशन*.
- कोइराला, बी.एन. और एस. आचार्य. 2005. *गर्ल्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजूकेशन – अ स्टडी ऑन एक्सेस, पार्टीसिपेशन एंड परफ़ारमेंस ऑफ़ गर्ल्स इन नेपाल*. यूनेस्को.
- झा, जे. 2004. *ई.एफ.ए. इन साउथ एशिया – एनालिटिकल स्टडी ऑन डकार गोल्स (सीरीज)*. गोल 2 — यूनिवर्सल प्राइमरी एजूकेशन. यूनेस्को, दिल्ली.
- ब्लैक, एम. 1999. *बेसिक एजूकेशन – अ विजन फ़ॉर दि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी*. यूनीसेफ.
- बिष्ट, एम. बी. 2004. *रिव्यू ऑफ़ रिसर्च लिटरेचर ऑन गर्ल्स एजूकेशन इन नेपाल*. यूनेस्को.
- बिष्ट, एम.बी. 2006. *स्टेटस ऑफ़ फीमेल टीचर्स इन नेपाल*. यूनेस्को.
- बेंसन, सी. 2005. *गर्ल्स, एजूकेशनल इक्विटी एंड मदर टंग बेस्ड टीचिंग*. यूनेस्को.
- डर्नियन, टी. 2007. *मदर लैंग्वेज फर्स्ट – टूवर्ड्स एचीविंग ई.एफ.ए. फ़ॉर आदिवासी चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश*. सेव द चिल्ड्रेन.
- डून, एम. व अन्य. 2003. *जेंडर एंड वायलेंस इन स्कूल्स*. यूनेस्को.
- यूनीसेफ. 2002. *इम्प्लीमेंटेशन हैंडबुक फ़ॉर दि कन्वेंशन ऑन दि राइट्स ऑफ़ दि चाइल्ड*.
- यूनीसेफ. 2004. *स्टेट ऑफ़ दि सार्क चाइल्ड*, 2005.
- यूनीसेफ. 2005. *2005 एंड बियांड – एसिलिरेटिंग गर्ल्स एजूकेशन इन साउथ एशिया*. मीटिंग रिपोर्ट.
- यूनेस्को. 2006. *ई.एफ.ए. ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, 2006 – लिट्रसी ऑफ़ लाइफ़*.
- यू.एस.ए.आई.डी. 2006. *मीटिंग ई.एफ.ए. अफ़गानिस्तान कम्युनिटी स्कूल्स*.
- लुइस, एम. और एम. लॉकहीड. 2006. *इनएक्सक्यूज़ेबल अबसेंस – व्हाई सिक्स्टी मिलियन गर्ल्स स्टिल आर नॉट इन स्कूल एंड व्हॉट टू डू अबाउट इट?* सेंटर फ़ॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, वाशिंगटन डी.सी.
- वर्ल्ड बैंक. 2005. *अफ़गानिस्तान – नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड पॉवर्टी रिडक्शन – दि रोल ऑफ़ वूमेन इन अफ़गानिस्तान्स फ्यूचर*.
- शुक्ला, एस. 2004. *ई.एफ.ए. इन साउथ एशिया – एनालिटिकल स्टडी ऑन डाका गोल्स (सीरीज)*, गोल 6 — क्वालिटी ऑफ़ एजूकेशन. यूनेस्को, दिल्ली.
- सेव द चिल्ड्रेन. 2003. *राइट्स ऑफ़ पैसेज*.
- हेजनेन, ई. 2003. चिल्ड्रेन हू लर्न टुगेदर लर्न टू लिव टुगेदर – टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजूकेशन. 'सेव द चिल्ड्रेन साउथ एशिया, साउथ-ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया' डिस्कसन पेपर से.
- हेजनेन, ई. 2004. *क्वालिटी टीचिंग इक्वल्स क्वालिटी क्लासरूम मैनेजमेंट*. सेंटर फ़ॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भूटान.
- हेजनेन, ई. 2005. *रिसर्चिंग प्री-सर्विस टीचर एजूकेशन – मोमेंटस ऑफ़ ट्रूथ*. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजूकेशन, भूटान.
- हेजनेन, ई. 2006. *एसेसमेंट फ़ॉर लर्निंग एंड एसेसमेंट ऑफ़ लर्निंग*. सेंटर फ़ॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भूटान.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 3

अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा
मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में

मॉड्यूल की रूपरेखा

3.1 परिदृश्य
3.2 भूमिका
3.3 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए कदम
3.4 उद्देश्य
3.5 अल्पसंख्यक समुदायों की जनसांख्यिकी तथा शैक्षिक संकेतक
3.6 संविधान तथा नीतिगत व्यवस्थाएँ
3.7 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए कुछ योजनाएँ तथा कार्यक्रम
3.8 शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों तथा समस्याओं का अध्ययन
3.9 निष्कर्ष
3.10 संदर्भ

© NCERT not to be republished

3.1 परिदृश्य

यह मॉड्यूल स्वतंत्रता-पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के विकास पर विचार करता है। यह जनसंख्या तथा शिक्षा के संकेतकों के आधार पर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालता है। साथ ही, यह मॉड्यूल भारत में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधानों, नीतिगत पहलों, योजनाओं तथा अन्य संबंधित अनुसंधानों पर भी रोशनी डालता है।

3.2 भूमिका

भारत में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विशेष तौर पर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा है। 19वीं तथा 20वीं सदी के युग को शिक्षा की औपचारिक संस्थाओं में हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों की लड़कियों की सीमित भागीदारी के रूप में रेखांकित किया गया था। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर सामने आए तथ्यों में से मुख्य यह था कि लड़कियों की शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं माना गया। साथ ही, दोनों समुदायों की यह दृढ़ आस्था रही कि घरेलू कामकाज के लिए किसी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह महसूस किया गया कि लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कामों, जैसे– घर संभालना, खाना पकाना, साफ़-सफ़ाई, देखभाल तथा अन्य संबंधित कार्यों को अभ्यास तथा घर की बड़ी-बूढ़ी औरतों की मदद से सीखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उस दौरान अधिकतर माता-पिता अंधविश्वासी थे तथा यह मानते थे कि बेटियाँ यदि पढ़ गईं तो जल्दी विधवा हो जाएँगी और उन्हें सामाजिक रीति-रिवाजों

से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस तरह, व्यवस्था की अपनी कमियों के चलते बेहद कम संख्या में शिक्षिकाओं (उस्तानी) आदि की कमी ने लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा को प्रभावित किया। इसी से संबद्ध तथ्य यह था कि लड़कियों की शिक्षा के मानकों को लेकर इस समय के पुरुषों तथा महिलाओं के प्रबुद्ध वर्ग में काफी मतभेद था। ब्रिटिश काल तथा राजसी शासन के समय लड़कियों का छोटी उम्र में विवाह भी उनकी शिक्षा के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा था।

यद्यपि ऊपर दिए गए तथ्यों ने लड़कियों की शिक्षा के विस्तार को बाधित किया, किंतु इसी समय ईसाई मिशनरियों के नक्शेकदम पर चलते हुए शिक्षित महिला तथा पुरुष प्रबुद्ध वर्ग, समाज-सुधारकों तथा ब्रिटिश सरकार ने एक नयी शुरुआत की। लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनाए गए माध्यम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों किस्म के थे। औपचारिक माध्यमों के परिणामस्वरूप विद्यालयों की स्थापना हुई और अनौपचारिक के परिणामस्वरूप घरेलू दायरे में जनाना शिक्षा की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था अधिकांशत: अनौपचारिक थी तथा इसका उद्देश्य उन महिलाओं को शिक्षित करना था, जो विद्यालय नहीं जा सकी थीं। इसके अतिरिक्त, हिंदू तथा मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग द्वारा विभिन्न समितियों की शुरुआत की गई। मुस्लिम समितियों में से बहुप्रसिद्ध समिति जिसने महिलाओं को शिक्षित करने का काम हाथ में लिया, वह थी — लाहौर की अंजुमन-ए-हिमायत-ए-इस्लाम, बंबई की अंजुमन-ए-इस्लाम तथा ऑल इंडिया मोहम्मडन एजूकेशनल कॉन्फ्रेंस (अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन)। अनेक अभिजात परिवारों ने लड़कियों की शिक्षा को संरक्षण दिया जिनमें से प्रमुख थे — हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल की बेगमें, शेख मुहम्मद अब्दुल्लाह, सैयद कामत हुसैन तथा करामात हुसैन और बदरुद्दीन तैयबजी।

मानवता के आधे हिस्से में शिक्षा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस समय प्रेरणात्मक साहित्य भी लिखा गया। इस संदर्भ में, उर्दू में महिलाओं पर केंद्रित पत्रिकाएँ, जैसे – *तहज़ीब उन निस्वाँ, खातून* तथा *इस्मत* की स्थापना तथा प्रबंधन पुरुषों द्वारा किया गया। इनमें से अधिकांश का संपादन भी पुरुषों ने ही किया। यद्यपि महिलाएँ साहित्य लेखन कर रही थीं, किंतु शुरुआती दौर की दो पत्रिकाओं का संपादन भी महिलाओं ने किया। ये पत्रिकाएँ थीं — आगरा से निकलने वाली *पर्दानशीं* तथा लाहौर से निकलने वाली *शरीफ़ बीबी*। हैदराबाद में महिलाओं की पत्रिका *अन-निसा* 1919 तथा 1927 के बीच सामने आए सामाजिक सुधारों और सर्जनात्मक साहित्य को समर्पित थी। इसका संपादन सुग़रा हुमायूँ मिर्ज़ा करती थीं जिन्होंने खुद भी इस पत्रिका के लिए कई लेख लिखे तथा अन्य महिलाओं को भी योगदान के लिए प्रेरित किया। सैयदा बेगम ख्वीशगी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका *हमजोली* ऊँचे दर्जे की साहित्यिक पत्रिका थी। सैयदा बेगम ख्वीशगी उस्मानिया युनिवर्सिटी प्रेस के निदेशक की पत्नी थीं। इस मुद्रित साहित्यिक सामग्री ने उस दौर के मुस्लिम समाज तथा महिलाओं की शिक्षा में विकास की ज़रूरत की ओर ध्यान आकर्षित किया।

19वीं तथा 20वीं सदी में मुस्लिम पुरुष तथा महिला प्रबुद्ध वर्ग द्वारा लड़कियों के लिए खोले गए विद्यालयों में — पवित्र कुरान, दीनियत (धर्मशास्त्र), मोहम्मद साहब के जीवन तथा आदर्श इस्लामी महिलाओं आदि से संबंधित धार्मिक शिक्षा प्रदान करना केंद्र में था। वहाँ नियमित रूप से प्रार्थना करना अनिवार्य था तथा बड़ी उम्र की लड़कियों को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना ज़रूरी था। पाठ्यक्रम में विषय के आधार पर विविधता थी, किंतु इस समय में स्थापित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा तथा व्यवहारगत घरेलू कौशल निश्चित रूप से समाहित थे।

वे प्रसिद्ध महिलाएँ जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा में योगदान दिया, उनमें रुकैया सखावत हुसैन, फज़ीलातुन्निसा ज़ोहा, शम्सुन्नहर महमूद, तैयबा बेगम तथा भोपाल की बेगमें जैसे सिकंदर बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम प्रमुख थीं।

3.3 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए कदम

महिलाओं की शिक्षा की समृद्ध परंपरा भारतीय संविधान में प्रतिबिंबित होती है जिसमें अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण तथा उन्हें उनकी अपनी रुचि — चाहे वह धर्म आधारित हो या भाषा केंद्रित — के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके संचालन की गारंटी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986, जो 1992 में संशोधित हुई, में ज़िक्र किया गया है कि अल्पसंख्यकों में कुछ ऐसे समूह हैं जो शिक्षा से वंचित अथवा पिछड़े हुए हैं। अल्पसंख्यकों में शैक्षिक रूप से वंचित समूह की पहचान

© NCERT not to be republished

के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 1990 में डॉ. गोपाल सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित की जिसका काम देश में सुविधाहीन समूह, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति का पता लगाना था। समिति ने मुस्लिमों तथा नवबौद्धों को राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में चिह्नित किया। नवबौद्धों को वे सब लाभ दिए गए जो अनुसूचित जाति को दिए जाने के लिए उपलब्ध हैं और इस प्रकार मुस्लिमों को राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में चिह्नित किया गया।

इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय विपणन शोध ब्यूरो की इकाई, सामाजिक शोध संस्थान द्वारा 2005 में स्कूल व्यवस्था से बाहर के बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि स्कूल व्यवस्था से बाहर छूटे बच्चों का अनुपात सबसे अधिक (9.97 प्रतिशत) मुस्लिम समुदाय में है। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति पर सच्चर समिति की रिपोर्ट (2006) इस ओर ध्यान आकर्षित करती है कि हालाँकि हाल के कुछ वर्षों के दौरान शिक्षा में मुस्लिम बच्चों की नामांकन संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, किंतु कभी नामांकित न होने तथा स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। यह रिपोर्ट आगे बताती है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के कुल मुस्लिम बच्चों का एक चौथाई या तो कभी स्कूल गया ही नहीं या फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, जिसमें खासतौर पर लड़कियाँ हैं। रिपोर्ट यह तथ्य भी उजागर करती है कि मुस्लिमों की शैक्षिक स्थिति पूरे देश में अलग-अलग है और इसमें सुधार के लिए शैक्षिक पिछड़ेपन के आधारों पर भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/लड़कियों और अन्य वंचित समूहों के शैक्षिक विकास पर कार्यरत समूह (Working Group) की रिपोर्ट इंगित करती है कि अधिकतर लोग उन्हें लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं तथा व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ थे।

योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2011) की परिकल्पना के लिए 'अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण' पर एक कार्य समूह गठित किया। समिति की रिपोर्ट ने यह दर्ज किया कि अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में दृष्टिगोचर सुधार के बावजूद, भारत की विकास कथा का पूरा लाभ उन्हें मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। एक त्रिआयामी रणनीति संस्तुत की गई — (i) सामाजिक सशक्तीकरण (ii) आर्थिक सशक्तीकरण (iii) सामाजिक न्याय, ताकि असमानता तथा शोषण को निर्मूल किया जा सके। कुछ संस्तुतियाँ छात्रवृत्ति योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए की गईं जिसके लिए ये उपाय सुझाए गए — प्रक्रिया को सरल बनाया जाए; छात्रवृत्ति धारक के नाम से बैंक अथवा डाकघर में खाता खोला जाए तथा संस्थाओं व एन.जी.ओ. से सहायता प्रदान की जाए। साथ ही साइकिल योजना को बढ़ाकर माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों तक किया जाए ताकि लड़कियाँ शिक्षा के इन स्तरों पर बनी रहें।

अल्पसंख्यकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट यह भी संस्तुत करती है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर अल्पसंख्यक बहुल खंडों तथा अल्पसंख्यक बहुल कस्बों व शहरों में चरणबद्ध तरीके से आवासीय विद्यालय खोले जाएँ। इन स्कूलों के नियमों में यह सुनिश्चित हो कि इनमें 50 प्रतिशत प्रवेश अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का होगा।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा तथा सुधार को प्रधानमंत्री के 'अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्रीय कार्यक्रम' में भी केंद्रीयता प्राप्त है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा तक पहुँच को सुधारने पर विशेष ज़ोर था जिसके लिए यह सुनिश्चित किया गया कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना तथा अन्य समतुल्य योजनाओं को गाँव या क्षेत्र में ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति तथा तैनाती के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कुल जनसंख्या के एक चौथाई लोग जो इस भाषा समूह से आते हैं, उन्हें मदद मिल सके। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रभावपूर्ण परिकल्पना तथा क्रियान्वयन होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षार्थियों के लिए 10वीं पूर्व तथा 10वीं पश्चात दी जाने वाली छात्रवृत्ति का प्रतिपादन तथा क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सरकार मौलाना आज़ाद शिक्षा संस्था (MAEF) को यथा संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है ताकि यह अपनी गतिविधियों

© NCERT not to be republished

को और अधिक प्रभावशाली रूप से विस्तार देने के लिए मज़बूत तथा समर्थ हो सके।

3.4 उद्देश्य

- अल्पसंख्यक समुदायों पर संवैधानिक प्रावधानों तथा नीतिगत पहलों के विषय में जागरूकता पैदा करना;
- अल्पसंख्यक समुदायों के जनसांख्यिकीय तथा शैक्षिक संकेतकों का विश्लेषण करना;
- योजनाओं तथा कार्यक्रमों के नीति तथा क्रियान्वयन में अंतर को समझने हेतु विवेचनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित करना;
- भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को जानने के लिए संबंधित शोधों तथा अध्ययनों की समीक्षा करना।

3.5 अल्पसंख्यक समुदायों की जनसांख्यिकी तथा शैक्षिक संकेतक

जनगणना के आँकड़े (2001) बताते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का 80.5 प्रतिशत हिंदू, 13.4 प्रतिशत मुस्लिम, 2.3 प्रतिशत ईसाई, 1.9 प्रतिशत सिख तथा क्रमशः 0.8 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्म हैं। अल्पसंख्यकों में शैक्षिक संकेतक भिन्न-भिन्न हैं जिसमें जैन धर्म का साक्षरता प्रतिशत 94.1 प्रतिशत है। जैन के बाद क्रमशः ईसाइयों का 80.3 प्रतिशत, बौद्ध 72.7 प्रतिशत, सिख 69.4 प्रतिशत, हिंदू 65.1 प्रतिशत, मुस्लिम 59.1 प्रतिशत तथा अन्य धर्मों का साक्षरता प्रतिशत 47.0 प्रतिशत है। स्त्री साक्षरता के संदर्भ में सबसे अधिक साक्षरता जैन समुदाय में है, जो 90.6 प्रतिशत है। ईसाई धर्म में यह 76.2 प्रतिशत, सिखों में 63.1 प्रतिशत, बौद्धों में 61.7 प्रतिशत, हिंदुओं में 53.2 प्रतिशत, मुस्लिम धर्म में 50.1 प्रतिशत तथा अन्य धर्मों में 33.2 प्रतिशत है।

सभी धर्मों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर कुल उपस्थिति का अनुपात देखा जाए तो सारणी 1, 2 तथा 3 के अनुसार ग्रामीण व शहरी और शिक्षा के सभी स्तरों पर, सबसे कम राष्ट्रीय उपस्थिति अनुपात मुस्लिम समुदाय का है।

सारणी 1 दिखाती है कि शहरी तथा ग्रामीण समाजों के स्त्री-पुरुषों में सबसे कम उपस्थिति मुस्लिम स्त्रियों और पुरुषों की है। सभी धर्मों में लड़कियों की नामांकन संख्या लड़कों की तुलना में कम है।

सारणी 1 — प्रमुख धार्मिक समुदायों में प्राथमिक स्तर पर कुल उपस्थिति अनुपात, 2007–08 (प्रतिशत में)

प्रमुख धार्मिक समुदाय	ग्रामीण		शहरी	
	लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ
हिंदू	84.2	81.5	83.3	83.2
मुस्लिम	78.7	74.9	77.6	70.6
ईसाई	79.1	78.8	85.3	77.0
सिख	85.7	77.5	92.4	82.3

स्रोत — NSS डेटाबेस के 64वें राउंड से, भारत मानव विकास रिपोर्ट, (India Human Development Report) 2011 से उद्धृत

सारणी 2 — प्रमुख धार्मिक समुदायों में उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल उपस्थिति अनुपात, 2007–08 (प्रतिशत में)

प्रमुख धार्मिक समुदाय	ग्रामीण		शहरी	
	लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ
हिंदू	64.5	60.0	73.6	70.7
मुस्लिम	48.7	45.3	49.1	50.8

© NCERT not to be republished

ईसाई	63.9	70.9	77.6	71.6
सिख	63.3	57.3	75.2	78.5

स्रोत — NSS डेटाबेस के 64वें राउंड से, भारत मानव विकास रिपोर्ट, (India Human Development Report) 2011 से उद्धृत

उच्च प्राथमिक स्तर पर, एक बार फिर मुस्लिम लड़के तथा लड़कियों की नामांकन संख्या सबसे कम है। जबकि, शहर के संदर्भ में देखा जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की उपस्थिति अधिक है। मज़े की बात यह है कि यद्यपि ग्रामीण समाज में देखा जाए तो ईसाइयों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की उपस्थिति कम है, किंतु लड़कियों के हिसाब से यह काफी ज़्यादा है। इसी तरह, शहर के संदर्भ में, मुस्लिम और सिख दोनों समाजों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की उपस्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है।

माध्यमिक स्तर पर उपस्थिति का अनुपात पुनः मुस्लिम लड़के तथा लड़कियों की कम उपस्थिति की ओर संकेत करता है। ग्रामीण स्तर पर, सभी प्रमुख धर्मों में लड़कियों की उपस्थिति कम ही पायी गई है। शहर के संदर्भ में, हिंदू तथा मुस्लिम समाज से संबंध रखने वाली लड़कियों की उपस्थिति का अनुपात अन्य समाजों से आने वाली लड़कियों से बेहतर है।

क्रियाकलाप

1. अपने विद्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के नामांकन का एक डेटाबेस तैयार कीजिए और यह पता लगाइए कि किस समाज की हिस्सेदारी कम है?
2. अपने ज़िले में अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए?
3. अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ हैं? योजना तथा उससे संबंधित मंत्रालय की सूची बनाइए।
4. क्या उपलब्ध योजनाओं ने अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास में कोई भूमिका निभायी है?
5. किन योजनाओं को क्रियान्वयन की बेहतर रणनीतियों की आवश्यकता है?

सारणी 3 — प्रमुख धार्मिक समुदायों में माध्यमिक स्तर पर कुल उपस्थिति अनुपात 2007–08 (प्रतिशत में)

प्रमुख धार्मिक समुदाय	ग्रामीण		शहरी	
	लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ
हिंदू	41.7	36.9	55.9	56.3
मुस्लिम	26.0	23.5	31.8	32.1
ईसाई	49.4	42.4	72.0	46.4
सिख	40.8	39.4	71.0	38.6

स्रोत — NSS डेटाबेस के 64वें राउंड से, भारत मानव विकास रिपोर्ट, (India Human Development Report) 2011 से उद्धृत

3.6 संविधान तथा नीतिगत व्यवस्थाएँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बचाए रखने के साथ-साथ उन्हें अपनी पसंद, धर्म अथवा भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्थान स्थापित करने तथा प्रशासित करने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। जहाँ तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, संविधान के तीसरे खंड में मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद में दी गई गारंटी के अतिरिक्त उन्हें निम्नलिखित संवैधानिक सुनिश्चतता भी दी गई है –

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक अनुच्छेद

(i) अनुच्छेद 29 — अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

29 (1) भारत राज्य के दायरे में रहने वाले नागरिकों का कोई वर्ग या उनका कोई हिस्सा जो अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति से आता हो, उन्हें इस विविधता को संरक्षित करने का अधिकार है।

© NCERT not to be republished

29 (2) राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार तथा राज्य द्वारा दी जा रही किसी भी सहायता को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

(ii) अनुच्छेद 30 — अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार

30 (1) धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा।

30 A (1) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाएँ।

30 A (2) शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह शैक्षिक संस्था धर्म अथवा भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है।

नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986 में एक अनुभाग समानता के लिए शिक्षा पर समर्पित है।

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अभाव से निपटने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 स्पष्ट संकेत करती है कि कुछ अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षिक रूप से अभावग्रस्त अथवा पिछड़े हुए हैं। समानता तथा सामाजिक न्याय के हित में इन समुदायों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत इन समुदायों को अपनी स्वयं की शैक्षिक संस्थाएँ खोलने तथा उनके प्रबंधन व संचालन तथा उनकी भाषा एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही, पाठ्यपुस्तकों तथा सभी विद्यालयी गतिविधियों में निष्पक्षता बरती जाएगी और मुख्य पाठ्यक्रम के अनुरूप समान राष्ट्रीय लक्ष्य तथा आदर्शों की सराहना कर एकीकरण को प्रोत्साहित करने के सभी संभव प्रयास किए जाएँगे। (पृष्ठ 8)

क्रियान्वयन कार्यक्रम, 1992 (POA 1992) में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है। शिक्षा के संदर्भ में, अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग कक्षाओं, समुदायगत पॉलिटेक्निक्स, अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित विद्यालयों में प्राचार्यों, प्रबंधकों तथा शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा इसके साथ राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से पाठ्यसामग्री की समीक्षा की व्यवस्था का ज़िक्र किया गया है। महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में लड़कियों के स्कूल खोलने, महिला शिक्षक नियुक्त करने, लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने तथा मध्याह्न भोजन व वर्दी देकर सहायता करने की सुविधा को पूरी तरह लागू किया जाना था। जहाँ तक संभव हो सके, प्रत्येक अल्पसंख्यक बहुल ज़िले में, विशेषकर लड़कियों के लिए कला के ऐसे उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की आवश्यकता थी जहाँ प्रशिक्षक महिलाएँ ही हों।

14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ़्त शिक्षा तथा भारत के संदर्भ में सभी के लिए शिक्षा के संवैधानिक अधिदेश को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक बच्चे को मुफ़्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की व्यवस्था की। इस अधिनियम के आधार पर, अल्पसंख्यक सहित प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के अधिकार का प्रावधान न्यायसंगत हो गया।

3.7 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए कुछ योजनाएँ तथा कार्यक्रम

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं सहित सभी बच्चों के लिए योजनाएँ तथा कार्यक्रम बनाए गए हैं। कुछ बेहद चर्चित योजनाएँ जो महिलाओं की स्थिति को पूरी तरह ध्यान में रखकर बनायी गई हैं, वे हैं — महिला समाख्या (MS) 1989 तथा सर्व शिक्षा अभियान (SSA)। विशेष रूप से बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर बनायी गई योजनाओं में हैं — कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) योजना तथा राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम (NPEGEL)।

© NCERT not to be republished

महिला समाख्या योजना (1989)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य को पूरा करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, विशेष तौर पर सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा सशक्तीकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या योजना शुरू की गई। यह कार्यक्रम वर्तमान में 10 राज्यों के 121 ज़िलों में चल रहा है जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड आते हैं।

महिला समाख्या कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं तथा इनका एस.एस.ए. जैसी शैक्षिक योजनाओं, जिनका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण है, के साथ बड़ा अटूट संबंध है। महिला समाख्या के अंतर्गत महिला समूह, जिन्हें महिला संघ कहा जाता है, सामुदायिक स्तर पर शिक्षा में लड़कियों तथा महिलाओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को खत्म करने की दिशा में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं तथा जहाँ आवश्यक हो, वहाँ स्कूल प्रबंधन/वैकल्पिक स्कूल सुविधाओं को चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राज्य स्तर के महिला समाख्या समाज एस.एस.ए. द्वारा पोषित लड़कियों के आवासीय विद्यालयों – कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को भी चलाते हैं तथा इसके साथ ही शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में लड़कियों की शिक्षा में सीधे सहयोग के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम को भी क्रियान्वित करते हैं।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV)

कस्तूरबा विद्यालय योजना शैक्षिक रूप से ऐसे पिछड़े खंडों में काम करती है जहाँ महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इसकी परिकल्पना मुख्य रूप से उन लड़कियों के लिए जिनका स्कूल छूट गया हो; जिनका स्कूल में कभी नामांकन ही नहीं हुआ हो; तथा भौगोलिक दृष्टि से जटिल क्षेत्रों में शरणार्थी जनसंख्या अथवा दूर-दूर बसे घरों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए की गई थी। यह योजना लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर (6–8) की शिक्षा प्रदान करती है। कस्तूरबा विद्यालय अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली लड़कियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करते हैं। शेष 25 प्रतिशत में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आने वाली लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान में कुल 3,528 कस्तूरबा विद्यालय चल रहे हैं जिनमें लड़कियों के नामांकन की कुल संख्या 3,66,519 है। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सरकार ने 20 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या वाले खंडों एवं कस्बों/शहरों में 492 कस्तूरबा विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। 423 कस्तूरबा विद्यालय आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं।

राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम (NPEGEL)

एन.पी.ई.जी.ई.एल. योजना अधिक गहन सामुदायिक एकजुटीकरण, समूहों में मॉडल विद्यालयों के विकास, शिक्षकों के जेंडर संवेदीकरण, जेंडर संवेदी शिक्षण सामग्री के विकास, आरंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा की समय से शुरुआत कर तथा शिक्षा सुविधाएँ एवं आवश्यकता आधारित सहयोग जैसे – लाने-ले जाने की सुविधा, लेखन सामग्री, कार्य-पुस्तिकाएँ, वर्दी आदि प्रदान कर वंचित व सुविधाहीन लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ाने के प्रावधानों पर विचार करती है। सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3,353 शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में 442 ज़िलों के अंतर्गत 4.12 करोड़ लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है। 41,779 मॉडल क्लस्टर स्कूल इस योजना के भीतर चल रहे हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का शुभारंभ 2009 में हुआ जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाना व इसकी गुणवत्ता में सुधार करना था। इस योजना का कार्यान्वयन 2009–10 में शुरू हुआ तथा यह 2005–06 में माध्यमिक स्तर के 52.23 प्रतिशत नामांकन को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक पहुँचाने की परिकल्पना करती है जिसमें योजना के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष घर के आस-पास अथवा थोड़ी दूर पर ही माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना का अन्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है जिसके लिए यह तय करना होगा कि सभी माध्यमिक स्कूल तय नियमों का अनुपालन करें; जेंडर एवं सामाजिक-आर्थिक तथा शारीरिक अक्षमता आधारित बाधाओं को दूर करें; 2017 तक अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सबको माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करें तथा 2020 तक सबको माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा से जोड़े रखने का लक्ष्य प्राप्त करें।

© NCERT not to be republished

सबके लिए अवसरों की समानता हेतु योजना में किए गए महत्वपूर्ण हस्तक्षेप इस प्रकार हैं —

(i) सूक्ष्म योजनाओं पर विशेष ध्यान;
(ii) सुधार के लिए आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता देना;
(iii) विद्यालय खोलने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को प्राथमिकता देना;
(iv) कमज़ोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए विशेष मुहिम;
(v) विद्यालयों में अधिक संख्या में महिला शिक्षकों की भर्ती;
(vi) लड़कियों के लिए शौचालयों की अलग व्यवस्था।

आर.एम.एस.ए. में राष्ट्रीय बालिका केंद्रित हस्तक्षेप

बच्चों, खासतौर पर बालिकाओं का शैक्षिक विकास राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है। बालिकाओं की विद्यालय तक पहुँच, नामांकन, उपस्थिति तथा उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ हैं — घर/गाँव/शहरी झुग्गी स्तर पर सामुदायिक जुटाव, वर्दी, छात्रवृत्ति का आवंटन, शिक्षा संबंधी प्रावधान (जैसे— पाठ्यपुस्तकें, लेखन-सामग्री, परिवहन सुविधाएँ), महिला शिक्षकों का प्रावधान, सुदूर अथवा पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था, लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था आदि। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से शैक्षिक अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों और अकादमिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाओं या सुधारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था, शिक्षकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम की व्यवस्था, लड़कियों के लिए शौचालयों तथा गतिविधि कक्ष की अलग व्यवस्था आदि की परिकल्पना इस योजना के एक भाग के रूप में की गई है।

'हुनर' — राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की एक विशेष पहल

यह योजना 2008 में बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (BEPC), बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में बिहार में प्रारंभ हुई। यह योजना बिहार में मुस्लिम लड़कियों के सशक्तीकरण पर केंद्रित है। यह परियोजना बिहार में दो अकादमिक सत्रों तक चली तथा इसके अंतर्गत 25,000 मुस्लिम लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूह (14 से अधिक आयु वर्ग की लड़कियाँ) को उनकी रुचि तथा चुनिंदा व्यावसायिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसकी सहायता से वे सतत आजीविका प्राप्त कर सकें; विभिन्न पेशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलने से सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें तथा उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो और सशक्त लड़कियों/महिलाओं का एक ऐसा समुदाय विकसित हो जो समुदाय के अपने साथी-समूह के लिए आदर्श बन सकें।

बी.ई.पी.सी. द्वारा नौ व्यवसाय चिह्नित कर लड़कियों को सुझाए गए। ये थे — काटना, सिलना और कपड़े बनाना, ग्राम सखी, आरंभिक शिशु देखभाल, फल तथा सब्जियों का संरक्षण, सौंदर्य संवर्धन, बेसिक कम्प्यूटिंग और हिंदी, उर्दू व इंग्लिश टाइपिंग। वर्तमान में यह परियोजना परीक्षण के आधार पर दिल्ली में भी चल रही है। पहले चरण में 1,613 लड़कियाँ नामांकित हुईं। दूसरे चरण में, मुस्लिम समुदाय की 2,051 लड़कियाँ विभिन्न व्यावसायिक पेशों में दिए गए प्रशिक्षण से लाभान्वित हुईं। ऊपर चर्चित व्यवसायों के अतिरिक्त, तीन अन्य व्यवसाय भी जोड़े गए, ये हैं — खिलौने बनाना, मज़े-मज़े में सीखना और डेटा एंट्री ऑपरेशन।

'हुनर' परियोजना की विशिष्टता है, कौशल प्रशिक्षण को संस्थाओं से जोड़ना और समुदायों का सहयोग प्राप्त करना। इस पूरी परियोजना का संचालन समुदाय द्वारा संचालित एवं नियंत्रित संस्थाओं— अधिकांशत: मकतब, मदरसा तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थानों— के आपसी तालमेल से होता है।

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत निम्नलिखित छह योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है — (i) दसवीं से पूर्व छात्रवृत्ति योजना (ii) दसवीं के पश्चात छात्रवृत्ति योजना (iii) योग्यता-सह-आय आधारित छात्रवृत्ति योजना (iv) अल्पसंख्यक शिक्षार्थियों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ति (v) शैक्षिक प्रतिष्ठानों को मौलाना आज़ाद सहायता अनुदान (vi) अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुफ़्त कोचिंग तथा अन्य संबंधित योजना।

प्रेरणादायी योजनाएँ एवं कार्यक्रम

मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा की कमी से निपटने के लिए सरकार ने उनके सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ बनायी हैं। इन योजनाओं में से कुछ प्रमुख योजनाएँ जिनका उर्दू में अनुवाद कर महत्वपूर्ण स्थानों, संस्थाओं की वेबसाइट पर डाला जा सकता है, वे हैं – दसवीं-पूर्व छात्रवृत्ति,

© NCERT not to be republished

दसवीं के पश्चात दी जाने वाली छात्रवृत्ति और योग्यता सह-आय आधारित छात्रवृत्ति। ये सभी छात्रवृत्तियाँ पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा निधिबद्ध हैं। लाभार्थियों की अर्हता के आधार का पूरी तरह दस्तावेजीकरण किया गया है। सभी छात्रवृत्तियों का 30 प्रतिशत लड़कियों के लिए निश्चित किया गया है। छात्रवृत्ति को शिक्षार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर्ड मोड (डी.बी.टी.) के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। जहाँ भी आधार संख्या उपलब्ध है, शिक्षार्थियों के खातों को उससे जोड़ा जा रहा है।

शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्रीय क्षेत्र योजना (सी.एस.एस.) के तहत 2009 में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के माध्यम से किया जाता है। अधिछात्रवृत्तियों का 30 प्रतिशत छात्राओं के लिए निश्चित किया गया है। शिक्षार्थियों को विदेश जाकर शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक अन्य प्रेरणादायक योजना है, 'पढ़ो परदेश योजना'। यह योजना विदेश जाकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण में अनुवृत्ति देकर सहायता करती है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की शिक्षा के लिए कारगर योजनाएँ बनायी हैं। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एक ऐसी ही योजना है जिसके तहत इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य के मुस्लिम बहुल खंडों में कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) द्वारा बिहार और दिल्ली की मुस्लिम लड़कियों के लिए 'हुनर' परियोजना की शुरुआत इस दिशा में उठाया गया एक अन्य कदम है। यह कार्यक्रम लड़कियों के कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित है जिसके तहत सिलाई, परिधान बनाना, जूट उत्पाद बनाना, बेकरी तथा अन्य उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण मुफ़्त में दिया जाता है। आरंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा इस परियोजना के महत्वपूर्ण घटक हैं।

यदि इन कारगर योजनाओं का ठीक से कार्यान्वयन हो जाए तो ये अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष तौर पर मुस्लिम छात्र/छात्राओं की बेहतर सहभागिता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये योजनाएँ लाभार्थियों के जीवन में लाभकारी परिवर्तन लाएँ, नियमित निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र संस्थागत किए जाने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रयास से योजना के प्रत्येक घटक की शक्ति और सीमा से अवगत होने में सहयोग मिलेगा और उसी के आधार पर आगे उसमें सुधार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इससे जुड़ी सफलता की कहानियों और वैयक्तिक मामलों से जुड़ी जानकारी का ठीक से प्रचार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे भी शिक्षा के अवसरों तथा जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

लाभार्थियों के जीवन पर शिक्षा के सकारात्मक और इसके पीढ़ीगत प्रभाव पर मुस्लिम समुदाय के बीच आत्मनिर्भरता के लिए सामुदायिक एकजुटीकरण कार्यक्रमों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

मुस्लिम समुदाय के, विशेष रूप से उर्दू बोलने वाले, शिक्षकों की नियुक्ति इस समुदाय के बच्चों की भागीदारी और उन्हें विद्यालय में बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

अतीत और वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में महिला रोल मॉडल/आदर्श की सफलता की कहानियों का प्रसार विद्यालय की प्रक्रिया में मुस्लिम लड़कियों के अभिगम, नामांकन और भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।

अभिधारण और सहभागिता में सुधार के रास्ते

अल्पसंख्यकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रत्येक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार रणनीतियों की गहराई से जाँच किए जाने की आवश्यकता है और तद्नुसार ही योजना बनायी जानी चाहिए। सभी संकेतक दर्शाते हैं कि शैक्षिक हस्तक्षेप, खास तौर पर शिक्षा के विभिन्न चरणों में प्रवेश, नामांकन में सुधार और अल्पसंख्यक मुस्लिम लड़कियों व लड़कों की उपलब्धि में सुधार के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को विभिन्न भाषाओं में प्रसारित करने और उनसे संबंधित जागरूकता और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उनसे संबंधित जानकारी को महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों और मीडिया में रखा जाए। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बच्चों की भागीदारी के रास्ते में आने वाली बाधाओं का सर्वांगीण व्यापक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए क्षेत्र के विशिष्ट संसाधनों और कौशल का एक ख़ाका खींचा जाए, ताकि आवश्यकता आधारित

© NCERT not to be republished

तथा राज्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

3.8 शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों तथा समस्याओं का अध्ययन

इस क्षेत्र में अध्ययन की मुख्य आवश्यकता को इस खंड में विशिष्ट सार-संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है—

नूना, अनीता. 2003. *एजुकेशन ऑफ़ मुस्लिम गर्ल्स — ए स्टडी ऑफ़ दि एरिया इंटेसिव प्रोग्राम*. जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प. – यह अध्ययन 8 राज्यों में किया गया। ये राज्य हैं— आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। इस योजना को केरल के अतिरिक्त सभी राज्यों में पहले राज्य प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। नामांकन के संदर्भ में यह पाया गया कि योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नामांकन बढ़ाने के संदर्भ में किए गए प्रयासों में केरल तथा कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में नाममात्र की प्रगति देखी गई है। मुस्लिम लड़कियों की, विशेषकर वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, भागीदारी को प्रोत्साहन दिए जाने के संदर्भ में यह पाया गया कि इस उद्देश्य की पूर्ति हुई ही नहीं, क्योंकि केरल को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत राज्यों में लड़कियों के लिए विविध विषयी आवासीय माध्यमिक विद्यालय न तो खोले गए हैं और न ही कहीं सहयोग प्रदान किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी साझेदारों में स्पष्टता दिखायी नहीं दी। कई स्थानों पर योजना के अंतर्गत दिए गए धन को आधारभूत संरचना, जैसे — स्कूल का निर्माण, शिक्षण-अध्ययन सामग्री की उपलब्धता और शिक्षकों की वेतन व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इन राज्यों द्वारा ऐसे शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय बहुल क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए जिन पर अभी तक विचार नहीं हो पाया था।

हसन, ज़ोया और मेनन, रितु. 2005. *एजुकेटिंग मुस्लिम गर्ल्स — ए कम्पैरिज़न ऑफ़ फाइव सिटीज़*. वीमेन अनलिमिटेड, ऐन एसोसिएट ऑफ़ काली फ़ॉर वीमेन – यह पुस्तक भारत में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और भारत के विभिन्न भागों में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की निराशाजनक स्थिति को उजागर करती है। पुस्तक की लेखिकाएँ यह दावा करती हैं कि साक्षरता की आधिकारिक परिभाषा के तौर पर, जिसमें उदार रूप से उन्हें भी साक्षर माना गया है जो एक-दो वाक्य लिख या पढ़ सकते हैं, के अनुसार भी 75% मुस्लिम औरतें निरक्षर हैं। उत्तरी राज्यों में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और अधिक निराशाजनक है। उत्तर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में 85% मुस्लिम महिलाएँ निरक्षर हैं। दूसरी ओर, दक्षिण भारत में खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में

क्रियाकलाप

- अपने खंड के कस्तूरबा विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन एवं पढ़ाई अधूरी छोड़ देने के आँकड़ों का पता लगाइए।
- आपके खंड के कस्तूरबा विद्यालय लड़कियों को किस प्रकार लाभान्वित कर रहे हैं?
- आपके कस्तूरबा विद्यालयों में कौन-सी व्यावसायिक गतिविधि होती है?
- वर्तमान मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में विद्यमान प्रेरकों के प्रकार की सूची बनाइए।
- कक्षा को दो भागों में विभाजित कीजिए और उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछिए—

योजना	शिक्षा का स्तर	उपलब्धता	गुणवत्ता
मध्याह्न भोजन			
पाठ्यपुस्तक			
वर्दी			
लेखन सामग्री			
छात्रवृत्ति			
अन्य			

© NCERT not to be republished

स्थिति विचारणीय रूप से बेहतर है। दक्षिण भारत में 88% शहरी महिलाएँ साक्षर मानी जाती हैं। मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा में सुधार के संदर्भ में, लेखिकाओं ने मुस्लिम लड़कियों के दाखिले, उपस्थिति और उपलब्धियों के प्रोत्साहन हेतु समुदाय सदस्यों के साथ-साथ राज्यों की सक्रिय भूमिका पर ज़ोर दिया है।

श्रीवास्तव, गौरी. 2006. *दि रोल ऑफ़ बेगम्स ऑफ़ भोपाल इन गर्ल्स एजुकेशन.* जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प. – यह पुस्तक लड़कियों की शिक्षा में बेगमों की भूमिका पर आधारित है। यह पुस्तक सिकंदर बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम द्वारा मुस्लिम लड़कियों सहित सभी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अपनायी गई रणनीतियों पर प्रकाश डालती है। इन पुस्तक में चर्चित इन रणनीतियों में से कुछ इस प्रकार हैं — लड़कियों के अधिगम के लिए औपचारिक संस्थाएँ खोलना; प्रेरणात्मक साहित्य लिखना जिसमें लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर बात की गई हो; शैक्षिक संस्थाओं को संरक्षण देना; तथा ज़रूरतमंद एवं योग्य बच्चियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। बेगमों द्वारा शुरू की गई शैक्षिक संस्थाओं पर किए गए कुछ केस अध्ययनों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। ये संस्थाएँ हैं — विक्टोरिया स्कूल, मदरसा बिलकुसिया, बिरजिसिया कन्या पाठशाला, आर्ट्स स्कूल, सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल और विलेज स्कूल्स।

नूना, अनीता. 2010–11. *ए स्टडी ऑफ़ बैरियर्स इन सेकेंडरी एजुकेशन (क्लासेज IX–X).* जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प. – इस अध्ययन के पीछे का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में मुस्लिम लड़कियों की भागीदारी की स्थिति का विश्लेषण करना था। इसके अंतर्गत उनकी माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी की राह में आने वाली अड़चनों का पता लगाना तथा सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में मुस्लिम माता-पिता तथा समाज की जागरूकता के स्तर की जाँच करना था। यह अध्ययन अपनी प्रकृति में अनुभवपरक था। इसमें आँकड़ा संग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार ज़िलों — रामपुर, बहराइच, बरेली और बिजनौर को शामिल किया गया। प्राथमिक आँकड़ा अर्ध-संरचित आवास अनुसूची का प्रयोग करते हुए प्रतिदर्श घरों से एकत्र किया गया। यह अध्ययन कुछ प्रश्नों के जवाब तलाशने के लिए किया गया था। प्रश्न थे — प्रतिदर्श ज़िलों में क्या मुस्लिम लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हैं? यदि हाँ, तो वे कौन-सी बाधाएँ हैं जो उन्हें स्कूल जाने से रोक रही हैं? स्थानीय समुदाय के परिवारों की आस्थाएँ तथा सामाजिक-सांस्कृतिक कारण किस प्रकार लड़कियों की आधुनिक स्कूली शिक्षा की माध्यमिक स्तर की शिक्षा में भागीदारी को प्रभावित कर रहे हैं? 400 घरों के सर्वेक्षण से एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण यह संकेत करता है कि माध्यमिक शिक्षा में मुस्लिम लड़कियों की भागीदारी बहुत कम पायी गयी है। मुस्लिम क्षेत्रों में लड़कियों की वय संधि की आयु प्राप्त कर लेने के बाद स्कूल छोड़ने की दर में बहुत वृद्धि देखी जाती है। माध्यमिक शिक्षा में मुस्लिम लड़कियों की कम भागीदारी का एक कारण सामाजिक विरोध भी रेखांकित किया गया है। यद्यपि ज़िलों के बीच भी वैभिन्य है। रामपुर और बिजनौर में सामाजिक विरोध एक बड़ी बाधा के रूप में उभरा है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में शामिल क्षेत्रों में मुस्लिम लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा में भौतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पहुँच और परिवार के सदस्यों की रूढ़िवादी सोच भी बाधा के रूप में सामने आयी है। परिणाम बताते हैं कि मुस्लिम क्षेत्रों में शिक्षा की वकालत और जेंडर संवेदीकरण की अत्यंत आवश्यकता है।

जयरथ, सुषमा. 2010–12. *ए स्टडी ऑफ़ मदरसाज़ एंड मकतब्स ऑफ़ साउदर्न स्टेट्स ऑफ़ इंडिया फ्रॉम ए जेंडर पर्सपेक्टिव.* जेंडर अध्ययन विभाग. रा.शै.अ.प्र.प. – यह अध्ययन दक्षिण भारत के तीन राज्यों केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया गया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे — (i) पाठ्यक्रम का विश्लेषण, और (ii) जेंडर परिप्रेक्ष्य से साझेदारों की समझ की परख। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दक्षिण में मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा भिन्न प्रकृति की है। केरल में सभी बच्चे स्कूल के समय पर स्कूल जाते हैं। धार्मिक शिक्षा केवल सुबह, शाम और सप्ताहांत में दी जाती है (एक नयी संकल्पना की शुरुआत) क्योंकि कई बार बच्चों के लिए प्रतिदिन मदरसे के बाद स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थिति केरल से अलग, किंतु उत्तर भारत के स्वतंत्र मदरसों के काफी समान थी। कर्नाटक के बंगलुरु और आंध्र प्रदेश के महबूबनगर ज़िलों में, कुछ मदरसे

© NCERT not to be republished

एस.एस.ए. के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों का भी प्रबंधन कर रहे हैं। ये संस्थाएँ एस.एस.ए. (भारत सरकार की एक परियोजना) द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ ले रही हैं, जैसे — मध्याह्न भोजन, मुफ़्त वर्दी, मुफ़्त किताबें तथा शिक्षकों का वेतन। अरबी भाषा के अतिरिक्त, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के मदरसों में अधिकांश विषयों के शिक्षण की भाषा उर्दू है। कुछ संस्थाओं ने अंग्रेज़ी पढ़ाने के भी प्रयास किए। केरल में, शिक्षार्थियों को अरबी और अँग्रेज़ी के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं, जैसे मलयालम में भी दक्ष किया गया। केरल में, सहशिक्षा मदरसे देखे गए, विशेषकर अरबी महाविद्यालयों में, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लड़के-लड़कियों की अलग-अलग शिक्षा पर ही बल दिया गया है। केरल के मदरसों और अरबी महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिका दोनों पढ़ाते हैं, जबकि अन्य दो राज्यों में लड़कों के मदरसों में महिला शिक्षक लगभग नगण्य हैं। गुलबर्ग मदरसे अपनी प्रकृति में दक़ियानूसी और अपने दृष्टिकोण में बेहद पिछड़े हुए हैं। मलप्पुरम मदरसे उच्च स्तरीय संस्थाओं के समान काफ़ी विकसित बुनावट लिए हुए हैं जिनमें कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और इस्लामिक अध्ययन के साथ-साथ बैंकिंग जैसे विषय हैं जिसे लड़के एवं लड़कियाँ दोनों पढ़ सकते हैं। हैदराबाद और गुलबर्ग में लड़कों की तुलना में लड़कियों के मदरसे बहुत कम संख्या में हैं। इसके अतिरिक्त, गुलबर्ग, हैदराबाद तथा महबूबनगर के मकतबों में सहशिक्षा का एक भी उदाहरण नहीं देखा गया जो कि केरल के सुबह, शाम और सप्ताहांत के मदरसों में देखा जाता है।

यादव, मोना. 2010–12. *ए स्टडी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ के.जी.बी.वी. स्कीम्स इन दि मुस्लिम कंसेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्टस ऑफ़ फ़ोर स्टेट्स ऑफ़ इंडिया* — ऐन असेसमेंट. जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प. – यह अध्ययन कस्तूरबा विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा गुणवत्ता, पाठ्यक्रम निरूपण का अध्ययन तथा मुस्लिम लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए के.जी.बी.वी. योजना पर लड़कियों, शिक्षकों और माता-पिता एवं समुदाय की सोच के विश्लेषण के मूल्यांकन के उद्देश्य से किया गया है। क्षेत्र-कार्य राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित के.जी.बी.वी. को आधार बना कर किया गया है। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि समाज के निर्धनतम वर्ग की लड़कियों की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं हो पातीं। साथ ही, अधिकांश माता-पिता ने बताया कि वे गरीबी तथा असुरक्षा के चलते अपनी बेटियों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए नहीं भेज पाते। इन के.जी.बी.वी. विद्यालयों में आने वाली मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की यह पहली पीढ़ी है। उनके लिए सभी सुविधाओं, जैसे पका-पकाया भोजन, खेलने का मैदान, टेलीविज़न और अपने साथी समूह/दोस्तों के साथ बातचीत के गुणवत्तापूर्ण समय सहित छात्रावास में रहने की व्यवस्था बेहतर प्रेरक तत्व हैं। सभी साझेदारों का मानना है कि के.जी.बी.वी. की स्थापना एक सामाजिक सुधार की तरह है जो लड़कियों के सशक्तीकरण में प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उपरोक्त शोध अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि यद्यपि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि हुई है, किंतु आज भी उनके सामने कई चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक घटकों से जुड़ी हैं और प्रत्येक राज्य में अलग-अलग स्वरूप में पायी जाती हैं। इसलिए इन समस्याओं के निवारण के लिए, संदर्भीकरण के साथ राज्य केंद्रित रणनीतियाँ बनाए जाने की भी आवश्यकता है। रणनीतिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होगा और क्षेत्र स्तर पर कार्य करके परिवर्तन लाया जा सकता है। आगे की दिशा तय करने के लिए स्थानीय अनुभवों की कमी के कारण नीतियाँ दिखावा भर रह जाती हैं। लिहाजा दृष्टिकोण बहुस्तरीय तथा राज्य प्रशासन, शिक्षकों और विशेष रूप से संबंधित समाज को प्रभावित करने वाला होना चाहिए।

क्रियाकलाप

1. अल्पसंख्यक संस्थाओं की कक्षा में होने वाली गतिविधियों का एक केस अध्ययन कीजिए।
2. अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर माता-पिता तथा शिक्षकों के विचार एकत्र कीजिए।
3. कुछ मुस्लिम लड़कियों से बात करके शिक्षा प्राप्त करने में उनके द्वारा झेली जा रही समस्याओं की पड़ताल कीजिए।
4. मुख्यधारा की शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर एक परिचर्चा आयोजित कीजिए।
5. आप स्कूल द्वारा बच्चों को उपलब्ध करवाए जा रहे खेलों के प्रकार और शारीरिक गतिविधियों की एक सूची बना सकते हैं। क्या इसमें कोई जेंडर विभेदीकरण है?

© NCERT not to be republished

3.9 निष्कर्ष

मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की शिक्षा में, सुधार हेतु योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें मज़बूती दिए जाने की ज़रूरत है। समय-समय पर योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन की आवश्यकता है, ताकि यह देखा जा सके कि लाभार्थियों की व्यावहारिक ज़रूरतों को पूरा करने अथवा सुस्पष्ट परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं या नहीं। शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मुस्लिम लड़कियों की सफलता की कहानियों और उपलब्धियों का प्रचार किए जाने की ज़रूरत है। भेदभाव तथा रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए शिक्षा में जेंडर के मुद्दों पर नियमित रूप से शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना भी आवश्यक है।

3.10 संदर्भ

- *इंडिया – ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011, ट्रूवर्ड्स सोशल इंक्लूजन*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. नयी दिल्ली.
- जयरथ, सुषमा. 2010–12. *अ स्टडी ऑफ़ मदरसाज़ एंड मक़तब्स ऑफ़ साउदर्न स्टेट्स ऑफ़ इंडिया फ्रॉम ए जेंडर पर्सपेक्टिव*. डिपार्टमेंट ऑफ़ वुमेन्स स्टडीज. एन.सी.ई.आर.टी.
- नूना, अनीता. 2003. *एजूकेशन्स ऑफ़ मुस्लिम गर्ल्स — अ स्टडी ऑफ़ दि एरिया इंटेंसिव प्रोग्राम*. डिपार्टमेंट ऑफ़ वुमेन्स स्टडीज. एन.सी.ई.आर.टी.
- नूना, अनीता. 2010–11. *अ स्टडी ऑफ़ बैरियर्स इन सेकंडरी एजूकेशन (क्लास IX-X) ऑफ़ मुस्लिम गर्ल्स*. डिपार्टमेंट ऑफ़ वुमेन्स स्टडीज. एन.सी.ई.आर.टी.
- *नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन*. 1986. डिपार्टमेंट ऑफ़ एजूकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया. नयी दिल्ली.
- *नेशनल पॉलिसी फ़ॉर दि एम्पॉवरमेंट ऑफ़ वुमेन*. 2001. डिपार्टमेंट ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया. नयी दिल्ली.
- *फोर्थ वर्ल्ड कांफ्रेस ऑन वुमेन — बीजिंग कंट्री रिपोर्ट*. 1995. डिपार्टमेंट ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया.
- मिनॉल्ट, गेल. 1998. "सेक्लूडेड स्कॉलर्स — वुमेन्स एजूकेशन एंड मुस्लिम". *सोशल रिफ़ार्म इन इंडिया*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. दिल्ली.
- यादव, मोना. 2010–12. *ए स्टडी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ के.जी.बी.वी. स्कीम इन दि मुस्लिम कंसन्ट्रेटेड डिस्ट्रिक्स ऑफ़ फोर स्टेट्स ऑफ़ इंडिया – ऐन असेसमेंट*. डिपार्टमेंट ऑफ़ वुमेन्स स्टडीज. एन.सी.ई.आर.टी.
- *वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑन एलीमेंट्री एंड एडल्ट एजूकेशन– टेंथ फाइव इयर प्लान, 2002–2007*. मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया. नयी दिल्ली.
- हसन, ज़ोया एंड मेनन, रितु. 2005. *एजूकेटिंग मुस्लिम गर्ल्स — ए कम्पैरिजन ऑफ़ फाइव सिटीज़*. वुमेन अनलिमिटेड, ऐन एसोसिएट ऑफ़ काली फ़ॉर वुमेन. नयी दिल्ली.
- श्रीवास्तव, गौरी. 2006. *द रोल ऑफ़ बेगम्स ऑफ़ भोपाल इन गर्ल्स एजूकेशन*. डिपार्टमेंट ऑफ़ वुमेन्स स्टडीज. एन.सी.ई.आर.टी.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 4

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
क्षमताएँ एवं संभावनाएँ

मॉड्यूल की रूपरेखा

4.1 परिदृश्य
4.2 भूमिका
4.3 उद्देश्य
4.4 भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश
4.5 महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम
4.6 कंपनियों के मुख्य व्यापार से जुड़े सतत आजीविकोपार्जन निर्माण के प्रयास
4.7 स्वनियोजित महिला संघ (सेवा)
4.8 भारत में उद्यमियों के रूप में महिलाएँ
4.9 महिला उद्यमियों के लिए व्यापार संबंधी अतिरिक्त अवसर
4.10 निष्कर्ष
4.11 संदर्भ

© NCERT not to be republished

4.1 परिदृश्य

यह अत्यंत वांछनीय है कि महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि वे भारत की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत हैं। मुख्य समस्या इस तथ्य में है कि आज भी बहुत-सी लड़कियों का स्कूल में नामांकन नहीं हुआ है और यदि हुआ भी है तो वे जल्दी ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसलिए, यह ज़रूरी है कि उन्हें कुछ ऐसे कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाए जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने में सहायक हो सके। एक बार कौशल प्राप्त कर लेने और उसमें माहिर हो जाने पर वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। शुरुआत करने के लिए, वे यह पता लगा सकती हैं कि उनके अपने क्षेत्र में कौन-कौन-सा कच्चा माल उपलब्ध है। वे यह भी पता लगा सकती हैं कि किस खास उत्पाद की अधिक माँग है। फिर ज़रूरत के अनुसार किसी विशेष कौशल में प्रशिक्षण लेकर वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट भी इस तरह के रास्ते सुझाती है कि महिलाओं द्वारा कौशल प्रशिक्षण ले लेने के बाद किस प्रकार व्यवसाय स्थापित करने में उनकी मदद की जा सकती है और किस प्रकार वे आगे स्वयंसेवी समूह बना सकती हैं। ऐसे उद्योगों से संपर्क किया जा सकता है जिनके यहाँ सामाजिक जिम्मेदारी तथा स्वयंसेवी समूहों के लिए अलग से एक प्रभाग हो। महिलाएँ बेकरी, मुर्गीपालन आदि का काम शुरू कर सकती हैं; कृमिपालन, फूलों की खेती, ऊतक संवर्धन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि क्षेत्रों में भी हाथ आज़मा सकती हैं। पॉलीटेक्निक, विश्वविद्यालय अथवा दूर शिक्षा कार्यक्रम

विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने का काम करते हैं। यदि भारत की विकास आधारित नीतियाँ महिलाओं द्वारा उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उसकी प्रक्रिया को सुगम बनाएँ तो भारत निश्चित तौर पर जेंडर समानता की दिशा में और आगे बढ़ेगा।

4.2 भूमिका

उषा का जन्म गरीबी से पीड़ित एक दकियानूसी परिवार में हुआ। उसके पिता सब्ज़ी बेचकर दिन में ₹300 कमाते हैं। उषा का एक छोटा भाई है जो स्कूल जाता है। उषा भी उसके साथ स्कूल जाती है। उसकी माँ नौकरानी का काम करती है और ₹9000 महीना कमाती है। घर का सारा काम उषा करती है। घर के काम तले दबी होने के बावजूद उषा स्कूल में तथा घर पर बेहद मेहनत करती है और प्रायोगिक विज्ञान के एक कॉलेज में प्रवेश लेती है। वह यंत्र विन्यास (इंस्ट्रूमेंटेशन) में एक कोर्स करती है और एक दवा कंपनी में नौकरी पाती है और इस तरह अपने परिवार की मदद करती है। उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है। उसका भाई अब एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता है। उषा अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती और विश्लेषणात्मक यंत्र विन्यास (एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन) में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करती है और कॉलेज में एसोशिएट प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्त होती है। इससे न केवल परिवार आर्थिक तंगी से निजात पाता है, बल्कि स्वयं उषा भी सुशिक्षित होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाती है। उषा की जीवन कथा से हम यह सीख हासिल करते हैं कि चूँकि उसके पास ज़रूरी कौशल और योग्यता थी, इसलिए वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पायी। अब उषा अपने पूरे परिवार के आर्थिक बोझ और ज़िम्मेदारियों में हाथ बँटाने के योग्य हो गयी थी।

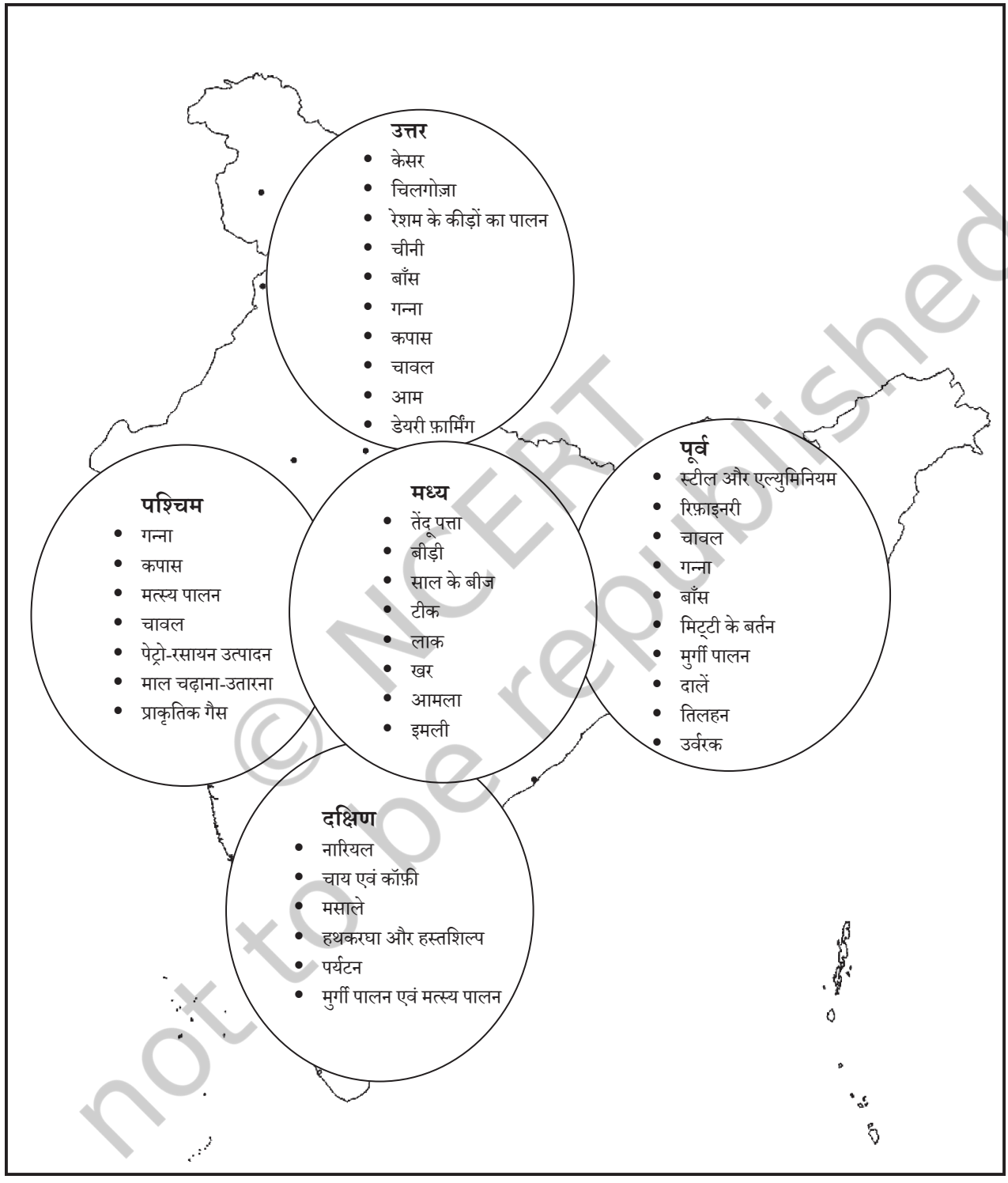
आर्थिक समझदारी यह माँग करती है कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। चूँकि वे हमारे देश की कुल जनसंख्या की लगभग आधी संख्या में हैं, इसलिए उनकी क्षमताएँ भी सामने आनी चाहिए। एक स्त्री को शिक्षित करना मतलब एक परिवार को शिक्षित करना है। देश में बहुत सारी लड़कियाँ या तो स्कूल नहीं जा पाती या जाती भी हैं तो जल्दी ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है। व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2007 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि सरकार को 1,600 नए आई.टी.आई. तथा पॉलीटेक्निक्स और 50,000 नए कौशल विकास केंद्र खोलने होंगे जो एक करोड़ शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने में सक्षम होंगे। चीन के पास लगभग 5,00,000 उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक स्कूल हैं, जबकि भारत के पास केवल 5,100 आई.टी.आई. तथा 6,000 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण (VET) स्कूल हैं। एक बार यदि इतने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो जाएँ तथा उनमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रशिक्षक आ जाएँ तो स्कूल छोड़ चुके लोगों तथा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यद्यपि, ऐसे केंद्रों की स्थापना के समय स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों तथा स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक केंद्र को स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। जैसे कि अगर उस क्षेत्र में कोई खास फल अत्यधिक मात्रा में उपजता है तो वहाँ के लोगों को इन फलों का संरक्षण तथा उससे अन्य उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में भेड़ पालन हो सकता है तो वहाँ के लोगों को यह कौशल सिखाया जा सकता है। इस प्रकार, प्रत्येक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्यमों की स्थापना की जाए ताकि न तो वहाँ उपलब्ध कच्चा माल बर्बाद हो और न ही युवाओं की मानसिक क्षमता। यह न केवल बेरोज़गारी की समस्या को सुलझाएगा, अपितु महिलाओं के लिए खाली समय में अपने लिए धनोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराएगा। ऐसा प्रयास महिलाओं को न केवल समाज की मुख्यधारा से जोड़ेगा, अपितु उन्हें आर्थिक योगदान करने हेतु सक्षम भी बनाएगा।

क्रियाकलाप

- अपने क्षेत्र से निम्निलिखित आँकड़े इकट्ठा कीजिए —
  - अपने क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले कच्चे मालों को देखिए और उनकी सूची बनाइए।
  - पता कीजिए कि इन कच्ची सामग्रियों से किस प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
  - क्या आपके क्षेत्र में आपके द्वारा बनाए गए उत्पादों की माँग है? बाज़ार में सर्वेक्षण कीजिए।
- प्रशिक्षकों को चाहिए कि वे क्षेत्रीय स्तर के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को अपेक्षित उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षक इग्नू के अंतर्गत सामुदायिक कॉलेज खोलने पर भी विचार कर सकते हैं।

© NCERT not to be republished

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चा माल



© NCERT not to be republished

4.3 उद्देश्य

- महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के योग्य बनाना;
- महिलाओं को अपने क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता तथा मुद्रीकरण के विषय में जागरूक करना;
- उन क्षेत्रों को पहचानना तथा विश्लेषण करना जहाँ कौशल की कमी है;
- महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गईं पहलों के विषय में जागरूकता विकसित करना;
- स्वयंसेवी समूहों के गठन के विषय में महिलाओं का मार्गदर्शन करना;
- महिलाओं को उद्यमी बनाने में मदद करने वाजे एन.जी.ओ. के बारे में जानकारी प्रदान करना;
- महिलाओं को अन्य महिलाओं द्वारा शुरू किए गए व्यवसायों से अवगत करवाना;
- कौशल विकास में प्रशिक्षित करने वाले पाठ्यक्रमों तथा संस्थाओं के विषय में ज्ञान तथा सूचना प्रदान करना;
- महिलाओं को उनके लिए रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने वाले उद्योगों की क्षमता से अवगत करवाना।

4.4 भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश

भारत की अकूत क्षमता इसके जनसांख्यिकीय लाभांश में स्थित है। उत्पादक आयु वर्ग में आठ करोड़ युवाओं के होने का तथ्य युवा भारत के उदय की ओर संकेत करता हैं। 2020 तक चीन तथा अमेरिका के 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप के 45 वर्ष तथा जापान के 48 वर्ष की तुलना में भारतीयों की औसत आयु 29 वर्ष होगी। इसलिए, भारतीय युवाओं को उचित कौशल से समृद्ध करना होगा, ताकि वे बेहतर रोज़गार प्राप्त कर सकें, (राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000); (गोल्डमैन सैक्स की BRICS रिपोर्ट, 2004).

वे लड़कियाँ जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है, उन्हें किसी कौशल विकास के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें।

4.5 महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में बनी नीतियों तथा कार्यक्रमों, जेंडर मुद्दों को मुख्यधारा से जोड़कर, महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाकर तथा उनमें अपनी क्षमता को पूर्णतः विकसित करने के लिए संस्थागत तथा वैधानिक सहयोग प्रदान कर उन्हें आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं—

कौशल उन्नयन – महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रोज़गार संबंधी कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करना (STEP) — इस केंद्रीय क्षेत्र योजना का शुभारंभ 1986–87 में हुआ, जिसका उद्देश्य गरीब तथा निर्धन महिलाओं के कौशल में सुधार करना तथा उन्हें संभव सहयोगी समूहों में एकजुट कर सतत चलने वाले रोज़गार प्रदान करना और विपणन संबंधों, सहयोगी सेवाओं तथा धन तक उनकी पहुँच को मज़बूत बनाना है। यह योजना स्वास्थ्य जाँच, विधिक तथा स्वास्थ्य साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा, जेंडर संवेदीकरण और गतिशील शिशुगृह के रूप में उन्हें मदद प्रदान कर सहयोगी सेवाओं को सफल बनाती है। प्रत्येक परियोजना का मुख्य प्रयास ऐसे समूह बनाना है जो सरकार की कम-से-कम मदद तथा हस्तक्षेप के बिना परियोजना का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी अपने दम पर बाज़ार में अपनी जगह बना सकें। आरंभ से लेकर अब तक इस योजना के अंतर्गत 250 परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

STEP के अंतर्गत जिन 10 क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रेखांकित किया गया है, वे हैं—कृषि, पशुपालन, डेयरी संबंधित उद्योग, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, बंजर भूमि का विकास और सामाजिक वानिकी। स्थानीय रूप से उचित क्षेत्रों की पहचान तथा उन्हें योजना में जोड़ने के साथ इस योजना का महत्व और कार्यक्षेत्र व्यापक होता जा रहा है।

किशोरियों के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (RGSEAG) — केंद्र-प्रायोजित योजना, 'सबला' का सरकार द्वारा अनुमोदन अगस्त 16, 2010 को हुआ। यह योजना प्रयोग के तौर पर 200 ज़िलों में क्रियान्वित की जा रही है। बाकी के ज़िलों में पहले की तरह ही 'किशोरी शक्ति योजना' (के.एस.वाई.) चल रही है। यद्यपि सबला योजना ने किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम (एन.पी.ए.जी.) की जगह ले ली है और 'एन.पी.ए.जी.' के सभी ज़िले अब सबला का अंग हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इस योजना का लक्ष्य सोलह वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें।

© NCERT not to be republished

सबला को सभी राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें पोषण प्रावधान के अतिरिक्त सभी कामों के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार से मिल रहा है। पोषण प्रावधान में केंद्र सरकार की तरफ़ से राज्य सरकार को 50 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाती है। इन सेवाओं को पहुँचाने के लिए आँगनवाड़ी केंद्र ही केंद्रीय बिन्दु हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के अंतर्गत जीवन कौशल संबंधी शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच, 16 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 100 लाख किशोरियों को लाभान्वित किए जाने की अपेक्षा है। 2010–11 में ₹ 350 करोड़ के विनियोजन के अंतर्गत लगभग ₹ 330 करोड़ राज्यों अथवा केंद्रशासित राज्यों को दे दिए गए हैं। वर्ष 2011–12 इस योजना के क्रियान्वयन का पहला पूर्ण वर्ष रहा। 2011–12 के लिए सबला में ₹ 750 करोड़ की राशि निर्धारित की गयी।

केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी.) — आर्थिक कार्यक्षेत्र में उत्तर पूर्व क्षेत्रों के चुने गए आठ बेहद पिछड़े ज़िलों की महिलाओं और बच्चों की सामाजिक-आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु समेकित योजना (आई.एस.डब्ल्यू.ई.) का गठन किया है। प्रायोगिक स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन 2008 से हुआ जिसका उद्देश्य समुदाय के एकजुटीकरण, क्षेत्र की उपलब्ध सेवाओं तथा संसाधनों को मिलाकर महिलाओं के लिए संभव और सतत गतिविधियों के माध्यम से आमदनी करके तथा स्वास्थ्य जागरूकता, करियर संबंधी परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बच्चों के क्रय-विक्रय एवं अन्य सामाजिक बुराइयों को रोककर इस क्षेत्र की ज़रूरतों की पूर्ति करना है।

आर्थिक सशक्तीकरण – महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान

संपूर्ण तथा सूक्ष्म दृष्टि से महिलाओं के सशक्तीकरण का परिमाण तीन घटकों से निर्धारित होता है — आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्मिता। ये तीनों घटक आपस में गुँथे हुए हैं और इनका गहरा संबंध है। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई भी एक आयाम अनुपस्थित या कमज़ोर रह जाता है तो अन्य घटकों से प्राप्त परिणाम और वेग टिक नहीं पाएगा। यह तभी संभव होगा जब तीनों घटकों को एक साथ देखा जाए और वे एक-दूसरे के पूरक हों, तभी महिलाएँ सही अर्थों में सशक्त हो पाएँगी। इसलिए, महिलाओं के संपूर्ण सशक्तीकरण के लिए, एक अंतर-खंडीय दृष्टिकोण को अपनाना होगा। महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण का स्वप्न तभी पूरा होगा जब महिलाएँ शोषण और भेदभाव को खत्म करने के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होंगी। तभी उनमें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी और आर्थिक वृद्धि एवं समृद्धि का लाभ उठाने की पूर्ण क्षमता विकसित होगी। इस स्वप्न को पूरा करने के लिए ही महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान (एन.एम.ई.डबल्यू.) का शुभारंभ 8 मार्च, 2013 को हुआ। इस अभियान के उद्देश्य हैं —

- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना;
- यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्रमिक रूप से खत्म होती जाए;
- महिलाओं के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष बल हो;
- कार्यक्रमों, नीतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं में जेंडर को मुख्यधारा में लाना और सहभागी मंत्रालयों, संस्थाओं व संगठनों की प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना; और
- जागरूकता पैदा करना तथा पैरवी संबंधी गतिविधियाँ करना, ताकि विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ की माँग की जा सके और यदि ज़रूरी हो तो उनकी पूर्ति के लिए ज़िले, तहसील तथा गाँव के स्तर पर पंचायत की सहायता से संरचना निर्मित की जा सके।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लक्ष्य को तभी पाया जा सकता है जब स्वयंसेवी समूह के निर्माण पर केंद्रित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को मिलकर चलाया जाए ताकि महिलाएँ सूक्ष्म-ऋण तथा सूक्ष्म-वित्त का लाभ उठा सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (पूर्व में SGSY— स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्वयंसिद्धा तथा अन्य मंत्रालयों व संगठनों के मिलते-जुलते कार्यक्रमों को चिह्नित स्वयंसेवी समूहों की मदद के लिए समायोजित तरीके से मिला दिए जाने की ज़रूरत है। यह अभियान देखेगा कि महिला स्वयंसेवी समूहों की नाबार्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, NSCFDC/NBCFDC जैसी वित्तीय संस्थाओं, NSKFDC (राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी वित्त एवं विकास कार्पोरेशन), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास कार्पोरेशन (NBCFDC), सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय के राष्ट्रीय

© NCERT not to be republished

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कार्पोरेशन (NSCFDC) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक का ठीक से समायोजन हुआ है और ऋण की अदायगी भी समय से हो रही है। स्वरोज़गार अवसरों को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के क्रम में यह सुनिश्चित करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि की योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन स्वयंसेवी समूहों की महिला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध हो और उसमें कोई चूक भी नहीं हो। महिलाओं द्वारा की जाने वाली आय गतिविधियों के टिकाऊपन पर ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए इन गतिविधियों का इनसे जुड़ी आगे, पीछे और समानांतर गतिविधियों के साथ जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.) और भाग लेने वाले मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय बैंक के प्रासंगिक कार्यक्रम और साथ ही प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण और बाज़ार नेटवर्क के घटकों के साथ संगठनों को महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण मोड में रखा जाएगा।

आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में ऐसे अभिसरण प्रयासों की प्रभावशीलता पर नज़र रखने के लिए राज्य और ज़िला स्तर पर मौजूद निगरानी प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय मिशन द्वारा किया जाएगा। ज़िला स्तर पर, ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, ज़िला कलेक्टर, ज़िला स्तर पर अभिसरण प्रयासों की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार होंगे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव को महिलाओं के लिए स्थापित किए जाने वाले राज्य संसाधन केंद्र (एस.आर.सी. डब्ल्यू.) से तकनीकी निविष्टियों के साथ राज्य स्तर पर ज़िम्मेदार बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण (एन.एम.ए.) अभिकरण की आवश्यकता वाले कार्य योग्य एजेंडे की संपूर्ण निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा और इसके लिए वह मिशन निदेशालय और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एन.आर.सी.डब्ल्यू.) दोनों से निविष्टियाँ ले लेगा।

राष्ट्रीय महिला कोष (नेशनल क्रेडिट फंड फ़ॉर वीमेन)

इसकी स्थापना ₹31 करोड़ की जमा राशि के साथ 1993 में हुई। इसका उद्देश्य विशेष तौर पर ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्र की गरीब महिलाओं की सहायता करना था जो अपनी सामाजिक-आर्थिक कमियों के चलते देश के औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से सूक्ष्म ऋण तक नहीं ले सकतीं। 2009–10 में इसकी कुल जमा राशि बढ़कर 100 करोड़ हो चुकी थी। महिला एवं बाल विकास विभाग (अब मंत्रालय) के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्राहक-अनुकूल प्रक्रिया में रियायती शर्तों पर गरीब महिलाओं को उनकी आजीविका में सहयोग देने के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करना था ताकि उनका सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। राष्ट्रीय महिला कोष का पुनर्गठन अब एन.बी.एफ.सी. के रूप में हो चुका है जिसकी जमा राशि अब ₹ 500 करोड़ हो चुकी है। 31 मार्च 2011 तक 6,87,512 महिला लाभार्थियों को ₹ 307.52 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है और जिसमें से ₹ 251.82 करोड़ दिए जा चुके हैं।

स्वयंसेवी समूहों (एस.एच.जी.) के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण — पहले की भूमिहीन कृषि मज़दूर कुशाबाई आज दो दुधारू गायों और दो बकरियों की मालकिन है। उसकी औसतन ₹ 2000 महीने की आय मौसमी कृषि कार्य से होने वाली आय से लगभग दोगुनी हो गई है। इस आर्थिक गतिविधि ने उसे न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, अपितु उसमें खुद पर भरोसा करने की नयी आकांक्षाएँ पैदा की हैं।

महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले के बाबुलगाँव खंड के नांदुरा बुद्रुक गाँव की इस पचास वर्षीय औरत का जीवन तब बदलने लगा, जब उसने 9 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर अपने गाँव में एक स्वयंसेवी समूह (एस.एच.जी.) का गठन किया। 2001 में प्रेरणा एस.एच.जी. के गठन ने आय उत्पादन के लिए सामूहिक व्यवसाय खोलने में सहयोग कर इन 10 महिलाओं की सहायता की। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इसने इन ग्रामीण मेहनती महिलाओं को मज़दूर की स्थिति से उठाकर सूक्ष्म-व्यवसायी (माइक्रो-एंटरप्रेन्योर) बना दिया।

यह सूक्ष्म व्यावसायीकरण कार्यक्रम सम्मिलित सामुदायिक कार्य (सी.सी.ए.) की अवधारणा पर आधारित है जो प्राथमिक रूप से पहले समान संसाधन जुटाने पर बल देता है और फिर उनके सर्वांगीण विकास के लिए इनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करता है। सन् 2000 में ज़िला ग्रामीण विकास समिति (डी.आर.डी.ए.) ने यूनिसेफ़ के सहयोग और एक एन.जी.ओ. के नेटवर्क की सहभागिता से कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

स्वयंसेवी समूह का कामकाज — एस.एच.जी. सामूहिक राशि पर चलते हैं। यह राशि समूह की प्रत्येक सदस्याओं की

© NCERT not to be republished

निश्चित मासिक बचत से एकत्रित होती है। फिर इस सामूहिक राशि का उपयोग समूह की सदस्याओं को निश्चित ब्याज पर ऋण देने के लिए होता है जो निजी साहूकारों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से काफ़ी कम होता है। छह माह के स्थिरीकरण के समय के बाद सुचारू रूप से कामकाज वाला समूह सरकारी योजना की सुविधा प्राप्त करने के योग्य हो जाता है और बाद में चाहे तो बैंकों तथा अन्य निजी सूक्ष्म-वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी ले सकता है।

कार्यक्रम की ज़िला संयोजिका साधना दुबे कहती हैं, "ऋण प्राप्ति से सुप्रबंधित, व्यावसायिक समूह वैयक्तिक अथवा सामूहिक आधार पर आय उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं।" इस बाहरी सहयोग से अलग, समूह सदस्याओं का आपसी विश्वास तथा एकता ज़रूरी ताकत पैदा करने के साथ ही समस्याओं के समाधान भी तलाश सकती है। उदाहरण के लिए, नंदूरा खुर्द की प्रेरणा एस.एच.जी. अपने गठन के एक साल के बाद ही सरकार प्रायोजित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत ऋण लेने के लिए सक्षम एवं योग्य हो गई। यद्यपि, बैंक ने उनके प्रस्ताव को इस आधार पर ठुकरा दिया कि उस समूह की दो सदस्याएँ ऐसे परिवारों से संबंध रखती हैं जिन्होंने ऋण नहीं चुकाया है। इसकी वजह से पूरा समूह ऋण-आवेदन के लिए अयोग्य सिद्ध हो गया। किंतु समूह ने हार नहीं मानी और समूह की कुल बचत से यह ऋण चुकाने का निर्णय लिया।

महिलाओं द्वारा इस एक समस्या से निपटने के बाद वे ₹ 10000 के उपदान के साथ ₹ 25000 की प्रारंभिक परिक्रामी निधि पाने की अधिकारी हो गईं। उन्होंने इस राशि के एक हिस्से से बकरियाँ खरीदीं और बाकी की राशि का उपयोग व्यक्तिगत ऋण के रूप में किया। चूँकि उन्होंने ऋण की इस प्रारंभिक राशि का भुगतान छह महीने के भीतर ही कर दिया, इसलिए वे 18 प्रतिशत ब्याज दर के साथ ₹ 1,50,000 का ऋण प्राप्त करने के लिए योग्य हो गईं। साधना दुबे तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की सलाह से प्रेरणा एस.एच.जी. की सदस्याओं ने गायें खरीदकर डेयरी खोलने का निर्णय लिया। आज इस समूह के पास कुल 21 गायें हैं और वे प्रतिदिन सरकारी डेयरी को ₹ 9 लीटर की दर से 35–40 लीटर दूध बेचती हैं।

जल्दी ऋण का भुगतान करने से वे ₹ 1,00,000 का उपदान पाने की अधिकारी हो जाएँगी, इसलिए वे लाभ का अधिकांश इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।

यह हैरानी की बात नहीं है कि एस.एच.जी. प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण से प्रेरित होकर नंदूरा खुर्द और कई अन्य गाँवों के पुरुष भी अपने खुद के स्वयंसेवी समूहों (एस.एच.जी.) के गठन के लिए एकजुट हो गए हैं।

4.6 कंपनियों के मुख्य व्यापार से जुड़े सतत आजीविकोपार्जन निर्माण के प्रयास

टाइटन मीडोस परियोजना

महिलाओं के व्यवसाय तथा विकास संबंधी प्रबंधन (The Management of Enterprise and Development of Women-MEADOW) परियोजना ने स्थानीय महिलाओं को ब्रेसलेट निर्माण का काम शुरू करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण तथा मशीनें खरीदने के लिए सहायता प्रदान की और फिर इन्होंने ये ब्रेसलेट टाइटन इंडस्ट्रीज़ को बेचे। यही पहल आगे जाकर निजी संसाधनों द्वारा संचालित कंपनी में तब्दील हो गई, जिसका स्वामित्व और संचालन स्वयं महिलाओं ने किया। महिलाओं द्वारा अपने खुद के लाभ के लिए स्वयं उनके द्वारा शुरू किए गए सतत व्यवसाय और उनकी श्रमिक संख्या तथा व्यावसायिक कौशल विकसित करने के माध्यम से हुए स्थानीय महिलाओं के सशक्तीकरण के परिणामस्वरूप उनकी जीवन-शैली और सामाजिक स्तर में सुधार आया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि केवल परंपरागत परोपकार की तुलना में सतत आजीविकोपार्जन के लिए किए गए प्रयासों का समुदाय पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

उद्देश्य

- स्थानीय समुदायों में महिलाओं के जीवन स्तर और सामाजिक भूमिका में सुधार करना;
- महिलाओं द्वारा प्रबंधित संधारणीय व्यवसाय पैदा करना;
- कार्यबल में महिलाओं को सशक्त करना और उनमें व्यावसायिक कौशल विकसित करना;
- स्थानीय महिलाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण;
- ज़रूरी उपकरणों का सहयोग प्रदान करना;
- किसी उपक्रम को 200 महिला अंशधारियों द्वारा स्वामित्व रखने और संचालित करने वाली निजी कंपनी में तब्दील करना;

© NCERT not to be republished

- टाइटन-मीडो संस्था की संधारणीय वृद्धि (33 प्रतिशत घोषित लाभांश के साथ वर्तमान में मीडो कंपनी की कुल जमा राशि ₹30,00,000)
- 20 महिलाओं को उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करने के लिए सक्षम बनाया।
- मीडो के कार्यक्षेत्र में आने वाले समुदायों के जीवन स्तर (जैसे – घर, बचत), सामाजिक स्वीकृति तथा स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला।

भारती वालमार्ट द्वारा भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उपक्रम का शुभारंभ

इस उपक्रम का लक्ष्य भारतीय महिलाओं को रोज़गार के संधारणीय अवसर प्रदान करना और उनके सामाजिक तथा आर्थिक स्तर में सुधार करना है। इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं —

- 2016 तक बहुविध उपक्रमों के माध्यम से 25,000 महिलाओं के जीवन पर सुखद प्रभाव डालना;
- भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों से होने वाली आय में वृद्धि करना;
- 2013 तक 2,500 से अधिक महिलाओं को लाभ पहुँचाने के लिए महिला किसानों को प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाना।

भारती वॉलमार्ट, भारत में थोक व्यापार, व्यापार से व्यापार और नकद एवं भुगतान संचालन हेतु भारती एंटरप्राइज़ और वॉलमार्ट स्टोर का एक संयुक्त उपक्रम है। इसने भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु अपना एक उपक्रम खोला है जिसका लक्ष्य भारत भर में महिलाओं, खासतौर पर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों का सही मायने में विस्तार करना है ताकि उनका आर्थिक स्थिरीकरण हो, उनके जीवन स्तर में सुधार आए और समावेशी वृद्धि में उनका भी सहयोग हो। यह भारत-विशिष्ट उपक्रम अब वॉलमार्ट के वैश्विक महिला आर्थिक सशक्तीकरण उपक्रम का अंग बन गया है।

भारती वॉलमार्ट का महिला आर्थिक सशक्तीकरण उपक्रम कंपनी तथा सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के नेताओं, परोपकारी समूहों और अकादमिकों के बीच सहभागिता की एक सहयोगपूर्ण उपज है। कंपनी का उद्देश्य 2016 के अंत तक 25,000 महिलाओं के जीवन को प्रभावित करना और उसे सुधारना है।

4.7 स्वनियोजित महिला संघ (सेवा)

कई ऐसी गैर-सरकारी संस्थाएँ (एन.जी.ओ.) हैं जो महिलाओं को व्यावसायिक कौशल सिखा रही हैं ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। इनमें से एक बेहद प्रसिद्ध संस्था है — सेवा, स्वनियोजित महिला संगठन। यह स्वावलंबन कार्यक्रम का संचालन करती है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य गरीब और हाशिये पर पड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। चूँकि महिलाएँ परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से परिवार की आय में तो वृद्धि होगी ही, बच्चों के पोषण और शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में भी सुधार आएगा। इस कार्यक्रम के मूल में कपड़ा तथा परिधान, कृषि एवं खाद्य संरक्षण, कृषि एवं नर्सरी विकास, निर्माण, सूचना एवं संचार तकनीक, सूक्ष्म-व्यवसाय का निर्माण एवं प्रबंधन, नमक उत्पादन, पैरा-चिकित्सकीय प्रशिक्षण, पैरा-पशुचिकित्सा प्रशिक्षण, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका के क्षेत्र में बड़े स्तर पर क्षमता निर्माण करना है।

इसके अतिरिक्त, चूँकि पारिवारिक इकाई की उन्नति की दिशा में कौशल और क्षमता निर्माण 'सेवा' के समेकित दृष्टिकोण का केवल एक अंग मात्र है, इसलिए महिलाओं को निम्नलिखित एक या एकाधिक क्षेत्रों से परिचित करवाया जा रहा है ताकि वे अपने लिए आजीविकोपार्जन हेतु इनसे भी सहायता ले सकें —

- बाज़ार से संबंध तथा बाज़ार संबंधी जानकारी तक पहुँच (विशेष तौर पर कृषि तथा नमक उत्पादन के व्यवसाय में)
- जो अपने छोटे व्यवसाय के लिए इच्छुक हैं, उनके मार्गदर्शन हेतु सहयोग और सूक्ष्म-वित्त की व्यवस्था
- सेवा की निर्माता कंपनियों में से किसी एक की आपूर्ति शृंखला में निर्मात्री (प्रोड्यूसर्स), संसाधिका (प्रोसेसर्स), मानयोजिका (वैल्यू ऐडर्स) और बिक्री कार्मिक (सेल्स पर्सन्स) के रूप में काम करने का अवसर
- और अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करने (और इस प्रकार गुणात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए) सेवा के ग्रामीण संसाधन और प्रशिक्षण दल का अंग बनना।

एक अन्य मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षिकाओं का एक वर्ग तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में अन्य लोगों को प्रशिक्षण दे सकें। यह महसूस किया गया है कि प्रशिक्षित लोगों के समूह

© NCERT not to be republished

में से कुछ अच्छी प्रशिक्षिकाएँ भी बन सकती हैं और पूँजी के रूप में इस कौशल पर निवेश कर सकती हैं। वे इस कौशल से आजीविका भी उपजा सकती हैं और निपुण प्रशिक्षिका बन सकती हैं।

4.8 भारत में उद्यमियों के रूप में महिलाएँ

लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या बढ़ रही है। महिलाओं की आज तक प्रच्छन्न रही व्यावसायिक योग्यता समाज में उनकी भूमिका तथा आर्थिक स्तर की बढ़ती संवेदनशीलता के साथ धीरे-धीरे सामने आ रही है। कौशल, ज्ञान तथा व्यापार में अनुकूलनीयता ही वे कारण हैं जिनके चलते महिलाएँ व्यापार के क्षेत्रों में उभर कर सामने आ रही हैं। 'महिला उद्यमी' वह है जो अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करती है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है। कुछ कर दिखाने की उत्कट इच्छा ही एक उद्यमी महिला का अंतर्निहित गुण है जो परिवार तथा सामाजिक जीवन — दोनों में मूल्यों का योगदान करने में समर्थ है। जनसंचार के आगमन से, महिलाएँ अपनी विशेषताओं, अधिकारों और साथ ही कार्यस्थिति को लेकर जागरूक हुई हैं। काँच की दीवारें अब ढह गई हैं और महिलाएँ अब पापड़ बनाने से लेकर बिजली के तार बनाने तक व्यवसाय के हर क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।

डिजिटल युग की महिलाओं के सामने चुनौतियाँ और अवसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि पूरे विश्व में नौकरी की तलाश करने वाले अब नौकरी देने वालों में तब्दील हो रहे हैं। वे डिज़ाइनर, आंतरिक सज्जाकार, निर्यातक, प्रकाशक, परिधान निर्माता के रूप में फल-फूल रहे हैं और इसके अलावा भी आर्थिक सहभागिता के नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं। भारत में यह स्थिति कुछ भिन्न है। यद्यपि कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा महिलाएँ हैं, किंतु व्यावसायिक दुनिया में आज भी पुरुषों का आधिपत्य है। भारतीय उद्यमी महिलाएँ लगातार कुछ बड़े अवरोधों का सामना कर रही हैं, जो इस प्रकार है —

आत्मविश्वास की कमी – सामान्यतः महिलाओं को अपनी शक्ति और क्षमता में विश्वास नहीं होता है। परिवार के सदस्य तथा समाज भी उनके व्यावसायिक विकास में साथ नहीं देना चाहता है। यद्यपि कुछ हद तक स्थितियों में बदलाव आ रहा है, किंतु मंज़िल अभी भी बहुत दूर है।

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ – महिलाओं के परिवार और निजी दायित्व ही कई बार उनके व्यावसायिक करियर की सफलता में एक बड़ी बाधा बन जाते हैं। केवल कुछ ही महिलाएँ ऐसी होती हैं जो प्राथमिकता से अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए खूब समय देते हुए निपुणता से घर और व्यवसाय दोनों को साध लेती हैं।

बाज़ार केंद्रित जोखिम – बाज़ार में कड़ी प्रतियोगिता और महिलाओं की कम गतिशीलता के चलते बिचौलियों पर उनकी निर्भरता अनिवार्य हो जाती है। कई महिलाओं के लिए बाज़ार पर पकड़ बनाना और अपने उत्पाद को चर्चित करना मुश्किल हो जाता है। वे बाज़ार की बदलती स्थितियों से पूरी तरह अवगत नहीं होतीं और इसीलिए वे मीडिया तथा इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल कर सकती हैं।

प्रेरणादायी घटक – सफल व्यापार के लिए मानसिकता, जोखिम लेने की समझ तथा सामाजिक ज़िम्मेदारियों में हाथ बँटाते हुए व्यापार समाज के प्रति व्यवहार के माध्यम से आत्मप्रेरणा को हासिल किया जा सकता है। अन्य तत्व हैं — पारिवारिक सहयोग, सरकारी नीतियाँ, सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं से वित्तीय सहयोग तथा साथ ही व्यावसायिक इकाई की स्थापना हेतु महिलाओं के अनुकूल माहौल।

व्यापार प्रशासन में ज्ञान – महिलाओं को व्यापार प्रबंधन के सभी क्रियाशील क्षेत्रों में कौशल और ज्ञान अर्जित करने के लिए नियमित रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित होना होगा। यह उन्हें प्रभावी निर्णय लेने और अच्छा व्यावसायिक नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगा।

वित्तीय सहयोग के प्रति जागरूकता – वित्तीय क्षेत्र में अधिकतर संस्थाएँ प्रोत्साहन, ऋण, योजनाओं आदि के रूप में अपना अधिकतम सहयोग प्रदान करती हैं। फिर भी संभव है कि प्रत्येक महिला उद्यमी इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहयोग से अवगत न हो। अधिकांशतः ऐसा होता है कि महिला उद्यमियों के पक्ष में किए गए कई ईमानदार प्रयास ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों की महिला उद्यमियों तक नहीं पहुँच पाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच – प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए सामाजिक तथा कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। ये समयावधि, कौशल तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर

© NCERT not to be republished

आधारित होती हैं। इस तरह के कार्यक्रम ऐसे नए, ग्रामीण तथा युवा उद्यमियों के लिए काफ़ी कारगर होते हैं जो अपनी खुद की छोटे या मध्यम स्तर की व्यावसायिक इकाई की स्थापना करना चाहते हैं।

उपलब्ध संसाधनों की पहचान – महिलाएँ वित्तीय तथा विपणन क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मार्ग तलाशने को लेकर संकोची होती हैं। संगठनों, संस्थाओं तथा सरकारी योजनाओं की भरमार के बावजूद, महिलाएँ इतनी उद्यमशील तथा स्फूर्त नहीं होतीं कि आरक्षित निधि, संपत्ति, मनुष्यों अथवा व्यापार स्वयंसेवियों के रूप में उपलब्ध संसाधनों का दोहन कर सकें।

उच्च शिक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और व्यावसायिक तौर पर योग्य महिलाओं को दुकानों पर दिहाड़ी आधारित काम पर निर्भर होने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। युवा महिलाओं की योग्यताओं की पहचान कर, उन्हें प्रशिक्षित करके विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि उद्योग क्षेत्र में उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। व्यावसायिक मूल्यों को सीखने और व्यापारिक सौदों में शामिल होने के लिए एक अनुकूल वातावरण हर महिला की ज़रूरत है।

4.9 महिला उद्यमियों के लिए व्यापार संबंधी अतिरिक्त अवसर

(क) पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी — महिला उद्यमियों जैविक की ओर बढ़ो!

जैविक खाद्य पर्यावरणवादी-आहारविज्ञ (eco-nutritionist) कविता मुखी का जुनून है। प्रारंभ में कॉन्शियस फ़ूड की संस्थापिका और आज मुंबई के पहले जैविक किसान बाज़ार के पीछे की ताकत के रूप में कविता ने सचेत रूप से पोषण की दृष्टि से स्वस्थ खाद्य को प्रचारित किया है।

निश्चित रूप से, आज 'जैविक की ओर बढ़ो' ('Go Organic!') के मंत्र से उन्हें जागरूक शहरी महिलाओं का सहयोग मिल रहा है। इसका कारण स्पष्ट है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की तुलना में जैविक खाद्य पदार्थों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि महानगरों में जैविक उत्पाद की कंपनियाँ और उपभोक्ता केंद्र खुल रहे हैं। इनके पीछे वे सफल महिला उद्यमी हैं जिनके लिए 'स्वस्थ', 'खेत का ताज़ा' और 'रसायन मुक्त' जादुई शब्द हैं।

(ख) जैव-प्रौद्योगिकी — जैव-प्रौद्योगिकी उद्यमी किरण मजूमदार शॉ

ऐसे कुछ ही लोग हैं जो भीड़ में से रास्ता तलाशते हैं और असाधारण पथ-प्रदर्शक होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हैं, किरण मजूमदार शॉ।

किरण बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की अध्यक्षा और प्रबंध निदेशिका हैं। बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी और विश्व की 20 अग्रणी बायोटेक कंपनियों में से एक है। किरण ने कभी भी उद्यमी बनने की कल्पना नहीं की थी, उनकी किस्मत के पन्ने इससे उलट थे। उनके पिताजी अपनी बचत को एक गलत निवेश में गँवा बैठे थे। किरण की बायोटेक अथवा व्यवसाय की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में महिला उद्यमी होने के सामाजिक लांछन से भी उबरना था। बायोकॉन की स्थापना के समय बैंक जैव-प्रौद्योगिकी के असामान्य उद्योग के लिए ऋण देने को इच्छुक नहीं थे।

जैव-प्रौद्योगिकी की अपनी एक साथी सलाहकार और केवल ₹ 10,000 के सहयोग से किरण ने 1978 में बायोकॉन की स्थापना की। कंपनी ने पपीते में पाए जाने वाले एक किण्वक (एंजाइम) पपैन को निकालने की प्रक्रिया के विकास से अपना काम शुरू किया। खमीर की यह प्रक्रिया आगे चलकर अन्य औद्योगिक किण्वकों के विकास में सहायक बनी। 1990 तक बायोकॉन ठोस सबस्ट्रेट खमीर प्रौद्योगिकी (solid substrate fermentation technology) में एक आंतरिक शोध कार्यक्रम करवाने के योग्य हो गया जिसने इसे प्रायोगिक से बड़े स्तर पर किण्वक बनाने की अनुमति दी। किरण ने अपनी कंपनी को जैव-औषधि विज्ञान के क्षेत्र में एक पूर्ण समेकित जैव-औषधि विज्ञान कंपनी के रूप में स्थापित किया जो मधुमेह, आंकोलॉजी (कर्करोग विज्ञान) और प्रतिरक्षा प्रणाली जनित रोगों (ऑटो इम्यून डिज़ीज़) पर विशेष अनुसंधान के साथ उत्पादों तथा सेवाओं के सुस्थिर वर्गीकरण के आधार पर व्यापार विकसित का एक उपक्रम है।

2004 में बायोकॉन की अपार सफलता ने किरण को भारत की सबसे अमीर महिला बना दिया।

(ग) आई.टी. सक्षम व्यवसाय

रेवती कस्तूरी – लक्ष्य जॉब स्किल अकादमी की प्रवर्तिका और सी.ई.ओ. रेवती कस्तूरी आई.टी. व्यवसाय की बेहद सफल व्यवसायी हैं। उन्होंने अपना करियर विप्रो से शुरू किया

© NCERT not to be republished

और 17 वर्ष कंपनी में बिताने के बाद उन्होंने तरंग सॉफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी की सह-प्रवर्तिका और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लक्ष्य की स्थापना से पहले वे नोवल इंडिया में प्रबंध निदेशका भी रहीं।

बिजनेस टुडे ने 2001 में उन्हें 'वुमेन ऑफ़ द इयर' के रूप में भी चिह्नित किया। आई.आई.टी. मुंबई से इलेक्ट्रिकल इंजीनयरिंग में स्नातक और मूलतः बंगलुरु की रेवती 6 वर्ष तक नासकॉम में एक्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्या भी रहीं और आज वे नासकॉम के क्षेत्रीय काउंसिल, कर्नाटक में हैं। लक्ष्य जॉब स्किल अकादमी जीवन कौशल विकास, अंग्रेज़ी बोलने का कौशल, कंप्यूटर साक्षरता, विक्रय कौशल और सेवा कौशल में कंपनियों तथा व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण प्रदान करती है। कंपनी ने उचित मूल्यों पर कौशल सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने और शहरी तथा कस्बाई भारत में पहुँचकर युवाओं को पूर्ण प्रशिक्षण और नौकरियाँ देने का भी निश्चय किया है।

(घ) कृमिखाद निर्माण

केस अध्ययन 1; उद्यमी – फरीदा बानू, गनडालु गाँव, कर्नाटक

फ़रीदा बानू, वह प्रथम युवा महिला हैं जिन्होंने अपने माता-पिता के घर के पिछले हिस्से में कृमिखाद बनाने के व्यवसाय की शुरुआत की। तीन प्रजातियों के 2,000 केंचुओं से शुरुआत कर आज वह प्रतिमाह लगभग 400 किलोग्राम कृमिखाद का उत्पादन करती हैं। संभावित ग्राहकों से मुलाकात उनके व्यापार की अद्वितीय रणनीति है। फ़रीदा का चिक्कनयाकनहल्ली में स्थापित सामाजिक फ़ॉरेस्ट्री विभाग, सीरा और हुलियार जैसे कस्बों में किसानों से अनुबंध है। कई बार, उन्हें बंगलुरु से भी ग्राहक मिल जाते हैं। फ़रीदा सारी लागत निकाल लेने के बाद हर माह लगभग ₹1,000 कमा लेती हैं। केंचुओं की बिक्री से उसकी आय में और बढ़ोत्तरी हो जाती है। आज, फ़रीदा एक आत्मविश्वास से पूर्ण युवा महिला हैं जो अन्य व्यवसायियों की मदद से भी उत्पादित कृमिखाद को बेचने में समर्थ हैं।

अपने प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप वह आज काफ़ी सफलता हासिल कर चुकी हैं। पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद उनका जीवन तब और बदतर हो गया जब वह अपने माता-पिता के साथ रहने लगीं। उनका भाई उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था। उनके हिसाब से वह अपने परिवार पर बोझ बन गई थीं। कृमिखाद का व्यवसाय शुरू करते ही उनकी ज़िंदगी में निश्चित रूप से एक सुखद मोड़ आ गया।

केस अध्ययन 2; उद्यमी – जयम्मा, मरेनाडु गाँव, कर्नाटक

जयम्मा और उनके पति गोपाला मरेनाडु गाँव के निवासी किसान हैं। गोपाला एक प्रगतिशील किसान हैं जो कृषि वानिकी, कवर फसलें, फसलों की अदला-बदली और जैविक खाद में प्रयोग करते रहते हैं। यद्यपि, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि खेत के पास की खाद की गुणवत्ता ठीक नहीं है। परिवार में आपसी बातचीत के बाद उन्हें यह विचार सूझा कि जयम्मा व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण के लिए बेहतर अभ्यर्थी हैं।

जयम्मा ने 1996 के लगभग अंत में अपना व्यवसाय शुरू किया। उनकी इकाई 400 किलोग्राम कृमिखाद उत्पादन की क्षमता रखती है। फ़रीदा से अलग जो अपने सारे खाद का विक्रय करती हैं, जयम्मा अपने सब्ज़ी के बगीचों और फल के पेड़ों के लिए इसका प्रयोग करती हैं। परिणामस्वरूप, नींबू के पेड़ ने 1997 में 1000 से अधिक नींबू उपजाए जिससे ₹1000 की पारिवारिक आय हुई।

जयम्मा और गोपाला एक बागवानी खेत का भी निर्माण कर रहे हैं जिसके लिए कृमिखाद बेहद ज़रूरी पोषक तत्व है। वे अपने इस्तेमाल तथा बाज़ार में बेचने के लिए मिर्च और सब्ज़ियाँ उपजा रहे हैं। उनका मानना है कि उनके उत्पादों में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण सुधार आया है।

जयम्मा बाज़ार के भाव पर अपने कृमिखाद को महत्व देती हैं और उन्होंने गोपाला को यह सिद्ध कर दिया है कि अपने निजी खेत के विकास में उसके कृमिखाद के प्रयास का योगदान है।

आज वह कृमिखाद के उत्पादन में वृद्धि पर विचार कर रही हैं ताकि अपने खेत की ज़रूरत के अतिरिक्त वह उसका व्यापार भी कर सकें जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो।

फ़रीदा और जयम्मा के उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कृमिखाद उत्पादन की परियोजना ने अशिक्षित, बेरोज़गार महिलाओं को धनोपार्जन करने तथा अपनी पारिवारिक आय में सहयोग देने का अवसर प्रदान किया है। इस प्रक्रिया में, उनमें बहुत आत्मविश्वास आया है और वे हमेशा हारने की अपनी पुरानी मानसिकता से जीतने की नयी मानसिकता को हासिल करने में सफल हुई हैं।

© NCERT not to be republished

(ङ) फूलों की खेती

केरल में एक सर्वमहिला संगठन **नट्टिका वनिता पुष्प कृषि संरक्षण समिति**, नट्टिका, त्रिशूर ऊतक संवर्धन के माध्यम से ऑर्किड उत्पादन और अन्य सजावटी फूलों के उत्पादन में व्यस्त है। यह उदाहरण महिला उद्यमियों को इसी तरह के मिलते-जुलते व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने का बेहतरीन उदाहरण है।

(च) घरेलू स्तर पर ऊतक-संवर्धन व्यवसाय

200 हेक्टेयर में फैले साधारण परिवार संचालित पादप उत्पादन सामग्री से ₹ 20 लाख की वार्षिक बिक्री होती है जिसमें से वार्षिक लाभ लगभग ₹ 5 लाख तक होता है। ग्रामीण भारत को फसल प्रजातियों की इस श्रेणी की पादप सामग्री की पूर्ति के लिए 15,000 ऐसी नर्सरियों की आवश्यकता है जो ऊतक-संवर्धन से ही संभव है।

(छ) हर्बल तथा स्वास्थ्य सुरक्षा

शहनाज़ हुसैन (शहनाज़) भारत की एक अन्य सफल महिला उद्यमी हैं। उन्होंने सौंदर्य तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए हर्बल उत्पादों को प्रसिद्ध किया। शहनाज़ हुसैन हर्बल्स अपनी तरह का सबसे बड़ा व्यवसाय है जो यू.एस.ए. से लेकर एशिया तक 100 से भी अधिक देशों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। 2002 तक शहनाज़ हुसैन समूह के लगभग 650 सैलून पूरे विश्व में थे जिनमें 4,200 लोग काम कर रहे थे। इस समूह का कुल मूल्य 100 मिलियन डॉलर का था।

(ज) खाद्य, फल तथा सब्ज़ी संरक्षण

डेयरी उत्पाद – महाराष्ट्र राज्य के परभनी ज़िले के तड़बोरगाँव गाँव की एक सफल डेयरी व्यवसायी का केस अध्ययन किया गया। यह 33 वर्ष की अशिक्षित महिला हैं, जिनके दो बेटे हैं। उनका परिवार छोटा परिवार है और उनके पास थोड़ी-सी ज़मीन है। उनके पति सिलाई और फैनिंग का कार्य करते हैं। अपने भाई की मदद से उन्होंने अपनी बचत से और साहूकार से थोड़ा पैसा उधार लेकर एक भैंस खरीदी ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। दूध और दूध के उत्पादों के व्यवसाय से हुई आय से उन्होंने और भैंसे खरीदीं। वे पशुओं को चराने तथा खरीद-बिक्री को छोड़कर पशु तथा डेयरी प्रबंधन के सारे काम खुद ही करती थीं। डेयरी संबंधी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में वे कामयाब हुईं।

हेस्को (हिमालयी वातावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन) एन.जी.ओ. का एक अन्य उदाहरण है जिसने पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की। वे उस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों तथा जैविक संसाधनों से प्रसाद बनाती हैं। इस प्रसाद को पंचामृत के नाम से बेचा जाता है। महिलाओं को प्रसाद की टोकरी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें एक टोकरी, अगरबत्ती और प्रसाद (लड्डू) शामिल होता है। यह सारा सामान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों से बनता है। यह प्रसाद बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को बेचा जाता है। ऊपर दिए गए केसों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग कर और उसके अनुसार प्रशिक्षण के तरीके ईज़ाद कर अपने तंत्र की महिलाओं को उद्यमी बनाने का प्रशिक्षण दे सकता है।

दालें — श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ (एस.एम.जी.यू.एल.पी.) – एस.एम.जी.यू.एल.पी. की व्यावसायिक सफलता विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। एस.एम.जी.यू.एल.पी. एक सह-संचालित व्यवस्था थी जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएँ सदस्यता ले सकती थीं। एक स्थानीय साहूकार तथा समाज सुधारक से उधार ली 80 रुपये की छोटी-सी पूँजी से शुरू हुए इस व्यवसाय में अपार वृद्धि दिखायी दी। वर्ष 2002 में, इसकी ₹ 3 मिलियन की आय और ₹ 100 मिलियन का माल निर्यात किया गया। इसने पूरे भारत वर्ष में 26 डिवीज़नों के अंतर्गत 42,000 लोगों को रोज़गार दिया।

मुर्गी उत्पादन — मणिपुर में महिलाओं का प्रसिद्ध सूक्ष्म-व्यवसाय – बेहद गरीब लोगों के बीच मुर्गी पालन बहुत प्रसिद्ध ऋण-संचालित गतिविधि रही है। यह उस क्षेत्र की पारंपरिक गतिविधि है और महिलाएँ इसके लिए ज़रूरी कौशल से समृद्ध हैं। महिलाओं को केंद्र में रखकर मुर्गी उत्पादन की तीन मुख्य विशेषताएँ थीं — कम खर्च पर शुरुआत, आसान प्रबंधन और आसान क्रय-विक्रय। मुर्गी उत्पादन के व्यवसाय को बेहद कम मेहनत की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र की महिलाएँ पहले ही 14 से 16 घंटे काम करती थीं और इसीलिए अतिरिक्त कार्य नहीं करना चाहती थीं। इसकी स्थापना का खर्च भी बेहद कम होता है, क्योंकि मुर्गियों के दड़बे बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता। इसके अतिरिक्त, निवेश किए गए धन

© NCERT not to be republished

को जल्दी ही लौटाना भी शुरू हो जाता है। मुर्गियाँ तुलनात्मक रूप से कम समय में ही अंडे देने लगती हैं और इन अंडों को अपने ही आस-पास परिवार की दूसरी चीज़ों, जैसे – ज़रूरी खाद्य पदार्थों के बदले में बेचा भी जा सकता है।

महिलाओं द्वारा इसे पसंद किए जाने का एक अन्य कारण भी था। मुर्गी पालन को सामान्यतः महिलाओं की संपत्ति माना जाता है। यद्यपि परिवार में पुरुष ही आर्थिक निर्णय लेते हैं, किंतु महिलाएँ मुर्गी पालन के मामले में पुरुषों से कोई राय-मशविरा नहीं करतीं। इस अध्ययन के तहत कई महिलाओं ने बताया कि मुर्गी पालन से उन्हें आपातस्थिति में फ़ौरन पैसा मिल जाता है। चूँकि उन्हें छोटी-छोटी राशि के लिए पुरुषों की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इससे इन्हें स्वतंत्रता का भी एहसास होता है।

सूअर पालन – मुर्गी पालन के साथ सूअर पालन उत्तर-पूर्वी भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। इससे होने वाला लाभ भी आकर्षक होता है। गाँववालों से की गई बातचीत के आधार पर, सूअर के एक बच्चे का दाम ₹ 800 से ₹ 1000 तक होता है और एक साल के बाद ही यह ₹ 2500–3000 के बीच में बिक जाता है। गरीब परिवारों के लिए यह आय कम नहीं है। क्षेत्र में सूअर बिक्री के लिए अच्छा बाज़ार भी है। हालाँकि महिलाओं को उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रसोई तथा बगीचे अथवा जंगल से बेकार सामग्री को इकट्ठा करना और पकाना पड़ता है। इन्हीं कारणों से, बेहद गरीब महिलाओं में सूअर पालन बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही काम के बोझ से दबी रहती हैं और अतिरिक्त काम लेने के लिए उनके पास समय नहीं होता।

बुनाई – तांगखुल की महिलाओं के लिए बुनाई एक पारंपरिक गतिविधि है और ये महिलाएँ एक से दूसरी पीढ़ी के साथ यह कौशल साझा करती रहती हैं। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि परिवार के इस्तेमाल के लिए वे कपड़े की बुनाई करें। इसलिए, अधिकतर महिलाएँ अपने अन्य कामों के साथ-साथ बुनाई का काम करती हैं, किंतु सामान्यतः यह काम बाज़ार के लिए नहीं किया जाता है। बाज़ार अर्थव्यवस्था के विकास, कुशल बुनकर तथा बाज़ार तक पहुँच रखने वाली महिलाएँ बेहतर आय अर्जित कर सकती हैं। हालाँकि, महँगी सामग्री तथा इसमें लगने वाला समय इसकी एक सीमा भी है। इन्हीं की वजह से गरीब परिवारों से आने वाली महिलाएँ आय-उत्पादन के लिए इसका उपयोग नहीं कर पातीं। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जो महिलाएँ बुनाई का कार्य करने के लिए समूह में ऋण लेती हैं, उन्हें अक्सर यह राशि वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए कम लगती है।

मधुमक्खी पालन/शहद – कला बिष्ट, जो कुछ वर्ष तक बेहद गरीब थीं, आज देहरादून के नजदीक स्थित अपने गाँव में फलों की नर्सरी तथा मधुमक्खी पालन की इकाई चलाती हैं और ₹ 30,000 प्रतिमाह से अधिक कमाती हैं।

मशरूम की खेती – कुछ वर्ष पहले जब सरला बस्तियन ने अपने पिता की ₹ 15,000 की आर्थिक मदद लेकर चेन्नई की आई.सी.एफ. कॉलोनी स्थित अपने घर के पीछे आँगन में मशरूम की खेती कर अपना खुद का व्यवसाय करने का सपना पूरा करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका यह प्रयास पारिवारिक आय में सहयोग देगा और साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा साबित होगा। और इसके अलावा भला क्या चाहिए था कि, 2009 के अंतर्राष्ट्रीय युवा व्यवसाय (वाइ.बी.आई.) उद्यमी सम्मान के तहत महिला उद्यमी सम्मान की श्रेणी में सरला का चयन किया गया।

कुडुम्बश्री

कुडुम्बश्री केरल सरकार द्वारा 1998 में स्थानीय स्व-सरकारों के नेतृत्व में समेकित सामुदायिक कार्य द्वारा गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आरंभ की गई योजना है। कुडुम्बश्री आज देश में सबसे बड़ी महिला सशक्तीकरण परियोजनाओं में से एक है। इस कार्यक्रम में 39.97 लाख सदस्य हैं और केरल में 50 प्रतिशत से अधिक घर इसमें शामिल हैं। इसे तीन महत्वपूर्ण घटक, माइक्रोक्रेडिट, उद्यमिता और सशक्तीकरण को मिलाकर बनाया गया है और कुडुम्बश्री पहल आज कम विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित करने में सफल रही है, जिसके चलते उन्हें अधिक सम्मानित जीवन और बेहतर भविष्य प्रदान किया जा रहा है। कुडुम्बश्री का शाब्दिक अर्थ परिवार (कुडुम्बम्) की समृद्धि (श्री) है।

जॉर्ज फ़ाउंडेशन

जॉर्ज फ़ाउंडेशन ने तमिलनाडु और कर्नाटक के होसूर तालुक के ग्यारह गाँवों में गरीब महिलाओं, विशेष रूप से एकल महिलाओं, विधवाओं और युवा माताओं को आय सृजन के माध्यम से समाज में उनके स्तर को उन्नत बनाकर सशक्त बनाने के लिए एक सतत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया है।

© NCERT not to be republished

इस पहल का अल्पकालिक उद्देश्य सबसे पहले महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण के माध्यम से कुटीर खेती, सहकारी खेती और नकदी फसल की खेती के आवश्यक कौशल सिखाना और 3–5 वर्ष में अपना निजी व्यवसाय शुरू करने के लिए संसाधनों को जुटाने में सहायता करना है। महिलाएँ नयी तकनीक, कृषि और बागवानी के बेहतर तरीके का उपयोग करना सीखती हैं। दूसरी बात, महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन की मूल बातें सिखायी जाती हैं, जैसे – बचत बैंक खाता खोलना और व्यवसाय उद्यमिता। कार्यक्रम विस्तार के रूप में फ़ाउंडेशन द्वारा लोगों के लिए एक सहकारी बैंक भी शुरू किया जाना है। तीसरा, कुछ शिक्षित महिलाएँ कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त करेंगी। शुरूआती विद्यार्थियों के लिए बुनियादी कम्प्यूटर कौशल, जैसे कार्यात्मक भाषाओं में दक्षता और वरिष्ठ विद्यार्थियों के उन्नत कार्यक्रम अलग-अलग घटक होंगे। चौथा, महिलाओं को अपने खेती के काम के उत्पादन का उपयोग करने के लिए स्वच्छ खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम का विकास होने पर मवेशी पालन और पोल्ट्री को शामिल किया जाएगा। महिला किसान जब दिन में कुछ घंटों तक बाहर काम करेंगी, तो उनके छोटे बच्चों (1–4 वर्ष की उम्र) को नर्सरी के स्फूर्तिदायक परिवेश में रहने का मौका मिलेगा, जहाँ उनकी पोषण संबंधी मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और प्री-नर्सरी देखभाल उनकी शिक्षा के लिए राह बनाएगी।

4.10 निष्कर्ष

यह मॉड्यूल स्वयंसेवी समूहों की सहायता से रोज़गार के अवसर पैदा करने के संदर्भ में महिलाओं की क्षमताओं पर ज़ोर देने पर केंद्रित था। ये समूह महिलाओं को केवल कुछ निश्चित कौशल नहीं सिखाते, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और व्यावसायिक योग्यता विकसित करने के योग्य बनाते हैं और इस तरह उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाते हैं। आर्थिक सशक्तीकरण के ही परिणामस्वरूप लड़कियों तथा महिलाओं में 'स्व' तथा 'अस्मिता' का विकास होता है।

मध्याह्न भोजन – रसोई का एक उपक्रम

एस.एस.एम.आई. प्रतिदर्श स्वामी विवेकानंद स्मारक संस्थान

निम्न आय परिवार की महिलाओं की सेवाओं का भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करने ने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की योजना के लाभकारी पहलू को विस्तार दिया है। एक नज़र इस दिशा में अग्रणी 'जहाँगीरपुरी प्रतिदर्श' पर।

रजनी ठाकुर, बिमला देवी, भारती साहा तथा राम देवी में कई बातें समान हैं। ये सभी समाज के गरीब तबकों से आती हैं, ये सभी विधवा हैं और अपने परिवार में रोज़ी-रोटी कमाने वाली अकेली सदस्य हैं।

सुखदायी सफलता – चंडीगढ़ क्षेत्र में प्रतिदिन 20,000 स्कूली बच्चों के लिए 60 क्विंटल भोजन तैयार होता है।

4.11 संदर्भ

- कुमारी, बसंथा. 2012. "इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ़ वुमेन थ्रू माइक्रो इंटरप्राइजेज इन इंडिया विथ स्पेशल रिफरेंस टू प्रमोशनल एजेंसीज". *जेनिथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च*. वाल्यूम 2, इशू 1, जनवरी.
- प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ़ वूमेन थ्रू क्रॉस-कटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मेनस्ट्रीमिंग जेंडर कन्सर्न्स (2010–2011). *एनुअल रिपोर्ट*. डिपार्टमेंट ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट.
- रमन्जानेवुलु. 2006. *इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ़ वुमेन इन इंडिया*. अनमोल पब्लिकेशन.
- *रिपोर्ट ऑफ़ दि वर्किंग ग्रुप ऑन एम्पावरमेंट ऑफ़ वुमेन फ़ॉर ट्वेल्थ प्लान 2010–11*. मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गर्वनमेंट ऑफ़ इंडिया.
- *रिपोर्ट ऑफ़ दि वर्किंग ग्रुप ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेट अप फ़ॉर प्रिपरेशन ऑफ़ ट्वेल्थ प्लान*. 2006. प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, नयी दिल्ली
- स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया – द वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम. 2006. *वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट*.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 5

स्वयंसेवी समूहों द्वारा महिलाओं को रोज़गार तथा सशक्तीकरण

मॉड्यूल की रूपरेखा

5.1 परिदृश्य
5.2 भूमिका
5.3 उद्देश्य
5.4 स्वयंसेवी समूह और सूक्ष्म-वित्त
5.5 महिलाओं पर ध्यान देना
5.6 स्वयंसेवी समूहों का गठन
5.7 स्वयंसेवी समूहों (एस.एच.जी.) के प्रतिदर्श
5.8 महिलाओं पर स्वयंसेवी समूहों (एस.एच.जी.) का प्रभाव
5.9 सूक्ष्म-वित्त के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के संकेतक
5.10 सफलता की गाथाएँ
5.11 सूक्ष्म-वित्त – दुरुपयोग संबंधी सावधानियाँ
5.12 संदर्भ

© NCERT not to be republished

5.1 परिदृश्य

स्वयंसेवी समूह (SHGs) सुविधाहीन महिलाओं को फ़ायदेमंद रोज़गार अवसरों से जोड़कर गरीबी से लड़ने के लिए प्रभावशाली उपाय सुझाते हैं। परिणामस्वरूप स्वयंसेवी समूह बिना कोई अतिरिक्त अथवा कागज़ी कार्यवाही किए व्यवसाय करने हेतु छोटी उधार राशि प्रदान करने के लिए सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं। सूक्ष्म-वित्त की अवधारणा एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसका उद्देश्य विशेष तौर पर गरीब, निरक्षर, महिलाओं का कल्याण करना है। ये समूह महिलाओं को राजनीतिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण प्रदान करने, सामाजिक सौहार्द्र को बढ़ाने, रोज़गार पैदा करने, कम ब्याज दर पर कर्ज़ उपलब्ध करवाने तथा बचत के लिए प्रोत्साहित करने में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं की सामान्य स्थिति में सुधार हुआ है तथा साथ ही महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में सामूहिक सौदेबाजी की ताकत से सशक्त हुई हैं। यद्यपि, इसमें सावधानी बरते जाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सूक्ष्म-वित्त का यदि उपभोग कर लिया जाए और उधार न चुकाया जा सके, तो ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति की स्थिति और बदतर हो सकती है।

5.2 भूमिका

स्वयंसेवी समूह (एस.एच.जी.) छोटे व्यवसायियों, विशेषकर, महिलाओं का एक समूह है जो अपनी इच्छा से पूँजी तथा कौशल विकास के लिए एक आर्थिक गतिविधि का एक साथ संचालन करता है और जिसका उद्देश्य स्वयं को अत्यंत गरीबी और दरिद्रता के जंजाल से मुक्त करना है। इन्होंने थोड़े-थोड़े धन को सामूहिक राशि के रूप में जमा करने का निर्णय इस आपसी समझदारी से लिया है कि वे मुसीबत में पड़ने वाली ज़रूरतों से निपट सकें। 10–20 महिलाओं का एक समूह अपने आर्थिक संसाधनों से एक ऐसी राशि का निर्माण करते हैं जो उसके सदस्यों को ज़रूरत पड़ने पर मिल सके। सदस्यों को इस धन से उधार लेने की सुविधा है जिसे वे निश्चित किश्तों में लौटा सकती हैं और इसका पूरा हिसाब-किताब रखा जाएगा। यह सुविधाहीन महिलाओं को अपनी गरीबी तथा दरिद्रता का सामना करने तथा फ़ायदेमंद रोज़गार ढूँढ़ने का एक कारगर उपाय सुझाता है। आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त यह निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ बेहतर सामाजिक संवाद के अवसर प्रदान करता है—

- महिलाओं को ऐसे लक्षित क्षेत्र की पहचान के योग्य बनाना जहाँ स्वयंसेवी समूह के गठन की आवश्यकता है;
- इसकी ज़रूरत और प्रासंगिकता को समझना;
- महिलाओं में सामूहिक शक्ति और वचनबद्धता का निर्माण करना;
- महिलाओं के आत्मविश्वास और क्षमताओं को बढ़ाना;
- महिलाओं को प्रभावशाली सामूहिक निर्णय लेने के योग्य बनाना;
- उनमें मितव्ययिता की आदत डालना और उनके अपने पूँजी संसाधन के आधार को सुधारना;
- महिलाओं को सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए सक्षम बनाना।

5.3 उद्देश्य

- स्वयंसेवी समूह की अवधारणा को समझना;
- महिलाओं के सशक्तीकरण में स्वयंसेवी समूहों की भूमिका को समझना;
- सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं के लक्ष्यों को भली-भाँति समझना;
- विभिन्न सरकारी प्रयासों से अवगत होना;
- स्वयंसेवी समूहों के विभिन्न प्रतिदर्शों की कार्यप्रणाली को समझना;
- महिलाओं के रोज़गार और सशक्तीकरण में स्वयंसेवी समूहों के प्रभाव का मूल्यांकन;
- सूक्ष्म-वित्त के संभव दुरुपयोगों के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में 'सेवा' प्रवर्तक संस्था है। सेवा ने अपने स्वयं के बैंक स्थापित किए हैं जहाँ महिलाएँ पैसा जमा कर सकती हैं और छोटे कर्ज़ ले सकती हैं। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह कामगारों को स्पष्ट आर्थिक लाभ प्रदान करती है जिसकी सहायता से वे अपने मुश्किल समय का सामना कर सकती हैं। 'सेवा' की एक बीमा योजना भी है ताकि इसके सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा, बीमारी, मातृत्व और अन्य आपातकाल स्थिति में सुरक्षा मिल सके। 'सेवा' का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पूर्ण रोज़गार के लिए संगठित करना है। पूर्ण रोज़गार से तात्पर्य ऐसे रोज़गार से है, जहाँ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा (कम-से-कम स्वास्थ्य देखभाल, बाल देखभाल तथा घर), आय सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा मिल सके। 'सेवा' की सदस्याएँ परिवर्तन की बयार के लिए तैयार हैं। वे जानती हैं कि अपनी शक्ति के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें संगठित होना ही होगा। 'सेवा' अपनी सदस्याओं को अपने क्षमता निर्माण तथा उनके स्वयं के आर्थिक संगठन विकसित करने के लिए सहयोग करती रही है।

5.4 स्वयंसेवी समूह और सूक्ष्म-वित्त

बैंकिंग संस्थाओं की गरीबों और अधिकतर औरतों को कर्ज़ देने की दिशा में असफलता के परिणामस्वरूप नयी, मौलिक, और व्यवहार्य संस्थागत संरचनाएँ स्थापित हुई हैं जिसे सूक्ष्म-वित्त (अर्थात् छोटे कर्ज़) कहा जाता है। प्राचीन बैंकिंग व्यवस्था में किसी भी कर्ज़ की वित्तीय सुरक्षा मूल आवश्यकता है। यह वित्तीय सुरक्षा जमानत के रूप में अथवा निश्चित मासिक आय, किसी भी रूप में हो सकती है। वित्तीय सेवाओं की प्राप्ति से गरीबों की आर्थिक दशा में सुधार की अपेक्षा की जाती है। सूक्ष्म-वित्त अथवा सूक्ष्म-ऋण अत्यधिक गरीब लोगों के लिए छोटे कर्ज़ तथा अन्य वित्तीय सेवाओं (जैसे बचत खाते की

© NCERT not to be republished

सुविधा होना) का विस्तार है। सूक्ष्म-वित्त का मुख्य उद्देश्य उन गरीबों तक पहुँच और उनकी हर प्रकार की वित्तीय ज़रूरतों का निवारण है जो अतिरिक्त कार्यवाही तथा लेन-देन के अत्यधिक महँगे होने के कारण बैंक से कर्ज़ नहीं ले सकते। सूक्ष्म-वित्त के ज़रिए वे छोटे-छोटे व्यापार शुरू करने के लिए ज़रूरी ऋण ले सकते हैं ताकि अपने और अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं (एम.एफ़.आई.) से तात्पर्य संगठनों की एक व्यापक श्रेणी से है जो कम आय के लोगों को अपनी सेवाएँ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन एम.एफ़.आई. के अंतर्गत एन.जी.ओ., को-ऑपरेटिव, निजी तथा सरकारी व्यावसायिक बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ आती हैं। गरीबी से लड़ने के एक विकास उपकरण के रूप में आए सूक्ष्म-वित्त के प्रवर्तक मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने 1980 में समूह-बैंकिंग के ग्रामीण प्रतिदर्श के माध्यम से इसकी शुरुआत की। भारत में सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं द्वारा अपनाए गए वितरण के विभिन्न प्रतिदर्शों में से स्वयंसेवी समूह सबसे प्रसिद्ध वितरण व्यवस्था ही है। भारत में सूक्ष्म-वित्त संस्थाएँ तीव्र गति से बढ़ रही हैं और लाखों की संख्या में गरीबों को छोटे-छोटे ऋण दिए गए हैं ताकि इसकी सहायता से वे अपने परिवार को गरीबी से उबार सकें। इन ऋणों का उद्देश्य गरीबों के छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करवाना है ताकि उससे धन कमाकर वे सशक्त हो सकें और लंबे समय के लिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। सूक्ष्म-वित्त की मुख्य सुविधाओं को यहाँ वर्णित किया जा रहा है—

(क) निर्धनों की सहायता करना – स्वयंसेवी समूह की अवधारणा निर्धनों की मदद के लिए छोटे ऋण प्रदान करने और उनसे ब्याज लेने पर केंद्रित है, न कि उन्हें धन दान में देने पर। इनमें से अधिकांश ऋण वापस भी लौटाए गए हैं।

(ख) कोई काग़ज़ी कार्यवाही नहीं – निर्धन लोग ऋण की सुविधा से वंचित रहते हैं, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है। परिणामस्वरूप, वे गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाते। सूक्ष्म-वित्त निर्धनों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है, उससे अपना खुद का व्यवसाय खोलकर उसके सही उपयोग और अपनी संपत्ति जमा करके गरीबी के जंजाल से निकलने का अवसर प्रदान करता है।

(ग) महिला सशक्तीकरण – सूक्ष्म-वित्त उद्योग का लक्ष्य अपना व्यवसाय शुरू करके महिलाओं का सशक्तीकरण करना है। इन गरीब महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाकर सूक्ष्म-वित्त उद्योग न केवल उन्हें गरीबी से उबरने में उनकी मदद करता है, बल्कि यह पूरे विश्व में जेंडर समानता को भी प्रोत्साहित करता है।

(घ) वित्तीय स्वतंत्रता – यह गरीबी में जकड़े लोगों को लंबे समय तक सतत वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करता है। यह अपने ग्राहकों को शिक्षित करता है कि वे किस प्रकार अपना व्यवसाय खोलें और अपने धन को ठीक से प्रबंधित करें और उसे और बढ़ाएँ।

उधार ली गई राशि कुछ भी हो सकती है किंतु यह सामान्यतः ₹ 500 से ₹ 2000 के आस-पास ही होती है। इन आंतरिक कर्ज़ों पर ब्याज दर सामान्यतः 2 प्रतिशत प्रतिमाह होती है। शुरुआत में, ऋण की राशि को निजी खर्चों, जैसे – बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य फुटकर ज़रूरतों पर खर्च करना होता था। बाद में, महिलाओं ने आर्थिक रूप से संभव छोटे-छोटे प्रयास करने की हिम्मत जुटायी। सूक्ष्म-वित्त महिलाओं को सम्मान के साथ अपनी गरीबी से बाहर निकलने का मौका देता है। इन महिलाओं ने परंपरागत ऋणधारकों की तुलना में ऋण भुगतान के बेहतर रिकॉर्ड बनाए हैं और बैंकों को उनकी मुख्य चिंता ऋण भुगतान से मुक्त किया है। चूँकि सूक्ष्म-वित्त प्रतिदर्श समूह दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, इसलिए इनकी ऋण भुगतान दर साथी-दबाव के कारण उच्च होती है। चूँकि ऋणधारक के ऊपर पूरे समूह की ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि समूह की हर सदस्य ऋण चुकाने में सक्षम हो सके।

यद्यपि, एम.एफ़.आई. को हमेशा लाभ प्रदान करने वाले संगठन के रूप में देखा जाता है, फिर भी ऐसा नहीं माना जा सकता कि वे भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। एम.एफ़.आई. की अन्य समस्या आँकड़ों की सही तरह से व्यवस्था न होना और परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में गलतियों का पाया जाना है। (बहीखाता सही से न रखने का कारण इसकी प्रक्रिया जटिल और काफ़ी समय लेने वाली है।) इसके अतिरिक्त, ऋणदाता के लिए यह सौदा इतना छोटा होता है कि वे उसके दस्तावेज़ीकरण के लिए समय और पैसा दोनों ही नहीं देना चाहते। इसके कारण

© NCERT not to be republished

भी गलतियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अन्य कारणों में किसी समुचित नियामक ढाँचे अथवा कानून की कमी भी एक वजह है, जिसके कारण कई बार एम.एफ़.आई. द्वारा गरीबों का शोषण भी हो जाता है।

बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री, मोहम्मद यूनुस ने हाशिये पर पड़े समूहों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ग्राम आधारित बैंक की शुरुआत करके क्रांति ला दी। इसकी शुरुआत यूनुस ने अपनी ज़ेब से गरीब शिल्पकारों के एक समूह को एक छोटी राशि देकर की। वे परंपरागत बैंक से बड़ा कर्ज़ दिलवाने के लिए अपनी इच्छा से ज़मानती भी बने। आज बांग्लादेश ग्रामीण बैंक विश्व भर में करोड़ों गरीबों को बिना कुछ गिरवी रखे अलग-अलग तरह के ऋण देने वाले बैंकों में अग्रणी है और इस प्रकार सूक्ष्म-वित्त आंदोलन को स्थापित करने में मदद कर रहा है। यह बैंक यूनुस के इस दृढ़ विश्वास पर बना कि गरीब लोग विश्वसनीय ऋणधारक होने के साथ-साथ सफल व्यवसायी भी हो सकते हैं। "यूनुस के नेतृत्व में, ग्रामीण बैंक ने पूरे बांग्लादेश, दक्षिण एशिया और विश्व के अन्य विकासशील देशों में सूक्ष्म-वित्त के विचार को प्रसारित किया। यूनुस और ग्रामीण बैंक ने एक कदम बढ़ाया जिसने अन्यों को सूक्ष्म-वित्त को एक व्यवसाय के रूप में लेने के लिए प्रेरित किया" (UN Capital Development Fund)। ग्रामीण बैंकों ने उन लोगों की मदद की जो अपने पहले ऋण के समय बेहद गरीबी में रह रहे थे। इसके केंद्र मे महिलाएँ थीं, क्योंकि वे अधिकतर परिवार की ज़रूरतों के बारे में ही सोचती हैं। आज ग्रामीण ऋणधारकों मे 95 प्रतिशत महिलाएँ हैं। माइक्रो क्रेडिट समिट अभियान ने यूनुस के विषय में सही ही कहा है कि "यदि बैंक बड़े कर्ज़ देते हैं तो यूनुस छोटे कर्ज़ देते हैं। यदि बैंक कागज़ी कार्यवाही करवाते हैं तो इनके ऋण निरक्षरों के लिए होते हैं। बैंक जो भी करते हैं, ये उसका ठीक उलट करते हैं, और इसीलिए ये महान हैं।"

5.5 महिलाओं पर ध्यान देना

ऐसी वैकल्पिक नीतियों, व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं और एक नयी वितरण व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो महिलाओं की ज़रूरतों को समझ सके। नीति-निर्माताओं तथा एन.जी.ओ. द्वारा यह महसूस किया गया कि विद्यमान बैंकिंग सुविधाएँ तथा प्रक्रिया गरीबों तथा निरक्षरों की अविलंब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उचित नहीं हैं। इसका उद्देश्य आधारभूत बैंकिंग सुविधाओं तथा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना था। इस प्रकार, राज्य सरकारों ने परिक्रामी ऋण निधि (Revolving loan fund) की व्यवस्था की जो स्वयंसेवी समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। भारत में स्वयंसेवी समूह आंदोलन में सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब नाबार्ड ने एस.एच.जी. बैंक शृंखला के प्रायोगिक चरण का शुभारंभ किया। एम.एफ़. आई./बैंक का ध्यान एस.एच.जी. द्वारा निर्मित की गई पूँजी पर और इसके प्रशिक्षण के निर्माण और प्रावधान पर था। एक बार राशि उत्पन्न होने और एस.एच.जी. के पर्यवेक्षकों द्वारा समूहों को ऋण के लिए योग्य घोषित कर देने पर बैंक कर्ज़ दे देते हैं। ऋण के नियम एवं शर्तें तथा उनका लेखा-जोखा समूहों में उनके निर्धारित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये राशियाँ सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं अथवा उन बैंकों, जिससे वे कर्ज़ लेते हैं, द्वारा जमा की जाती है। एम.एफ़.आई./बैंक ऋण जमा औसत 4:1 की दर से ऋण देते हैं, पर यह औसत खाता प्रदर्शन रिकॉर्ड के साथ सुधरता जाता है, जैसे कि तुरंत ऋण अदायगी। चूँकि समूह के सभी सदस्य निरक्षर होते हैं और उनमें एम.एफ़.आई./व्यावसायिक बैंकों के साथ लेन-देन करने में संकोच होता है, इसलिए अधिकांश गैर-सरकारी और समाज-कल्याण संस्थाएँ इसमें मध्यस्थ की भूमिका अदा करती हैं।

1999 में, भारत सरकार ने बहुत सारे ऋण कार्यक्रमों का एक साथ विलय कर और उन्हें सुधार कर एक नया कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (एस.जी.एस.वाई.)। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से गरीबों को ऋण उपलब्ध करवाते रहना था ताकि स्वयंसेवी समूहों की सहायता से पूर्ण रोज़गार पैदा किए जा सकें। स्वर्ण जयंती योजना का उद्देश्य संबंधित गरीब परिवारों (स्वरोज़गारी) को एक खास समय के भीतर आय के प्रशंसनीय सतत स्रोत को सुनिश्चित करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण निर्धनों को सामाजिक एकजुटीकरण की प्रक्रिया, उनके प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आय उत्पादक पूँजी को सुनिश्चित करके स्वयंसेवी समूह से जोड़ना होगा। एक बार यह प्रक्रिया पूरी होने पर वे व्यावसायिक वातावरण स्थापित करने के लिए आवश्यक प्राथमिक खाते, बहीखाते, कार्यवृत्त बनाना तथा तकनीकी और व्यवस्थागत औपचारिकताएँ सीख जाएँगे। शुरुआत में, उन्हें

© NCERT not to be republished

₹ 50 महीने बचत करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो एक निश्चित समय बाद उसी समूह में एक-दूसरे को ऋण आवंटन के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे परिक्रामी निधि कहा जाता है। छह माह से एक वर्ष के अनुशासित संचालन के बाद वे अपनी बचत के गुणज के आधार पर (बचत राशि का लगभग चौगुना) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक अथवा सूक्ष्म-ऋण संस्थाओं से ऋण लेने के योग्य हो जाते हैं। इस ऋण राशि को समूह के सदस्यों में समूह के सदस्यों के विवेक के अनुसार बाँटा जाता है किंतु यह तय हो कि इस राशि का उपयोग धनोपार्जन संबंधी गतिविधि के लिए हो। ऋण के लिए आवेदन करते समय सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऋण का उद्देश्य और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, यह स्पष्ट करें। इस गतिविधि के लिए स्वयंसेवक/एन.जी.ओ. के सदस्य उनकी मदद करेंगे। सामान्यतः एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत प्रत्येक स्वयंसेवी समूह को ₹ 2,50,000 का ऋण दिया जाता है जिसमें से ₹ 1,00,000 अनुवृत्ति होती है और बाकी का ₹ 1,50,000 ऋण होता है। इन बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर 9.5% से 10.5% होती है जो निजी ब्याज दर से हमेशा कम होती है। समूह को दिए जाने वाले ऋण की कुल राशि को सामान्यतः सभी सदस्यों मे बराबर बाँटा जाता है। ऋण अदायगी मासिक किश्तों में करनी होती है। मासिक किश्त की राशि समूह द्वारा उनकी मासिक बैठकों में तय की जाती है। यह राशि प्रति माह ₹ 300 से ₹ 500 के बीच होती है।

5.6 स्वयंसेवी समूहों (एस.एच.जी.) का गठन

स्वयंसेवी समूह का गठन चार चरणों से गुज़रता है – (i) समूह गठन (ii) बचत के माध्यम से पूँजी का गठन (iii) ऋण लेना, और (iv) आर्थिक कार्यों के माध्यम से आय उत्पादन। समूह गठित करने का कार्य या तो स्वयं भी किया जा सकता है या फिर स्वयं सहायता प्रोत्साहन संस्थाओं (एस.एच.पी.आई.) की मदद से भी किया जा सकता है जो समूह गठन के प्रारंभिक समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एस.एच.पी.आई. गैर-सरकारी संस्थाएँ, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, स्थानीय स्वयंसेवक, सरकारी विभाग, बैंक, क्लब आदि कोई भी हो सकते हैं। ये गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं से एक छोटा-सा समरूप समूह बनाने के लिए बात करते हैं। एस.एच.जी. के सदस्य समूह के आकार के आधार पर छोटी-छोटी राशि जमा करने के लिए एकमत होते हैं। यह राशि ₹ 20 से ₹ 50 के बीच होती है। ये कुछ महीनों के लिए राशि जमा करते हैं, जब तक कि समूह में यह राशि कर्ज़ देने के योग्य न हो जाए। सदस्य नियमित रूप से एक तय समय और तिथि पर एस.एच.पी.आई. के निर्देशन में बचत जमा करने के लिए मिलते हैं। पूँजी का गठन भी अन्य बाहरी अनुदान (परिक्रामी निधि, अनुदान, ऋण आदि) की सहायता से होता है। बाहरी अनुदान मूलतः उनकी अपनी ही बचत का गुणज होता है (4:1)। अगला कदम होता है ऋण लेना, जिसमें नियतकालिक बैठकों के दौरान ज़रूरतमंदों को छोटे-छोटे ऋण दिए जाते हैं। ये ऋण थोड़े समय के लिए दिए जाते हैं जिसके भुगतान का एक तय समय होता है। यह राशि समूह के बीच ही घूमती रहती है। राशि को जमा करने के लिए तथा उसके लेन-देन का हिसाब रखने के लिए समूह बैंक में एक खाता रखेगा। समूह के सदस्य अपनी सामूहिक समझदारी तथा आपसी दबाव से यह सुनिश्चित करते हैं कि ऋण का सही इस्तेमाल और समय पर भुगतान हो। यह व्यवस्था कागज़ी कार्यवाही से मुक्त करती है और हिसाब-किताब को इतना सरल बनाती है कि समूह के सदस्य स्वयं इसकी देखरेख कर सकें। समूह के पास यह अधिकार होता है कि वे सदस्यों की इच्छा और रजामंदी के अनुसार ब्याज दर तय करें। सामान्यतः अधिकांश ऋण-आकलन के लिए एक समान ब्याज दर का प्रयोग होता है। समूह के सदस्य आय उत्पादन के लिए अलग-अलग कार्य करते हैं। एस.एच.पी.आई. भी सदस्यों के कौशल के अनुसार उनकी आर्थिक गतिविधि का चुनाव करने में मदद करती हैं। समूह की आय उत्पादन गतिविधियों में से कुछ हैं—

- कृषि संबंधी गतिविधियाँ
- पशुपालन
- होज़री
- मोमबत्ती बनाना
- बाँस के उत्पाद
- कालीन बुनना
- चिकन की दुकानें
- मेस चलाना
- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन
- कढ़ाई

© NCERT not to be republished

- स्कूल की वर्दी सिलने की इकाई
- खादी और चमड़े के उत्पाद
- कताई-बुनाई
- ऊनी कंबल बुनना
- फल-सब्ज़ी बेचना
- मिट्टी के बर्तन बनाना
- साड़ी बुनना/बेचना
- अगरबत्ती बनाना
- अचार बनाना

क्रियाकलाप

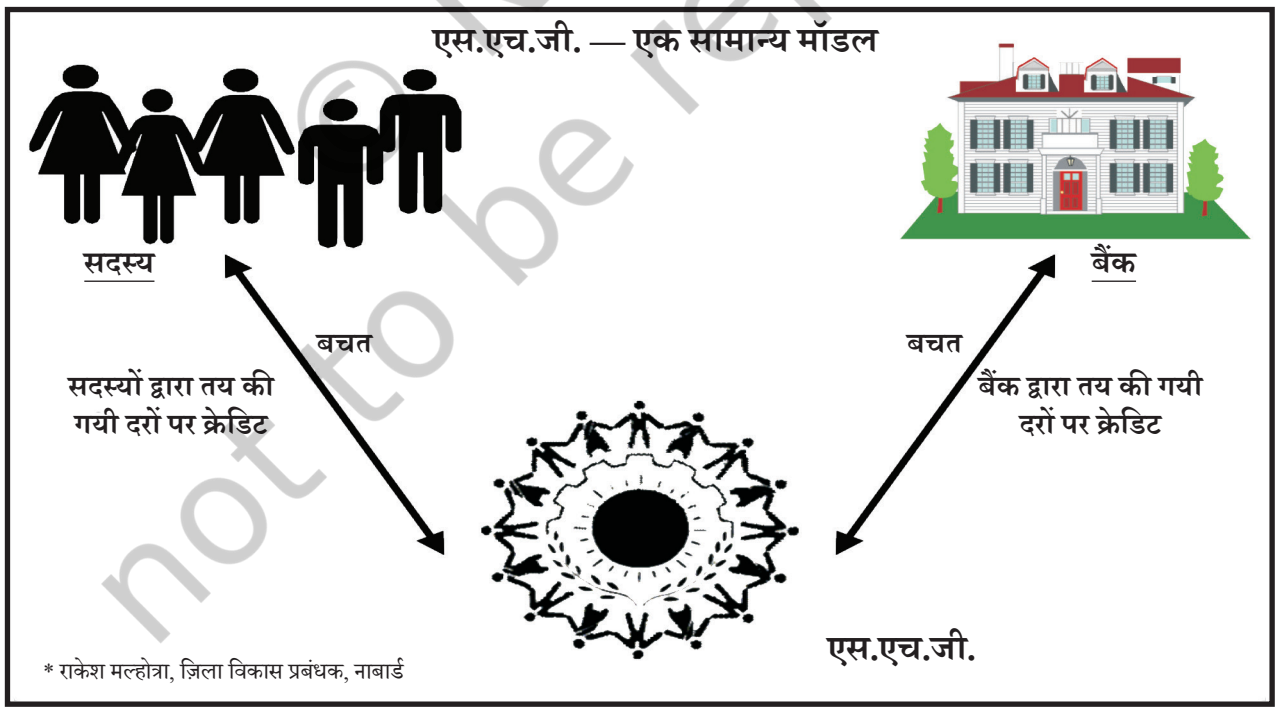
1. स्वयंसेवी समूहों ने महिलाओं में आजीविका की क्षमता को बढ़ाया है। अपने विचार प्रकट कीजिए।
2. यदि आपने इसके अतिरिक्त आय उत्पादन की कुछ और गतिविधियों के बारे में सुना है, तो इस सूची में जोड़ दें।

5.7 स्वयंसेवी समूहों (एस.एच.जी.) के प्रतिदर्श

एस.एच.जी. के तीन प्रतिदर्श उपलब्ध हैं। इनका आगे विस्तार से वर्णन किया गया है—

(क) सहकारी विकास प्रतिष्ठान (सी.डी.एफ़.) प्रतिदर्श – ऋण तक पहुँच के अभाव और उच्च ब्याज दर ने परिणामस्वरूप महिला किफ़ायती सहकारी समिति के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। ये सहकारी समितियाँ सी.डी.एफ़. प्रतिदर्श के गठन का आधार बनी। किसी भी आर्थिक स्थिति की वयस्क महिला इसकी सदस्या बन सकती है। सदस्यों को ₹ 20 प्रतिमाह की बचत करनी है और उन्हें अपनी बचत पर 1 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। यद्यपि, ऋण लेने पर उसे 2 प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह बचत ही कर्ज़ की राशि का आधार है और इस तरह यह ऋण बचत से जुड़ा हुआ है। डबल्यू.टी.सी. के नेता ऋण भुगतान, बचत राशि और ऋण की लागत/आवंटन पर निगरानी रखते हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.) प्रतिदर्श – एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में डेवलपमेंट ऑफ़ वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज़ (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.) की शुरुआत 1982–83 के दौरान हुई और सरकारी प्रतिदर्श के रूप में इसकी पहचान बनी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत आधार पर स्वरोज़गार के अवसर प्रदान



* राकेश मल्होत्रा, ज़िला विकास प्रबंधक, नाबार्ड

© NCERT not to be republished

करना है। समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि रखने वाली पड़ोस की महिलाएँ इसकी सदस्य बन सकती हैं। समूह का आकार 10 से 15 की संख्या के बीच अलग-अलग होता है। ये महिलाएँ अपने कौशल तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आय उत्पादन की विभिन्न गतिविधियों का चुनाव करती हैं। डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. प्रतिदर्श नेतृत्व में प्रशिक्षण, आय उत्पादन के लिए प्रवृत्ति और कौशल पर निर्भर करता है। ₹ 25,000 की राशि प्रत्येक समूह को दी जाती है ताकि वे विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ शुरू कर सकें। यह अनुदान एक सामूहिक राशि है जो नियत समय के अनुसार वसूली जाती है। आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत, एक व्यक्ति अथवा समूह को बैंक से अनुवृत्ति और ऋण दिया जा सकता है। समूह मासिक बचत को एक स्थान पर जुटाता है जिसका उपयोग समूह के सदस्यों के उपभोग की ज़रूरतों की पूर्ति हेतु उन्हें ऋण देने के लिए होता है।

(ग) दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एस.ए.पी.ए.पी.) प्रतिदर्श – इस कार्यक्रम को 1993 में गरीबी उन्मूलन पर सार्क देशों के ढाका घोषणापत्र के बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) का सहयोग प्राप्त हुआ। एस.ए.पी.ए.पी. प्रतिदर्श राज्य सरकारों और एन.जी.ओ. के सहयोग से कार्य करता है। यह सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया की परिकल्पना गरीबों को स्वयंसेवी समूहों से जोड़ने के लिए एक सांस्थानिक तंत्र के रूप में करता है। यह ज़मीनी स्तर पर सामूहिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अंतर्गत सशक्तीकरण की अवधारणा के तीन घटक हैं — सामाजिक लामबंदी, पूँजी की लामबंदी और गरीबों का क्षमता निर्माण। ये घटक गरीबी और दयनीय स्थिति से ऊपर उठने में गरीबों के सहायक हैं।

5.8 महिलाओं पर स्वयंसेवी समूहों (एस.एच.जी.) का प्रभाव

स्वयंसेवी समूह का गठन महिलाओं पर समाज और अर्थव्यवस्था द्वारा थोपे गए अवरोधों और सीमाओं के विरुद्ध संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। महिलाएँ आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर सशक्त होती हैं। उनका सशक्तीकरण निम्नलिखित क्षेत्रों मे दिखायी देता है —

(क) राजनीतिक सशक्तीकरण – समूह का गठन महिलाओं में आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण को पहला सोपान प्रदान करता है। समूह की सदस्यों को पंचायत तथा नौकरियों में आरक्षण की बेहतर जानकारी होती है और वे गाँव की राजनीति में बढ़-चढ़कर रुचि दिखाती हैं। समूह की नेताओं को अकसर गाँव की स्थानीय बैठकों में आने और बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सरकारी समितियों से नियमित रूप से विचार-विमर्श करते रहने से सही मायनों में राजनीति में सक्रिय रहनेवाली स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वित्तीय सहयोग प्रदान करने के अतिरिक्त, समूह के पास महिलाओं के लिए प्रेरणादायी भूमिकाएँ भी हैं। महिलाएँ भाषा और हिसाब-किताब के कौशल में प्रखर होने के साथ-साथ बेहतर संवाद-कौशल का गुण भी सीख लेती हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति तथा समाज में उनके और उनकी भूमिका के बारे में राय बदल रही है। इन समूहों की ओर से महिलाओं ने अकसर पंचायत चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। यदि समूह की महिलाएँ चुनावों की राजनीति मे सीधे-सीधे हस्तक्षेप नहीं करतीं, तब भी वे नागरिक समाज पर नज़र रखने और कुछ बड़े मुद्दों को सुलझाने में अति सक्रिय भूमिका में नज़र आती हैं। ये मुद्दे विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन-निर्माण, राशन कार्ड दिलवाना, पक्की सड़कें बनवाना, सरकारी एजेंसियों से पैसे वसूलने से लेकर पीने के पानी के लिए पाइप डलवाने आदि तक फैले हैं। महिलाओं की सामूहिक शक्ति से राशन, गाँवों के लिए पेयजल योजना, प्रधान से स्कूल के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की माँग करना, सक्रिय लाभार्थियों हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, शराबबंदी आंदोलन के लिए लामबंदी करने आदि में सुधार हुआ है। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं तथा उनकी भूमिकाओं के बारे में राय बदलने में सहायता करती है। इस प्रकार, स्वयंसेवी समूहों से होने वाले प्रमुख लाभों में से एक लाभ

© NCERT not to be republished

महिलाओं को सशक्त करना तथा उनकी भागीदारी को समाज में बढ़ाकर सार्वजनिक मामलों में महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ाने में सहायता करना है।

(ख) सामाजिक सशक्तीकरण – यह देखा गया है कि समय के साथ-साथ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता लेने से उनके सामाजिक सशक्तीकरण की गति में तेज़ी आयी है। इससे महिलाओं में आत्मसम्मान बढ़ा है, क्योंकि वे अब अपने नजदीकी शहर अथवा ज़िले तक अकेले जाने में, अपने या अपने बच्चे के इलाज के लिए अकेले घर से निकलने और पैसे का लेन-देन करने में आत्मविश्वास महसूस करने लगी हैं। समूह की सदस्यता लेने के बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी विचारणीय रूप से बढ़ी है। ये महत्वपूर्ण निर्णय हैं—परिवार का खान-पान, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय, घर तथा अन्य मामलों की देखरेख। एक सदस्या ने कहा "पहले हमें एक-एक रुपये के लिए अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। अब हमें फटी-पुरानी साड़ी नहीं पहननी पड़ती और आज हममें अपने पति से अनुमति लिए बगैर आपके पास आने और बात करने का आत्मविश्वास है।"

(ग) सामाजिक सौहार्द्र – चूँकि समूह की सभी सदस्याएँ अलग-अलग जातियों या सामाजिक वर्गों से संबंध रखती हैं, इसलिए सामाजिक सौहार्द्र पर भी उनका सार्थक प्रभाव पड़ता है। ये कुछ बेहद ज़रूरी मुद्दों को उठाती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करती हैं। ये अपनी सदस्यों की समस्याओं के लिए लड़ती भी है। स्वयंसेवी समूह में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ किसी ने अपने सदस्यों और समुदाय के भीतर के झगड़ों को सुलझाया है। इन उदाहरणों में कानूनी कदम उठाना, मध्यस्थता, तलाक तथा अन्य मुद्दे हैं। हालाँकि इसकी गति कम है, किंतु सामाजिक न्याय प्राप्त करने में इन स्वयंसेवी समूहों की भूमिका को भी दर्ज किया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ समूहों ने शिक्षा, परिवार नियोजन, बाल-मज़दूरी के निवारण तथा निजी स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। स्वयंसेवी समूह पूरे गाँव से सहयोग लेकर नेतृत्वकारी भूमिकाओं का प्रदर्शन करते हैं। समाज की बेहतरी के लिए महिला संचालित संगठन की अवधारणा की नेतृत्वकारी भूमिका पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है।

(घ) आर्थिक सशक्तीकरण – महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में इन समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट हो चुकी है क्योंकि इसने महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं। समय पर ऋण की उपलब्धता और रोज़गार के संसाधन पैदा करने के लिए इसके उपयोग ने घर बैठे ही रोज़गार के अवसरों में वृद्धि की है। समूह की सदस्यों को मिलने वाले ऋण का उद्देश्य अपनी आजीविका को सुधारना है ताकि उन्हें बड़ी मात्रा में तथा लगातार नकद धनराशि मिलती रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन हैं—कृषि, पशुपालन, डेयरी तथा अन्य उत्पाद और सेवाएँ। स्वयंसेवी समूहों ने उद्योग शुरू करने में खर्च होने वाली राशि प्रदान करके अपने सदस्यों की आजीविका को सुधारने में मदद की है।

(ङ) ब्याज दर घटाना – ऋण लेने के वैकल्पिक उपाय प्रदान करके गाँवों में गरीब लोगों को साहूकारों की मनमानी से बचाने में इन समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साहूकारों की तुलना में ब्याज दर को 2 से 3 प्रतिशत प्रति माह घटाकर सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं ने महत्वपूर्ण लाभकारी प्रभाव डाला है। सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं के आने से ब्याज दर में गिरावट आयी है और इसीलिए गाँववाले ऋण लेने के लिए इन संस्थाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। एस.एच.जी. के गठन से पूर्व ग्रामीणों के लिए ऋण लेने के प्रमुख स्रोत साहूकार और साहूकार के बाद उनके संबंधी तथा मित्र ही होते थे। आज ऋण लेने के प्रमुख स्रोत एस.एच.जी. और बैंक हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल ऋण का 50 प्रतिशत क्रमशः स्वयंसेवी समूहों और बैंकों से ही लिया जाता है। लगभग पूरे भारत में अब यही देखा जा रहा है। परिणामस्वरूप, साहूकार भी अब कम दर पर ऋण देने के लिए बाध्य हो गए हैं।

(च) बचत के लिए प्रोत्साहित करना – एस.एच.जी. की अवधारणा अपने मूल मंत्र 'पहले बचाओ, फिर उधार पाओ' के साथ बचत करने को बहुत अधिक महत्व देती है। बचत और ऋण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि हम अपनी बचत से ही अपने लिए संपत्ति

© NCERT not to be republished

खरीदते हैं। हम संपत्ति अर्जित करने के लिए पहले ऋण लेते हैं और फिर भविष्य में होने वाली आय और बचत से उसका भुगतान करते हैं। यह पूरी अवधारणा इस पर निर्भर करती है कि सदस्य ऋण लेने से पहले अपने खर्च में कटौती करने की आदत डालें। महिलाएँ नियमित बचत से वित्तीय अनुशासन सीखती हैं और जो महिलाएँ बचत करती हैं, वे ही आमतौर पर नियमित रूप से ऋण का भुगतान कर पाती हैं। यह कौशल महिलाओं को अपनी पूँजी संभालने की कला सिखाता है जो इससे पूर्व उनके परिवार के पुरुष सदस्य करते रहे हैं। इससे निजी अस्मिता को महत्व देने के भाव में भी मदद मिलती है।

5.9 सूक्ष्म-वित्त के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के संकेतक

- बचत करने और ऋण लेने की योग्यता;
- आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करने के अवसर;
- नजदीकी कस्बों तक आने-जाने के अवसर;
- स्थानीय मुद्दों, एम.एफ.आई. प्रक्रियाओं, बैंक नियमों तथा शर्तों संबंधी जागरूकता;
- आय उत्पादन के कौशल;
- घर के भीतर निर्णय लेने की क्षमता;
- अलग-अलग ग्राहकों के समर्थन में सामूहिक लामबंदी;
- सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करने की क्षमता;
- विकास संबंधी गतिविधियों में समाज की ओ.डी.एफ. भूमिका को समझना

5.10 सफलता की गाथाएँ

स्वयंसेवी समूहों के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि समान समझ के लोग जब साथ आते हैं तो वे वैयक्तिक अथवा सामूहिक गतिविधियों की कोई पहल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एकता तथा समान उद्देश्य उन्हें ताकत प्रदान करता है। एक समूह के रूप में वे बड़े ऋण ले सकते हैं, काम को बाँट सकते हैं, प्रशिक्षण की सुविधाओं को साझा कर सकते हैं तथा अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं, जैसे – गाँव की संपत्ति का लाभ भी ले सकते हैं। इन समूहों की सफलता की कुछ कहानियाँ यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं जिनमें उन्होंने गरीब महिलाओं को उनकी दयनीय स्थिति से उबारने के साथ-साथ अपने लिए बेहतर ज़िंदगी सुनिश्चित करने में मदद की है।

टेंट हाउस, एस.एच.जी.

टेंट हाउस एस.एच.जी. के नाम से प्रसिद्ध बुद्धराजन एस.एच.जी. ओडिशा के संबलपुर ज़िले के राँगली खंड के पंडलोई गाँव में स्थित है। इसका गठन 10 महिलाओं द्वारा 2001 में हुआ जिन्हें एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) से जुड़ी आँगनवाड़ी महिलाओं ने प्रेरित किया। ये सभी महिलाएँ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थीं और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों से संबद्ध थीं। एस.एच.जी. के गठन के बाद भारतीय स्टेट बैंक की राँगली शाखा में एक खाता खोला गया। सभी सदस्यों ने इस खाते में ₹ 40 महीना जोड़ना शुरू किया और वे महीने में एक बार आपस में मिलती थीं। यदि कोई सदस्य किसी एक महीने यह राशि देने में समर्थ न हो तो अगले महीने वह महिला यह राशि ₹ 2 जुर्माने के साथ जमा कर सकती थी। उनके पास प्रतिमाह 3 प्रतिशत ब्याज के आधार पर इस सामूहिक राशि से ऋण लेने की सुविधा भी थी। छह माह की जमा राशि के बाद बैंक ने 2002 में 25,000 का ऋण उपलब्ध करवाया। यह ऋण व्यवसाय शुरू करने के लिए सभी सदस्यों में बराबर-बराबर बाँटा गया। 10 में से 6 सदस्यों ने इस राशि का इस्तेमाल सब्ज़ी उगाने के लिए किया और बाकी 4 ने मूड़ी, चना, मूँगफली आदि बेचने के व्यवसाय के लिए इसे किया। सभी सदस्यों ने एस.एच.जी. को समय से ऋण लौटाने में सहयोग किया। एस.एच.जी. की पहली सामूहिक गतिविधि केरोसिन की डीलरशिप थी, जो आई.सी.डी.एस. की योजना के अंतर्गत सी.डी.पी.ओ. (बाल विकास योजना अधिकारी) की सक्रिय पहल से एस.एच.जी. को मिल पायी। चूँकि पहला ऋण समय पर चुका दिया गया था, इसलिए पहली जमा राशि को जमा करके एस.एच.जी. को बैंक से ₹ 10,000 का ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एस.एच.जी. यह व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रही है और गाँव वाले एस.एच.जी. से काफ़ी संतुष्ट हैं। गाँववाले केरोसिन के पूर्व विक्रेता से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि संचालन में अनियमितता के चलते गाँववालों को उनके हिस्से का केरोसिन नहीं मिल पा रहा था। एस.एच.जी. को इस सौदे के लिए ₹ 500 प्रतिमाह की कमीशन दी जाती है तथा समूह को बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 10,000 में से ₹ 6,000 लौटाए भी जा चुके हैं।

केरोसिन व्यापार की सफलता और जिस नियमितता से एस.एच.जी. ऋण का भुगतान कर रही है, उसके आधार पर बुद्धराजन एस.एच.जी. को हाल ही में बैंक से ₹ 5,00,000 का ऋण स्वीकृत हुआ है। इस राशि से उच्च व्यापारिक क्षमता वाली इन महिलाओं ने ₹ 2,98,000 का इस्तेमाल कर टेंट हाउस

© NCERT not to be republished

व्यवसाय की शुरुआत की है। टेंट हाउस व्यवसाय के साथ, समूह की सदस्यों ने आगे अपनी कमाई को और विस्तार देने के लिए खाना बनाने संबंधी गतिविधियों में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। ऋण का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए ज़रूरी बर्तन, कुर्सियाँ, दरियाँ, चटाइयाँ, माइक सेट, साउंड बॉक्स, सजावटी सामान, गद्दे, तकिये, तिरपाल, पानी के ड्रम, बर्तन, कड़ाही और अल्युमिनियम की प्लेटें आदि खरीदने के लिए किया गया है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एस.एच.जी. ने गाँव तथा आस-पास के इलाके में पर्चे बँटवाएँ और पोस्टर चिपकवाए। इस समूह ने शादियों के दिनों में ईंटों का व्यापार किया और अब तक वे इससे अच्छा-खासा लाभ कमा चुका है। ऐसे बहुत कम ही उदाहरण देखे गए हैं जहाँ महिलाएँ इस तरह के व्यवसाय कर रही हों और उसमें सफलता भी हासिल कर रही हों जो समाज द्वारा पुरुषों के लिए निर्धारित माने जाते रहे हैं। आज टेंट हाउस एस.एच.जी. के नाम से इन्होंने अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। निकट भविष्य में इनकी कई अन्य परियोजनाएँ शुरू करने की योजना है। इस समूह ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने की सामाजिक ज़िम्मेदारी भी ली है। समूह के प्रयासों से कोढ़ तथा तपेदिक के मरीज़ों की पहचान कर उन्हें चिकित्सकीय जाँच और उपचार के लिए भेजा गया है। समूह की सदस्याएँ यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि गाँव के प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण हो। बुद्धराजन एस.एच.जी. की सदस्याएँ यह महसूस करती हैं कि इस समूह की वजह से ही वे समर्थ हुई हैं और इसी की वजह से उन्होंने सरकारी प्राधिकारियों से संवाद करने का आत्मविश्वास भी अर्जित किया है। अब परिवार में उन्हें ज़्यादा आदर मिलता है और वे परिवार संबंधी निर्णय प्रक्रिया में भी शामिल होती हैं।

आय सृजन – सफल एस.एच.जी. का आधारभूत तत्व

उत्सव बहार स्वयंसेवी समूह असम के मारिगाँव ज़िले के मारीमुसलमान गाँव में स्थित है। इस समूह की शुरुआत 10 महिलाओं ने मिलकर की थी जो सभी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आती थीं। उसमें से कुछ शिक्षित थीं, तो कुछ निरक्षर। यह समूह सन् 2002 से आज तक सफलतापूर्वक चल रहा है। चूँकि इस समूह की सभी सदस्य गरीब परिवारों से आती थीं, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे हर हफ़्ते ₹5 जमा करेंगी ताकि महीने के अंत तक वे ₹20 प्रतिमाह जमा कर सकें।

समूह की सदस्य तथा राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (आर.जी.बी.) से पैसा इकट्ठा करने आने वाले व्यक्ति आपस में हर बुधवार को पैसा इकट्ठा करने के लिए मिलते थे। समूह में एक अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह की सदस्यों ने यह निर्धारित किया कि यदि कोई सदस्य बैठक में देर से आती है तो उसे ₹ 2 का जुर्माना देना होगा। यह नियम बैंक से आने वाले व्यक्ति पर भी लागू होता है। समूह का आर.जी.बी. से लिए गए ऋण को चुकाने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। इसी कारण बैंक उन्हें बड़े ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रत्येक वर्ष इसकी सदस्याएँ पिछले साल की तुलना में दोगुना ऋण बैंक से लेती हैं और अब तक इन वर्षों में बिना किसी चूक के वे ऋण लौटाती आ रही हैं। समूह को वर्ष 2002 में ₹ 20,000, 2003 में ₹ 40,000, 2004 में ₹ 80,000 और 2006 में ₹ 1,00,000 का ऋण बैंक से मिला। इन सभी ऋणों को सही समय पर लौटा दिया गया। इसकी सदस्यों ने कोई भी काम सामूहिक रूप में नहीं करके बैंक से लिए गए ऋण को अपनी-अपनी सुविधा के कामों में लगाया। ये सभी स्वयंसेवी समूहों के आधारभूत सिद्धांतों पर दृढ़ रहीं एवं ऋण की राशि का उपयोग आय उत्पादन करने वाली संपत्ति या निवेश पर लगाया और इस प्रकार सही समय पर ऋण चुकाने में कामयाब रहीं। समूह की सभी सदस्य, चाहे वे साक्षर थीं या निरक्षर, इस राशि से धनोपार्जन में सफल रहीं।

समूह की एक सदस्य, अलीमुन नासा, दसवीं तक शिक्षा प्राप्त गृहिणी थीं। उनके पति दर्जी का काम करते थे। समूह की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने ऋण की राशि से एक और सिलाई मशीन खरीदी ताकि अपने पति की मदद के लिए वह एक और कारीगर को रख सकें। उसके बाद, वह हर साल ऋण की राशि से एक और मशीन खरीदती रहीं और आज सिलाई के व्यवसाय में उनके पास कुल पाँच मशीनें और पाँच कारीगर हैं। अब उन्होंने अपने व्यवसाय की देखरेख और उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। समूह से जुड़ने के बाद उनकी आय अब तिगुनी हो गई है। उन्होंने अपना एक नया घर बना लिया है और गाँव में उनका बहुत सम्मान है।

नूरजहाँ बेगम की कहानी भी इससे मिलती-जुलती ही है। निरक्षर नूरजहाँ अपने चार बच्चों के साथ एक साधारण गृहिणी थीं। उनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था जिससे होने वाली आय बेहद कम थी। उनके पास एक साइकिल रिक्शा था जिससे प्रतिदिन ₹ 20 की आय होती थी। स्वयंसेवी समूह की सदस्य बनने के बाद नूरजहाँ ने ऋण की राशि से एक और रिक्शा खरीदा जिसे वे किराये पर देने लगीं। आज उनके पास कुल 9 रिक्शे हैं और आज यह परिवार अपनी आजीविका मूलतः इन 9 रिक्शों के किराये से चलाता है। उनकी आय 7 गुना बढ़ गई है। उन्होंने

© NCERT not to be republished

चार कमरों का एक घर भी बना लिया है और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि अब नूरजहाँ ने पढ़ना-लिखना भी सीख लिया है।

आज स्वयंसेवी समूह के सहयोग से ये महिलाएँ बेहतर ज़िंदगी जी रही हैं और साथ ही आजीविका कमाने में आज ये दूसरों के लिए भी मददगार हो गई हैं।

क्रियाकलाप

1. आपको यह कैसे लगता है कि एम.एफ.आई. ने महिलाओं की मदद की है?
   .....
   .....
2. आय के अतिरिक्त, इन स्वयंसेवी समूहों ने महिलाओं को और क्या सकारात्मक लाभ पहुँचाए हैं?
   .....
   .....
3. सफलता की उपरोक्त गाथाओं से महिलाओं की कैसी छवि उभर कर आती है?
   .....
   .....
4. आप अपने मित्रों से सफलता की ऐसी कथाएँ साझा कर सकते/सकती हैं।
   .....
   .....
5. आप अपने क्षेत्र में आने वाले स्वयंसेवी समूह की यात्रा भी कर सकते/सकती हैं।
   .....
   .....

5.11 सूक्ष्म-वित्त – दुरुपयोग संबंधी सावधानियाँ

सूक्ष्म-वित्त के प्राथमिक लाभार्थी गरीब होते हैं। इन गरीबों में वे गरीब भी आते हैं जो गरीब तो हैं, लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर हैं और वे भी, जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बेहद गरीब हैं। सूक्ष्म-वित्त का लक्ष्य गरीबों की मदद करना है जो कई मामलों में हुई भी है। किंतु कुछ मामलों में इसके विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। यह भी संभव है कि ऋण का उपयोग निवेश के लिए न किया जाकर अपने निजी खर्चों के लिए हो जिसके परिणामस्वरूप ऋण का भुगतान न किया जा सके।

सूक्ष्म-वित्त संस्थाएँ धर्मार्थ संस्थाओं से अलग हैं। इस प्रकार, यह बदले में अपेक्षा भी करती हैं, क्योंकि इसके पूरे संचालन में खर्च होता है। यह प्रक्रिया उच्च ब्याज दर से चलती है जो कई बार लाभ कमाने के उद्देश्य से भी होता है। इसलिए, सूक्ष्म-वित्त में लाभ की अधिक चिंता एम.एफ.आई. को गरीब ग्राहकों से दूर कर ऐसे ग्राहकों तक ले जाती है जो बड़े ऋण लेना चाहते हैं और आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं।

अत: एम.एफ.आई. के सही संचालन के लिए कुछ दिशा-निर्देश होने ही चाहिए ताकि यह गरीबों की मदद के मुख्य लक्ष्य से न भटके। ये लाभ भी कमाएँ, किंतु सामाजिक न्यायपूर्ण तरीके से। सही प्रबंधन तथा नियम एवं शर्तों का सही निर्धारण ही ऐसी चिंताओं का उचित समाधान है। इन सब चिंताओं ने सरकार को एम.एफ.आई. के अनिवार्य पंजीकरण, इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण तथा ऋण भुगतान के समय को बढ़ाने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है।

5.12 संदर्भ

- कन्सल्टेटिव ग्रुप टू असिस्ट दि पुअर (सी.जी.ए.पी.) 2009.
- *कोलोक्यूअल–एनुअल जर्नल*. 2010–2011. इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, लेडी श्री राम कॉलेज फ़ॉर वुमेन, नयी दिल्ली.
- रेड्डी, सी.एस., मनक. 2005. *सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स – ए की-स्टोन ऑफ़ माइक्रो फ़ाइनेंस इन इंडिया; वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी*. ए.पी.एम.ए.एस. हैदराबाद.
- सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो फ़ाइनेंस. www.egyankosh.ac.in. इग्नू.
- सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो क्रेडिट एंड लाइवलीहुड्स—ऐन ओवरव्यू. www.egyankosh.ac.in. इग्नू.
- www.articlebase.com, ब्लैक रैनाटा.
- www. ninemoney. net. इम्पैक्ट ऑफ़ एस.एच.जी. बेस्ड माइक्रोफ़ाइनेंस ऑन वुमेन इम्पावरमेंट

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 6

लड़कियों एवं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा

न्यायिक संरचना

मॉड्यूल की रूपरेखा

6.1 परिदृश्य
6.2 प्रस्तावना
6.3 उद्देश्य
6.4 महिलाएँ एवं संविधान
6.5 निजी सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा (अस्मिता) से संबंधित कानून
6.6 संदर्भ

न्यायिक मुद्दों पर बात शुरू करने से पहले, अनौपचारिक रूप से परिचयात्मक अभ्यास किया जा सकता है ताकि बातचीत को बेहतर तरीके से समझा जा सके। नीचे दिये गए कुछ अभ्यासों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, हालाँकि ये केवल उदाहरण हैं तथा इन्हें ज़रूरत के अनुसार बदला भी जा सकता है।

5 अक्तूबर	आज से मेरा जीवन शुरू होता है। यह बात अभी तक मेरे माता-पिता भी नहीं जानते। मेरा आकार अभी सेब के बीज जितना है, लेकिन मेरा जीवन शुरू हो चुका है; और मै एक लड़की बनूँगी। मेरी नीली-नीली आँखें होंगी। सब कुछ लगभग तय है। यह भी कि मुझे फूलों से प्यार होगा।
19 अक्तूबर	मैं थोड़ी-सी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी इतनी छोटी हूँ कि खुद कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ ही करती है और उन्हें अभी तक यह भी नहीं पता है कि मै उनके भीतर हूँ, ठीक उनके दिल के नीचे।
23 अक्तूबर	मेरा मुँह अब थोड़ा-थोड़ा खुलने लगा है। ज़रा सोचो, एक साल में मैं हँसने लगूँगी और फिर बोलने भी। मुझे पता है, मेरे मुँह से निकलने वाला पहला शब्द क्या होगा – माँ
26 अक्तूबर	आज अपने आप मेरा दिल भी धड़कना शुरू हो गया। अब यह जीवन भर यूँ ही धड़कता रहेगा, बिना एक पल भी आराम किए। बहुत बरसों बाद यह थक जाएगा और फिर थम जाएगा। तब मैं मर जाऊँगी।
2 नवंबर	आज डॉक्टर ने मेरी माँ को बताया कि मैं यहाँ हूँ, उनके भीतर। तुम खुश हो न, माँ?
25 नवंबर	शायद मेरे माता-पिता मेरे लिए एक नाम सोच रहे हैं। मुझे 'शांति' नाम पसंद है।
28 दिसंबर	आज मेरी माँ ने मुझे मार दिया।

एक अजन्मी बच्ची की डायरी *(संदर्भ— द गर्ल चाइल्ड इन क्राइसिस : अज़ीम शेरवानी, 1998)*

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप

एक अजन्मी बच्ची की डायरी

समन्वयक निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें—

1. अगर आप उस अजन्मी बच्ची की जगह होते तो कैसा महसूस करते?

   .....

   .....

2. क्या बच्ची की माँ ही उसकी असली क़ातिल है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

   .....

   .....

3. क्या आप इस कहानी में उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश डाल सकते हैं?

   .....

   .....

समन्वयकों अथवा शिक्षकों के लिए टिप्पणी – समन्वयकों अथवा शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे चिह्नित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। देश के कुछ हिस्सों में प्रचलित सामान्य परंपराओं और सांस्कृतिक रीतियों के माध्यम से परिचर्चा शुरू की जा सकती है (उदाहरण के लिए, लड़कों के जन्म पर खुशी मनाना और लड़के की माँ को महत्व तथा विशेष सम्मान देना; समाज में बेटे को महत्व मिलना तथा लड़की के जन्म पर घर में मातम का माहौल होना)

केस (क) : इना – एक आदिवासी लड़की की कहानी

माय उत्तर-पूर्वी राज्य की एक आदिवासी महिला हैं। माय और उनकी बेटी इना एक चाय के बागान में काम करती हैं, जो मुख्य भूभाग के एक राज्य से आने वाले किसी व्यक्ति की कंपनी है। उन्हें पत्ती तोड़ने वाले मज़दूरों के लिए तय न्यूनतम दैनिक भत्ते से कम भत्ता दिया जाता है। कुछ वर्ष पहले उनके पति की मृत्यु हो गई जबकि उनका दसवीं पास बेटा सिआन अभी बेरोज़गार है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अति सक्रिय हथियारबंद लड़ाका समूह उनसे उनके बेटे को सौंपने के लिए कह रहा है जिसके बदले वह ₹5,000 देगा, पर माँ ने इंकार कर दिया है। बेटे को भी इसमें कोई रुचि नहीं है। माय को हर समय यह डर लगा रहता है कि वे उसके बेटे को उठा ले जाएँगे। एक दिन सेना गाँव में आती है और उन्हें पता चलता है कि पिछले तीन महीनों में लड़ाके दो बार माय के घर पर चक्कर लगा चुके हैं, वे पूछताछ के लिए सिआन को पकड़ कर ले जाते हैं। वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। यह मानते हुए कि सिआन झूठ बोल रहा है, वे उसे बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं। यह पता चलते ही लड़ाके फिर आते हैं और उन्हें आर्थिक मदद के लिए पूछते हैं। परिवार फिर मदद लेने से मना कर देता है। शाम को जब इना काम से लौट रही थी, तभी लड़ाकों के आदमी उसे उठा कर ले जाते हैं और उसका बलात्कार करते हैं। पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती। उनका मानना है कि परिवार यह साबित करने के लिए कि लड़कों से उनका कोई संबंध नहीं है, मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर और अपनी बहन को न बचा पाने से शर्मिंदा होकर सिआन ड्रग्स लेने लगता है।

स्रोत– विस्तार बैंग्लोर. ट्रेनर्स मैनुअल, 2007 इन वुमेन्स लिंक. वॉल्यूम – वुमेन एंड वॉयलेंस, नं. 2, 2008–14

केस (ख) : शबाना की कहानी – जीत के बाद भी हार

शबाना को काबुलपुर गाँव की सरपंच चुना गया। यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। शबाना निरक्षर थी और गाँव की राजनीति से भी अनभिज्ञ थी। उनका प्रतिद्वंद्वी नुसरत न केवल पढ़ा-लिखा था, बल्कि चालाक भी था। एक दिन नुसरत ने शबाना को अकेले में बुलाया और एक कागज़ पर अँगूठा लगाने की विनती की। उसने कहा कि यह कर्ज़ लेने के लिए आवेदन-पत्र है। जबकि, नुसरत ने शबाना के सरपंच पद से इस्तीफ़े के कागज़ पर अँगूठा लगवाया था जो उसने बाद में पंचायत के अधिकारियों के पास जमा करवा दिया। बेचारी शबाना, चुनाव जीतने के बावजूद अपना पद खो बैठी।

स्रोत– एन.एस.एस. मैनुअल ऑन वुमेन्स डेवलपमेंट एंड जेंडर जस्टिस, 1998

क्रियाकलाप

शबाना की कहानी

दोनों केस अध्ययनों (क) और (ख) को ध्यान से पढ़िए और दिए गए मुद्दों पर अपने विचार प्रकट कीजिए—

© NCERT not to be republished

1. संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच और उनकी सहभागिता
.....
.....

2. महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता
.....
.....

टिप्पणी – यह केस स्टडी रूढ़िवादी कार्यप्रणाली को दर्शाती है जो एक ओर शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच को बाधित करती है और दूसरी ओर अधिकारों, खासतौर पर कानूनी अधिकारों के प्रति उनकी अनभिज्ञता को दर्शाती है। केस (क) समाज में असमान जेंडर संबंधों को परिभाषित करने और यह बताने, कि किस प्रकार महिलाएँ नृशंसता की शिकार होती हैं, के लिए एक सटीक उदाहरण है।

6.1 परिदृश्य

भारतीय समाज में जेंडर, वर्ग और जाति के अनुक्रम बेहद जटिल हैं। महिलाओं तथा पुरुषों को अलग-अलग अनुक्रम में रखा जाता है और इस कारण उन्हें भिन्न शक्ति और सामाजिक स्थिति के साथ-साथ अलग-अलग भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। हमारी परंपराओं और रिवाजों ने इन भेदभाव आधारित प्रणालियों को परिभाषित किया और समर्थन दिया है। हम सब का सामाजीकरण इस प्रकार हुआ है कि हम भी बिना कोई सवाल किए, यहाँ तक कि इन्हें अतार्किक और अनुचित मानते हुए भी इनका अनुसरण करते चलते हैं।

अगर हम इतिहास खँगालें तो पाएँगे कि पहली बार महिलाओं के मुद्दों को 19वीं सदी में उठाया गया। सती प्रथा, बाल-विवाह, विधवापन, विधवा पुनर्विवाह, पर्दा प्रथा, देवदासी संप्रदाय, बच्चियों को पैदा होते ही मार देना, बहुविवाह प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल-मज़दूरी, बाल-विधवा, लड़कियों/महिलाओं की शिक्षा और उनका स्वास्थ्य आदि उस समय चिंता के केंद्र में थे। पूरे देश में महिलाएँ, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, नस्ल अथवा धर्म से संबंध रखती हों, सब भेदभाव और नृशंसता का सामना कर रही थीं।

उस समय कई सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थे, जिन्होंने हर वर्ग और श्रेणी की महिलाओं के उन्नयन के लिए काम किया। कुछ ऐसे भी थे जो पश्चिमी विचारों से प्रेरित और प्रभावित थे और जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति की वकालत की, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका भारतीय परंपराओं और रीतियों में दृढ़ विश्वास था। कई प्रगतिशील कानून और विधेयक जैसे – बंगाल सती विनियम अधिनियम 1829, जाति अक्षमता निवारण अधिनियम 1850, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, सहमति की आयु निर्धारण 1891 आदि इन्हीं सुधारकों और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई पहलों और प्रयासों तथा औपनिवेशिक शासकों के सहयोग से संभव हुए।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेज़ शासकों ने कई बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए, किंतु वे जान-बूझकर निजी मुद्दों से दूर रहे। जब से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, अंग्रेज़ों ने यह तय कर लिया कि वे निजी मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे; क्योंकि वे भारतीयों में और अशांति नहीं फैलाना चाहते थे। निजी मुद्दे, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, गोद लेना, सब निजी कानून के दायरे में आ गए। विभिन्न समुदायों की अपनी परंपरागत कार्यप्रणाली और प्रथाएँ थीं और वे अपने निजी कानून का पालन करते थे, जिसे बाद में धर्म-संबंधी कानून की संज्ञा दी गई।

1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम और मुस्लिम निजी कानून (शरीअत) विनियोग अधिनियम लाए गए। हालाँकि ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये महिलाओं को कुछ अधिकार देते थे, किंतु ये अधिनियम भी जेंडर समानता को सुनिश्चित नहीं करते थे। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 से प्रभाव में आया।

निजी कानून (पर्सनल लॉ) – जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित देश की राष्ट्रीयता और नागरिकता के कारण किसी कानून से नियंत्रित न होकर अपने धर्म, कुल, संप्रदाय, जाति, समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त अपने समाज के किसी विशिष्ट खंड के उपनियम से संचालित होता/होती है तो उसे निजी कानून से संचालित माना जाता है।

"भारत में मुगल शासन की स्थापना के बाद, मुस्लिमों और हिंदुओं ने अपने-अपने कानूनों का पालन किया। हिंदुओं के बीच के संबंध हिंदू कानून से संचालित हुए और मुस्लिमों के बीच के संबंध मुस्लिम कानून से। इस प्रकार हमारे पास एक वैध शासन-पद्धति थी, जिसे एक लेखक ने कानूनों की अंतरा-स्वायत्त व्यवस्था (Intra-Sourign system) कहा है।" (जय सिंह, I ,1996 द्वारा संपादित)। अंग्रेज़ों ने इस वैध शासन

© NCERT not to be republished

पद्धति का समर्थन किया और उसे जारी रखा। एक तय नीति के तहत, उन्होंने निर्णय लिया कि वे निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

हिंदू कानून – हिंदू कानून प्राचीन धार्मिक (संस्कृत) ग्रंथों और पुरानी रीतियों से उपजे। हिंदू विवाह अधिनियम,1955 के अंतर्गत केवल एकल विवाह को ही कानूनी दर्जा दिया गया। यदि पति या पत्नी पहले साथी से तलाक लिए बिना किसी दूसरी स्त्री या पुरुष से विवाह करते हैं तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार, लड़की की विवाह योग्य उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष मानी गई। इसके अतिरिक्त, यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार होता है तो इसके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। वैकल्पिक पंजीकरण (अनुछेद 8) का प्रावधान उपलब्ध है। वर्तमान में सरकारी नियम के अनुसार सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य है। हिंदू महिलाओं को खास परिस्थितियों, जैसे — नपुंसकता, क्रूरता और परित्याग के तहत तलाक का अधिकार है। आपसी रज़ामंदी के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। ये प्रावधान तो प्रगतिशील है, किंतु हमारा समाज अपने स्वभाव में पितृसत्तात्मक है, जहाँ सामान्यतः महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं है। सामाजिक तथा पारिवारिक दबाव महिलाओं को भेदभाव, क्रूरता और नृशंसता सहने के लिए मजबूर करते हैं। शिक्षा और जानकारी की कमी भी एक कारण है जिसके चलते महिलाएँ बर्दाश्त करती रहती हैं और अन्य के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठातीं। बहुत सी महिलाएँ इसे ही अपनी किस्मत मान लेती हैं। 1856 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हो गया था।

हिंदू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम,1956 तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को भरण-पोषण की माँग करने का अधिकार देता है। पत्नी, पूर्व-पत्नी, माँ, अविवाहित बेटी और विधवा बेटी तथा बहू के पक्ष में भरण-पोषण की माँग का अधिकार है। गोद लेना हमारे समाज में इतना आसान नहीं है क्योंकि यह निजी कानून के दायरे में आता है। अकेली स्त्री, अविवाहिता, विधवा अथवा तलाकशुदा महिलाओं को प्रावधान होने के बावजूद बच्चा गोद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षण अधिनियम, 1956 यह स्पष्ट करता है कि पिता बच्चे (अवयस्क) के प्राकृतिक अभिभावक हैं, किंतु बच्चे 5 वर्ष की उम्र तक माँ के साथ रह सकते हैं। कालांतर में 1980 में, अभिभावक एवं आश्रित बाल अधिनियम प्रभाव में आया, जिसके तहत अभिभावक निर्धारित करने का अधिकार न्यायालय के पास आ गया।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 महिला के संबंध में उत्तराधिकार के नियम निर्धारित करता है। यह अधिनियम मिताक्षरा संयुक्त परिवार व्यवस्था के अंतर्गत सहदायिकी को बनाए रखता है जहाँ महिलाओं को संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा तथा उस पर नियंत्रण के अधिकार से वंचित रखा गया है। संपत्ति का अधिकार परिवार के पुरुष सदस्यों एवं उनके उत्तराधिकारी के पास होगा। ये प्रावधान पुरुष के हक में पक्षपात को दिखाते हैं। बहुत से लोगों ने मिताक्षरा संयुक्त परिवार की इस भेदभावपूर्ण अभिवृत्ति के विरुद्ध आवाज़ उठायी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके पैतृक संपत्ति में बेटों के समानांतर बेटियों को भी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। इस संपत्ति के दायरे में ज़मीन (कृषि योग्य) भी आती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राज्यों में शहरीकरण का बढ़ता प्रचलन भी बेहतर रोज़गार और अवसरों के लिए लोगों के शहरों की ओर पलायन का बड़ा कारण बना है। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त परिवारों का विखंडन और छोटे परिवारों का उदय हुआ है।

मुस्लिम कानून – भारत में मुस्लिम कानून के दो संप्रदाय क्रियाशील हैं। एक है 'हनफ़ी' संप्रदाय जो सुन्नी मुस्लिमों का मार्गदर्शन करता है और दूसरा है 'इस्ना अशरी' जो शिया मुस्लिमों का मार्गदर्शन करता है। भारत में मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखता है।

मुस्लिम कानून बहुविवाह को मान्यता देता है, जहाँ एक मुस्लिम पुरुष को चार शादियों का अधिकार है। यद्यपि, बहुत से मुस्लिम देशों में यह ठीक इसी तरह से नहीं माना जाता। बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम, 1978 इस्लाम में भी लागू है। मुस्लिम विवाह में दोनों ही पक्षों की रज़ामंदी अनिवार्य है। शादी के सभी नियमों और शर्तों के आधार पर एक निकाहनामा तैयार किया जाता है। यहाँ मेहर (दहेज) की एक अवधारणा है जिसमें पुरुष द्वारा पत्नी को शादी के एवज में एक तय राशि दी जाती है। शादी के समय दूल्हा और दुल्हन के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह यह शादी पंजीकृत होती है।

© NCERT not to be republished

यहाँ महिलाओं के पक्ष में कई प्रावधान किए गए हैं, किंतु असल में ये सब एकतरफा हैं। बहुत-सी महिलाओं को मेहर की रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और न ही निकाहनामे के नियम और शर्तों के बारे में वे कुछ जानती हैं। विधवा पुनर्विवाह इद्दत (माहवारी के तीन चक्र) के समय के बाद ही हो सकता है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने का प्रावधान किया गया है। इसमें उन कारणों एवं परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसके तहत मुस्लिम महिलाएँ तलाक ले सकती हैं। दूसरी ओर पुरुषों को या तो तीन बार 'तलाक' बोलकर या फिर अपनी पत्नी को तीन अलग-अलग समयों (तूहर) पर 'तलाक' बोलकर तलाक लेने का प्रावधान है।

मुस्लिम पत्नी मुस्लिम कानून के तहत शादी के क़रारनामे की शर्तों के अनुसार भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है। भरण-पोषण केवल तलाक हो जाने से पहले इद्दत के समय या फिर यदि पत्नी गर्भवती है तो गर्भावस्था के दौरान ही मिल सकता है।

इस संदर्भ में, शाह बानो केस की चर्चा की जानी ज़रूरी है। 70 वर्षीय शाह बानो ने भरण-पोषण के लिए अर्ज़ी दी और सात सालों तक उसके लिए लड़ाई लड़ी। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो तथा अन्य (AIR 855C 945) के फैसले ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इसमें यह था कि तलाकशुदा महिला, जब तक वह दूसरा विवाह न कर ले, आई.पी.सी. की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा कर सकती है। इस फैसले ने तलाकशुदा महिला के लिए भरण-पोषण के अधिकार को महसूस किया और समान सिविल कोड की ज़रूरत महसूस की। मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा कई विरोध प्रदर्शन किए गए क्योंकि उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय का फैसला इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ़ था।

तब कट्टरपंथियों के दबाव के आगे संसद ने हार मान ली और उच्चतम न्यायालय का फैसला पलटते हुए संसद द्वारा मुस्लिम महिला (तलाक के अधिकार की रक्षा) अधिनियम 1986 पारित किया गया। नए अधिनियम ने मुस्लिम पुरुषों को तलाक के बाद अपनी पूर्व-पत्नी के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया और उसका बोझ महिला के परिवारवालों पर डाल दिया। यह कानून प्रगतिशील विचारकों के लिए एक बड़ा धक्का था।

मुस्लिम समाज में गोद लेने का चलन नहीं देखा जाता, किंतु मुस्लिम किसी बच्चे का पालन-पोषण कर सकते हैं और उस बच्चे को संपत्ति में अधिकार भी दे सकते हैं। दत्तक ग्रहण विधेयक जो 1972 में आया, उसका मुस्लिम रूढ़िवादियों द्वारा विरोध हुआ और वह कभी व्यवहार में नहीं आ पाया।

(i) अभिरक्षा और (ii) संपत्ति के संदर्भ में संरक्षण के दो प्रकार हैं। अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा को 'हिज़ानत' कहा जाता है। छोटे बच्चे को माँ अथवा अन्य संबंधियों की अभिरक्षा में सात वर्ष की उम्र तक रहना होता है और इसी तरह, छोटी बच्चियों को विवाह तक। माँ की अनुपस्थिति में न्यायालय पिता अथवा किसी अन्य निकट संबंधी को अभिभावक नियुक्त कर सकता है। उत्तराधिकार के संबंध में सुन्नी तथा शिया संप्रदाय में कानून अलग-अलग हैं। 'हनफ़ी' कानून में मुस्लिम विधवा को संपत्ति में केवल 1/8वीं हिस्सेदारी है। यह महिलाओं के विरुद्ध जबर्दस्त भेदभाव है।

अन्य अल्पसंख्यकों के निजी कानून – अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में भी महिलाओं की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। वे भी भेदभाव तथा पक्षपात झेलने को मजबूर हैं। हिंदुओं की ही तरह, ईसाई समाज में भी एकल विवाह की मान्यता है। 1936 के अधिनियम के अनुसार, पारसियों में द्विविवाह निष्प्रभावी और दंडनीय कृत्य है। भारतीय ईसाइयों हेतु दूल्हे के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष और दुल्हन के लिए 18 वर्ष है। (अनुच्छेद 60, ईसाई विवाह अधिनियम, 1872)। दूसरी ओर पारसियों में दोनों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पिता अथवा अभिभावकों की रज़ामंदी अनिवार्य है। (पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 का अनुच्छेद 3(c))। दोनों ही समाजों में, विवाह का पंजीकरण होता है। दोनों ही समाजों में विधवा पुनर्विवाह का चलन है। भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के अनुच्छेद 37 तथा 38 के अनुसार ईसाई पत्नी को अलग होने अथवा तलाक की स्थिति में भरण-पोषण का अधिकार है तथा पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 के अनुच्छेद 40 के अनुसार तलाक के मुकदमे के दौरान और तलाक होने पर पारसी पत्नी को भरण-पोषण लेने का अधिकार है।

मातृवंश में उत्तराधिकार – भारत में कुछ ऐसे समूह हैं जो मातृवंशात्मक हैं। मेघालय की गारो, खासी और जैंतिया जनजातियाँ, लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मुस्लिम और केरल के नायर मातृवंशीय समाज हैं। गारो समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का अधिकार है, किंतु माता-पिता

© NCERT not to be republished

किसी भी बेटी को संपत्ति नामांकित कर सकते हैं। लक्षद्वीप और मिनीकॉय में महिलाएँ और अधिक सत्ता व हैसियत का आनंद लेती हैं। पैतृक संपत्ति का अधिकार महिलाओं को है।

हमारे देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अपने धर्म और समाज के निजी कानूनों से संचालित होता है। कट्टरपंथियों का मानना है कि पारिवारिक मुद्दे निजी होते हैं और इसलिए धर्म के दायरे के भीतर आते हैं। बहुत सारी धार्मिक व्यवस्थाएँ महिलाओं की आज़ादी और गतिशीलता में कटौती करती हैं। हम इस तथ्य से मुँह नहीं मोड़ सकते कि ये व्यवस्थाएँ पुरुषों द्वारा की गई हैं। ये कट्टरपंथी महिलाओं की नियति के निर्णायक बने हुए हैं। आज भी कई ऐसी रूढ़ियाँ हैं जो विभिन्न समुदायों में चल रही हैं, जैसे — पर्दा, मनुष्य की बलि (सती), बाल-विवाह, बहुविवाह, विधवाओं के साथ गलत व्यवहार, जाति भेद आदि।

ये कट्टरपंथी समूह कितने प्रभावी और ताकतवर हैं, इसका अंदाज़ा कुछ चर्चित मामलों जैसे शाह बानो (ऊपर चर्चा की जा चुकी है) और रूप कँवर के मामले से लगाया जा सकता है। सितंबर 1987 में रूप कँवर को सती किया गया (धर्म और परंपरा के नाम पर उन्हें अपने पति की चिता पर ज़िंदा जला दिया गया)। यह हिंदू औरत के विरुद्ध अमानवीयता और क्रूरता की हद थी। भारत के कोने-कोने से लोग इसे देखने गए और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया। सुधारकों के अनेक प्रयासों के बावजूद उस स्थान पर बाद में सती मंदिर बना दिया गया।

लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान के बावजूद धार्मिक कट्टरपंथियों की आक्रामकता नियंत्रण से बाहर है। अपने समाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उत्तरी राज्यों में खाप पंचायतें अतार्किक रूप से न्यायिक व्यवस्था का अतिक्रमण कर रही हैं।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भारतीय ईसाइयों पर भी लागू होता है। एक ओर, विधवाओं के हितों की अवहेलना की जाती है और उन्हें अपने पति की संपत्ति से केवल सीमित हिस्सा ही दिया जाता है। दूसरी ओर, बेटी-बेटों, पोते-पोतियों व भाई-बहन में कोई अंतर नहीं किया जाता है। इस अधिनियम के खंड V के अध्याय II में इसका वर्णन किया गया है। इसी अधिनियम के खंड V का अध्याय III पारसियों के उत्तराधिकार नियम से संबंधित है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 50, 51(2), 52 में इसका वर्णन है।

क्रियाकलाप

एक समूह को निजी कानूनों में किए गए प्रावधानों के आलोक में दी गई निम्नलिखित स्थितियों के अंतर्गत सामाजिक बदलाव और जेंडर न्याय के बीच संबंध का विश्लेषण करने के लिए कहिए—

(i) विवाह
(ii) तलाक
(iii) महिलाओं का शैक्षिक सशक्तीकरण
(iv) पारिवारिक संरचना
(v) उत्तराधिकार
(vi) महिलाओं की आजीविका क्षमता में वृद्धि

किसी भी एक विषय का चयन कीजिए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए।

6.2 प्रस्तावना

भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और उन्हें राष्ट्र के कानून में समान भागीदारी का अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने और रोज़गार प्राप्त करने के संदर्भ में धर्म, जाति नस्ल, लिंग और जन्म-स्थान के आधार पर दो लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

संविधान का खंड III हमारे मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है जिससे किसी राज्य द्वारा मानव अधिकारों के पक्ष में बनाए गए बेहद विस्तृत घोषणा-पत्र के दृष्टिकोण का पता चलता है।

मौलिक अधिकारों को छह व्यापक श्रेणियों में सुनिश्चित किया गया है, जो इस प्रकार हैं—

- समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों की समान सुरक्षा शामिल है। (अनुच्छेद 14)
- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)
- सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
- अस्पृश्यता और उपाधि व्यवस्था का निराकरण (अनुच्छेद 17 और 18)
- बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जमा होने, यूनियन बनाने, आने-जाने, निवास करने और कोई

© NCERT not to be republished

भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने का अधिकार (अनुच्छेद 19)

- स्वतंत्रता का अधिकार जिसके अंतर्गत जीवन और निजी स्वतंत्रता की रक्षा शामिल है। (अनुच्छेद 21)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसके अंतर्गत हर प्रकार की जबरन मज़दूरी, बाल मज़दूरी और मानव के अवैध क्रय-विक्रय का निषेध शामिल है। (अनुच्छेद 23 और 24)
- अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25–28)
- अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा तथा लिपि सुरक्षित रखने और अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)
- सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 52)
- 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा अधिनियम का अधिकार।

भारतीय संविधान महिला और पुरुष दोनों को ये अधिकार देता है, किंतु अपवाद स्वरूप महिलाओं और बच्चों के पक्ष में संरक्षणात्मक अंतर भी करता है। एक ओर, हमारे पास उदार व समतावादी संवैधानिक प्रावधान हैं और दूसरी ओर हमारी व्यवस्था में सीमित और अन्यायपूर्ण निजी कानून भी हैं। महिलाएँ जीवन के हर पड़ाव पर जेंडर विभेदीकरण झेलने को मजबूर हैं और इसे ही अपनी नियति मान लेती हैं। उन्हें एक ऐसी कानून व्यवस्था की ज़रूरत है जहाँ उन्हें मनुष्य होने के नाते और समाज का बराबर हिस्सा होने के नाते अपने अधिकार प्राप्त हो सकें।

विडंबना यह है कि बहुत-सी शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएँ भी इस नृशंसता और हिंसा के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पातीं क्योंकि उनके अपने परिवार तथा समाज से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल पाता। कलंक और अकेलेपन के डर से वे पहल नहीं कर पातीं और इस तरह अंतहीन क्रूरता और शोषण का शिकार होती रहती हैं।

महिलाओं को विधि साक्षर और अपने अधिकारों और मुद्दों के प्रति जागरूक बनाए जाने की तुरंत आवश्यकता है।

6.3 उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप —

- विभिन्न संदर्भों में महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ नृशंसता और हिंसा की पहचान कर सकेंगे;
- उन क्षेत्रों को पहचान सकेंगे जहाँ विधिक जागरूकता की आवश्यकता है;
- भारतीय संविधान और निजी कानूनों में महिलाओं एवं लड़कियों के संदर्भ में किए गए प्रावधानों से अवगत हो सकेंगे;
- यह जान सकेंगे कि विकट स्थिति में कैसे और कहाँ जाना है;
- महिलाओं और लड़कियों के पक्ष में काम कर रही और उन्हें विधिक जागरूकता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों और संस्थाओं के बारे में जान सकेंगे; और
- बच्चों, विशेषकर छोटी बच्चियों के विरुद्ध हो रहे अपराधों को समझ सकेंगे और उसकी जाँच कर सकेंगे।

नीचे दिया गया चार्ट जीवन के विभिन्न चरणों में महिलाओं के खिलाफ़ हो रही हिंसा के प्रकारों का एक खाका प्रस्तुत करता है —

नृशंसता और क्रूरता

जीवन के चरण	नृशंसता/हिंसा के प्रकार
जन्म से पूर्व	• लिंग निर्धारण और लिंग चयनित गर्भपात • जबर्दस्ती गर्भधारण (जैसे — सामूहिक बलात्कार, दंगों तथा युद्ध के दौरान बलात्कार, जाति आधारित बलात्कार) • माँ का प्रजनन संबंधी खराब स्वास्थ्य (जिससे भ्रूण प्रभावित होता है) • कुपोषण के चलते गर्भपात • संक्रमण (माँ का सही टीकाकरण न होना)

© NCERT not to be republished

शैशवास्था	• जन्मोपरांत बच्ची की हत्या • भावनात्मक तथा शारीरिक शोषण • परिवारजनों द्वारा बच्ची का यौन शोषण • बच्चियों के भोजन तथा उनकी उचित स्वास्थ्य देखभाल में अंतर (कुपोषण और टीकाकरण की अनदेखी के चलते मौत)
बाल्यावस्था	• बाल-विवाह • जननांग परिछेदन – मादा खतना • परिवार के सदस्यों तथा अजनबियों द्वारा दैहिक शोषण (शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार) • बाल-मज़दूरी, बाल-वेश्यावृत्ति, खरीद-फ़रोख्त, अश्लील चित्रण (पोर्नोग्राफ़ी) • भोजन सहित सभी संसाधनों की पूर्ति में भेदभाव
किशोरावस्था	• कोर्टशिप तथा डेटिंग के दौरान हिंसा (तेज़ाब फेंकना और डेट पर ले जाकर बलात्कार करना) • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न • बलात्कार (वैवाहिक बलात्कार और इसके चलते होने वाला अवांछित गर्भधारण), लड़कियों की खरीद-फ़रोख्त, दहेज उत्पीड़न और हत्या • यौन शोषण • जबरन वेश्यावृत्ति, अश्लील चित्रण, परिवार के सदस्यों तथा अजनबियों द्वारा दैहिक शोषण, शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं का यौनिक-मानसिक उत्पीड़न • साइबर अपराध (एम.एम.एस.), अश्लील चित्रण (पोर्नोग्राफ़ी)
प्रजनन/वैवाहिक अवस्था	• दहेज उत्पीड़न और हत्या • नजदीकी पुरुष साथी द्वारा उत्पीड़न, पत्नी को पीटना, वैवाहिक बलात्कार, बेवफ़ाई, • साथी की हत्या • मानसिक, भावनात्मक उत्पीड़न • लिंग चयनित गर्भपात • घरेलू हिंसा • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न • यौन शोषण, बलात्कार • गर्भावस्था के दौरान मार-पीट • शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं का यौनिक-मानसिक उत्पीड़न
बड़ी उम्र में	• विधवा उत्पीड़न • बलात्कार, यौन हिंसा • शारीरिक उत्पीड़न (बड़ी उम्र की औरतों का उत्पीड़न) • जबरन आत्महत्या अथवा आर्थिक कारणों से विधवाओं की हत्या

स्रोत– *"वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन", WHO.FRH/WHD/978*
एन.एस.एस. मैनुअल ऑन वुमेन्स डेवलपमेंट एंड जेंडर जस्टिस, 1998

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप

विचार मंथन – चार्ट को आद्योपरांत पढ़िए और अपने सामाजिक व निजी अनुभवों और विचारों (यदि कोई हों) से जोड़कर देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए—

1. महिलाओं के खिलाफ नृशंसता या हिंसा में कौन-कौन से जेंडर रूढ़िवादी व्यवहार दिखायी देते हैं?
   .....
   .....
2. ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसे व्यवहारों से कुछ धारणाएँ जुड़ी हैं?
   .....
   .....
3. शारीरिक उत्पीड़न भावनात्मक और मानसिक उत्पीड़न से ज़्यादा कष्ट देता है? टिप्पणी कीजिए।
   .....
   .....
4. अपमानजनक स्थिति में होने पर हम क्या कर सकते हैं? एक उदाहरण दीजिए और अपने हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए।
   .....
   .....

6.4 महिलाएँ एवं संविधान

भारतीय संविधान महिला अधिकारों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं करता है। प्रस्तावना में सैद्धांतिक रूप से जेंडर समानता को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान, खंड III अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15), सार्वजनिक रोज़गार के संबंध में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), अस्पृश्यता का निवारण (अनुच्छेद 17), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19), जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा (अनुच्छेद 21), शोषण के खिलाफ़ अधिकार (अनुच्छेद 23) और संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)। यद्यपि ये सभी प्रावधान सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। अनुच्छेद 21, 23 और 32 पर परिचर्चा नीति और व्यवहार के बीच के अंतर को उघाड़कर रख देती है।

अनुच्छेद 21 – जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा

क्या हम सच में महिलाओं तथा छोटे बच्चों, खास तौर पर लड़कियों के जीवन की रक्षा कर पाते हैं। इसे हम दो तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं—

(i) महिला मृत्युदर पुरुष मृत्युदर से अधिक है।
(ii) प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है।

प्रति 1,000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1991 में 927 और 2001 में 933 के मुकाबले 2011 में 940 होने से कुछ सुधार हुआ है। बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रति 1,000 बालकों पर 914 बालिकाएँ हैं। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। यहाँ प्रति 1,000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 877 है।
(स्रोत– जनगणना, 2011)

जैविक रूप से स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में अधिक मज़बूत होती हैं। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो बालकों की मृत्युदर अधिक होती है किंतु हमारे देश में बालिकाओं के जीवन को निश्चित करने के कई घटक हैं। योजना आयोग के अनुसार बेटे को प्राथमिकता देने और बेटियों की अवहेलना करने से बेटियों की उत्तरजीविता की दर में कमी आयी है। (जनगणना, 1991, योजना)

जनगणना की रिपोर्ट इसके लिए निम्नलिखित संभव कारण बताती है —

(i) बालिका शिशु की हत्या
(ii) शुरुआती वर्षों में ही बालिकाओं की अत्यधिक अवहेलना
(iii) छोटी उम्र में विवाह, जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा करना और अप्रशिक्षित प्रसूति
(iv) पोषण, स्वास्थ्य, साफ़-सफ़ाई, स्वच्छता की खराब स्थिति

बालिका शिशु के जीवन-मरण को निर्धारित करने वाले कई अन्य कारण हैं। भारत में कन्या भ्रूण-हत्या एक निरंतर फैलता कोढ़ है। भारत के अधिकांश राज्यों में भेदभावपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था है जो बेटों को अधिक महत्व देती है।

© NCERT not to be republished

कई औरतों को गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का पता चलने पर जबरन गर्भपात करवाना पड़ता है। परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। बिन बेटे की माँ को कई समाजों में इज्ज़त नहीं मिलती और उसे धार्मिक रीतियों से दूर रखा जाता है।

यद्यपि लिंग निर्धारण भारत में गैर-कानूनी और दंडनीय अपराध है, किंतु यह फिर भी चल रहा है। 1994 में प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण तकनीक और 2003 में इसके क्रमिक संशोधन के रूप में पूर्व-धारणा और प्रसव-पूर्व निर्धारण तकनीक (लिंग निर्धारण का निषेध) अधिनियम (PC-PNDT) को कन्या भ्रूण-हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रयोग में लाया गया। शादी के समय लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार को दिया जाने वाला दहेज का रिवाज लगभग अनिवार्य माना जाता है। हमें शायद ही अपने आस-पड़ोस या सगे-संबंधियों में ऐसी कोई शादी दिखायी देती हो जहाँ दहेज लिया अथवा दिया न जाता हो। शादियों में लड़की की योग्यताएँ अथवा मूल्य शादी के निर्धारक तत्व नहीं होते, बल्कि दहेज में दी जाने वाली राशि होती है। इसका अंत यहीं तक नहीं है। शादी के बाद भी ससुराल वाले बहू पर अपने मायके से धन और अन्य संपत्ति लाने की माँग करते हैं। यदि वह मना करती है तो उसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है। तलाक के बहुत सारे मामलों में कई कारणों में से एक दहेज होता है। यह बात अलग है कि इस पर खुले में बात नहीं होती क्योंकि दहेज लेना या देना कानूनन अपराध है। जेंडर संबंधित अपराधों में लड़कियों और महिलाओं की दयनीय स्थिति का कारण बलात्कार और दहेज के लिए हत्या के मामलों की शिकायतें हैं।

वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा – पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में संसाधनों, जैसे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य आदि की उपलब्धता तथा उन तक पहुँच के संदर्भ में हम आसानी से जेंडर विभेदीकरण देख सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों की सामान्यतः सीमित पहुँच होती है। वे स्वतंत्र रूप से कहीं आ-जा नहीं सकतीं। यदि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल भी जाती है तो उनसे निश्चित समय-सीमा के अंदर वापस आने की अपेक्षा की जाती है अथवा परिवार का कोई पुरुष सदस्य उनके साथ उनकी रक्षा के लिए जाता है। अधिकांश महिलाएँ और लड़कियाँ कहीं आने-जाने की निजी स्वतंत्रता और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पातीं।

महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है, छेड़छाड़, उत्पीड़न, यौन शोषण और बलात्कार के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ़ बढ़ते अपराध न केवल परिवार को महिलाओं की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने को बाध्य कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं के भीतर भी डर पैदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे दिन के समय भी अकेले घूमते हुए खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहीं। संविधान में सुधार के कानूनी प्रावधान होने के बावजूद महिलाएँ खुद पर होने वाली घरेलू, यौन और अन्य हिंसाओं के विरुद्ध लड़ने में संकोच कर रही हैं। जेसिका लाल हत्या या मथुरा बलात्कार कांड जैसी सफलता की कहानियाँ बहुत कम ही हैं।

कई कारण हैं जो उन्हें मामले को आगे बढ़ाने से रोकते हैं। उन्हें केवल सब्र, हिम्मत और वित्तीय संसाधनों की ही आवश्यकता नहीं होती, अपितु अन्याय के खिलाफ़ लड़ने की हिम्मत करने वाली महिलाओं को सामाजिक लांछनों का भी सामना करना पड़ता है। उत्पीड़न तथा यौन हिंसा के बारे में बात करना हमारे समाज में एक बड़ा कलंक है और लोग ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते जिनमें उनकी बेटियों की प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और सम्मान जुड़ा होता है। किसी लड़की या महिला के लिए बलात्कार के विरुद्ध सामने आना और केस लड़ना इतना आसान काम नहीं है। उसे भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है जिसकी अपेक्षा अपने परिवार से ही है। महिलाएँ कानून या न्यायालय तक पहुँचने से पहले घर में ही लड़ाई हार जाती हैं। यद्यपि निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले (दिसंबर 16, 2012) पर फूटे गुस्से से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है। पीड़िता के लिए बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन हुए और मोमबत्तियाँ जलायी गईं। परिणामस्वरूप, विधि व्यवस्था में परिवर्तन तथा संशोधन लाने के लिए दबाव बना। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय वर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यों की समिति ने बलात्कार के विरोध में कानून बनाए, ताकि महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध के आरोपियों के खिलाफ़ तुरंत जाँच और सज़ा निश्चित हो सके।

अनुच्छेद 23 – शोषण के विरुद्ध अधिकार

मानव क्रय-विक्रय और जबरन मज़दूरी का निषेध— मानव क्रय-विक्रय अलग-अलग प्रकारों, जैसे भीख माँगने तथा जबरन मज़दूरी के अन्य समान प्रकारों आदि में होता है। यह कानूनन निषिद्ध है तथा ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है।

© NCERT not to be republished

अनुच्छेद 23 मानव क्रय-विक्रय तथा जबरन मज़दूरी का निषेध करता है, किंतु ये सब गतिविधियाँ खुलेआम होती हैं और उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों से महिलाओं और लड़कियों को शहर में रोज़गार का झाँसा देकर लाया जाता है। वे भवन-निर्माण के कार्यों और घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करती हैं। भवन-निर्माण में काम करने वाली महिलाओं को समान वेतन नहीं दिया जाता है। छोटी लड़कियाँ घरेलू नौकरानी का काम करती हैं। उन्हें अधिकांशतः कम वेतन दिया जाता है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उनका अक्सर (यौन, भावनात्मक) शोषण किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है और बुरी स्थिति में रखा जाता है।

वेश्यावृत्ति के लिए छोटी बच्चियों को बेचना पूरे देश में आम बात है जहाँ दलाल ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों से लड़कियों को शहर की चकाचौंध का झाँसा देकर और बेहतर ज़िंदगी एवं अच्छे रोज़गार का वादा करके शहर लाकर बेच देते हैं। उनमें से बहुतों को जिस्म के धंधे में जबरन ठेल दिया जाता है और अधेड़ पुरुषों से विवाह के लिए बेच दिया जाता है। हाशिये की और वंचित समाज से आने वाली लड़कियाँ इस शोषण की अधिक शिकार होती हैं। बरसों पुरानी देवदासी प्रथा उत्पीड़न की एक पुरानी प्रणाली है जिसके तहत लड़कियों और महिलाओं को धर्म के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता था। बच्चियों को मंदिर के देवता की सेवा के लिए दान कर दिया जाता था। उन्हें किसी मनुष्य से विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। समय बीतते-बीतते उनका इस्तेमाल ऊँची जाति के पुरुषों और अमीर ज़मींदारों की दैहिक तृप्ति के लिए होने लगा। इस प्रकार, धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति वैध हो गई।

अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार

ये अधिकार, उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से मौलिक अधिकारों को लागू करने का अवसर प्रदान करते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ की जनता अपने कानूनी अधिकारों के प्रति लापरवाह होने के साथ-साथ संसाधनविहीन, आर्थिक रूप से गरीब और सामाजिक रूप से वंचित है, वहाँ सभी नागरिकों को लिंग, जाति, नस्ल, और धर्म की सीमाओं से दूर रहकर न्याय प्रदान करना एक बेहद कठिन कार्य है। ऐसा देखा गया कि कई बार यदि किसी व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से गलत होता है या कानूनी रूप से कुछ नुकसान होता है तो वह अपनी स्थिति के कारण न्याय के लिए न्यायालय नहीं जा पाता/पाती। ऐसे में किसी व्यक्ति अथवा संस्था के पास यह आज़ादी है कि वह स्वेच्छा से उन गरीब लोगों के पक्ष में कदम उठा सकें, ताकि उन्हें उनके अधिकार तथा हक मिल सकें।

इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम (सामाजिक अभियोग) महिलाओं तथा छोटी लड़कियों के मामलों से संबंधित हैं, जैसे— दहेज उत्पीड़न, मृत्यु, बलात्कार, अपहरण, व्यवहरण (धोखे से भागा ले जाना), बँधुआ मज़दूरी, असमान दैनिक भत्ता, अनैतिक क्रय-विक्रय, छोटी लड़कियों को बेचना, अश्लीलता आदि।

यद्यपि विधि व्यवस्था में कई गड़बड़ियाँ और कमियाँ हैं, किंतु इससे सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए, संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन ऐतिहासिक महत्व के हैं, जहाँ महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने महिलाओं को अपने क्षमतापूर्ण नेतृत्व की ताकत के साथ सामने आने में मदद की है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सामाजिक समानता लाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है ग्राम पंचायत स्तर पर चुने जाने वाले सदस्यों (पंच) तथा अध्यक्ष (सरपंच) के पदों में 33 प्रतिशत महिलाओं का समावेश। विभिन्न जाति, वर्ग तथा धर्म की महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल गाँव के ही स्तर पर नहीं, बल्कि खंड (ब्लॉक) तथा ज़िला स्तर पर भी है। कुछ राज्यों में तो महिलाओं ने उनके लिए आरक्षित पदों से भी अधिक पदों पर जीत हासिल की है। यह बदलती हुई सत्ता व्यवस्था निश्चित रूप से जेंडर समीकरणों को पुनःपरिभाषित करने की तथा सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में उनकी सार्थक भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी। 74वें संशोधन में शहरी स्थानीय संगठनों और प्राधिकरणों के लिए लगभग ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं।

निम्नलिखित क्रियाकलाप शिक्षार्थियों को नेतृत्व तथा सत्ता के पदों में महिलाओं की भूमिका को पहचानने में सक्षम बनाएँगे।

क्रियाकलाप

1. आपने चिपको आंदोलन के विषय में अवश्य सुना होगा। संक्षेप में इस आंदोलन की चर्चा कीजिए।

   .....

   .....

© NCERT not to be republished

2. महिलाओं ने इस आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की?

.....

.....

3. 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' में महिलाओं का क्या योगदान है?

.....

.....

4. क्या हम इन आंदोलनों को पर्यावरणीय नारीवादी आंदोलन कह सकते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

.....

.....

6.5 निजी सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा (अस्मिता) से संबंधित कानून

इस खंड में महिलाओं की देह और व्यक्तित्व के विरुद्ध अपराधों पर बात की जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधान हैं तथा उनके व्यक्तित्व और सम्मान की रक्षा के लिए अन्य कानून हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है—

- भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा अपराध प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) के अंतर्गत बलात्कार (खंड 376 आई.पी.सी.) व्यपहरण और अपहरण (खंड 363-373 आई.पी.सी.), हत्या और दहेज (खंड 302/304 बी आई.पी.सी.), मानसिक और शारीरिक आघात (खंड 498-A आई.पी.सी.), उत्पीड़न (खंड 354 आई.पी.सी.), यौन शोषण (खंड 509 आई.पी.सी.) और छेड़छाड़ (खंड 509 आई.पी.सी.) आते हैं।
- विशेष कानूनों का लक्ष्य सती, दहेज की माँग करना, अनैतिक उद्देश्यों के लिए महिलाओं के क्रय-विक्रय तथा महिलाओं के अभद्र व अनादरपूर्ण प्रस्तुतीकरण जैसे सामाजिक व्यवहारों का निराकरण और उन पर नियंत्रण है।
- अन्य कानूनों में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, पारिवारिक न्यायालय, विधि प्रकोष्ठ, चिकित्सकीय गर्भपात (एम.टी.पी.), गर्भधारण से पूर्व तथा प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक का नियमन (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) आदि है।

एक नज़र आँकड़ों पर, 2011

	अपराध के प्रकार	रिपोर्ट किए गए मामले	कुल आई.पी.सी. अपराधों का प्रतिशत	अपराध की दर	चार्ज शीट की दर	अपराध सिद्धि की दर
क. हिंसक अपराध	बलात्कार	24, 206	1.0	2.0	93.8	26.4
	दहेज हत्या	8, 618	0.4	0.7	92.0	35.8
ख. महिलाओं के खिलाफ़ अपराध (आई.पी.सी.+ एस.एल.एल.)	महिलाओं तथा लड़कियों का अपहरण और व्यपहरण	35,565	1.5	2.9	73.0	28.1
	उत्पीड़न	42,968	1.8	3.6	96.5	27.7
	यौन शोषण	8,570	0.4	0.7	96.4	45.8
	पति तथा अन्य संबंधियों द्वारा क्रूरता	99,135	4.3	8.2	94.4	20.2

© NCERT not to be republished

	लड़कियों को अवैध रूप से लाना	80	0.0	0.0	82.4	7.8
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की कुल संख्या (आई.पी.सी. + एस.एल.एल.)		2,28,650	9.8	18.9	92.0	26.9

स्रोत– http://ncrb.nic.in/crime in India, 2011 statistics, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, गृह मंत्रालय

क्रियाकलाप

1. ऊपर दिए गए अपराध डेटा का विश्लेषण कीजिए और अपनी राय दीजिए।

   .....

   .....

2. घटनाओं की वास्तविक संख्या दर्ज की गई संख्या से कहीं अधिक है। ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ने के कारणों के विश्लेषण की एक व्यापक रिपोर्ट बनाइए। किस तरह की हस्तक्षेप रणनीतियों से ऐसे अपराधों से बचा जा सकता है?

   .....

   .....

(क) बलात्कार – आई.पी.सी. की धारा 375 के अनुसार बलात्कार उसे माना जाता है जब एक पुरुष महिला के साथ इन स्थितियों में शारीरिक संबंध बनाता है—

- उसकी स्वीकृति के बिना; या
- उसकी मर्ज़ी के बिना; या
- उसकी स्वीकृति से, लेकिन उसे या उसके करीबी को मौत का डर दिखाकर या चोट पहुँचा कर; या
- उसकी स्वीकृति से, लेकिन जब उसका दिमाग सुन्न हो या नशे में हो और वह इसके परिणाम समझने के लायक न हो; या
- 16 वर्ष से कम की उम्र में मर्ज़ी से या मर्ज़ी के बिना;

यद्यपि, यह विडंबना ही है कि यह खंड वैवाहिक बलात्कार के मुद्दों पर बात नहीं करता।

अब खंड 376 में बलात्कार के दो और प्रकारों को भी जोड़ा गया है।

(ख) अभिरक्षा में बलात्कार — यदि कोई जन सेवक या किसी संगठन अथवा संस्था का प्रबंधकीय स्टाफ अपने पद का लाभ उठाते हुए किसी महिला को यौन प्रलोभन देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है।

(ग) सामूहिक बलात्कार — जब किसी महिला का एक या एक से अधिक बार पुरुषों के समूह द्वारा बलात्कार किया जाता है। यद्यपि ऐसा युद्ध या तनाव की स्थिति में होता देखा गया है, किंतु अब यह दिल्ली व अन्य जगहों पर भी काफी संख्या में दिखने लगा है जहाँ बलात्कार जवान औरतों और लड़कियों को भयभीत करने और उन पर पितृसत्तात्मक प्रभुत्व और नियंत्रण जमाने का एक उपकरण बन गया है।

(घ) मथुरा केस (1979) — महाराष्ट्र पुलिस हिरासत में हुआ मथुरा बलात्कार केस, राजस्थान का भँवरी देवी केस (1992) तथा ताज़ा उदाहरण निर्भया/दामिनी (2012) का सामूहिक बलात्कार, ऐसे मामले हैं जिन्होंने जनता का ध्यान खींचा है। महिला संगठनों तथा चिंतित नागरिकों ने बलात्कार संबंधी कानून में बदलाव की माँग की है। कई प्रगतिशील सुधार हुए भी, किंतु तथ्य यह है कि बलात्कार को आज भी महिलाओं के खिलाफ़ अपराध के रूप में न देखा जाकर पुरुष के खुद पर नियंत्रण खो देने के एक दोष या गलती के रूप में देखा जाता है। यौनिकता, महिलाओं का सतीत्व, पवित्रता और शुचिता अधिक ध्यान खींच लेती है और समस्या के मनो-सामाजिक पहलू व परिणाम अनदेखे रह जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में शोषित महिला को एक प्रमाण अथवा साक्ष्य के रूप में कम महत्व दिया जाता है।

(ङ) अपहरण और व्यपहरण – आई.पी.सी. की धारा 364 से 369 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को उसकी इच्छा से भी अगर कोई ले जाता अथवा फुसलाता

© NCERT not to be republished

है, तो उसे अवयस्क का अपहरण कहा जाता है। अपहरण के केस में सात साल की सज़ा हो सकती है।

(च) अप्राकृतिक अपराध – धारा 377 के अनुसार किसी पुरुष, महिला अथवा पशु के साथ अप्राकृतिक रूप से बनाए गए शारीरिक संबंध को अप्राकृतिक अपराध कहा जाता है। इसके अंतर्गत, परपीड़न रति, परपीड़न कामुकता, दर्शन रति, मुख मैथुन, गुदा मैथुन आते हैं। विवाह के अंतर्गत सामान्य रूप से शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं। वैवाहिक संबंध में अप्राकृतिक व्यवहार दंडनीय है। किंतु सामान्यतः महिलाएँ चुप रहती हैं या अलग हो जाती हैं पर कानूनी सुरक्षा लेने के लिए न्यायालय नहीं जातीं। सितंबर 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता एवं दो वयस्कों के बीच के सहमतिपरक यौन संबंधों को गैर-आपराधिक घोषित किया। उसके पहले तक इसी धारा के अंतर्गत समलैंगिकता को अपराध माना जाता था।

(छ) दहेज – दहेज प्रथा हमारे समाज में गहरे से पैठी हुई है। संसद ने 1961 दहेज निषेध अधिनियम में लागू किया जिसमें 1984 तथा 1986 में संशोधन किए गए। आई.पी.सी. की धारा 498-A और 304-B तथा सी-आर.पी.सी. की धारा 174(3) तथा 176 और भारतीय प्रमाण अधिनियम (धारा 113A और 113B) इस सामाजिक बुराई के निवारण में बहुत सहायक हैं। दहेज लेना और देना एक दंडनीय, विचारणीय और गैर ज़मानती अपराध है। यदि किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों जैसे चोट, जलने अथवा अन्य अप्राकृतिक परिस्थितियों मसलन— पति या परिवार द्वारा क्रूरता अथवा उत्पीड़न— से मौत होती है तो कानून इस स्थिति में पति और उसके परिवारवालों को सज़ा का प्रावधान करता है। (आई.पी.सी. की धारा 304 बी— दहेज हत्या)। आई.पी.सी. की धारा 498 A के अनुसार, यदि पति अथवा परिवार के सदस्य महिला के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। धारा 319 और धारा 324 वहाँ लागू होती है जहाँ पति अपनी पत्नी को पीटता है या पीटने की धमकी देता है अथवा उसे किसी खतरनाक हथियार से चोट पहुँचाता है।

हिंदू विवाह में, महिला का अपने स्त्रीधन (विवाह के समय लड़की के परिवार द्वारा दी गई संपत्ति) पर अधिकार है। यह निश्चित रूप से पत्नी की संपत्ति है, चाहे इसका कब्ज़ा पति को ही क्यों न दिया गया हो। न्याय व्यवस्था ने परिस्थितिजन्य सबूतों, जैसे दहेज पीड़ित द्वारा अपने परिवार को लिखी चिट्ठी जिसमें दहेज की माँग और उत्पीड़न का ज़िक्र हो तथा जल्दबाज़ी में अंतिम संस्कार कर दिए जाने को महत्व देकर कुछ प्रगतिशील निर्णय लिए हैं। पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व अंतिम बयानों पर भी विचार किया जाता है, हालाँकि विरोधाभास यह है कि कई केसों में इन सबके बावजूद पीड़िता अपराध को साबित करने में असफल हो जाती है।

समाज में उपस्थित वर्जनाएँ तथा दिल दुखा देने वाले निर्णय महिला और उसके परिवार की न्यायिक सुरक्षा लेने की हिम्मत तोड़ देते हैं। माता-पिता दहेज की माँगों को पूरा करते जाते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी लड़की ससुराल छोड़कर वापस आ जाए। कई बार लड़की पति और ससुराल वालों की क्रूरता के बारे में परिवार को बताती भी है, पर वे उस पर अधिक ध्यान नहीं देते और उसे संबंध निभाने की सलाह देते हैं। चोट खाई, बेचारी, अपमानित औरत या तो आत्महत्या कर लेती है या फिर अपने ही घरों में ज़िंदा जला दी जाती है। दहेज पीड़ित के बहुत सारे मामले तो उनकी मौत के बाद दर्ज होते हैं।

क्रियाकलाप

1. न्यायालय द्वारा दहेज प्रथा को गलत ठहराने के बावजूद यह आज भी पूरे भारत में चल रही है। कोई चार कारण बताइए।

   .....

   .....

2. बाल यौन शोषण के मामले बहुत कम ही देखे जाते हैं। टिप्पणी कीजिए।

   .....

   .....

(ज) मानहानि – यदि किसी महिला को किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है तो वह दोषियों के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती है। वह अपने नुकसान की भरपाई की माँग भी कर सकती है।

© NCERT not to be republished

(झ) उत्पीड़न – आई.पी.सी. की धारा 351 के अनुसार उत्पीड़न के अंतर्गत इशारे और अश्लील हरकतें आती हैं। आई.पी.सी. की धारा 354 के अनुसार महिलाओं का उत्पीड़न करने पर दो साल की सज़ा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। इसके अंतर्गत चोट पहुँचाने के लिए शारीरिक प्रयास, धमकी देना और परेशान करना आता है।

(ञ) छेड़छाड़ – आई.पी.सी. के अनुसार यह महिला की शालीनता का अपमान है। यह टिप्पणी करके, आवाज़ से, इशारों से अथवा कोई वस्तु दिखाकर की जा सकती है।

(ट) सती – अंग्रेज़ों द्वारा सती प्रथा का निर्मूलन 1829 में यह कहकर किया गया कि पति की चिता पर अपनी मर्ज़ी से प्राण देना आत्महत्या है और जबरन जलाना हत्या है। सती प्रतिबंध अधिनियम आयोग 1987 में पारित हुआ।

(ठ) अनैतिक क्रय-विक्रय (निरोध) अधिनियम, 1956 – संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी का निषेध करता है। आई.पी.सी. की धारा 372 और 373 छोटे बच्चों के वेश्यावृत्ति के लिए क्रय-विक्रय करने पर दंड देती है, वहीं धारा 360 से 371 का प्रावधान अपहरण, व्यपहरण और दास प्रथा के विरुद्ध किया गया है। इस अधिनियम में 1986 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम मुख्यत: धंधा करने वालों, दलालों, कोठा चलाने वालों और वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी करने वालों व वेश्याओं की कमाई पर ऐश करने वालों को अपना निशाना बनाता है।

वेश्यावृत्ति कानूनन अपराध नहीं है किंतु सार्वजनिक क्षेत्र में यह कार्य करना इसे अपराध बना देता है। इन मामलों में अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले प्रावधान वे हैं, जिसमें वेश्याओं को सज़ा दी जाती है, वहाँ आने वाले पुरुषों को नहीं। भारत में बाल वेश्यावृत्ति दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। कई बार छोटे बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को वहाँ से छुड़वा कर पुनर्वास केंद्रों में भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ की स्थिति भी उतनी ही भयावह है। हम सभी हाल ही में अनाथालयों, पुनर्वास केंद्रों और रैन-बसेरों में हुए यौन शोषण के पर्दाफ़ाश से परिचित हैं। यदि महिला संगठनों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रयासों से इन महिलाओं तथा छोटी लड़कियों को वहाँ से छुड़वा कर पुनर्वासित भी किया जाता है, तब भी उनकी परिवार में वापसी और स्वीकृति लगभग असंभव होती है। इस जटिल समस्या से न्यायपूर्ण तरीके से निपटने में कानून भी उतने संवेदनशील नहीं हैं।

(ड) व्यभिचार – यह कानून अपनी प्रकृति में भेदभावपूर्ण है। एक ओर तो यह पुरुष को यह अधिकार देता है कि वह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रखने वाले अन्य पुरुष पर मुकदमा कर सकता है किंतु दूसरी ओर, महिलाएँ अपने पति द्वारा किसी अन्य स्त्री/स्त्रियों से शारीरिक संबंध रखने पर अपने पति पर मुकदमा नहीं कर सकतीं। व्यभिचार से संबंधित आई.पी.सी. की धारा 497, इसे संविधान के अंतर्गत महिलाओं की समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानती। व्यभिचार को पत्नी की यौनिकता पर पति के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा गया है। महिलाओं के लिए इसके समान कोई कानून नहीं है। भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व है, वहाँ पत्नी की इच्छा और रुचि से अधिक वे अपनी मर्ज़ी को महत्व देते हैं। उपस्थित सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में व्यभिचार संबंधी कानून विरोधाभासी है।

(ढ) महिलाओं का अशालीन प्रस्तुतीकरण (निषेध) अधिनियम 1986 – यह अधिनियम मुद्रित अथवा दृश्य-श्रव्य सामग्री में महिलाओं के अशालीन प्रस्तुतीकरण को निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के अशालीन प्रस्तुतीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि महिलाओं की देह, उनके रूप, शरीर अथवा किसी अंग को ऐसे प्रस्तुत किया गया हो, जिसमें महिलाएँ अशालीन, अपमानजनक अथवा निंदात्मक दिखती हों।

यह परिभाषा मूल्य निर्णय और अशालीनता के मूल्यांकन के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती है। यही कारण है कि पितृसत्तात्मक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए जनसंचार माध्यमों, सिनेमा और टेलीविज़न में महिलाओं को पुरुषों के लिए आकर्षक स्त्री अथवा परंपरागत बेटियों/बहुओं, सासों और ननद/भाभियों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अखबारों, पत्रिकाओं अथवा टेलीविज़न में अपराध संबंधी खबरें महिलाओं

© NCERT not to be republished

के विरुद्ध होने वाले अपराधों जैसे कि बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज हत्या, तस्करी और क्रूरता की घटनाओं से परे होती हैं।

आई.पी.सी. की धारा 292, 293 और 294 में अश्लीलता को परिभाषित करने के लिए भी कानून है, किंतु इन प्रावधानों पर न के बराबर ही बात की जाती है।

क्रियाकलाप

1. कोई ऐसी पाँच खबरें/विज्ञापन एकत्र कीजिए जिनमें महिलाओं को अशालीन रूप में प्रस्तुत किया गया हो और उस पर अपने विचार रखिए।

   .....

   .....

2. कुछ ऐसे लोक गीत, लोक कथाएँ, फ़िल्मी, गैर-फ़िल्मी गीत, मिथकीय कथाएँ एकत्र कीजिए जिनमें महिलाओं की अशालीन तथा शालीन प्रस्तुति की गई हो।

   .....

   .....

3. क्या आपको लगता है कि पत्रिकाओं, अखबारों अथवा सिनेमा या टेलीविज़न में महिलाओं का इस तरह का प्रस्तुतीकरण बच्चों के नन्हें मस्तिष्कों को प्रभावित करता है। कैसे?

   .....

   .....

(ण) चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम (एम.टी.पी.ए.) 1971 – यह अधिनियम विस्तार से समझाता है कि किन स्थितियों में गर्भपात अपराध है और किन स्थितियों में नहीं। जब माँ अथवा बच्चे की जान को खतरा हो, तब डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात करवाया जा सकता है; या उस स्थिति में जब गर्भाधान का कारण बलात्कार हो। 12 सप्ताह तक के गर्भ को डॉक्टर की सलाह पर गिराया जा सकता है, किंतु यदि भ्रूण 12 सप्ताह से अधिक का हो गया हो तो ऐसा करने के लिए दो डॉक्टरों की सलाह ज़रूरी है।

प्रारंभ में, कानून गर्भपात को एक अपराध के दायरे में रखता था, किंतु अब यह थोड़ा उदार हो गया है। गर्भपात से गर्भ खत्म हो जाता है। इसे तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

- **प्रेरित गर्भपात** – गर्भवती महिला या किसी अन्य या दोनों का सोचा-समझा कृत्य।
- **प्राकृतिक गर्भपात** – यह प्राकृतिक कारणों से होता है और आई.पी.सी. के अंतर्गत नहीं आता है।
- **विधिक गर्भपात** – एम.टी.पी. अधिनियम इस श्रेणी की चर्चा करता है।

गर्भवती महिला की मर्ज़ी से किया गया गर्भपात (गर्भ से भ्रूण को निकालना) आई.पी.सी. की धारा 312 के अंतर्गत आता है और गर्भवती महिला की इच्छा के बिना गर्भपात का मामला धारा 313 के अंतर्गत आता है। धारा 314 आई.पी.सी. के अनुसार, किसी व्यक्ति के ऐसा कृत्य करने पर जिससे महिला का गर्भपात हो जाए और इसी कारण उसकी मौत हो जाए तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंड और 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। यह साबित होने पर कि महिला की मृत्यु उसकी इच्छा के बिना जबरन गर्भपात के कारण हुई है तो यह सज़ा उम्रकैद भी हो सकती है।

आई.पी.सी. ने बच्चे के जन्म के संबंध में दो और अपराधों की बात की है—

(i) माता-पिता अथवा बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम के बच्चे का परित्याग या उसे निराश्रय कर देना

(ii) शरीर को दफ़ना कर अथवा गुप्त तरीके से उसका निवारण करके बच्चे के जन्म को छिपाना

(त) प्रसव-पूर्व निर्धारक तकनीक (पी.एन.डी.टी.) अधिनियम, 1994 – प्रसव पूर्व निर्धारक तकनीक के दुरुपयोग का नियमन और निरोध अधिनियम 1994 में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए पी.एन.डी.टी. के दुरुपयोग पर नियंत्रण करना था। भारत में इस अधिनियम को बेहद गंभीरता और कड़ाई से लागू किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय आज भी बेटे की ही चाह रखते हैं। वारिस और वंशावली को चलाने के लिए बेटे की चाह में लोग लिंग पता करवाने के लिए जाते हैं। यद्यपि यह गैर-कानूनी और प्रतिबंधित है, किंतु ऐसे भी डॉक्टर और नीम-हकीम हैं, जो यह जाँच करते हैं। यदि हम पिछले वर्षों का लिंगानुपात देखें तो लड़के और लड़कियों में संख्या के अंतर को बखूबी समझा जा सकता है।

© NCERT not to be republished

(थ) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 – राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की परिकल्पना महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के मुद्दों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के रूप में की गई थी। आयोग की स्थापना एक राष्ट्रीय शीर्ष संवैधानिक स्तर की संस्था के रूप में की गई जो महिलाओं के लिए संवैधानिक तथा विधिक संरक्षण उपायों की समीक्षा कर सके। यह आयोग महिलाओं को प्रभावित करने वाले उपचारात्मक विधायी मानदंडों की संस्तुति करता है, उनकी शिकायतों की सुनवाई में मदद करता है तथा नीति संबंधी मामलों पर सरकार को सलाह देता है।

- आयोग की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिकाओं में से एक, महिलाओं के लिए बने कानूनों और विधायी प्रावधानों की समीक्षा करना है। इसके द्वारा सुझायी गई संस्तुतियों से आई.पी.सी., सी-आर.पी.सी. तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने के लिए सहायता मिलती है।
- आयोग केवल संशोधन ही नहीं सुझाता, अपितु इसने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, समान विवाह कानून एवं अनाथ और निराश्रित बच्चे को गोद लेने से संबंधित कानून पर चर्चा करने के लिए नए विधान की व्यवस्था की भी संस्तुति की है।
- आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से कार्यशालाएँ, गोष्ठियाँ, सम्मेलन और जागरूकता कार्यक्रम भी करवाता रहता है।
- आयोग महिलाओं के हिरासत संबंधी न्याय को सुरक्षित रखने में भी सहायता करता है। महिलाओं के लिए हिरासत संबंधी न्याय में संशोधन सुझाने के लिए विशेषज्ञों का एक दल बनाया गया, जिनके सुझावों की कारागृह के इंस्पेक्टर जनरल से चर्चा की गई और इसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जैसे— सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिलाओं को गिरफ़्तार करने पर प्रतिबंध, महिला कैदियों के लिए महिला पुलिस और महिलाओं के लिए अलग कैदखानों की व्यवस्था। महिलाओं के लिए अलग जेल के संदर्भ में बात करें तो कारागृह संबंधी आँकड़े, 2011 के अनुसार 12 राज्यों या केंद्रशासित राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर केवल 19 जेल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें महिला कैदियों का उत्पीड़न एवं शोषण पुरुष कैदियों अथवा जेल में उपस्थित अन्य पुरुषों द्वारा किया गया है। धारा 160, सी-आर.पी.सी., महिलाओं को पुलिस के अनावश्यक शोषण से बचाती है। एक पुरुष को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया जा सकता है, लेकिन महिला अथवा 15 वर्ष से कम आयु के पुरुष के संदर्भ में, पुलिस को उनके ठिकाने पर जाकर ही पूछताछ करनी होगी। धारा 51, आई.पी.सी., यह सुनिश्चित करती है कि जाँच महिला पुलिस द्वारा ही की जाएगी।
- बच्चियों का यौन उत्पीड़न एन.सी.डब्ल्यू. के सामने आने वाला ज्वलंत मुद्दा है। वे बाल उत्पीड़न, बाल शोषितों के चिकित्सा-विधिक आयामों, मानसिक स्वास्थ्य तथा पुनर्वास पर काम कर रहे हैं। प्रक्रियात्मक कानूनों पर भी काम चल रहा है। इन्होंने यह भी संस्तुत किया है कि बच्चियों के यौन शोषण के मामलों में दी जाने वाली सज़ा के परिमाण को बढ़ाया जाए।
- आयोग महिलाओं के खिलाफ़ हो रही नृशंसता और महिला अधिकारों के हनन के मामलों की भी छानबीन करता है। आयोग का हस्तक्षेप व्यथित महिलाओं के हिस्से के न्याय को सुरक्षित रखने में प्रभावी साबित होता है। आयोग शोषण, घरेलू हिंसा, क्रूरता, यंत्रणा, उत्पीड़न, यौन शोषण, बलात्कार, अनावृत करना, परित्याग, मारपीट और यौन हिंसा अथवा यौनिक हमले संबंधी मुद्दों तथा शिकायतों को सुनता और उनकी जाँच करता है।
- आयोग महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास, सशक्तीकरण और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठता है।
- राष्ट्रीय आयोग राज्य स्तर पर महिला आयोग खोलने के लिए राज्यों की मदद कर रहा है। एन.सी.डब्ल्यू. ने राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के महिला आयोगों के बीच समन्वयन, संसाधनों के संयोजन और तारतम्यता को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करने शुरू कर दिए हैं।

© NCERT not to be republished

(द) मानव अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 1993 – इस अधिनियम का गठन अधिकारों तथा उनसे संबंधित मामलों अथवा इसके अलावा प्रासंगिक मामलों की बेहतर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.), राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग (एस.एच.आर.सी.) और मानवाधिकार न्यायालय की संरचना के लिए किया गया है। भारत की एन.एच.आर.सी. एक स्वतंत्र संस्था है, जिसका गठन मानवाधिकारों की रक्षा अधिनियम,1993 के अंतर्गत किया गया है। एन.एच.आर.सी. एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है। मानवाधिकार संबंधी विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए आयोग सतत प्रयास करता है। इनमें से कुछ मुद्दों पर भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशन पर कार्यक्रम के रूप में नियंत्रण रखा जा रहा है। ये कार्यक्रम हैं— बँधुआ मज़दूरी का निवारण, मानसिक चिकित्सालयों और सरकारी संरक्षण गृहों (महिलाओं के लिए) का संचालन और भोजन का अधिकार। आयोग द्वारा देखे जा रहे अन्य कार्यक्रम तथा मानवाधिकार के मुद्दे हैं— बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929, बाल अधिकार, बाल मज़दूरी, बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा, दलितों की समस्याएँ, दिव्यांगों के अधिकार, कार्यस्थल पर यौन शोषण, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, एच.आई.वी./एड्स, जनसंख्या संबंधी नीति आदि।

(ध) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 – यह अधिनियम परिवार के भीतर किसी प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा (संविधान द्वारा सुनिश्चित) को और प्रभावशाली बनाने के लिए है। अधिनियम के अनुसार, 'व्यथित व्यक्ति' से तात्पर्य ऐसी स्त्री से है, जो प्रतिवादी के साथ किसी घरेलू संबंध में है या रही है और वह उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है। घरेलू संबंध से तात्पर्य है, दो ऐसे लोगों के बीच संबंध जो एक ही घर में साथ रहते हैं या कभी साथ रहे हैं; शादी के कारण एक-दूसरे से जुड़े हैं; गोद लेने अथवा संयुक्त परिवार की तरह परिवार के सदस्य के रूप में रहे हैं। इस अधिनियम ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा— शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक, मानसिक अथवा शारीरिक चोट पहुँचाने की धमकी जिससे अन्य व्यक्ति प्रभावित हो, को अपने दायरे में लिया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यवहार जो भयभीत करे, चालाकी करे, अपमानित करे, अलग करे, डराए या धमकाए, ज़बरदस्ती करे, आरोप लगाए, चोट पहुँचाए अथवा घायल करे, सब शामिल हैं।

घरेलू हिंसा शब्द से तात्पर्य महिला तथा लड़की के विरुद्ध उसके बेहद करीबी लोगों, चाहे वह साथ रहने वाला साथी हो या घर का कोई अन्य सदस्य, द्वारा की गई हिंसा है,भले ही यह हिंसा घर के दायरे में हुई हो या इस दायरे से बाहर रहकर ही क्यों न की गई हो।

कोई भी व्यक्ति यदि यह महसूस करता/करती है कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, हो रही है या होने वाली है, तो वह इसकी सूचना संबंधित सुरक्षा अधिकारी (अधिकारी जिसकी राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की गई हो) को दे सकता/सकती है। पीड़िता को सेवा-प्रदाता तथा चिकित्सकीय व विधिक सहायता मुफ़्त प्रदान की जाएगी। यदि उसे आश्रय की ज़रूरत है तो आश्रय गृह उसे उपलब्ध कराया जाएगा यद्यपि उसके पास अपने घर में रहने का भी अधिकार है।

क्रियाकलाप

1. घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारकों को चिह्नित कीजिए और उनका विश्लेषण कीजिए। कुछ व्यापक श्रेणियाँ नीचे दी जा रही हैं। (आप चाहें तो इनमें और जोड़ सकते हैं)
   1. सांस्कृतिक 2. आर्थिक
   3. विधायी 3. राजनीतिक
2. क्या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और एच.आई.वी./एड्स के फैलने में कोई संबंध है?
   .....
   .....
3. अपने क्षेत्र में उपस्थित आश्रय गृहों तथा घरेलू हिंसा के मामलों को देखने वाले अधिकारियों की एक सूची बनाइए।
   .....
   .....

© NCERT not to be republished

4. क्या आप महिलाओं के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी संगठनों से अवगत हैं? उनके नाम, पते और उनकी प्राथमिकताओं (कार्यक्षेत्रों) की सूची बनाइए।
   - (सहभागियों की मदद से एक शब्दावली बनायी जा सकती है और बाद में उनके सहयोग के लिए संकलित सूची प्रसारित भी की जा सकती है।)
   - यदि संभव हो तो सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के लोगों को महिलाओं के साथ काम करने संबंधी उनके अनुभव साझा करने के लिए बुलाया जा सकता है और एक इंटरफ़ेस भी आयोजित किया जा सकता है, जहाँ प्रतिभागियों को उनके काम को समझने और उनसे प्रश्न पूछने का अवसर भी मिलेगा।

(न) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2010 – यौन उत्पीड़न के मामले को ठीक से समझने में आई.पी.सी. की धारा 354 की असफलता के परिणामस्वरूप सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा एन.जी.ओ. द्वारा 1997 में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। विशाखा तथा अन्य महिला समूहों बनाम राजस्थान मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यौन शोषण, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 के अंतर्गत अधिकारों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। साथ ही अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत यह पीड़िता के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है जिसके तहत 'उसे कोई भी व्यवसाय, उद्यम अथवा व्यापार करने का अधिकार है।'

न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया जिसके तहत ऐसे व्यवहार को शामिल किया गया जो यौन संबंधी इरादे से किया जा रहा है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष। जैसे —

(क) शारीरिक संपर्क या छूट लेना;
(ख) यौन सुख के लिए माँग अथवा आग्रह करना;
(ग) यौन संबंधी टिप्पणियाँ करना;
(घ) अश्लील फ़िल्म दिखाना;
(ङ) यौन प्रकृति का अनचाहा व्यवहार, चाहे वह शारीरिक हो, शाब्दिक हो या संकेतों के माध्यम से हो।

इस बिल का उद्देश्य कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा करना है। यह कार्यस्थल चाहे सार्वजनिक हो या निजी, व्यवस्थित हो या अव्यवस्थित। यह शिकायत तथा सुनवाई व्यवस्था की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रस्तावित बिल के अनुसार, प्रत्येक रोज़गार प्रदाता के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत हेतु एक आंतरिक समिति की व्यवस्था करना अनिवार्य है। समिति को 90 दिन के भीतर जाँच को पूरा करना होगा। यौन उत्पीड़न से तात्पर्य है— यौन प्रकृति का अनचाहा व्यवहार (चाहे वह शारीरिक हो, शाब्दिक हो या संकेत के माध्यम से हो)।

युवाओं से संबंधित कानून— किशोर न्याय अधिनियम, 1986 – यह अधिनियम कानून से उलझाव के दायरे में आने वाले बच्चों से व्यवहार के लिए अलग दृष्टिकोण की व्यवस्था करता है, किंतु यह उन सारी स्थितियों का वर्णन करता है जिनके अंतर्गत बच्चों का उत्पीड़न होता है या होने की संभावना है। इसके अंतर्गत बेघर, निराश्रित, भिखारी, माता-पिता के स्नेह से वंचित, वेश्याओं अथवा अनैतिक किस्म के लोगों से जुड़े, वे सब बच्चे आते हैं जिनका उत्पीड़न अथवा शोषण हो रहा है।

छोटी बच्चियाँ ऐसी परिस्थितियों की सबसे कमज़ोर शिकार होती हैं। इस अधिनियम का सख्ती से अनुपालन उनके स्वास्थ्य, कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

इस अधिनियम में उपेक्षित बच्चे की देखरेख का भी प्रावधान है। बच्चे की स्थिति को समझने के लिए कल्याण परिषद् और उनसे संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए बाल न्यायालय की स्थापना की गई है।

(प) बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.), अधिनियम, 2005 – इसकी स्थापना देश में बाल अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और बचाव के लिए की गई थी। आयोग के समक्ष 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का संरक्षण समान रूप से महत्वपूर्ण है। आयोग आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एच.आई.वी./एड्स, तस्करी, कुपोषण, यातना और शोषण, अश्लील फ़िल्म और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों को उनके अधिकार पाने में बाधा बनने वाले सभी घटकों की जाँच करता है और उनके सुधार के लिए ज़रूरी उपाय सुझाता है। यह विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों जैसे— मुसीबत में फँसे, हाशिये पर पड़े, सुविधाहीन

© NCERT not to be republished

बच्चों, कानूनी दाँव-पेंच में उलझे बच्चों, किशोर अपराधों में उलझे बच्चों, बेघर व बेपरिवार बच्चों और कैदियों के बच्चों आदि के मामलों में भी दखल देता है और उनके सुधार के उपाय सुझाता है।

(फ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई.) – 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अपनी शिक्षा खत्म करने तक मुफ़्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। बाल अधिकार रक्षा आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले आयोग आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में आने वाली शिकायतों की सुनवाई करेंगे। अधिनियम के अनुसार, 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय से मुफ़्त तथा अनिवार्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार है। इस अधिनियम में कहा गया है कि "कोई बच्चा/बच्ची ऐसे किसी भी शुल्क या फ़ीस व्यय, को चुकाने के लिए जवाबदेह नहीं है जो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरी करने से रोके।"

इस अधिनियम में उन बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है, जो स्कूल में या तो दाखिला नहीं ले सके अथवा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए। इसके अनुसार, यदि 6 वर्ष से ऊपर का/की कोई बच्चा/बच्ची स्कूल में दाखिला नहीं ले पाया/पायी या दाखिला लेने के बावजूद पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया/पायी, तो उसे उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहाँ बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में सीधे प्रवेश दिया गया है, इन बच्चों को अन्य बच्चों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिए जाने का अधिकार है। 14 वर्ष की उम्र के बाद भी किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा पूर्ण करने तक के लिए दाखिला दिया जा सकता है। यह अधिनियम स्कूल में दाखिल किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लेने तक स्कूल से निष्कासित नहीं किए जाने की भी व्यवस्था करता है।

आर.टी.ई. बच्चों की शिक्षा तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार और नामांकन में वृद्धि को सुनिश्चित करने की दिशा में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है, किंतु इसे बच्चियों को स्कूल से जोड़े रखने एवं स्कूली प्रक्रिया में उनकी गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

(ब) यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 – यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012, नवंबर 2012 से अस्तित्व में आया। अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के तथा जेंडर निरपेक्ष व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखा जाता है। यह सब प्रकार के यौन उत्पीड़नों को भी परिभाषित करता है, जैसे— यौन उत्पीड़न, यौन पैठ अथवा यौन पैठ के बगैर यौन उत्पीड़न और अश्लील चित्रण। यह अधिनियम अपराध की रिपोर्ट से लेकर प्रमाण एकत्र करने, मुकदमें और जाँच-पड़ताल की पूरी प्रक्रिया का बच्चे के अनुकूल होना सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए व्यवस्था करता है। यह इस तथ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देता है कि जाँच-पड़ताल तथा मुकदमे की प्रक्रिया में बच्चा/बच्ची फिर से पीड़ित न हों। यह अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि चिकित्सकीय आपातस्थिति के समय भी इलाज से पहले लिखित दस्तावेजीकरण अथवा न्यायालयी माँग-पत्र की माँग न की जाए।

इस अधिनियम पर बाल अधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग और बाल अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य आयोग द्वारा समय-समय पर निगरानी रखी जाएगी।

व्यवस्था में लचीलापन बनाए रखने के लिए धारा 45 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार जब और जहाँ ज़रूरत हो, इसमें ज़रूरी परिवर्तन कर सकती है।

इस अधिनियम में बनाए गए नियम यह भी वर्णन करते हैं कि किन स्थितियों में विशेष अदालत मुआवज़े का प्रावधान कर सकती है। इसके अंतर्गत शिक्षा और रोज़गार के अवसरों का नुकसान, शारीरिक अक्षमता, उत्पीड़न के परिणामस्वरूप पीड़ित का बीमारी अथवा गर्भावस्था से कुप्रभावित होना, आते हैं। मुकदमा खत्म होने के बाद अंतरिम स्तर पर मुआवज़ा भी दिया जाता है।

यह अध्याय जेंडर अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों, अकादमिकों, शिक्षक/शिक्षिकाओं को विधि साक्षरता प्रदान करने के लिए जानकारी पटल का

© NCERT not to be republished

काम करता है। इस अध्याय का व्यापक ज्ञान-आधार विशेषज्ञों को यह जानकारी आगे पहुँचाने और लड़कियों तथा महिलाओं को उनके लाभ के लिए बनायी गई नीतियों, कार्यक्रमों तथा कानूनों की व्यवस्था से अवगत कराने में सहायक होगा। इस सबके बारे में जागरूकता उन्हें ज़रूरत पड़ने पर विधिक सहायता लेने में मदद करेगी।

6.6 संदर्भ

- कपूर. प्रोमिला (सं.). 2001. *इम्पॉवरिंग दि इंडियन वुमेन*. पब्लिकेशन डिवीज़न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फार्मेशन एंड ब्राडकॉस्टिंग.
- कश्यप. एस सी. 1997. *अवर कांस्टीट्यूशन*. नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली.
- गाग, निक्की वान डेर. 2005. *द नो-नॉनसेंस गाइड टू वुमेन्स राइट्स*. रावत पब्लिकेशन, जयपुर.
- जयसिंह, इंदिरा (सं.). 1996. *जस्टिस फ़ॉर वुमेन*. द अदर इण्डिया प्रेस, गोवा
- डागर, रेनुका (सं.). 1990. *मैनुअल ऑन वुमेन्स, डेवलपमेंट एंड जेंडर जस्टिस*. इंस्टीट्यूट फ़ॉर डेवलपमेंट कम्यूनिकेशन, इंडिया.
- देसाई, नीरा एंड ठक्कर, उषा. 2001. *वुमेन इन इंडियन सोसाइटी*. नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली.
- नायर. उषा. 1997. *लीगल लिट्रसी फ़ॉर एजुकेशनल पर्सनल विथ फोकस आन वुमेन एंड गर्ल*. रिसोर्स मटेरियल. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.
- नेशनल क्राइम रिकॉर्डस. 2011. *क्राइम इन इंडिया— स्टैटिस्टिक्स*. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफ़ेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया.
- पॉपुलेशन सेंसस. 2011. 15th नेशनल सेंसस सर्वे ऑर्गनाइजेशन.
- मैथ्यू. पी.डी. एंड बख्शी, पी.एम. 2000. *वुमेन एंड दि कांस्टीट्यूशन*. इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, नयी दिल्ली.
- राइट ऑफ़ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजूकेशन एक्ट. 2009. (35 ऑफ़ 2009) द स्टेटमेंट ऑफ़ परपज़.
- आर.टी.ई. एक्ट, वही, सेक्शन 3(1).
- वही, सेक्शन 3(20).
- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन. 1996. *वॉयलेंस अगेन्स्ट वुमेन*. डब्ल्यू.एच.ओ. कन्सल्टेशन. जेनेवा.
- वुमेन्स लिंक. 2008. *वुमेन एंड वायलेंस*. वाल्यूम 14. नं. 2. इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट. नयी दिल्ली.
- वुमेन्स लिंक. 2010. *इंड्रस्टियल एरियाज़ एंड इम्पैक्ट ऑन वुमेन*. वाल्यूम 16. नं. 1. इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट. नयी दिल्ली.
- शर्मा, बृज किशोर. 2002. *इंट्रोडक्शन टू द कांस्टीट्यूशन ऑफ़ इंडिया*. प्रेंटिस-हाल ऑफ़ इंडिया प्रा.लि., नयी दिल्ली.
- शेरवानी अज़ीम. 1998. *द गर्ल चाइल्ड इन द क्राइसिस*. इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, नयी दिल्ली.
- सिंह, सुभाष चंद्रा. 2009. *जेंडर जस्टिस*. सीरियल्स पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
- सेंसस. 1991. "एवरी सिक्स्थ पर्सन एन इंडियन". *योजना*. वॉल्यूम-35,संख्या-9, 4–7 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नयी दिल्ली.
- सेंटर फ़ॉर सोशल रिसर्च. 2005. "फैसिलिटेटिंग चेंज, रिस्ट्रक्चरिंग जेंडर रिलेशन". *ए मैनुअल फ़ॉर पुलिस ट्रेनर*. नयी दिल्ली, इंडिया.
- हक्सर, नंदिता. 1987. *महिलाओं के लिए कानून की दुहरी मान्यताएँ*. लैंस प्रेस, इंडिया.
- http:/www.ncpcr.gov.in/Acts/National_Commission_for_protection_of_childAct2005pdf
- http:/www.prsindia.org/uploads/media/sexual/20 harassment%20 bill pdf.
- ibn/inc.in.com/news/cabinet-class-sexual-bill
- www.Christian council.in
- http:/indiacode.nic.in/fullact
- http://ncrb.nic.in/crimeinIndia, 2011statistics
- http://ncrb.gov.in/prisonstatistics.htm www.nhrc.nic.in
- http://www.icbse.com/right-to-education-act,2009/2010
- Indiagovernance.gov.in/files/protection of children from sexual offences Act, 2012
- www.ncbi.nlm.nih.gov.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 7

स्वावलंबी होना लड़कियों के सशक्तीकरण हेतु व्यावसायिक शिक्षा

मॉड्यूल की रूपरेखा

7.1 परिदृश्य
7.2 भूमिका
7.3 उद्देश्य
7.4 व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा का रोज़गारोन्मुखीकरण
7.5 स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा
7.6. आठवीं कक्षा के बाद विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अवसर
7.7 व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से लड़कियों के सशक्तीकरण के अवसर
7.8 संदर्भ

© NCERT not to be republished

7.1 परिदृश्य

शिक्षा और कौशल विकास सशक्तीकरण के दो महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। यह बात अब अच्छी तरह समझी जा चुकी है कि वैश्विक अर्थव्यस्थाओं के निर्माण और स्थायी विकास के लिए तथा विश्व को रहने योग्य बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जहाँ तक भारत की बात है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद नीति निर्धारण का जो ध्यान महिला कल्याण पर था, वह बदल कर विकास और अब सशक्तीकरण पर केंद्रित है। लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास तथा सशक्तीकरण अब केवल नैतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि अब इसे निवेश के रूप में देखा जा रहा है; क्योंकि समुचित रूप से शिक्षित और कौशलयुक्त मानव संसाधन (एच.आर.) ठोस एवं स्थायी अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास तथा आपसी समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व आदि दूसरे संलाभ हासिल करने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस पर बल दिया गया है, "यह एक विश्वास और सामाजिक अभियांत्रिकी (सोशल इंजीनियिरंग) का कार्य होगा। शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में बुनियादी बदलाव लाने में एक एजेंट के तौर पर प्रयुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं के सशक्तीकरण में सकारात्मक हस्तक्षेपी की भूमिका का निर्वहन करेगी। यह पुनर्रचित पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों एवं अध्यापकों, निर्णयकर्ताओं और प्रशासकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या आदि से नए मूल्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।" शिक्षा से सभी के समग्र विकास की अपेक्षा है, जिसमें उन्हें रोज़गार के लिए तैयार करना भी सम्मिलित होगा। यह पुरुष/स्त्री को अपनी क्षमताओं को पहचानने, आजीविका के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक ज्ञान और योग्यता हासिल करने तथा कार्यस्थल पर कार्य करने में मदद करेगी। यही वह परिदृश्य

है जिसमें कार्य-संबंधी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षा को रोज़गारोन्मुख बनाना प्रासंगिक है।

महिलाएँ न केवल कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग हैं, बल्कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपना सिक्का भी जमाया है। विकास में वे एक बराबर साथी के रूप में अपना योगदान कर सकें, इसके लिए उन्हें रोज़गार योग्य बनाना होगा। व्यावसायिक शिक्षा में ज्ञान और कौशल विकास दोनों ही समाहित हैं, जिसके कारण यह व्यक्ति को रोज़गार के लिए अधिक उपयुक्त बनाती है। भारत युवा लोगों का राष्ट्र है तथा अगले कुछ दशकों तक यह विश्व में कार्य करने योग्य जनसंख्या (श्रम बल) के रूप में प्रमुख योगदान करने वाला राष्ट्र होगा। इसके साथ ही वर्ष 2020 तक विश्व-भर में कुशल मानव संसाधनों की कमी 5 करोड़ 60 लाख तक पहुँच जाएगी। इस प्रकार भारत रोज़गारोन्मुख और कौशल युक्त प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन का केंद्रबिंदु बन सकता है, तथापि ऐसा लड़कियों को बराबरी के अवसर देकर ही हासिल किया जा सकेगा।

7.2 भूमिका

प्राचीन काल से ही भारत में कौशल विकास के सदियों पुराने दो तरीके प्रचलित रहे हैं। एक तरीका पारिवारिक परंपरा से सीखने का था, जबकि दूसरा काम करते समय सीखने (प्रशिक्षुता) पर आधारित था। छोटे बच्चे बचपन से ही पारिवारिक व्यवसाय संबंधी कौशल सीखने का अवसर पा जाते थे, जिससे परिवार में ही उनका गहन प्रशिक्षण होता रहता था और पारिवारिक व्यवसाय में समय के साथ वे पारंगत हो जाते थे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का यह भी दायित्व था कि वे बच्चों को नेक आचरण एवं व्यवहार की शिक्षा दें और उन्हें व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करने में मदद करें ताकि वे आवश्यक तैयारी के साथ जीवन की चुनौतियों और दायित्वों का पालन कर सकें। अधिकतर बच्चे अपना कोई नया व्यवसाय न चुनकर पारिवारिक व्यवसाय को ही आगे बढ़ाते थे। प्रशिक्षुता प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाले विशेषज्ञों द्वारा एक प्रकार से अभिभावकों की भूमिका का ही निर्वहन किया जाता था।

इसके अतिरिक्त एक संपूर्ण शिक्षा के रूप में गुरुकुलों में भी शिक्षा दी जाती थी, जहाँ ज्ञान के साथ-साथ शारीरिक श्रम (कौशल) भी समाहित था। शिक्षा में ज्ञान, चरित्र-निर्माण और कौशल-प्रशिक्षण सम्मिलित था। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास तथा परस्पर समानता का आदर करना सिखाया जाता था। बाद में विकास के नाम पर स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के औपचारीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके फलस्वरूप ज्ञान और कौशल विकासयुक्त यह समेकित शिक्षा दो भिन्न रूपों में बँट गई। इनमें एक थी— सामान्य (अकादमिक) शिक्षा और दूसरी व्यावसायिक (अथवा तकनीकी) शिक्षा। सामान्य शिक्षा का लक्ष्य सामान्य प्रवीणता में बढ़ावा था, जो अधिकांशतः ज्ञान पर आधारित थी। यह शिक्षा विद्यार्थियों को किसी विशेष रोज़गार अथवा व्यवसाय के लिए तैयार नहीं करती। वहीं व्यावसायिक शिक्षा चिह्नित व्यावसायिक क्षेत्रों में दक्षता विकास के उद्देश्य से तैयार की गई। यूनेस्को ने तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टी.वी.ई.टी.) की परिभाषा इस प्रकार दी है, "शिक्षा प्रणाली का वह प्रारूप जो सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध विज्ञान विषयों के अध्ययन एवं व्यावहारिक कौशल, अभिवृत्तियों के अभिग्रहण तथा आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय से जुड़ी समझ और ज्ञान से संबद्ध है।"

7.3 उद्देश्य

इस मॉड्यूल द्वारा प्रशिक्षु निम्नलिखित कौशलों में समर्थ होगा—

- व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना और उससे संबद्ध अन्य संकल्पनाओं का अच्छी प्रकार वर्णन करने में;
- देश में व्यावसायिक शिक्षा या शिक्षा के रोज़गारोन्मुखीकरण की यात्रा की जानकारी देने और उसके अंतर्गत की गई पहल का लाभ उठाने में;
- स्कूलों में पढ़ रही अथवा स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा के उपलब्ध अवसरों से संबंधित मार्गदर्शन देने में;
- व्यावसायिक शिक्षा अथवा कौशल विकास के माध्यम से लड़कियों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देने में।

7.4 व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा का रोज़गारोन्मुखीकरण

व्यावसायिक शिक्षा की योजना, चिह्नित व्यवसायों के लिए विशेष रूप से अपेक्षित क्षमताओं के विकास की पूर्ति के उद्देश्य से बनायी जाती है। क्षमता से तात्पर्य है— प्रदर्शन के जटिल स्तरों पर कौशल के साथ-साथ नए कार्यों और स्थितियों

© NCERT not to be republished

में अपने ज्ञान और समझ का प्रयोग करने की योग्यता। शिक्षा का रोज़गारोन्मुखीकरण सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के अंतराल को मिटाता है, जिसमें कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण को सामान्य शिक्षा के साथ समेकित कर दिया जाता है। शिक्षा के रोज़गारोन्मुखीकरण का प्रयोजन व्यावहारिक कार्य-जगत में शिक्षा की उपयोगिता बढ़ाना तथा उसे अधिक रोज़गारपरक बनाना है। इसके अलावा दूसरे लक्ष्य भी हो सकते हैं, जैसे विभिन्न गुणों का विकास कर व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाना। इन गुणों में समूह कार्य तथा सभी कार्यों के प्रति आदर भाव, दूसरों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशीलता आदि भी सम्मिलित हो सकते हैं। सभी को उपयुक्त अवसर प्रदान करने में सहायक होने के कारण ऐसी शिक्षा को सब के समावेश की दिशा में एक व्यावहारिक कार्यनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे भी अनुभव हैं कि इससे स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर में भी कमी आयी है। स्कूल छोड़ने के बहुत से कारण हैं, इसमें पाठ्यक्रम की कठिनता से तालमेल न बैठा पाना भी शामिल है। ऐसे विद्यार्थी कार्य-जगत के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस स्थिति में विद्यालय विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने के अवसर प्रदान कर सकते हैं, जिनसे उनमें काम के प्रति व्यावहारिक रुझान पैदा हो तथा उनका काम के विभिन्न आयामों के प्रति अभिमुखीकरण हो। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में विविध प्रकार के व्यवसायों के प्रति उनकी क्षमता और कौशल को बढ़ाया जा सकता है। भारत में 'व्यावसायिक शिक्षा' और 'शिक्षा का रोज़गारोन्मुखीकरण', इन दो तकनीकी शब्दों को एक-दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है; जैसा कि हम आगे के खंड में की गई चर्चा में देखेंगे भी, कि कैसे व्यावसयिक शिक्षा को शिक्षा के रोज़गारोन्मुखीकरण की योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया था।

क्रियाकलाप

आप अपने क्षेत्र अथवा कार्यस्थल में लड़कियों के माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने के कारणों पर चर्चा कीजिए तथा आपकी राय में क्या वे व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित हो सकती हैं।

7.5 स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा

भारत में 22 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें से लगभग 12 प्रतिशत बच्चे ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। बाकी बच्चे या तो स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं या फिर किसी तरह स्कूली शिक्षा ही पूरी कर पाते हैं। उच्च शिक्षा में जाना संभवत: उनके लिए कोई आवश्यक उद्देश्य नहीं होता। अतः स्कूलों में 14 से 18 वर्ष के छात्र-छात्राओं में विभिन्न प्रकार के कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा को बड़ा महत्व दिया गया है

भारत में स्कूली शिक्षा ने शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के परिचय, अभिमुखीकरण, प्रयोग तथा प्रशिक्षण के विभिन्न अवसर प्रदान किए हैं, जैसे— कक्षा 1 से 8 तक कार्य शिक्षा (जिसे कार्य अनुभव अथवा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य भी कहा जाता है), कक्षा 9 से 10 तक पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा और कक्षा 11 से 12 में अलग धारा के रूप में व्यावसायिक शिक्षा। प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न नामों से प्रदान की जाने वाली कार्य-उन्मुखी शिक्षा का अभिप्राय था— कार्य संबद्ध यथेष्ट दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल की दृष्टि से बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना। इससे सामाजिक-वैयक्तिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा थी और ऐसी सोच थी कि अंततः यह कार्य-जगत में विद्यार्थियों को सफलता से स्थापित करने में सहायक हो। (अग्रवाल, 2007)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) में इस पर बल दिया गया था कि शिक्षा के रोज़गारोन्मुखीकरण कार्यक्रम से यह सुनिश्चित हो कि माध्यमिक स्तर पर बच्चे अपने लिए व्यवसाय का चयन करने हेतु तैयार हो सकें। इसमें व्यावसायिक रुचियों और अभिवृत्तियों के विकास पर बल दिया गया ताकि व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आत्म-अन्वेषण का मौका मिल सके और कार्य में उत्पादकता तथा प्रतिभागिता में बढ़ोत्तरी हो सके। प्रारंभिक अवस्था में संचित कार्य अनुभव की निरंतरता के लिए पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाती रही। पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण को व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में मानना अपेक्षित नहीं है। तथापि इससे विद्यार्थियों को कार्य-जगत के किसी क्षेत्र विशेष को और गहराई से जानने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। पूर्व-व्यावसायिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम अक्सर मॉड्युलर होते हैं तथा प्रत्येक स्कूल में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कम से कम 3–4 पाठ्यक्रमों के विकल्प प्रदान किये जाते हैं।

© NCERT not to be republished

अत: भारत में शिक्षा के रोज़गारोन्मुखीकरण को इस उद्देश्य से संचालित किया गया था कि इससे 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा के अंतर्गत सामान्य अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ उत्पादकता कौशल से परिचय, अभिमुखता और प्रयोग के अवसर मिलें। उसके बाद दो साल का व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सामान्य अकादमिक शिक्षा के विकल्प के रूप में उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवसाय विशेष में दक्षता निर्माण के विशिष्ट उद्देश्य से प्रदान किया गया। विभिन्न राज्यों ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (वी.ई.पी.) +2 स्तर पर वर्ष 1976–77 में लागू किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कहा गया है, "व्यावसायिक शिक्षा का सुनियोजित, योजनाबद्ध, तथा दृढ़ता से क्रियान्वित कार्यक्रम प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन के लिए अति महत्वपूर्ण है। बच्चों को उच्च माध्यमिक स्तर पर ऐसे चिह्नित व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएँ जिनका तालमेल अनेक रोज़गारों से हो तथा जो किसी व्यवसाय विशेष से ही संबद्ध न हों।... व्यावसायिक शिक्षा एक अलग धारा होगी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध विशेष व्यवसायों के लिए तैयार करना होगा। हालाँकि इन पाठ्यक्रमों को माध्यमिक स्तर पर प्रदान किया जाएगा, परंतु इस योजना को लचीला बनाया जाएगा, ताकि इसे कक्षा 8 के बाद भी उपलब्ध कराया जा सके।... व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकों को पूर्ण निर्धारित शर्तों के आधार पर व्यावसायिक विकास, करियर सुधार के अवसर प्रदान किए जाएँगे तथा उन्हें सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भी समुचित सेतु पाठ्यक्रमों के माध्यम से पार्श्विक प्रवेश (लैटरल इंट्री) प्रदान किया जायेगा।... उन युवाओं के लिए भी प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएँगे जो अकादमिक योजना के अंतर्गत उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण हुए हों तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अपेक्षा रखते हों।"

इसी के अनुपालन में कार्य-जगत के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु वर्ष 1988 में माध्यमिक शिक्षा के रोज़गारोन्मुखीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) प्रारंभ की गई। अलग धारा के रूप में स्कूलों में उच्च माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा को, जिसमें उच्च माध्यमिक स्तर का प्रमाण-पत्र मिलता है, इससे बड़ा बल मिला। इसके फलस्वरूप इस योजना को लगभग सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया। औपचारिक क्षेत्र में सरकार ने इस योजना को चरणबद्ध रूप से लगभग 9,583 विद्यालयों में क्रियान्वित किया (एम.एच.आर.डी., वार्षिक रिपोर्ट 2006–07)। इसमें लगभग 10 लाख विद्यार्थियों की क्षमता विकसित की गई थी, हालाँकि लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने ही इसमें प्रवेश लिया। छह प्रमुख क्षेत्रों (कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य एवं पैरा-मैडिकल सेवाएँ, गृह विज्ञान तथा मानविकी) में 150 से भी अधिक पाठ्यक्रम चलाए गए। एक स्वतंत्र निकाय, ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप (ओ.आर.जी.) द्वारा 1996 में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों में से लगभग 28 प्रतिशत ने रोज़गार हासिल किया तथा 38 प्रतिशत उच्च शिक्षा में गए (क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तथा यह पूरे भारत में एक समान नहीं रही है)। अभिग्रहित कौशल को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण द्वारा और सुधारने का प्रावधान भी रहा, परंतु व्यावसायिक शिक्षा के सभी छात्र/छात्राओं को ऐसे अवसर नहीं मिले। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा छात्र/छात्राओं को कार्य-जगत में माध्यमिक स्तर से प्रवेश के लिए तैयार किया गया था। इसमें हालाँकि वैतनिक रोज़गार एक विकल्प था, परंतु वेतनपरक नौकरियों की क्षीण होती संभावना के कारण उन्हें स्व-रोज़गार के लिए प्रेरित किया गया। इस शिक्षा को डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों द्वारा जारी रखने के भी विकल्प रहे, जबकि कुछ इसे डिग्री स्तर पर भी ले जाने में सफल हो गए। कुछ राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा के छात्र/छात्राएँ अपने विषय से संबद्ध वाणिज्य, गृह विज्ञान, कृषि, मानविकी आदि विषयों में डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश लेने में कामयाब रहे हैं। इसके कारण उनके लिए अकादमिक उच्च शिक्षा के अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

नयी पहल

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के रोज़गारोन्मुखीकरण की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को वर्ष 2012 में लागू किया जिसमें उद्योगों के साथ वृहत्तर सहभागिता एवं संबंद्धता के लिए प्रावधान है, साथ ही 2012 में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) को भी लागू किया गया जिसे अब राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.) के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में एन.वी.ई.क्यू.एफ. की

© NCERT not to be republished

अग्रणी परियोजना के क्रियान्वयन के उपरांत अधिकांश राज्यों ने अब एन.एस.क्यू.एफ. के अंर्तगत व्यासायिक शिक्षा को लागू कर दिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर इसके संचयी प्रभाव की दृष्टि से इस परियोजना को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के साथ मिला दिया गया है।

(i) राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.)

इसमें माध्यमिक स्तर से पी-एच.डी. स्तर तक की सभी प्रकार की योग्यताएँ समाहित हैं जिसमें अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि को समन्वित करते हुए ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता (vertical mobility) के लिए जोड़ा गया है।

उद्देश्य

- दक्षता आधारित मॉड्युलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की रोज़गार पात्रता की क्षमता बढ़ाना;
- बहु-प्रवेश एवं बहु निर्गम अवसरों के प्रावधान द्वारा युवाओं में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना;
- योग्यताओं में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता एवं अंतर-परिवर्तनीयता उपलब्ध कराना।

एन.एस.क्यू.एफ. अभिकल्प में पदानुक्रमता के क्रम में 10 स्तर सम्मिलित हैं।

स्तर	सामान्य शैक्षिक योग्यता	तकनीकी और व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण योग्यता (टी.वी.ई.टी.)
10	डॉक्टरेट	एन.सी.सी. 8 (नेशनल कम्पिटेंस सर्टिफिकेट)
9	स्नातकोत्तर उपाधि	एन.सी.सी. 7
8	स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातक उपाधि (आनर्स)	एन.सी.सी. 6
7	स्नातक उपाधि एवं स्नातक डिप्लोमा	एन.सी.सी. 5
6	स्नातक सर्टिफिकेट / एडवांस डिप्लोमा	एन.सी.सी. 4
5	डिप्लोमा	एन.सी.सी. 3
4	कक्षा 12 (सामान्य अकादमिक/ व्यावसायिक शिक्षा	एन.सी.सी. 2
3	कक्षा 11 (सामान्य अकादमिक/ व्यावसायिक शिक्षा	एन.सी.सी. 1
2*	कक्षा 10	कार्य प्रारंभ हेतु राष्ट्रीय सर्टिफिकेट एन.सी.डब्ल्यू.पी. 2
1*	कक्षा 9	एन.सी.डब्ल्यू.पी. 1

* अब कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए सीधे एन.सी.सी. 1 एवं एन.सी.सी. 2 स्तर के पाठ्यक्रम लेना संभव है। कक्षा 11 एवं 12 में विद्यार्थी अपनी दक्षता के स्तर को बढ़ाने के लिए एन.सी.सी. 1 एवं एन.सी.सी. 2 के उसी व्यवसाय संबंधी अथवा किसी अन्य व्यवसाय (ट्रेड) संबंधी पाठ्यक्रम भी ले सकते हैं।

(ii) नवीन प्रबंधन संरचना का निर्माण

11वीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की प्रस्तावना रखी गई, जिससे 2008 में त्रि-स्तरीय सांस्थानिक संरचना का निर्माण हुआ।

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास (एन.सी.एस.डी.) परिषद्
- राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वयन बोर्ड (एन.सी.डी.सी.बी.)
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.)

एन.एस.क्यू.एफ. को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी में स्थापित किया गया है तथा इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एन.एस.क्यू.सी.) के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सभी मुख्य लाभकारी सम्मिलित हैं। अन्य कार्यों के साथ एन.एस.क्यू.सी. के कार्यों में राष्ट्रीय व्यवसाय मानक/क्यू.पी., मान्यता (accreditation) के मानक अनुमोदित करना, वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना, अंतर-एजेंसी मतभेद

© NCERT not to be republished

की पुनर्समीक्षा तथा एन.एस.क्यू.एफ. का अंतरराष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क (आई.क्यू.एफ.) के साथ तालमेल स्थापित करना भी सम्मिलित है।

एन.एस.क्यू.एफ. के क्रियान्वयन से निम्नलिखित अपेक्षाएँ हैं —

(i) उपाधियों का एन.एस.क्यू.एफ. के साथ समन्वयन कर व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा में परस्पर आवागमन;

(ii) पूर्व अधिगम का संज्ञान (recognition of prior learning) जिससे गैर-औपचारिक से संगठित रोज़गार बाज़ार में सहज आवक हो सके;

(iii) राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखा (national quality assurance framework) के माध्यम से देश-भर में मानकीकृत, एक समान तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रशिक्षण;

(iv) एन.एस.क्यू.एफ. की अंतर्राष्ट्रीय समतुल्यता से भारत से कुशल कार्यबलों की वैश्विक गतिशीलता;

(v) विभिन्न क्षेत्रों के भीतर तथा विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर प्रगति के रास्तों का खाका;

(vi) कौशल प्रशिक्षण हेतु एन.ओ.एस./क्यू.पी. का राष्ट्रीय मानक के रूप में अनुमोदन।

स्रोत— http//www.skilldevelopment.gov.in/nsqf.html

(iii) मानकों का निर्धारण

कौशल विकास संबंधी राष्ट्रीय नीति में विभिन्न कार्यों को करने के लिए एन.एस.डी.सी. के माध्यम से सेक्टर स्किल काउंसिल के गठन की कल्पना की गई। इन कार्यों में दक्षता, योग्यता तथा मान्यता (Accreditation) के मानकों का निर्धारण सबसे प्रमुख है।

नवीनतम क्या है?

- भारत कौशल मिशन – केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर देश-भर में कौशलीकरण की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन एक ठोस सांस्थानिक एवं स्थानिक रूपरेखा प्रदान करता है। मिशन के अंतर्गत त्रि-स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निर्णयकारी संरचना मौजूद है। सर्वोच्च संस्था शासकीय परिषद् है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह व्यापक दिशानिर्देश और नीति-निर्देश प्रदान करती है। शासकीय परिषद् द्वारा निर्धारित निर्देशों के अंतर्गत यह संस्था मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करती है। मिशन निदेशालय केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों में कौशलीकरण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन, समन्वयन तथा सम्मिलन का कार्य करता है। साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एन.एस.डी.ए.), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) तथा प्रशिक्षण निदेशालय, सभी मिशन के व्यापक दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करते हैं। मिशन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) में स्थापित है।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए नयी राष्ट्रीय नीति की घोषणा
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अथवा पी.एम.के.वी.वाई. की घोषणा एवं क्रियान्वयन
- यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार पूरे देश में अपने प्राधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू करती है। इनकी नयी सूची निम्नांकित वेबसाइट पर उपलब्ध है— https://www.sarkariyojna.co.in/pradhan-mantri-kaushal-vikas-yojana-pmkvy-courses-list-job-roles/
- मार्च 2017 के अंत तक 500 से भी अधिक पी.एम.के.वी.वाई. प्रशिक्षण सहभागी कार्यरत थे, जो दो हज़ार से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन कर रहे थे। इन केंद्रों की सूची भी इंटरनेट पर उपलब्ध है— https://www.sarkariyojna.co.in/pradhan-mantri-kaushal-vikas-yojana-pmkvy-training-partners-list/
- किसी उपयुक्त प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी इंटरनेट पर प्राप्त की जा सकती है जिसका पता है— http://pmkvyofficial.org/Training-Centre.aspx.

7.6 आठवीं कक्षा के बाद विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अवसर

आठवीं कक्षा के बाद नियमित रूप से स्कूली शिक्षा जारी न रखने वाले विद्यार्थी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) में प्रवेश ले सकते हैं। आई.टी.आई. में अधिकतर पाठ्यक्रमों में

© NCERT not to be republished

प्रवेश की अनिवार्यता दसवीं पास है, परंतु इंजीनियरिंग तथा गैर-इंजीनियरिंग दोनों वर्गों में कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम हैं जो आठवीं पास विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे विद्यार्थी साथ-साथ अपनी स्कूली पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं अथवा बाद में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अकादमिक प्रगति कर सकते हैं।

आठवीं कक्षा के उपरांत आई.टी.आई. में उपलब्ध पाठ्यक्रमों (समय-समय पर इनमें परिवर्तन हो सकता है, अतः नवीनतम सूची के लिए वेबसाइट देखते रहें) की सूची निम्नलिखित है —

इंजीनियरिंग

- रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर मैकेनिक, वायरमैन, पैटर्न बनाने वाले, कृषि मैकेनिक, वेल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक), बढ़ई, प्लम्बर

गैर-इंजीनियरिंग

- कटाई और सिलाई, कशीदाकारी तथा सूई का काम, फैंसी कपड़े की बुनाई

7.7 व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से लड़कियों के सशक्तीकरण के अवसर

जहाँ तक लड़कियों/महिलाओं के रोज़गार का प्रश्न है, उसमें रोज़गार के लिए उनकी तैयारी तथा रोज़गार के अवसरों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। उन्हें उपयोगी कौशल एवं उपयुक्त ज्ञान देने तथा आर्थिक जगत के विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार पाने योग्य बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को एक रणनीति के रूप में देखा गया है। महिलाओं के सशक्तीकरण पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होगा कि वे ऐसी व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आकर्षित होती हैं, जो उन्हें देश की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में सृजित अवसरों का लाभ उठाने के लिए सहायता कर सके। इस आधुनिक दौर में लड़कियाँ समाज में बहुमुखी भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने स्वयं को कामकाजी महिलाओं के रूप में स्थापित किया है और अब वो लड़कों से कम महत्वाकांक्षी नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में बहुत से उभरते क्षेत्रों में महिलाएँ अत्यधिक सफल हैं।

कोलमन (1979) ने पाया कि किसी व्यक्ति के आजीविका चयन को प्रभावित करने वाले कारकों में अभिभावकों की अपेक्षाएँ भी सम्मिलित रहती हैं। व्यावसायिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शहरी और ग्रामीण समाज में लड़कियों से व्यवसाय संबंधी अपेक्षाओं पर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा गोवा एवं चंडीगढ़ में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 90% अभिभावक अपनी लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र देखना चाहते हैं (अग्रवाल, 2014)।

व्यावसायिक विकल्पों की पहचान करने, कौशल विकास तथा अपने आपको करियर उन्मुखी बनाने के लिए किशोरावस्था को एक अनुकूल समय माना गया है। वे लोग जो अपनी किशोरावस्था में ही स्वावलंबी बनना चाहते हैं, उनके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक उपयुक्त विकल्प है। *शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009* के प्रवर्तन के उपरांत प्रारंभिक शिक्षा देश में अनिवार्य कर दी गई है। आठवीं कक्षा के उपरांत छात्र/छात्राएँ स्कूलों में अतिरिक्त विकल्प के रूप में व्यावसायिक पाठ्यक्रम ले सकते हैं, वे आई.टी.आई. में दाखिला ले सकते हैं अथवा पी.एम.के.आर.वाई. के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एन.एस.क्यू.एफ. के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षा में प्रगति के अवसर भी बने रहते हैं।

कौशल विकास की आवश्यकता स्थानीय रोज़गार तथा रोज़गार के लिए अन्यत्र जाने, दोनों ही स्थितियों के लिए होती है। लड़कियों के सशक्तीकरण में मूल नीति यह है कि उनके कौशल विकास में जेंडर आधारित कोई भेदभाव न हो। इसका तात्पर्य है कि जेंडर को नज़रअंदाज़ करते हुए ऐसे कौशल का विकास किया जाए, जिसकी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता हो। अतः माता-पिता, शिक्षकों, मार्गदर्शकों तथा प्रशिक्षण देने वालों आदि सभी का दायित्व है कि वे जेंडर रूढ़ियों को प्रश्रय न देकर लड़कियों को उनकी पसंद के अनुसार और रोज़गार की बेहतर संभावना वाले क्षेत्र का विकल्प चुनने के लिए समर्थ बनाएँ।

अनुमानित रोज़गार 2020–2025 पर के.पी.एम.जी. रिपोर्ट 2016 में ऐसे क्षेत्रों की ओर संकेत किया गया है जिनमें अगले एक दशक में लगभग 67 प्रतिशत अतिरिक्त नौकरियाँ सृजित होंगी, ये क्षेत्र हैं —

- ऑटो तथा ऑटो संघटक (कंपोनेंट्स)
- खाद्य प्रसंस्करण
- खुदरा (रिटेल)
- हथकरघा और हस्तशिल्प
- पर्यटन, आतिथ्य एवं यात्रा
- भवन निर्माण एवं भू-जायदाद (रियल एस्टेट)

© NCERT not to be republished

- कपड़ा (टेक्सटाइल) एवं वेशभूषा

यह एक सुखद संयोग है कि इनमें से अधिकतर ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लड़कियाँ/महिलाएँ पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जो लड़कियों की रोज़गारपरकता तथा उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के लिए अतिरिक्त लाभ की स्थिति है।

लड़कियों के लिये रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु कुछ योजनाएँ

- सबला अथवा किशोरियों हेतु राजीव गाँधी सशक्तीकरण योजना— इस योजना का उद्देश्य 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनका आर्थिक सशक्तीकरण करना है।
- स्वयंसेवी समूह (एस.एच.जी.)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत किस प्रकार उद्यम अथवा एस.एच.जी. की स्थापना की जा सकती है। कौशल विकास के लिए तथा रोज़गार पाने या रोज़गार शुरू करने की दिशा में स्थानीय उद्योगों, उद्यमियों, प्रशिक्षण या कौशल विकास संगठनों और एन.जी.ओ. आदि के साथ संबद्धता काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

क्रियाकलाप

एक लड़की ने आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया है क्योंकि वह जल्दी से आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनना चाहती है। साथ ही वह स्नातकोत्तर उपाधि भी हासिल करना चाहती है। इसके लिए उपर्युक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रास्ते सुझाएँ।

व्यावसायिक शिक्षा क्षमता-विकास पर केंद्रित है। क्षमता से तात्पर्य ज्ञान, कौशल तथा किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए यथेष्ट रुझान होना है। इस प्रकार, यह एक व्यक्ति को वास्तविक कार्य स्थितियों में कार्य करने के प्रति समर्थ बनाती है। जो लड़कियाँ अपने जीवन के आरंभिक वर्षों से ही धन कमाना चाहती हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा एक उत्तम विकल्प है क्योंकि यह बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें समर्थ बनने में मदद करती है और उनकी रोज़गार पात्रता में वृद्धि करती है। वर्तमान में कौशलों में निरंतर वृद्धि करने, उनमें विविधता लाने या अकादमिक धारा में वापस जाने की संभावनाएँ भी उपलब्ध हैं।

7.8 संदर्भ

- अग्रवाल, पूनम. 2007. *वोकेशनल एजूकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज़ इंडिया कंट्री प्रोफ़ाइल*. फ़ॉर दि प्रोजेक्ट ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पालिसीज़ इन दि ई.यू. कंप्टीटर कंट्रीज बाई डिपार्टमेंट इंटरनेशनल वी.ई.टी. रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्निक+ बाइडंग यूनिवर्सिटेट, ब्रेमन, जर्मनी
- अग्रवाल, पूनम. 2014. करियर एस्पिरेशन फ़ॉर गर्ल्स इन अर्बन एंड रूरल सोसायटीज विज-अ-विज. वोकेशनल एजूकेशन विथ फोकस ऑन जेंडर इक्विटी. एरिक रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट.
- ओ.आर.जी. 1996. *रिपोर्ट— इवैल्यूशन ऑफ़ दि स्कीम ऑफ़ वोकेशनलाइजेशन ऑफ़ सेकंडरी एजूकेशन*. आपरेशनल रिसर्च ग्रुप.
- के.पी.एम.जी. रिर्पोट. 2016. *इंडिया सोअर्स हाई*.
- कोलमन, जॉन सी. 1979. "करेंट व्यूज ऑफ़ दि एडोल्सेंट प्रोसेस". जॉन सी. कोलमन (स.) *द स्कूल इयर्स*. वाल्यूम 7. मेथ्यून, लंदन. पृ. 1–11
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986/92. 1992. मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, नयी दिल्ली.
- मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऐनुअल रिपोर्ट, 2006–07. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया.

कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स

http://www.skilldevelopment.gov.in/nsqf.html
dget.nic.in
www.wcd.nic.in
https://www.sarkariyojna.co.in/pradhan-mantri-kaushal-vikas-yojana-pmkvy-courses-list-job-roles/

© NCERT not to be republished

शब्द संक्षेप

ADB	—	Asian Development Bank	(ए.डी.बी.)
AIWC	—	All India Women's Conference	(ए.आई.डब्ल्यू.सी.)
CDF	—	Cooperative Development Foundation	(सी.डी.एफ.)
C-EMIS	—	Community-based Education Management Information System	(सी-ई.एम.आई.एस.)
CFA	—	Continuous Formative Assessment	(सी.एफ.ए.)
CMES	—	Centre for Mass Education and Science	(सी.एम.ई.एस.)
COPE	—	Community Organised Primary Education	(सी.ओ.पी.ई.; कोप)
CRC	—	Convention on the Rights of the Child	(सी.आर.सी.)
CrPC	—	Criminal Procedure Code	(सी-आर.पी.सी.)
CSWB	—	Central Social Welfare Board	(सी.एस.डब्ल्यू.बी.)
DBT	—	Direct Benefit Transferred	(डी.बी.टी.)
DRDA	—	District Rural Development Agency	(डी.आर.डी.ए.)
DWCRA	—	Development of Women and Children in Rural Areas	(डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.)
ECCD	—	Early Childhood Care and Development	(ई.सी.सी.डी.)
EFA	—	Education For All	(ई.एफ.ए.)
GPI	—	Gender Parity Index	(जी.पी.आई.)
IDEAL	—	Intensive District Education for All	(आई.डी.ई.ए.एल.)
IPC	—	Indian Penal Code	(आई.पी.सी.)
IRC	—	International Rescue Committee	(आई.आर.सी.)
ISWE	—	Integrated Scheme for Women Empowerment	(आई.एस.डब्ल्यू.ई.)
ITI	—	Industrial Training Institutes	(आई.टी.आई.)
KGBV	—	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya	(के.जी.बी.वी.)
MAEF	—	Maulana Azad Education Foundation	(एम.ए.ई.एफ.)
MDG	—	Millennium Development Goal	(एम.डी.जी.)
MEADOW	—	Management of Enterprise and Development of Women	(एम.ई.ए.डी.ओ.डब्ल्यू.)
MFI	—	Micro Finance Institution	(एम.एफ.आई.)
MTPA	—	Medical Termination of Pregnancy Act	(एम.टी.पी.ए.)

© NCERT not to be republished

MWTL	—	Multiple Ways of Teaching Learning	(एम.डब्ल्यू.टी.एल.)
NABARD	—	National Bank for Agriculture and Rural Development	(नाबार्ड)
NCSD	—	National Council on Skill Development	(एन.सी.एस.डी.)
NCTB	—	National Curriculum and Textbook Board	(एन.सी.टी.बी.)
NCW	—	National Commission for Women	(एन.सी.डब्ल्यू.)
NCPCR	—	National Commission for Protection of Child Rights	(एन.सी.पी.सी.आर)
NIOS	—	National Institute of Open Schooling	(एन.आई.ओ.एस.)
NMEW	—	Natinal Mission for Empowerment of Women	(एन.एम.ई.डब्ल्यू.)
NPE	—	National Policy on Education	(एन.पी.ई.)
NPEGEL	—	National Programme for Education of Girls at the Elementary Level	(एन.पी.ई.जी.ई.एल.)
NRCW	—	National Resource Centre for Women	(एन.आर.सी.डब्ल्यू.)
NRLM	—	National Rural Livelihood Mission	(एन.आर.एल.एम.)
NSDA	—	National Skill Development Agency	(एन.एस.डी.ए.)
NSDC	—	National Skill Development Corporation	(एन.एस.डी.सी.)
NSDP	—	National Skill Development Programme	(एन.एस.डी.पी.)
NSDCB	—	National Skill Development Coordination Board	(एन.एस.डी.सी.बी.)
NSQF	—	National Skill Qualification Framework	(एन.एस.क्यू.एफ.)
NVEQF	—	National Vocational Education Qualifications Framework	(एन.वी.ई.क्यू.एफ.)
ORG	—	Operational Research Group	(ओ.आर.जी.)
PMKVY	—	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna	(पी.एम.के.वी.वाई.)
PNDT	—	Pre Natal Diagnostic Techniques Act	(पी.एन.डी.टी.)
POW	—	Progressive Organsation of Women	(पी.ओ.डब्ल्यू.)
PSDP	—	Primary School Development Programme	(पी.एस.डी.पी.)
RTE	—	Right To Education	(आर.टी.ई.)
SDG	—	Sustainable Development Goal	(एस.डी.जी.)
SEWA	—	Self Employed Women's Association	(सेवा)
SGSY	—	Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojna	(एस.जी.एस.वाई.)

© NCERT not to be republished

SHG	—	Self Help Group	(एस.एच.जी.)
SHPI	—	Self Help Promoting Institution	(एस.एच.पी.आई.)
SMC	—	School Management Committees	(एस.एम.सी.)
SPW	—	Students Partnership Worldwide	(एस.पी.डब्ल्यू.)
SRCW	—	State Resource Centre for Women	(एस.आर.सी.डब्ल्यू.)
SSHE	—	School Sanitation and Hygiene Education	(एस.एस.एच.ई.)
STEP	—	Support to Training and Employment Programme	(एस.टी.ई.पी.)
TLM	—	Teaching Learning Materials	(टी.एल.एम.)
TVET	—	Technical Vocational Education and Training	(टी.वी.ई.टी.)
UNDP	—	United Nations Development Programme	(यू.एन.डी.पी.)
VEC	—	Village Education Committee	(वी.ई.सी.)
VEP	—	Vocational Education Programme	(वी.ई.पी.)
VET	—	Vocational Education and Training	(वी.ई.टी.)
WIA	—	Women's Indian Association	(डब्ल्यू.आई.ए.)
WTC	—	Women Thrift Cooperatives	(डब्ल्यू.टी.सी.)

© NCERT not to be republished



स्वतंत्रता तब तक हासिल नहीं की जा सकती, जब तक कि स्त्रियाँ हर तरह के बंधनों और उत्पीड़न से मुक्त न हो जाएँ।

—नेल्सन मंडेला

© NCERT not to be republished

खंड 1 : जेंडर और समाज संबंधी परिप्रेक्ष्य

सेक्स और जेंडर
जेंडर समानता और सशक्तीकरण के सूचक
जेंडर बजटिंग
जेंडर, मीडिया और शिक्षा
जेंडर और हिंसा
जेंडर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

खंड 2 : जेंडर और विद्यालयी प्रक्रिया

पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक पद्धति और जेंडर सरोकार
भाषा और जेंडर
पाठ्येतर सामग्री और जेंडर संवेदनशीलता
जेंडर अनुकूल कक्षाओं का निर्माण
किशोर लड़कियों का मानसिक स्वास्थ्य — संकल्पना, सरोकार और रणनीतियाँ
शिक्षक — एक परामर्शदाता
विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा
लड़कियों में नेतृत्व के गुणों का विकास
लड़कियों और महिलाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना
महिलाएँ अपरंपरागत भूमिकाओं में — रोल मॉडल्स की ताकत

खंड 3 : जेंडर और महिला सशक्तीकरण

भारत में महिला आंदोलन — एक अवलोकन
शिक्षा में समानता से निष्पक्षता की ओर — दक्षिण एशिया के कुछ उदाहरण
अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा — मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में
महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण — क्षमताएँ एवं संभावनाएँ
स्वयंसेवी समूहों द्वारा महिलाओं को रोज़गार तथा सशक्तीकरण
लड़कियों एवं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा — न्यायिक संरचना
स्वावलंबी होना — लड़कियों के सशक्तीकरण हेतु व्यावसायिक शिक्षा

© NCERT not to be republished

13226
विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-91444-40-2